

कल की मुस्कान के लिए मौजूदा तकनीक का बेहतर प्रयोग
Harnessing today's technology
for tomorrow's *Smiles*



वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2015 - 2016



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

(A Govt. of India undertaking)

Good people to grow with

www.iob.in

Toll Free No. 1800 425 4445

Touching Hearts
Spreading Smiles



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
(A Govt. of India undertaking)

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS



श्री आर. कोटीस्वरन
Shri R Koteeswaran
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer



श्री अतुल अग्रवाल
Shri. Atul Agarwal
कार्यपालक निदेशक
Executive Director



श्री पवन कुमार बजाज
Shri. Pawan Kumar Bajaj
कार्यपालक निदेशक
Executive Director



डॉ. आलोक पाण्डे
Dr. Alok Pande
भारत सरकार के नामित निदेशक
Government Nominee Director



श्री निर्मल चंद
Shri. Nirmal Chand
भा. रि. बैंक के नामित निदेशक
RBI Nominee Director



श्री आर. संपत कुमार
Shri. R. Sampath Kumar
कामगार कर्मचारी निदेशक
Workmen Employee Director



डॉ. जे. डी. शर्मा
Dr. J. D. Sharma
अधिकारी कर्मचारी निदेशक
Officer Employee Director



श्री चिन्नैया
Shri. Chinnaiah
अंश कालिक गैर-आधिकारिक निदेशक
Part-Time Non – Official director



श्रीमती एस सुजाता
Smt. S Sujatha
अंश कालिक गैर-आधिकारिक निदेशक
Part-Time Non – Official Director



श्री ए.बी. डी. बादुशास
Shri A.B.D. Badushas
अंश कालिक गैर-आधिकारिक निदेशक
Part-Time Non – official Director



श्री निरंजन कुमार अग्रवाल
Shri. Niranjan Kumar Agarwal
शेयरधारक निदेशक
Shareholder Director



श्री संजय रूंगटा
Shri. Sanjay Rungta
शेयरधारक निदेशक
Shareholder Director



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

निदेशकगण (31.03.2016 को)

Indian Overseas Bank

Central Office: 763, Anna Salai, Chennai-600 002

ANNUAL REPORT 2015-16

BOARD OF DIRECTORS (as on 31.03.2016)

श्री आर. कोटीस्वरन

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (31.12.2014 से)

श्री अतुल अग्रवाल

कार्यपालक निदेशक (27.09.2013 से)

श्री पवन कुमार बजाज

कार्यपालक निदेशक (10.03.2015 से)

डॉ. आलोक पाण्डे

भारत सरकार के नामिती निदेशक (22.07.2011 से)

श्री निर्मल चंद

भा. रि. बैंक के नामिती निदेशक (13.03.2014 से)

श्री आर. संपत कुमार

कामगार कर्मचारी निदेशक (24.01.2014 से)

डॉ. जे. डी. शर्मा

अधिकारी कर्मचारी निदेशक (02.05.2013 से)

श्री चिन्नैय्या

अंश कालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (13.11.2013 से)

श्रीमती एस सुजाता

अंश कालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (05.12.2013 से)

श्री ए.बी. डी. बादुशास

अंश कालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (12.12.2013 से)

श्री निरंजन कुमार अग्रवाल

शेयरधारक निदेशक (08.12.2014 से)

श्री संजय रंगटा

शेयरधारक निदेशक (08.12.2014 से)

Shri R Koteeswaran

Managing Director & Chief Executive Officer
(from 31.12.2014)

Shri Atul Agarwal

Executive Director (from 27.09.2013)

Shri Pawan Kumar Bajaj

Executive Director (from 10.03.2015)

Dr. Alok Pande

Govt. Nominee Director (from 22.07.2011)

Shri Nirmal Chand

RBI Nominee Director (from 13.03.2014)

Shri R Sampath Kumar

Workmen Employee Director (from 24.01.2014)

Dr. J D Sharma

Officer Employee Director (from 02.05.2013)

Shri Chinnaiah

Part-time Non-Official Director (from 13.11.2013)

Smt. S Sujatha

Part-time Non-Official Director (from 05.12.2013)

Shri A.B.D. Badushas

Part-time Non-Official Director (from 12.12.2013)

Shri Niranjan Kumar Agarwal

Shareholder Director (from 08.12.2014)

Shri Sanjay Rungta

Shareholder Director (from 08.12.2014)

श्रीमती शंकरी पलनिवेल

उप महा प्रबंधक व बोर्ड सचिव (01.10.2015 से)

Smt Sankari Palanivel

Deputy General Manager & Board Secretary (from 01.10.2015)

लेखा परीक्षक

AUDITORS

- मेसर्स वर्धमान एंड कं, चेन्नै
- मेसर्स एसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी दिल्ली
- मेसर्स ए वी देवन एंड कं चेन्नै
- मेसर्स हरिभक्ति एंड कं. एलएलपी, मुंबई
- मेसर्स तलाटी एंड तलाटी, अहमदाबाद

- M/s. Vardhaman & Co, Chennai
- M/s. ASA & Associates LLP Delhi
- M/s. A V Deven & Co Chennai
- M/s Haribhakti & Co. LLP, Mumbai
- M/s Talati & Talati, Ahmedabad

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लि
(यूनिट - आइओबी) सुब्रमणियन बिल्डिंग,
पांचवी मंजिल, नं 1 क्लब हाउस रोड
चेन्नै-600 002
टेलिफोन: 044-2846030 (6 लाइन)
044-28460395
फैक्स 044-28460129
ई मेल : cameo@cameoindia.com

Registrar & Share Transfer Agent

M/s Cameo Corporate Services Ltd
(Unit-IOB) Subramanian Building
V Floor, No.1 Club House Road
Chennai-600 002
Tel: 044-28460390 (Six Lines)
044-28460395
Fax 044-28460129
E mail: cameo@cameoindia.com



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

Indian Overseas Bank

Central Office: 763, Anna Salai, Chennai-600 002

वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

ANNUAL REPORT 2015-16

विषयवस्तु	पृष्ठ सं.	Contents	Page No.
प्रबंध निदेशक व मु.का.अधि. की डेस्क से	3	From the Managing Director & CEO's Desk	3
एक झलक में	9	At a Glance	9
शेयरधारकों को सूचना	10	Notice to the Shareholder	10
निदेशकों की रिपोर्ट	26	Directors' Report	27
प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण	32	Management Discussion and Analysis	33
वर्ष 2015-16 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर		Report of the Board of Directors on	
निदेशक मंडल की रिपोर्ट	59	Corporate Governance for the year 2015-16	58
कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र	99	Auditors' Certificate on Corporate Governance	99
वार्षिक लेखे	100	Annual Accounts	101
नकद प्रवाह विवरण एवं लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र	176	Cash Flow Statement & Auditors' Certificate	177
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	243	Auditors' Report	244
प्रॉक्सी फॉर्म	246	Proxy Form	247
(यदि इस वार्षिक रिपोर्ट के हिन्दी रुपांतरण में कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी रुपांतरण सही माना जाएगा)		(Incase any discrepancy found in Hindi Version of this Annual Report, English Version will prevail)	
वित्तीय कैलेंडर		Financial Calendar	

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक

For the Financial Year 1st April, 2015 to 31st March, 2016

लेखा बंदी की तारीखें : 12.07.2016 (मंगलवार) से
18.07.2016 (सोमवार)

Book Closure Dates : 12.07.2016 (Tuesday) to
18.07.2016 (Monday)

वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण : 20.06.2016 (सोमवार) से
23.06.2016 (गुरुवार)

Posting of
Annual Report : 20.06.2016 (Monday) to
23.06.2016 (Thursday)

प्रॉक्सी फॉर्म प्राप्त करने
की अंतिम तारीख : 13.07.2016 (बुधवार) सायं 5.00

Last Date for receipt
of Proxy Form : 13.07.2016 (Wednesday) 5.00 PM

वार्षिक सामान्य बैठक
की तारीख : 18.07.2016 (सोमवार) सुबह 10.00

Date of AGM : 18.07.2016 (Monday) 10.00 AM



इण्डियन ओवरसीज बैंक- केंद्रीय कार्यालय- चेन्नै
INDIAN OVERSEAS BANK - CENTRAL OFFICE CHENNAI



प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पत्र
Letter from Managing Director & Chief Executive Officer

श्री. आर. कोटीस्वरन

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रिय शेयरधारकों,

मैं आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय विवरण पेश कर रहा हूँ। मैं वर्ष के दौरान बैंक के प्रमुख कार्य-निष्पादन और वित्तीय संकेतकों को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ।

आर्थिक परिदृश्य

मैक्रो आर्थिक पहलू से 7.9 प्रतिशत की संवृद्धि दर, 5.39 प्रतिशत की मध्यम मुद्रास्फीति दर, चालू खाता सरप्लस, नियंत्रित वित्तकोषीय घाटा और अमेरिकी डॉलर 360 बिलियन के वृहत् विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षितियों के साथ भारत बेहतर कर रहा है। यद्यपि, देश वैश्विक झटकों और आंतरिक प्रहारों से अछूता नहीं है। बाहरी मोर्चे पर निर्यात, जो भारत की जीडीपी का 23% हिस्सा है वह दिसंबर 2014 से सिकुड़ता जा रहा है। पेट्रोलियम एवं कच्चे तेल, कृषि और सम्बन्धित उत्पाद, अयस्क और खनिज एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतों में तेज गिरावट दिख रही है। घरेलू मोर्चे पर, शहरी खपत संवृद्धि को मुद्रास्फीति और तेल कीमतों के कम होने की वजह से फायदा हुआ है लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अब भी कमजोरी है। निवेश की दृष्टि से, कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट में तनाव दिख रहा है और ताजा निवेश नहीं किए जा रहे हैं। अपने ऊँचे क्रैज स्तर और मांग में कमजोरी की वजह से बड़े कॉर्पोरेट्स उधार लेने के लिए तैयार नहीं हैं। जहाँ एक तरफ कॉर्पोरेट्स ऋण लेने में हिचक रहे हैं वहीं बैंक संवृद्धि हासिल करने के लिए रीटेल और एसएमई पर ध्यान लगा रहे हैं। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मार्च 2015-16 में 4.59 प्रतिशत की मामूली संवृद्धि हासिल की है।

बैंकिंग क्षेत्र, विशेष तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बढ़ते एनपीए की वजह से अब भी जूझ रहे हैं। मार्च 2015 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए 5.02% था जो मार्च 2016 में बढ़कर 9.30% हो गया। खैर, सरकार ने कोर क्षेत्रों में नीति स्तर पर सुधारों की शुरुआत की है; लेकिन उनका असर दिखना और निवेश गतिविधियों की शुरुआत होना अभी बाकी है। कीमतों पर कम होते दबाव से भारतीय रिज़र्व बैंक को बेंचमार्क ब्याज दरें पांच वर्ष के कम स्तर 6.5% तक घटाने में मदद मिली थी।

Shri.R Koteeswaran

Managing Director & Chief Executive Officer

Dear Shareholders,

I am presenting your Bank's Annual Report and financial statements for the year 2015-16. I would like to share with you the performance highlights and financial indicators of the Bank during the year.

Economic Scenario

India is doing well on macroeconomic aspects with the growth rate of 7.9 per cent, moderate inflation of 5.39 per cent, current account surplus, controlled fiscal deficit and large forex reserves of US\$360 billion. However the country is not insulated from global shocks & internal blows. On the external front, exports which account for 23% of India's GDP have been contracting since December 2014. A sharp decline is seen in petroleum and crude, agriculture and allied products, ores and minerals, and electronic goods. On the domestic side, though the urban consumption growth has benefited from lower inflation and oil prices, the rural economy is still fragile. On investment side, corporate balance sheets are stressed and fresh investments are not being undertaken. Large corporates are unwilling to borrow due to their high debt levels and weak demand. While corporates are unwilling to borrow, banks are focusing on retail & SME to drive growth. However, PSBs registered a tepid credit growth of 4.59 per cent as on March 2015-16.

Banking sector, especially PSBs, continue to struggle with rising NPAs. The gross NPA ratio of PSBs increased from 5.02% in March 2015 to 9.30% by March 2016. However, the government has initiated several policy reforms in core sectors; they are yet to yield results and kick-start investment activity. The easing price pressures have allowed RBI to reduce the benchmark interest rate to a five-year low of 6.5%. The central bank is also working with the



केंद्रीय बैंक भी वाणिज्यिक बैंकों की \$120 बिलियन की तनावग्रस्त आस्तियों को समाप्त करने, भारत के दूरस्थ गावों तक वित्तीय सेवाएँ पहुँचाने और कंपनियों को भुगतान में चूक करने के लिए उत्साहित करने वाले भ्रष्ट प्रोत्साहन प्रणाली से छुटकारा पाने में सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है।

केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए आबंटन में 94% वृद्धि, सिंचाई परियोजनाओं में तेजी, कृषि उधार में वृद्धि, मनरेगा में उच्च आबंटन और किसानों को ब्याज माफी प्रदान करने इत्यादि की वजह से वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अर्थव्यवस्था के 8% की दर से संवृद्धि का अनुमान है। वर्ष-दर-वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में आधारभूत ढाँचे से सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए आबंटन 42.7% बढ़ा है। आधारभूत ढाँचे में सार्वजनिक निवेश से अधिकतम उद्योगों में व्याप्त कम क्षमता उपयोग की स्थिति में सुधार आया। आधारभूत ढाँचे में खर्च से स्टील, सीमेंट, कैपिटल गुड्स एवं वाणिज्यिक वाहनों के लिए मांग बनाने और विनिर्माण में नए निवेशों की शुरुआत का गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसकी वजह से वित्तीय वर्ष 2016-17 में बैंक उधारों में दोहरे अंक में संवृद्धि की उम्मीद की जा रही है।

कार्य-निष्पादन की विशेषताएँ - 2015-16

सम्माननीय हितधारकों द्वारा अपने बैंक के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन एवं उसका निर्णय पिछले एक वर्ष के दौरान हमारे समक्ष आए आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में किया जाए।

समीक्षाधीन वर्ष के लिए बैंक के कार्य-निष्पादन का विवरण निम्नलिखित है:

कारोबार मानदंड	राशि (रु. करोड़ में)	
	31.03.2016	31.03.2015
वैश्विक कारोबार	3,97,241	4,25,090
वैश्विक जमाएँ	2,24,514	2,46,049
वैश्विक अग्रिम	1,72,727	1,79,041
परिचालन लाभ	2,885	3322
निवल लाभ/हानि	-2,897.33	-454.33

31 मार्च 2015 को रु. 81310.34* करोड़ के मुकाबले बैंक का निवल निवेश घटकर 31 मार्च 2016 तक रु. 79189.55 करोड़ हो गया। विनिमय पर लाभ एवं प्रतिभूतियों की बिक्री के बावजूद वर्ष 2015-16 के दौरान कुल लाभ रुपए 699.58 करोड़ रहा जबकि 2014-15 में यह रु. 772.23 करोड़ था। वर्ष के दौरान 10-वर्ष की बेंचमार्क प्राप्ति 7.81% से घटकर 7.46% हो गई। वर्ष 2014-15 में 7.64% के मुकाबले वर्ष 2015-16 में परिशोधन से पूर्व कुल निवेश पर रिटर्न 7.56% रहा। (*31.03.2015 तक आई.आर.डी.एफ. में रु.2012.25 करोड़ की राशि का निवेश शामिल है)

अग्रिम:

31 मार्च 2016 तक सकल अग्रिम रु. 1,72,727 करोड़ रहा जो 31 मार्च 2015 को 1,79,041 करोड़ था। बैंक कोन्सोलिडेशन मोड में था इसलिए

government to clean up as much as \$120 billion of stressed assets at commercial banks, extend financial services to India's remote villages and rid the system of perverse incentives that encourage companies to default on payments.

The economy is expected to grow at 8% during FY2016-17, with the 94% increase in allocation for the farm sector by the Union Budget, fast-tracking of irrigation projects, increase in farm credit, higher allocation to MGNREGA and extension of interest rate subvention to farmers etc. Allocation for infrastructure-related sectors rose by 42.7% y-o-y for FY17. Public investments on infrastructure can help to ease the low capacity utilisation situation in most industries. Infrastructure spending will have a multiplier effect of creating demand for steel, cement, capital goods and commercial vehicles, and spurring fresh investments in manufacturing. On the face of it, bank credits expected to clock double digit growth for FY2016-17.

Performance Highlights – 2015-16

The performance of your Bank has to be evaluated and judged by esteemed stakeholders against the economic scenario witnessed by us during the last one year.

The performance details of the Bank during the year under review are as under:

Business Parameters	Amount (Rs in Crores)	
	31.03.2016	31.03.2015
Global Business	3,97,241	4,25,090
Global Deposits	2,24,514	2,46,049
Global Advances	1,72,727	1,79,041
Operating Profit	2,885	3322
Net profit/Loss	-2,897.33	-454.33

Net investments of the bank decreased to Rs. 79189.55 Crs as of 31st March 2016 from Rs.81310.34* Crs as on 31st March 2015. Total profit including sale of securities & profit on exchange amounted to Rs. 699.58 Crores during the year 2015-16 as against Rs.772.23 Crores of 2014-15. 10-year benchmark yield has gone down from 7.81% to 7.46% during the year. The return on total investments before amortization for the year 2015-16 is 7.56% as against 7.64% in 2014-15. (*Includes investment in IRDF amounting to Rs.2012.25 Cr. as on 31.03.2015)

Advances:

Gross Advances stood at Rs.1,72,727 crore as on 31st March 2016 as against Rs.1,79,041 crore as on 31st March 2015. As the Bank was in consolidation mode, credit growth was



ऋण लेने वालों की कमी को देखते हुए ऋण संवृद्धि को जानते समझते सीमित किया गया।

निवल लाभ :

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए निवल घाटा रु. 2897.33 करोड़ था और चौथी तिमाही में रु. 936 करोड़ जबकि तीसरी तिमाही में निवल घाटा रु. 1425 करोड़ था। 31.03.2015 को समाप्त वर्ष में निवल घाटा रु. 454.33 करोड़ था।

रु. 2885 करोड़ के परिचालन लाभ के मुकाबले एनपीए, पुनर्संरचित खातों, टैक्स एवं अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों से सम्बन्धित नए खातों के एनपीए बनने की वजह से रु. 5782 करोड़ के बढ़े हुए प्रावधानों की वजह से हमें अपने लाभ में अर्जित आय से हाथ धोना पड़ा जो वर्ष के लिए घाटे के रूप में दिख रहा है।

शाखा विस्तार:-		
	31.03.2016	31.03.2015
शाखाओं की संख्या		
क. घरेलू	3397	3381
- इसमें से		
ग्रामीण	1036	1028
-अर्द्ध-शहरी	960	947
-शहरी	748	747
-महानगरीय	653	659
ख.वैश्विक	8	8

इसके अतिरिक्त, बैंक के 7 अंचल कार्यालय, 49 क्षेत्रीय कार्यालय, 4 विस्तार काउंटर, 20 सेटलाइट कार्यालय, 14 सिटी बैंक कार्यालय, 41 त्वरित खुदरा केंद्र, 18 एमएसएमई प्रसंस्करण केंद्र और 6 निरीक्षणालय हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने देश भर में 34 शाखाएं खोली हैं। 2015-16 के दौरान खोली गई इन 34 शाखाओं में से, 26 शाखाएं (76.47%) ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी केंद्रों में और 8 शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में खोली गई हैं। इन नई शाखाओं ने बैंक को नए रिश्ते बनाने और सभी राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सहयोग किया है।

अन्य विशेषताएं:-

- भारतीय रिज़र्व बैंक के 40% के न्यूनतम नियम के मुकाबले, समायोजित निवल बैंक उधार में प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम का प्रतिशत 40.29% रहा है।

	31.03.2016	31.03.2015
कुल प्राथमिकता उधार	67,615	63,635
कृषि	30,237	29,236
सूक्ष्म व मध्यम उद्यम	27,950	26,161
कमज़ोर वर्ग	21,824	23,478

contained consciously, in the backdrop of low credit off-take.

NET PROFIT:

Net loss for the year ended 31.03.2016 is Rs.2897.33 crore and for Q4 Rs.936 crore as against net loss of Rs.1425 crore in Q3 of 2015-16. Net loss for the year ended 31.03.2015 was Rs.454.33 crore.

Due to increased provisions of Rs 5782 crore against operating profit of Rs 2885 crore on NPA, Restructured accounts, Taxes and fresh slippages of accounts to NPA under prime sector of the economy, which resulted the denial of income accrued thereon for our profit, resulted in net loss for the year.

Branch Expansion:-

	31.03.2016	31.03.2015
No of Branches		
A. Domestic	3397	3381
Of which		
- Rural	1036	1028
- Semi Urban	960	947
- Urban	748	747
- Metro	653	659
B.Global	8	8

Besides, the Bank has 7 Zonal Offices, 49 Regional Offices, 4 Extension Counters, 20 Satellite Offices, 14 City Back Offices, 41 Rapid Retail Centres, 18 MSME Processing Centres and 6 Inspectorates.

During the year under review, the Bank has opened 34 branches across the country. Out of 34 branches opened during 2015-16, 26 branches (76.47%) are located in Rural and Semi Urban centres, of which 8 branches are located in Unbanked Rural Centres. These new branches have enabled the Bank to enhance new relationship and spread Bank's Network covering all states.

Other Highlights:-

- The percentage of priority sector advances to Adjusted Net Bank Credit stood at 40.29% as against RBI norms of minimum 40%.

(Rs. in crore)

	31.03.2016	31.03.2015
Total Priority Credit	67,615	63,635
Agriculture	30,237	29,236
Micro & Small Enterprises	27,950	26,161
Weaker Sections	21,824	23,478
Other Priority Sector	9,428	8,237



अन्य प्राथमिकता क्षेत्र

9,428

8,237

- 31.03.2016 तक प्रति कर्मचारी कारोबार 12.41 करोड़ रहा।
- 17.40% के सकल एनपीए अनुपात के साथ 31 मार्च 2016 तक सकल एनपीए रुपए 30,049 करोड़ और निवल एनपीए 11.89% रहा।
- 31.03.2016 तक प्रावधान कवरेज अनुपात 47.39% रहा।
- **पूँजी पर्याप्तता अनुपात**

बेसल III नियमों के अनुसार 31.03.2016 तक बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 9.66% पर रहा जो भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित 9.625% की अपेक्षा से ऊपर है।

31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को रु. 2897.33 करोड़ का निवल घाटा हुआ है। अतः निदेशक मंडल ने किसी प्रकार के लाभांश की अनुशांसा नहीं की है क्योंकि बैंक भारत सरकार / भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड की पूर्ति नहीं करता है।

• आइटी पहलें:

बैंक ने तकनीक उन्नयन और आइटी परिवर्तनों की ओर पहल की है ताकि परिचालनात्मक प्रभाविता और ग्राहक सेवा को सुधारा जा सके। सभी घरेलू शाखाएं सफलतापूर्वक घरेलू सॉफ्टवेयर "क्राउन" से आउटसोर्स किए गए फिनेकल 10 सॉफ्टवेयर में माइग्रेट हो गई हैं। इससे ग्राहक संतुष्टि स्तर में सुधार आया और ग्राहकों को 24/7 घर से ही बैंकिंग परिचालन तेज गति से करने में सुविधा होगी। अन्य आइटी पहलों के साथ स्मार्ट फोन एप्लिकेशन के जरिए मोबाइल बैंकिंग सुविधा और तत्काल निधि अंतरण (आईएमपीएस) भी शुरू किया गया है। आईआरसीटीसी की साइट पर आईओबी डेबिट कार्ड भुगतान का विकल्प सक्रिय कराया गया है।

• पैरा बैंकिंग:-

पैरा बैंकिंग के क्षेत्र में, बैंक बीमा उत्पादों व आइटी समर्थित उत्पादों की मार्केटिंग पर ध्यान दे रहा है। बैंक जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए एल.आइ.सी के साथ, गैर जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (गैर जीवन बीमा संयुक्त वेंचर कंपनी) तथा स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के वितरण के लिए अपोलो म्युनिक हेल्थ इंश्योरेंस (स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमा साझेदार) के साथ अपने कॉर्पोरेट एजेंसी करार को जारी रखता है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए, हमारे बैंक ने एल.आइ.सी पॉलिसीज को जुटाकर रु. 3.03 करोड़, युनिवर्सल सोम्पो पॉलिसीज को जुटाकर रु. 11.98 करोड़ तथा अपोलो म्युनिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीज को जुटाकर रु. 2.06 करोड़ अर्जित किया।

• लाभप्रदता को बेहतर करने के कदम:-

लाभप्रदता को बेहतर करने के प्रयासों के रूप में, बैंक कासा अनुपात सुधारने, निवल ब्याज मार्जिन सुधारने, निरंतर लोक अदालत/ वसूली कैप्सों के आयोजन, एकबारगी निपटान व सरफासी अधिनियम के तहत विधिक

• Business per employee stood at 12.41 crore as on 31.03.2016.

• Gross NPA as at 31st March 2016 was at Rs. 30,049 crore with Gross NPA ratio of 17.40% and Net NPA stood at 11.89%.

• Provision Coverage Ratio stood at 47.39% as on 31.03.2016.

• Capital Adequacy Ratio

The Bank's Capital Adequacy Ratio as on 31.3.2016 stood at 9.66% as per Basel III norms, which is above the requirement of 9.625% prescribed by RBI.

Bank has incurred a net loss of Rs 2897.33 crore during the financial year ended 31.03.2016. Hence the Board of Directors has not recommended any dividend, as the Bank does not confirm to eligibility criteria prescribed by GOI/RBI.

• IT INITIATIVES:

Bank has embarked on Technology Upgrade and IT Transformation, to improve the operational efficiency and customer service. All domestic branches and other offices have been successfully migrated from In house software "CROWN" to the outsourced Finacle 10 Software. This will improve customer satisfaction level and facilitate the customers to conduct their banking operations from home 24/7 in a faster manner. Mobile banking solution through smart phone applications and real time funds transfer (IMPS) has been launched along with other new IT initiatives. IOB Debit card payment option in IRCTC site has been enabled.

• Para banking:-

In the area of Para-banking, Bank is concentrating on marketing of insurance products and IT enabled products. The Bank continues with its Corporate Agency arrangement entered into with LIC of India for distribution of Life Insurance products, Universal Sampo General Insurance Company Limited (the Non-Life Insurance Joint Venture Company) for distribution of non-life insurance products and Apollo Munich Health Insurance (Standalone Health Insurance partner) for distribution of Health Insurance Products.

For FY 2015-16, our Bank has earned commission of Rs. 3.03 Crores through mobilizing LIC policies, Rs. 11.98 Crores through mobilizing Universal Sampo policies and Rs.2.06 Crores through mobilizing Apollo Munich Health Insurance policies.

• Steps to improve Profitability:-

As part of the efforts to improve profitability, bank lays renewed emphasis on improving the CASA ratio, improve Net Interest Margin, reduction of NPAs to a large extent through intensive recovery measures like conducting frequent Lok Adalats / Recovery Camps, One-Time



कार्रवाई करने और पात्र खातों में वित्तीय आस्तियों के विक्रय जैसे गहन वसूली उपायों से बड़े स्तर पर एन.पी.ए की कमी पर नए सिरे से जोर दे रहा है।

• विदेशी परिचालन:

हमारे विदेशी परिचालनों के संबंध में विदेशों में हमारी आठ पूर्ण शाखाएँ हैं जिनमें से हाँगकाँग, बैंकॉक व श्रीलंका में दो-दो तथा सिंगापुर व दक्षिण कोरिया में एक-एक शाखाएँ हैं। हमारे यहाँ बून ले तथा सेरंगून में परिचालित विप्रेषण केंद्र भी हैं। अगस्त 2013 के दौरान, बैंक ने श्रीलंका की एक उपशाखा को विधिवत विनियामक अनुमोदनों के साथ शाखा में उन्नत कराया जिससे श्रीलंका में हमारी शाखाओं की सं. बढ़कर दो हो गई है। अगस्त 2014 के दौरान, सुखुमवित, बैंकॉक के साथ बैंक में शाखाओं की संख्या बढ़कर दो हो गई है। बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय गुवांगझू (चीन), हो चि मिन्ह सिटी (वियतनाम) तथा अल करामा (दुबई) में स्थित हैं। बैंक दुबई, वियतनाम तथा चीन के अपने प्रतिनिधि कार्यालयों को पूर्ण शाखा में उन्नत कराने के लिए भा. रि. बैं. की अनुमति की प्रतीक्षा में हैं।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंक द्वारा ओवरसीज़ जेबी/ डब्ल्यूओएस खोलने के लिए निम्नलिखित विदेशी केंद्रों को आबंटित किया है: 1. थाइलैंड, 2. वियतनाम, 3. मंगोलिया, 4. श्रीलंका तथा 5. कोरिया गणराज्य।

हमारे बैंक ने मलेशिया में एक बैंकिंग अनुषंगी खोलने के लिए बैंक ऑफ बड़ाँदा तथा आन्ध्रा बैंक के साथ एक संयुक्त उपक्रम करार पर हस्ताक्षर किया है। इस संयुक्त उपक्रम को "इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) लि." बीएचडी के नाम से 13.08.2010 को मलेशिया में विधिवत शामिल कर लिया गया है और इस बैंकिंग संयुक्त उपक्रम ने जुलाई 2012 से कार्य करना आरंभ कर दिया है।

• प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई):

बैंक भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पी.एम.जे.डी.वाई का कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को शुरू की गई। बैंक ने इस योजना के तहत 31 मार्च 2016 तक 38,62,633 बीएसबीडी खाते खोले हैं और 37,30,544 रुपये डेबिट कार्ड जारी किए हैं।

• आइओबी को प्राप्त पुरस्कार:

➤ भारतीय सक्षम, लघु उद्यम चैंबर, दिल्ली ने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक को 2015-16 में निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किया

- ✓ एम.एस.एम.ई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2015
- ✓ मध्यम आकार बैंक के लिए सर्वश्रेष्ठ इको-टेक सेवी बैंक - विजेता
- ✓ मध्यम आकार बैंक के लिए मुद्रा योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ बैंक - विजेता
- ✓ मध्यम आकार बैंक के लिए प्रवर्तन योजना हेतु सर्वश्रेष्ठ बैंक - रनर अप

Settlements and resorting to legal action under SARFAESI Act and sale of financial assets in eligible accounts.

• Overseas Operations:-

As regards our overseas operations, we have eight full-fledged overseas branches – two in Hong Kong, Bangkok and Sri Lanka and one each in Singapore and South Korea. We also have remittance Centers operating at Boon Lay and Serangoon, Singapore. During August 2013, bank has upgraded the Extension Counter at Sri Lanka into a branch with due regulatory approvals increasing the number of branches at Sri Lanka to two. During August 2014, Sukhumvit, Bangkok commenced operations increasing the number of branches in Bangkok to two. The Bank's Representative Offices are located in Guangzhou (China), Ho Chi Minh City (Vietnam) and Al Karama, (Dubai). Bank is taking up for/awaiting RBI permission for upgrading its representative office at Dubai, Vietnam and China into full fledged branches.

Ministry of Finance, Government of India has allocated the following overseas centres for opening of overseas JV/WOS by the Bank. 1. Thailand, 2. Vietnam, 3. Mongolia, 4. Sri Lanka and 5. Republic of Korea.

Our Bank has signed a joint venture agreement with Bank of Baroda and Andhra Bank to open a Banking subsidiary in Malaysia. The Joint venture has been duly incorporated at Malaysia on 13.08.2010 by name "India International Bank (Malaysia) Ltd." BHD and the banking Joint Venture has started functioning from July 2012.

• Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY):

The Bank is implementing PMJDY as per the directives of Govt. of India. The Scheme was launched by the Prime Minister of India on 15th August 2014. The Bank has opened 38,62,633 BSBD Accounts and issued 37,30,544 RuPay Debit Cards till 31st March 2016 under this scheme.

• Awards won by IOB:-

➤ Chamber of Indian Micro Small & Medium Enterprises, Delhi have given the following awards for Indian Overseas Bank in 2015-16 –

- ✓ MSME Banking Excellence Awards 2015.
- ✓ Best Eco-Tech Savvy Bank for Mid-Sized Bank - Winner
- ✓ Best Bank under MUDRA Yojna for Mid-Sized Bank - Winner
- ✓ Best Bank for Promotional Scheme for Mid-Sized Bank - Runner Up
- IOB In-House magazine "VANI" (Official Language) has been given First Prize by Government of India in 'C' region in 2015-16.



➤ वर्ष 2015-16 में लिए भारत सरकार से आइ.ओ.बी की गृह पत्रिका 'वाणी' (राजभाषा) को 'ग' क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार।

➤ वर्ष 2015-16 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से आइ.ओ.बी की गृह पत्रिका 'वाणी' (राजभाषा) को द्वितीय पुरस्कार।

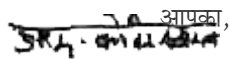
• **हमारी प्रतिबद्धताएँ:**

बैंक अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने तथा अपने शेयरधारकों के मूल्य व लाभ को सुधारने की दिशा में उद्योग के प्रतियोगी व प्रतिस्पर्द्धी वातावरण में अपने मानव संसाधन का प्रभावी उपयोग करते हुए तथा शाखाओं के विस्तृत नेटवर्क तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए सतत व सार्थक संवृद्धि हासिल करने का संकल्प लेता है।

• **आभारोक्ति:**

मैं बोर्ड के सदस्यों, भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके बहुमूल्य सहयोग व निर्देशन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं अपने सभी ग्राहकों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रति अपना विश्वास बनाए रखा और हमें उनकी सेवा तथा कारोबार संबंधों को विकसित करने का मौका दिया। मैं अपने स्टाफ सदस्यों को भी उनके समर्पण व प्रतिबद्धता के लिए साधुवाद देता हूँ। हमारे हितधारकों का बेशकीमती सहयोग तथा उनका हमारे प्रति विश्वास- हमें वर्ष दर वर्ष अपने कारोबार कार्यनिष्पादन को और बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

शुभकामनाओं के साथ

आपका,


आर.कोटीस्वरन

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

➤ IOB In-House magazine "VANI" (Official Language) has been given Second Prize from Reserve Bank of India in the year 2015-16.

• **Our Commitment:-**

The bank resolves to achieve continuous and meaningful growth by making effective use of its human resources and leveraging its large network of branches and technology amidst the competitive and challenging environment in the industry in order to expand our market share and to improve values and returns to all our stakeholders.

• **Acknowledgements:-**

I take this opportunity to thank the members of the Board, the Government of India and the Reserve bank of India for their valuable support and guidance. I thank all our customers for their continued patronage and the opportunity given to us to serve them and nurture business relationship. I also place on record my appreciation for the dedication and commitment put in by our staff members. The valuable support of our stakeholders and the confidence they repose on the bank will motivate us to work with renewed vigour to improve business performance year after year.

With warm regards,

Yours sincerely,



R Koteeswaran

Managing Director & Chief Executive Officer



एक नज़र में

(रु.करोड़ में)

	मार्च-16	मार्च-15	मार्च-14	मार्च-13	मार्च-12
वैश्विक जमाएँ	224,514	246,049	227,976	202,135	178,434
घरेलू जमाएँ	218,556	239,819	219,731	195,457	172,219
घरेलू सकल जमाएँ	155,429	162,838	161,992	144,894	125,064
वैश्विक निवल अग्रिम	160,861	171,756	175,888	160,364	140,724
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	67,615	63,635	58,090	51,056	42,265
कृषि अग्रिम	30,237	29,236	26,254	23,393	19,416
निवल निवेश	79,189	79,298	70,237	61,417	55,566
सकल लाभ	2,885	3,322	3,997	3,817	3,534
निवल लाभ/ निवल हानि	-2897	-454	602	567	1,050

At a Glance

(Rs. In Crore)

	Mar-16	Mar-15	Mar-14	Mar-13	Mar-12
Global Deposits	224,514	246,049	227,976	202,135	178,434
Domestic Deposits	218,556	239,819	219,731	195,457	172,219
Domestic Gross Advances	155,429	162,838	161,992	144,894	125,064
Global Net Advances	160,861	171,756	175,888	160,364	140,724
Priority Sector Advances	67,615	63,635	58,090	51,056	42,265
Agricultural Credit	30,237	29,236	26,254	23,393	19,416
Net Investments	79,189	79,298	70,237	61,417	55,566
Gross Profit	2,885	3,322	3,997	3,817	3,534
Net Profit/Net Loss	-2897	-454	602	567	1,050



शेयरधारकों को सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इण्डियन ओवरसीज बैंक के शेयरधारकों की 16वीं वार्षिक सामान्य बैठक सोमवार, दिनांक 18 जुलाई 2016 को सुबह 10.00 बजे रानी सीतै हॉल, 603, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 006, में निम्नलिखित कार्यों हेतु आयोजित की जाएगी :

1. 31 मार्च 2016 तक बैंक के लेखा परीक्षित तुलनपत्र, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ एवं हानि लेखे, लेखा द्वारा कवर की गई बैंक की अवधि के दौरान बैंक की गतिविधि और कार्यों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और के लेखे व तुलनपत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, मंजूरी एवं उन्हें अपनाने के लिए।
2. आगे और शेयरों को जारी करना।

निम्नलिखित संकल्पों पर विशेष संकल्प के रूप में विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर पारित करना:

"संकल्प किया गया है कि बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) और इण्डियन ओवरसीज बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 (विनियम) 2008 तक यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुक्रम में और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई"), भारत सरकार ("जीओआई"), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") और / या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो वांछित हों, के अनुमोदनों, सहमतियों और मंजूरीयों की शर्त पर और उन अनुमोदनों को मंजूरी प्रदान करने में उनके द्वारा यथा निर्धारित निबंधनों, शर्तों और संशोधनों की शर्त पर जिसपर बैंक का निदेशक मंडल सहमत है और जो विनियमों के अनुपालन में है - यथा सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन 2009 (आईसी डी आर विनियम) जैसा कि आज की तिथि तक संशोधित है/ दिशानिर्देशों, यदि कोई है, के अनुपालन में है तथा यह कि ये दिशानिर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों व अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों, जो समय समय पर जारी होते हैं, के तहत भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी की अधिसूचनाओं / परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित हैं, और जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर निर्धारित हैं, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार की शर्त पर वे आधारित हैं, बैंक के शेयरधारकों की एतदर्थ व एतद्वारा सहमति बोर्ड के निदेशक मंडल (आगे से जिसे "बोर्ड" कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतु बाद में गठित करता हो) को इस आशय से दी जाती है कि वे उस संख्या में इक्विटी/वरीयता शेयरों (संचित/गैर संचित) / प्रतिभूतियों (वरीयता शेयरों की श्रेणी, ऐसे वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, क्या वे निरंतर हैं या मोचनीय हैं या अमोचनीय हैं, उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके आधार पर वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी का निर्गमन किया जाएगा - से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) को सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित व आर्बिट (निश्चित आर्बिटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और / या उस

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting of the shareholders of INDIAN OVERSEAS BANK will be held on Monday, 18th July 2016, at 10.00 A.M. at Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, Chennai 600 006, to transact the following businesses:

1. To discuss, approve and adopt the audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2016, Profit and Loss account of the Bank for the year ended 31st March 2016, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To issue further shares:

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as a **Special Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (Regulations) as amended upto 2008 and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) as amended up to date/ guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/preference shares



समय लागू कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों के प्रवर्गों और निर्गम के किसी हिस्से के प्रतिस्पर्धात्मक आधार सहित) कर सके और यह कार्य किसी प्रस्ताव दस्तावेज/या विवरणिका के ज़रिए या फिर भारत अथवा विदेश में इस प्रकार के अन्य दस्तावेज के ज़रिए होगा तथा प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रु.10/- प्रति शेयर होगा और किसी भी हालत में कुल शेयर 78,81,55,925 की संख्या और रु. 788,15,59,250/- करोड़ की राशि का अधिगमन नहीं होगा व यह राशि विद्यमान प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी के साथ रु.3000 करोड़ की बैंक की कुल प्राधिकृत पूंजी में **अधिनियम** की धारा 3 (2ए) के अनुसार या फिर उस संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार, जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, बढ़ाई गई प्राधिकृत पूंजी की हद तक, निर्धारित सीलिंग है, वह भी इस तरह कि केन्द्रीय सरकार का बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी में धारण सभी समय 52% से कम नहीं रहेगा, चाहे वह एक या अधिक भागों में हो और चाहे बट्टे पर हो या प्रीमियम दर पर या फिर बाजार दर पर, जहाँ आबंटन एक या उससे अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("**एनआरआई**"), निजी व सार्वजनिक कंपनियों, निवेशक संस्थाओं, संघों, न्यासों, शोध संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों ("**क्यूआइबी**") जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक ("**एफआईआई**"), बैंक, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल निधियों, उद्यमी पूंजीगत निधियों, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या निवेशकों के किसी ऐसे प्रवर्ग को किया जा सकता है, जिन्हें बैंक द्वारा जैसे वह उचित समझे उस रूप में उक्त में से किसी को या संयुक्त रूप में विद्यमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार या आइसीडीआर विनियमों के चैप्टर VIII ए के अनुसार संस्थागत स्थानन कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थागत निवेशकों को बैंक के इक्विटी/वरीयता शेयरों / प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।"

"यह भी संकल्प किया गया कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन सार्वजनिक निर्गम, राइट निर्गम, सेबी के विनियम (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ), 2014 ("**सेबी विनियम**") के ज़रिए कर्मचारियों को इक्विटी शेयर या ऐसा अन्य निर्गम जो कि लागू विधि द्वारा उपलब्ध किया जा सके, अधिमान निर्गम के ज़रिए और/या निजी स्थानन के आधार पर अति आबंटन विकल्प सहित या विकल्प रहित किया जाएगा और इस तरह का प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन और आबंटन अधिनियम, **आइसीडीआर विनियमन** और भा.रि.बैं, सेबी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों तथा लागू अनुसार किसी अन्य प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों और ऐसी पद्धति में, ऐसे समय या समयों पर और ऐसे निबंधनों व शर्तों पर किया जाएगा, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझता हो।"

"यह भी संकल्प किया गया कि अग्रणी प्रबंधकों और/या अधोलेखकों और/या अन्य सलाहकारों अथवा अन्यथा के साथ जहाँ आवश्यक हो वहाँ परामर्श करके ऐसे किसी रूप में जिसे वह उचित समझे, ऐसे मूल्य या मूल्यों को निश्चित करने का प्राधिकार बोर्ड को होगा, और उन निबंधनों और शर्तों पर होगा, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आइसीडीआर विनियमनों, अन्य विनियमनों अथवा अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित करता है चाहे ऐसे

(cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares , the extent of issue of each class of such preference shares , whether perpetual or redeemable and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of Rs.10 each and in any case not exceeding 78,81,55,925 equity shares and aggregating to not more than Rs.788,15,59,250 as on date which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the bank of Rs.3000 crore, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the **Act** or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank , whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("**NRIs**"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") like Foreign Institutional Investors ("**FIIs**"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above or to institutional investors under Institutional Placement Programme as per Chapter VIII A of ICDR Regulations, as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, equity shares to employees through SEBI (Share based Employee Benefits) Regulations, 2014, preferential issue and/or private placement , with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, **ICDR Regulations** and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether



निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य हों कि नहीं और मूल्य का नियतन आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं होगा।"

"आगे यह भी संकल्प किया गया कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार के प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के प्रावधानों (लिस्टिंग बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015, ("**एलओडीआर**"), अधिनियम के प्रावधानों, विनियम के प्रावधानों, आइसीडीआर विनियमन के प्रावधानों, विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनियम प्रबंधन (भारत से बाहर रहनेवाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) विनियमन 2000 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग, (डीआईपीपी) वाणिज्य मंत्रालय और यथा वांछित अनुसार अन्य सभी प्राधिकारियों (आगे जिनका "समुचित प्राधिकारीगण" के रूप में संदर्भ लिया जाएगा) दिये जाने वाले आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और/या मंजूरीयों, की शर्त पर और उन शर्तों पर जोकि ऐसे अनुमोदन, ऐसी सहमति, अनुमति और/या मंजूरी (आगे से जिसे "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत निश्चित करता है, ईक्विटी शेयरों या किन्हीं भी प्रतिभूतियों को एक या अधिक किस्तों में समय समय पर निर्गमित प्रस्तावित तथा आबंटित किया जा सकता है केवल उन वारंटों को छोड़कर जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों के साथ विनिमयित किये जा सकते हैं या परिवर्तित किये जा सकते हैं, वह भी इस तरह कि किसी भी समय केन्द्रीय सरकार का धारण बैंक की ईक्विटी पूंजी में 52% से कम न हो और यह स्थानन या आबंटन क्यूआइबीयों (आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII में परिभाषित अनुसार) को, योग्यताप्राप्त संस्थात्मक स्थानन (क्यूआइपी) होने के अनुक्रम में जैसा कि आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के तहत प्रावधानित किया गया है और/या संस्थानन स्थानन कार्यक्रम (आइपीपी) के अनुसरण में जैसा कि आइसीडीआर विनियमों के अध्याय VIIIए में प्रदान किया गया है, किसी स्थानन दस्तावेज़ और/या ऐसे अन्य दस्तावेज़ों / लेखनों / परिपत्रों / ज्ञापनों के द्वारा तथा ऐसे रूप में और ऐसे मूल्य पर, निबंधनों और शर्तों पर, जो कि आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार या कानून के उन अन्य प्रावधानों के अनुसार जो कि उस समय विद्यमान हैं, बोर्ड द्वारा निश्चित किये गये हैं, बशर्ते इस प्रकार निर्गमित ईक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो।"

"यह भी संकल्प किया गया कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूची करार के प्रावधानों के अनुसार आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के क्रम में योग्यताप्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में प्रतिभूतियों का आबंटन आइसीडीआर विनियमनों के अध्याय VIII की परिभाषा के भीतर ही योग्यताप्राप्त संस्थागत खरीददारों को किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियाँ पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इन प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तिथि से 12 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।"

"यह भी संकल्प किया गया कि क्यूआइपी निर्गम के मामले में प्रतिभूतियों के शुरुआती मूल्य पर पाँच प्रतिशत से अनधिक की छूट पर आइसीडीआर

or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("**LODR**") the provisions of Act, the provisions of Regulations, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutions placement (QIP) as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, and / or Institutional Investors pursuant to Institutional Placement Programme (IPP), as provided for under Chapter VIIIA of the ICDR Regulations through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a QIP made pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations, the allotment of Securities shall only be to QIBs within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue, the Bank in pursuance to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount as



विनियमन के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक शेयर देने को प्राधिकृत है तथा प्रतिभूतियों के शुरुआती मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि को आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार रखा जाएगा।"

"यह भी संकल्प किया गया कि किसी मंजूरी, हामी, स्वीकृति और/या भारत सरकार, सेबी, भा.रि.बैं. और स्टॉक एक्सचेंजों की मंजूरी की शर्त पर, जो भी अपेक्षित हो और सभी अन्य आवश्यक मंजूरीयों, अनुमतियों, सहमतियों की शर्त पर और/या सम्बन्धित सांविधिक एवं अन्य उचित प्राधिकारियों की मंजूरी और उसमें ऐसे नियमों, शर्तों और आशोधनों की शर्त पर जो इनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किया गया हो जो ऐसी स्वीकृतियों, अनुमतियों, हामियों और मंजूरीयों को देते हुए प्रदान की गई हों जिस पर बोर्ड सहमत हुआ हो, एतद्द्वारा बोर्ड को हामी, प्राधिकार एवं मंजूरी प्रदान की जाती है वो प्रत्येक रूप 10 की फेस मूल्य के इक्विटी शेयर ("इक्विटी शेयर") सेबी आइसीडीआर विनियम के अध्याय VIIIए के अनुसरण में योग्यताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को संस्थागत स्थानन कार्यक्रम ("**आइपीपी**") के जरिए ताजा इक्विटी शेयर इस प्रकार सृजित, प्रस्तावित, निर्गम और आबंटित कर सके ताकि 'पब्लिक' (प्रतिभूति संविदाओं (विनियम) में परिभाषितानुसार) नियम, 1957 यथासंशोधित ("**एससीआरआर**") द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की कुल संख्या, ऐसे प्रस्तावों के पूर्ण होने के फौरन बाद लाभांश पात्रता के लिए परी पसू समेत जो भी लागू हो, ऐसी प्रतिभूतियों के आबंटन की तिथि तक बकाया इक्विटी शेयरों की कुल संख्या का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।"

"यह भी संकल्प किया गया कि बोर्ड के पास भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के शेयर लिस्ट किये गये हैं या ऐसे अन्य किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और निर्गमों से संबंधित मंजूरीयों, आबंटन और उनकी लिस्टिंग, जैसा कि बोर्ड द्वारा सहमत हो, वांछित अथवा निर्देशित अनुसार प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार व अधिकार होगा तथा इस संबंध में बैंक के शेयरधारकों से कोई अन्य अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा।"

"यह भी संकल्प किया गया कि ऐसी घोषणाओं के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नये इक्विटी शेयर/प्रतिभूतियाँ का आबंटन यथासंशोधित विनियम की शर्त पर होगा तथा घोषित लाभांश, यदि कोई है तो, समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगी और अनिवासी भारतीय/एफआआइ तथा/या अन्य पात्र विदेशी निवेश को ऐसे आबंटन और निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत किया जाएगा परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर लागू अनुसार ही किया जाएगा।"

"यह भी संकल्प किया गया कि इक्विटी/अधिमाम्य शेयरों / प्रतिभूतियों के ऐसे निर्गम से संबंधित किसी बुक रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपॉजिटरी(स), रजिस्ट्रार(रों), लेखापरीक्षक (कों) और ऐसे सभी अभिकरणों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं निष्पादित करने और ऐसी सभी संस्थाओं और अभिकरणों को कमीशन, दलाली,

prescribed by ICDR Regulations from time to time and relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT subject to any approval, consent, permission and/or sanction of GOI, SEBI, RBI and the stock exchanges, as may be required and subject to all other necessary approvals, permissions, consents and/or sanctions of concerned statutory and other relevant authorities and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by any of them while granting such approvals, permissions, consents and sanctions and which may be agreed to by the Board, consent, authority and approval is hereby accorded to the Board to create, offer, issue and allot equity shares of face value of Rs.10 each (the "Equity Shares") by way of fresh issue of Equity Shares through an Institutional Placement Programme ("**IPP**") to qualified institutional buyers In accordance with Chapter VIIIA of the SEBI ICDR Regulations, such that the total number of Equity Shares held by the 'public' (as defined in the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 as amended ("**SCRR**")), immediately at the completion of such offerings does not exceed 25 percent of the total number of outstanding Equity Shares as at the date of allotment of such Securities, including *pari passu* clause for dividend entitlement, as may be applicable."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board and no further approvals in this regard would be required from the shareholders of the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities , shall be subject to the Regulations as amended and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank including dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration and such issue and allotment, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies, to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the



शुल्क के संबंध में तथा उनके परामर्श से निर्गम(ी) के निबंधनों व प्रकार निर्धारित करने, निवेशकों के संवर्ग सहित जिन्हें शेयर/प्रतिभूति आबंटित किए जानेवाले हैं, उनमें से प्रत्येक वर्ग को आबंटित किए जानेवाले शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (यदि प्रीमियम हो तो वह भी शामिल है), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि / प्रतिभूतियों का परिवर्तन / वारंट बदलना / प्रतिभूतियों की परिपक्वता राशि लेना, ब्याज दर, परिपक्वता अवधि, प्रतिभूतियों का परिवर्तन या परिपक्वता या निरसन पर इक्विटी शेयरों / अधिमाम्य शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों का निर्गम/परिवर्तन पर प्रीमियम / बट्टा, ब्याज दर, परिवर्तन की अवधि, लेखा बंदी और संबंधित या विविध मामलों हेतु रिकार्ड तारीख का नियतन करने, भारत में और /या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने, जैसे मंडल उचित समझे, के लिए मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाए और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और करारों को निष्पादित करने जिन्हें वे आवश्यक, उचित या वांछनीय समझें और सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम राशि की उपयोगिता के संबंध में कोई संदेह या प्रश्न हो तो उन्हें सुलझाने या अनुदेश देने या निदेश देने हेतु तथा निबंधनों व शर्तों के संबंध में किए जानेवाले ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, बदलावों, जोड़, विलोपनों आदि पर बैंक के हित हेतु अपने विवेकाधिकार में कार्यवाई करने, जिसके लिए बैंक और मंडल को दिए गए सभी या किसी अधिकारों के अनुसार सदस्यों से और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और इस संकल्प पर मंडल द्वारा कार्य करने हेतु मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाए।"

"यह भी संकल्प किया गया कि ऐसे शेयरों / प्रतिभूतियों जो अभिदानित नहीं हैं, का निपटान बोर्ड द्वारा उसके परम विवेकाधिकार के तहत इस प्रकार किया जाए जैसा बोर्ड उचित समझे और जैसा कानून द्वारा अनुमत हो और यह कि बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाए कि वह प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक/(कों) या बनी हुई/ अब से बनाई जाने वाली निदेशकों की समिति को प्रदत्त सभी या कोई एक अधिकार प्रत्यायोजित कर सके कि उपर्युक्त संकल्प प्रभावी हो सके।"

3. आगे, **कर्मचारियों** को शेयर जारी करने पर विचार करना :

निम्नलिखित संकल्पों पर **विशेष संकल्प** के रूप में विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि **अधिनियम, योजना, एलओडीआर** के विनियम 41 के प्रावधानों और एलओडीआर के अनुसार बीएसई लिमिटेड व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए यूनिफॉर्म लिस्टिंग समझौते के प्रावधानों की शर्त पर (तत्संबंधी किसी संशोधन या उसके अधिनियमन) तथा विनियमों के **विनियम 4ए** तथा भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014 (समय - समय पर किसी भी सांविधिक संशोधन (ओं), संशोधन (ओं), अधिनियमन समेत) के प्रावधानों के अनुसार है। (**सेबी विनियम**) और **भा.रि.बै, भारत सरकार, सेबी**, स्टॉक एक्सचेंज के अनुमोदन, सहमति व मंजूरी के अधीन जिनमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं जहाँ कहीं लागू हों और किसी भी प्राधिकारी के किसी भी लागू अनुमोदन (नों), अनुमति (यों) तथा मंजूरी (यों), किसी भी स्तर पर और किसी भी शर्तों व संशोधनों जैसा कि ऐसे प्राधिकारियों द्वारा ऐसे अनुमोदन (नों), अनुमति (यों) तथा मंजूरी (यों) को देते हुए निर्दिष्ट या लगाया गया हो और जो कि बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाए, बोर्ड को ऐसे कर्मचारियों, बेशक वे भारत या विदेश में कार्यरत हों, को

like in consultation with them to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board as the Board in its absolute discretion deems fit".

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law and that the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director and Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors constituted/hereafter constitute to give effect to the aforesaid Resolutions."

3. To consider further issue of shares to **Employees**:

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as a **Special Resolution**:

"RESOLVED THAT subject to the provisions of the **Act, Scheme**, Regulation 41 of **LODR** and the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited as per **LODR** (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the **Regulations** and the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment from time to time) ("**SEBI Regulations**"), and subject to the approval, consent and sanction of **RBI, GOI, SEBI**, Stock Exchange(s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable, and subject to any applicable approval(s), permission(s) and sanction(s), at any stage, of any authority and subject to any condition(s) and modification(s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission(s) and sanction(s) and which may be agreed to and accepted by the Board, consent be and is hereby accorded to the Board to grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Chairman / Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank ("**The**



एक या अधिक बार में देने, ऑफर करने, निगमन, आबंटन करने के लिए, जो कि बैंक के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों (कर्मचारियों), जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित हो, रु. 10 प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य के 9,00,00,000 तक इक्विटी शेयरों, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (आगे से "एसबीईबी-ईएसपीएस 2016" के रूप में संदर्भित) के तहत बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार लाभांश के भुगतान समेत सभी संदर्भों में बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ-साथ ऐसे मूल्य या मूल्यों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार ऐसे निबंधन व शर्तों पर सहमति को दर्ज किया जाता है।"

"इसके अतिरिक्त संकल्प लिया जाता है कि बैंक भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014 के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों या किसी सांविधिक आशोधन(नों), संशोधन(नों) या उसके अधिनियमन का पालन करेगा।"

"इसके अतिरिक्त बोर्ड को स्टॉक एक्सचेंज के साथ शामिल एकरूप सूचीबद्ध करारों के निबंधन व शर्तों व अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं "एसबीईबी-ईएसपीएस 2016" के तहत आबंटित इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग के लिए आवश्यक कदम उठाने को प्राधिकृत करने का संकल्प लिया जाता है।"

"इसके अतिरिक्त बोर्ड को ऐसे निबंधन व शर्तों, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित हो, पर "एसबीईबी-ईएसपीएस 2016" के कार्यान्वयन, गठन, प्रभाव में लाने तथा समय-समय पर "एसबीईबी-ईएसपीएस 2016" के निबंधन व शर्तों में संशोधन, परिवर्तन करने के लिए, जिसमें कीमत, अवधि, पात्रता मानदंड या "एसबीईबी-ईएसपीएस 2016" को इस तरीके से जैसे कि बोर्ड अपने विवेकाधिकार में निर्णय करे, सस्पेंड, आहरण, निरस्त या संशोधित करना शामिल है, और साथ ही "एसबीईबी-ईएसपीएस 2016" के कार्यान्वयन तथा प्रस्तावित "एसबीईबी-ईएसपीएस 2016" के अनुपालन में जारी शेयरों के संबंध में उठे प्रश्नों, कठिनाइयों या संदेहों के निपटान हेतु, जिसमें शेयरधारकों की अन्य सहमति या अनुमोदन अपेक्षित नहीं है या शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारी द्वारा अपना अनुमोदन दे दिया है, प्राधिकृत करने का संकल्प लिया जाता है।"

"इसके अतिरिक्त यह संकल्प किया गया कि निदेशकों की समिति (यों), प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (को) या बैंक के कुछ अन्य अधिकारी (यों) को इसमें प्रदत्त सभी या कुछ अधिकारों को प्रत्यायोजित करने के लिए बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाए जोकि भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 व अन्य लागू विधि के अनुपालन में उक्त संकल्प को प्रभावित करने के लिए उपयुक्त माने जाए।"

Employees"), as may be decided by the Board, up to 9,00,00,000 equity shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari-passu with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, as may be decided by the Board under an Employee Stock Purchase Scheme (hereinafter referred to "SBEB-ESPS 2016"), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion."

"RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 or any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares allotted under the "SBEB-ESPS 2016", on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "SBEB-ESPS 2016" on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the "SBEB-ESPS 2016", from time to time, including but not limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "SBEB-ESPS 2016" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "SBEB-ESPS 2016" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "SBEB-ESPS 2016" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee(s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution in compliance to Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and other applicable laws."

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(आर कोटीस्वरन)

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

By order of the Board of Directors

(R Koteeswaran)

Managing Director & Chief Executive Officer

चेन्नै

14.06.2016

Chennai

14.06.2016



नोट्स

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैठक में उपस्थित होने और वोट करने के लिए पात्र शेयरधारक स्वयं अपने स्थान पर उपस्थित होने और वोट करने के लिए किसी प्रॉक्सी को नियुक्त करने के लिए पात्र हैं और प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो, यह ज़रूरी नहीं है।

बहरहाल प्रतिनिधि की नियुक्ति के संबंध में पत्र, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में बैठक प्रारंभ होने के चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, 13 जुलाई 2016 को अपराह्न 5.00 बजे तक या पहले जमा कर देना चाहिए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता जब तक कि उसे किसी कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की सत्यापित प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की हो, जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, 13 जुलाई 2016 को अपराह्न 5.00 बजे तक या पहले जमा नहीं की जाती है।

3. बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

4. शेयर धारकों का रजिस्टर को बंद करना :

शेयरधारकों के रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ 12.07.2016 (मंगलवार) से 18.07.2016 (सोमवार) (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेंगी।

5. अदावी लाभांश, यदि कोई हो

2008-2009 के बाद से जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वॉरंट को नहीं भुनाया/ लाभांश नहीं प्राप्त किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अनुलिपि वारंट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट से संपर्क करें।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी में हुए संशोधन के अनुसार अदावी लाभांश खाते में अन्तरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए भुगतान न किए गए या अदावी शेष लाभांश की रकम कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आई ई पी एफ) में अन्तरित करनी है तथा भुगतान के लिए अब से कोई दावा बैंक या आई ई पी एफ के संबंध में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6. पते में परिवर्तन :

जिन शेयरधारकों के शेयर भौतिक रूप में हैं, उन मामलों में, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पते में परिवर्तन को निम्नलिखित पते पर, रजिस्ट्रार-व शेयर-अंतरण एजेंट को भेज दें:

मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड

(आइओबी-यूनिट) 5वां तल, सुब्रमणियन बिल्डिंग,

नं.1 - क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Central Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 p.m. on Wednesday, 13th July, 2016.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Central Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before of 5.00 p.m. on Wednesday, 13th July 2016.

3. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 12.07.2016 (Tuesday) to 18.07.2016 (Monday) (both days inclusive).

5. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend from 2008-09 onwards are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate.

Pursuant to the amendment of the Act, Section 10B provides that the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C of The Companies Act, 1956 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

6. CHANGE OF ADDRESS:

In case of shareholders holding shares in physical form, they are requested to intimate to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank any change in their address to M/s. Cameo Corporate Services Ltd.

(IOB – unit) 5th floor, Subramanian Building, No. 1, Club House Road, Chennai 600 002



शेयर इलेक्ट्रॉनिक फार्म अर्थात डीमैट खाते के माध्यम से रखने वाले जो शेयरधारक, अपने लाभांश वारंट इत्यादि पर अपने पते में हुए परिवर्तन की सूचना अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी को दे दें।

7. फोलियो का समेकन :

यह पाया गया है कि कई शेयरधारक एक से अधिक फोलियो यानि विविध फोलियो रखते हैं। कुशल सेवा प्रदान करने के लिए हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्रों को हमारे रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट को उनके रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार हेतु भेजते हुए फोलियो का समेकन करें।

8. वोटिंग अधिकार

अधिनियम की धारा 3 के उप-खंड (2ई) के प्रावधानों के अनुसार समवर्ती नए बैंक के किसी भी शेयरधारक को केंद्र सरकार के अलावा, अपने द्वारा धारित किसी भी शेयर के सम्बन्ध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। अधिनियम, विनियम अधिनियम, योजना एवं विनियमों में किसी प्रकार के संशोधन के मामले में जिसकी वजह से सूचना में दी गई वर्तमान प्रक्रिया में किसी या हिस्से में बदलाव होता है तो संशोधन ही मान्य होगा।

9. रिमोट ई-वोटिंग

एलओडीआर विनियम एवं स्टॉक एक्सचेंज के साथ एकरूप लिस्टिंग करार के अनुसरण में बैंक को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में खुशी हो रही है जिससे शेयरधारक अपना वोट सूचना में वर्णित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट दे पाएंगे, इसके लिए बैंक ने ई-प्लेटफॉर्म सुविधा प्रदान करने के लिए मेसर्स नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड को ई-वोटिंग एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों / लाभकर्ताओं द्वारा बुधवार तक धारित ईक्विटी शेयरों के सम्बन्ध में ही उनके वोटिंग अधिकारों को गणना में लिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सोमवार 11 जुलाई 2016 अंतिम तिथि है। बैंक के शेयरधारक जिनके पास अंतिम तिथि तक बैंक के शेयर भौतिक या अमूर्त रूप में हैं, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाल सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए अनुदेश निम्न प्रकार से हैं :

सदस्यों से आग्रह है कि वे ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डालने के लिए निम्न अनुदेशों का पालन करें :

ए) ई-वोटिंग के लिए निम्नलिखित यूआरएल खोलें :

<https://www.evoting.nsdl.com>.

बी) लॉगइन प्रमाण प्रविष्ट करें यानि यूजर आईडी एवं पासवर्ड। आपका फोलियो / डीपी क्लाइंट आईडी ही आपकी यूजर आईडी होगी। यदि आप ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के पास पहले से ही पंजीकृत हैं तब आप अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग लॉगइन के लिए कर सकते हैं।

सी) यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप evoting@nsdl.com पर एनएसडीएल को लिख सकते हैं और पासवर्ड पा सकते हैं।

डी) समुचित रूप से विवरण की प्रविष्टि के बाद, "लॉगइन" पर क्लिक करें।

In case of shareholders holding shares in Electronic form i.e. through Demat account, they are requested to intimate to their depository participant any change in their address.

7. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

It has been found that many shareholders maintain more than one folio (i.e.) multiple folios. In order to provide efficient service, we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their share certificates to Registrar and Share Transfer Agents for necessary corrections in their records.

8. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. In case of any amendments to the Act, Regulation Act, Scheme and Regulations which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

9. REMOTE E-VOTING

Pursuant to LODR Regulations and the Uniform Listing Agreement with stock exchanges, your Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice for which Bank has appointed M/s. National Securities Depository Limited, Mumbai as e-voting agency to provide the remote e-voting platform. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Monday, 11th July, 2016 being the Cut-off Date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically.

The instructions for Remote E-Voting are as under:

Members are requested to follow the instruction below to cast their vote through e-voting:

- Open the following URL for e-voting: <https://www.evoting.nsdl.com>.
- Enter the login credentials i.e. user id and Password. Your Folio / DP Client ID will be your User ID. If you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing User ID and Password for Login.
- In case you do not have a Password you may write to NSDL on evoting@nsdl.com and get your Password.
- After entering the details appropriately, click on "LOGIN".



इ) ऊपर पहले बिन्दु में दर्ज किए गए यूजर आईडी और पासवर्ड को शुरुआती पासवर्ड के तौर पर डालें। लॉगइन क्लिक करें।

एफ) यदि आप पहली बार लॉगइन कर रहे हैं तो पासवर्ड बदलने का मेन्यू दिखाई देगा। अपनी पसंद के हिसाब से पासवर्ड बदलें जिसमें कम से कम 8 अंक / विशेष चिह्न या दोनों का मेल होना चाहिए। भविष्य में एनएसडीएल प्लेटफॉर्म पर ऑफर किए जाने वाले ई-वोटिंग चक्रों के लिए नए पासवर्ड को नोट कर लें। यह सख्ती से प्रस्तावित किया जाता है कि आप किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा नहीं करेंगे और अपने पासवर्ड को गुप्त रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतेंगे।

जी) “ई- वोटिंग” का ई-पृष्ठ खोलें। “ई-वोटिंग” विकल्प पर क्लिक करें : वोटिंग साइकिल सक्रिय करें।

एच) इण्डियन ओवरसीज बैंक की “इवेन (ई-वोटिंग इवेन्ट संख्या)” का चयन करें। जब तक कि आप वोटिंग अवधि के दौरान संकल्प पर अपना वोट नहीं दे देते, एक इवेन के लिए, आप एनएसडीएल के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म पर जितनी बार चाहें उतनी बार लॉगइन कर सकते हैं।

आई) अब जैसे ही “कास्ट वोट” पेज खुलता है आप “ई-वोटिंग” के लिए तैयार रहें।

जे) उपयुक्त विकल्प चुनकर अपने मत का प्रयोग करें एवं “सबमिट” पर क्लिक करें एवं पूछने पर “कन्फर्म” पर क्लिक करें।

के) पुष्टि के पश्चात “वोटिंग कास्ट सक्सेजफुल्ली” संदेश प्रदर्शित होगा।

एल) कृपया ध्यान दें कि वोट डाल दिए जाने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता।

एम) संस्थागत सदस्य (उदहारणार्थ वैयक्तिकों, अविभाजित हिंदू परिवार, एनआरआई इत्यादि से इतर सदस्य) को भी संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकृत पत्र इत्यादि की स्कैन्ड कॉपी (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप में) को प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर(रों) के साथ विधिवत रूप से प्राधिकृत हस्ताक्षरी(रियों) को जिनके पास मतदान का अधिकार है, संवीक्षक को ईमेल पते पर: rsaevoting@gmail.com पर भेजना होगा और एक प्रति evoting@nsdl.co.in को भी भेजनी होगी। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए आप <http://www.evoting.nsdl.com> के “डाउनलोड” सेक्शन पर शेयर धारकों के लिए उपलब्ध प्रायः पूछे गए प्रश्न (एफएक्यूज) विकल्प एवं शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग प्रयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल के माध्यम से अथवा टोल फ्री नम्बर 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं।

एन) आप फोलियो की प्रयोगकर्ता प्रोफाइल डिटेल विकल्प का प्रयोग करके अपने मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं जिसे कि भविष्य में पत्राचार के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

ओ) रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत दिनांक 15.07.2016 (9:00 बजे पूर्वाह्न) से होगी एवं यह दिनांक 17.07.2016 (सांय 5:00 बजे) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक निर्दिष्ट तिथि 11.07.2016 तक चाहें उनके पास भौतिक रूप में शेयर हों या डी-मैट रूप में वे अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप में डाल सकते हैं। शेयरधारक द्वारा एक बार वोट डाल दिए जाने पर उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव

e. Put User ID and Password noted in step (a) above as the Initial Password. Click login.

f. If you are logging in for the first time, Password Change Menu appears. Change the Password of your choice with minimum 8 digits / character or a combination thereof. Please note the new Password for all the future e-voting cycles offered on NSDL e-voting Platform. It is strongly recommended not to share your Password with any other persons and take utmost care to keep your Password confidential.

g. Home page of “e-voting” opens. Click on “e-voting”: Active voting cycles.

h. Select “EVEN (E-voting Event Number)” of INDIAN OVERSEAS BANK. For an even, you can login any number of times on e-voting platform of NSDL till you have voted on the resolution during the voting period.

i. Now you are ready for “e-voting” as “Cast Vote” Page opens.

j. Cast your vote by selecting appropriate option and click “Submit” and also “Confirm” when prompted.

k. Upon confirmation, the message “Voting cast successfully” will be displayed.

l. Kindly note that vote once cast cannot be modified.

m. Institutional members (i.e. members other than individuals, HUF, NRIs, etc.) are also required to send scanned copy (PDF/JPG format) of the relevant board resolution / authority letter, etc. together with the attested specimen signature(s) of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through email at : rsaevoting@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in. In case of any queries you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at “downloads” section of <https://www.evoting.nsdl.com> or contact by email at evoting@nsdl.co.in or contact toll free no: 1800-222-990.

n. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile detail of the folio, which may be used for sending future communication.

o. The remote e-voting period commences on 15.07.2016 (9.00 a. m.) and ends on 17.07.2016 (5.00 p.m.). During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on 11.07.2016 i.e. the cut-off date, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once a vote is cast by the shareholder,



या संशोधन की अनुमति नहीं होगी।

पी) शेयरधारकों के वोटिंग के अधिकार निर्दिष्ट तारीख पर बैंक की प्रदत्त शेयर पूँजी में उनके शेयर के अनुपात के आधार पर होंगे।

क्यू) बैंक ने ई-वोटिंग प्रक्रिया को सही एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए मेसर्स आर श्रीधरन एंड एसोसिएट्स के श्री आर श्रीधरन, कंपनी सचिव को संवीक्षक के तौर पर नियुक्त किया है।

आर) एजीएम में वोटिंग के समाप्त हो जाने के बाद संवीक्षक पहले बैठक में डाले गए वोटों की गिनती करेगा और उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग के जरिए डाले गए वोटों को कम से कम दो गवाहों जो बैंक के कर्मचारी नहीं होंगे उनकी उपस्थिति में खोलेगा जो एजीएम की समाप्ति के 48 घंटे के अंदर पक्ष और विपक्ष में, यदि कोई है तो, डाले गए कुल वोटों की एक समेकित संवीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा और अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति को प्रदान करेगा जो उस रिपोर्ट को प्रतिहस्ताक्षरित करेगा और उसके बाद वोटिंग के परिणाम की घोषणा करेगा।

एस) ऐसे लोग जो रिमोट ई-वोटिंग का विकल्प नहीं चुनते हैं वे इस नोटिस के व्याख्यात्मक विवरण खंड में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 18 जुलाई 2016 को आयोजित होने वाली बैठक में आयोजित मतदान में अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं।

टी) ई-वोटिंग के परिणाम बैंक के ईजीएम के दिन या उसके बाद घोषित किए जाएंगे। परिणामों को संवीक्षा रिपोर्ट के साथ ईजीएम के दो दिनों के अंदर बैंक की वेबसाइट पर बैंक के www.iob.in एवं एनएसडीएल की वेबसाइट <http://www.evoting.nsdl.com> पर भी प्रदर्शित किया जाएगा एवं एनएसई/ बीएसई को भी सूचित किया जाएगा।

10. 18.07.2016 को वोटिंग प्रक्रिया

कार्यवृत्त मदों पर चर्चा के पश्चात, कार्यवृत्त मदों के सम्बन्ध में बैंक वोटिंग आयोजित करेगा। वोटिंग का आयोजन और उसका पर्यवेक्षण इस उद्देश्य के लिए नियुक्त जांचकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। सामान्य बैठक के स्थान पर मौजूद शेयरधारकों / प्रॉक्सी(यों)/ प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) द्वारा वोटिंग प्रक्रिया के अंतर्गत वोट डाला जा सकता है। हालांकि, शेयरधारक जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट पहले ही डाल दिया है वे बैठक के स्थान पर वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। वोटिंग की समाप्ति के बाद, अध्यक्ष इस बैठक को समाप्त घोषित करेंगे।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(आर कोटीस्वरन)

चेन्नै

14.06.2016

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

the shareholder shall not be allowed to change or modify it subsequently.

p. The voting rights of the Shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date.

q. The Bank has appointed Mr R Sridharan of M/s R Sridharan & Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process and the physical voting process at the meeting in a fair and transparent manner.

r. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM will first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-Voting in the presence of atleast two witnesses not in the employment of the Bank who shall make, not later than forty eight hours of the conclusion of the AGM, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.

s. Those who do not opt for remote e-voting can cast their votes at the Poll to be conducted at the meeting on 18th July 2016, as per the procedure stated in Point No.10 of this Notice.

t. The Results declared along with Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website i.e. www.iob.in and on the website of NSDL i.e. <http://www.evoting.nsdl.com> within forty eight hours of the AGM of the Bank and also communicated to NSE/BSE.

10. VOTING PROCESS ON 18.07.2016

After the agenda items has been discussed, the Bank will conduct voting in respect of the agenda items. Voting will be conducted and supervised by Scrutinizer appointed for the purpose. The shareholders/Proxy(ies) /Authorised Representative(s) present at the venue of the annual general meeting can exercise their votes through voting process. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled to participate in the voting process at the venue of the meeting. After conclusion of the voting, the Chairman will declare the meeting as closed.

By order of the Board of Directors

(R Koteeswaran)

Chennai

14.06.2016

Managing Director & Chief Executive Officer



नोटिस की कार्यसूची मद सं.2 के व्याख्यात्मक विवरण:

- 31 मार्च 2016 को बेसल III के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9.66% है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9.625% से ज्यादा है। फिर भी, बैंक की कुछ विस्तार योजनाओं के कारण, बेसल III मानदंड के कार्यान्वयन व तत्पश्चात पूंजी प्रभार के कारण पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और सुदृढ़ करने हेतु पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- प्रदत्त पूंजी बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 3(2बी)(सी) के निबंधनों के अनुसार बैंक भारत सरकार का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा। तथापि, केन्द्रीय सरकार का धारणा, बैंक की प्रदत्त पूंजी में किसी भी समय में 52 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
- एलओडीआर विनियम का विनियम 41 प्रावधान करता है कि बैंक द्वारा निर्गम या कोई नया निर्गम जारी किया जाता है और शेयरधारकों द्वारा सामान्य बैठक में कोई दूसरा निर्णय नहीं लिया गया है तो वर्तमान शेयरधारकों को भी समानुपातिक रूप से दिया जाना चाहिए। यह संकल्प यदि पारित हो तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक रूप से करने के अलावा, प्रतिभूति आबंटित व जारी करने हेतु बैंक की ओर से मंडल को अनुमति है।
- संकल्प बैंक को समर्थ करता है कि वह सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमानी निर्गम और/या निजी स्थानन के आधार पर आबंटन के ज़रिए ईक्विटी शेयरों/अधिमानी शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन कर सके। निर्गम राशि के कारण बैंक यह सुनिश्चित कर सकेगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएँ सुदृढ़ हो जाएं।
- संकल्प से यह भी अपेक्षित है कि आइसीडीआर विनियमन में उल्लिखितानुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ योग्य संस्थागत स्थानन करने हेतु निदेशक मंडल को अधिकार दिया जाए। शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किए बिना, निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार में आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के तहत उल्लिखित इस प्रणाली को बैंक के लिए निधि जुटाने के लिए अपनाएँ।

क्यू आइ पी निर्गम के मामले में, आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के निबंधनों के अनुसार प्रतिभूतियों का निर्गम क्यू आइ पी के आधार पर उस मूल्य पर किया जा सकता है जो कि संबंधित तारीख के पूर्व दो सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में सूचित साप्ताहिक उच्च व निम्न अंतिम मूल्यों के आनुपातिक मूल्य से कम न हो।

'संबंधित तारीख' का अर्थ है कि जिस तारीख को बैठक में बैंक क्यू आइ पी निर्गम खोलने के लिए बैंक का मंडल या समिति निर्णय लेता है।
- 31.03.2016 को बैंक की प्रदत्त पूंजी का 77.32% भारत सरकार व 22.68% पब्लिक धारण करती है। हालाँकि 23.05.2016 को क्यू.आइ.बी को शेयरों के आबंटन के परिणामस्वरूप आज की तारीख तक बैंक की प्रदत्त पूंजी का 73.58% भारत सरकार व 26.42%

EXPLANATORY STATEMENT to Agenda item No. 2 of the Notice.

- The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2016, as per Basel III is 9.66%, and above the 9.625% stipulated by the Reserve Bank of India. However in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms, and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.
- The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Act will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-two per cent of the paid – up equity capital of the Bank.
- Regulation 41 of the LODR Regulations provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.
- The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares/preference shares/ securities by way of public issue, rights issue, preferential issue and/or on a private placement basis. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.
- The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutions placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made only at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date".

"Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.
- As on 31.03.2016, the GOI holds 77.32% and the public holds 22.68% of the paid up capital of the Bank. However as on date, the GOI holds 73.58% and the public holds 26.42% of the paid up capital of the Bank



पब्लिक धारण करते हैं, जो कि एस.सी.आर.आर अपेक्षाओं के अनुपालन में है। मौजूदा वर्ष के दौरान बेसल III अपेक्षाओं के अनुसार भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त निधि लगाने के मौके पर, भारत सरकार की धारिता बढ़कर प्रदत्त पूँजी का 75% हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप एस.सी.आर.आर के तहत निर्धारित अनुसार न्यूनतम पब्लिक धारिता 25% से कम होगी।

सेबी आइसीडीआर विनियमनों के अध्याय VIII के अंतर्गत संस्थागत प्लेसमेंट प्रोग्राम (आइपीपी) के अंतर्गत संस्थागत निवेशकों को एक या अधिक चरणों में इक्विटी शेयर सृजित, ऑफर, प्रस्तावित, निर्गम और आबंटित करने के लिए बैंक शेयरधारकों के समक्ष समर्थ बनाने वाले संकल्प का प्रस्ताव रख रहा है।

7. प्रस्ताव के विस्तृत निबंधन व शर्तें वर्तमान बाजार स्थितियों व अन्य नियंत्रक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबन्धकों और हामीदारों और ऐसे अन्य प्राधिकार या प्राधिकारों जैसे आवश्यक है, के साथ परामर्श करके निर्धारित किए जाएंगे।
8. चूंकि प्रस्ताव के मूल्यांकन का निर्णय बाद की तारीखों के अलावा नहीं लिया जा सकता, अतः जारी किए जानेवाले शेयरों का मूल्य बताना नामुमकिन है। तथापि यह आइसीडीआर विनियमन, अधिनियम और विनियमनों के प्रावधानों, जो समय समय पर संशोधित हैं या अन्य दिशानिर्देशों/ विनियमनों / सहमतियों जो लागू या आवश्यक हो, के अनुसार होगा।
9. उक्त कारणों के कारण, और एक संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है जिससे मंडल को निर्गम के निबंधन निर्धारित करने हेतु पर्याप्त अधिकार दिया जा सकेगा।
10. आबंटित इक्विटी शेयर सभी संदर्भों में लाभांश समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे।
11. उक्त इश्यू से संबंधित शेयरों की कीमत सेबी (आइसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VIII / VIII के अनुसार की जाएगी।

इस उद्देश्य के लिए बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। तदनुसार, नोटिस के मद संख्या 2 में रखे गए प्रस्ताव हेतु विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति मांगी जा रही है।

निदेशक मंडल नोटिस में वर्णित संकल्पों को पास करने की संस्तुति देते हैं।

बैंक के किसी भी निदेशक की, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा की हद के अलावा, पूर्वकथित संकल्प(पों) में कोई दिलचस्पी नहीं है न ही वे चिंतित हैं।

इस नोटिस के एजेंडा मद 3 के लिए व्याख्यात्मक विवरण :

दीर्घ अवधि के संसाधनों द्वारा कारोबार के विस्तार हेतु निधियों की बढ़ती आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया, साथ ही पूँजी पर्याप्तता से संबंधित बेसल III की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए बैंक अपने कर्मचारियों को "एसबीईबी-ईएसपीएस 2016" के

consequent to the allotment of shares to QIBs on 23.05.2016 which is in compliance with the SCRR requirements. In the event of GOI infusing further funds as per the requirements of BASEL III norms during the current year, the holding by GOI will increase to more than 75% of the paid up capital resulting in decrease in minimum public holding below 25% as prescribed under SCRR.

Bank is proposing an enabling resolution before the shareholders to create, offer, issue and allot equity shares in one or more tranches to Institutional Investors under Institutional Placement Programme (IPP) under Chapter VIII A of SEBI ICDR Regulations.

7. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.
8. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Act and the Regulations as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.
9. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.
10. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.
11. Pricing of Shares relating to the said issue shall be done in accordance with Chapter VIII / VIII A of SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Accordingly, the consent of the shareholders through a special resolution is being sought for the proposal as contained in item no. 2 of the Notice.

The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank.

Explanatory statement for the agenda item 3 of this notice:

In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources as may be decided by the Board as also to comply with BASEL III requirements relating to capital adequacy the Bank



अंतर्गत शेयर जारी करने के लिए प्रस्तावित करता है। उक्त प्रस्ताव, यदि आवश्यक हो तो भारत सरकार/ भा.रि.बैं./ स्टॉक विनियमों व अन्य नियामक निकायों से अनुमोदनों के अधीन होता है।

अब, बैंक ने उन शर्तों व निबंधन पर जैसा कि **"एसबीईबी-ईएसपीएस 2016"** के तहत वर्णित हैं अथवा बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार या "इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए निदेशकों की समिति" (समिति) के अनुसार बैंक के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों सहित सभी स्थाई कर्मचारियों ("पात्र कर्मचारियों") को इक्विटी शेयर प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है जो कि निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ-साथ लागू विधि, नियमों, विनियमों व दिशानिर्देशों के अधीन होगी।

- I. बैंक की वृद्धि व लाभप्रदता में सहयोग देने के लिए पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना, बेहतर निष्पादन के लिए उनके प्रयत्नों को बढ़ावा देना;
- ii. बैंक की वृद्धि के लिए पात्र कर्मचारियों को उनके लगातार समर्थन व सहयोग हेतु पुरस्कार देना;
- iii. बैंक में स्वामित्व हित को प्राप्त करने के लिए पात्र कर्मचारियों द्वारा इक्विटी स्वामित्व को बढ़ावा देना।

आंबटित इक्विटी शेयर सभी संदर्भों में लाभांश समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे।

एलओडीआर विनियमों का विनियम 41 बताता है कि जब कभी भी बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त इश्यू या ऑफर किया जा रहा है तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर वही प्रदान किया जाना चाहिए जबतक कि सामान्य बैठक में शेयरधारक निर्णय अन्यथा नहीं ले लेते। उक्त संकल्प, यदि पास हो जाता है तो वह बैंक की ऊ से बोर्ड को वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ प्रदान करने के बजाए प्रतिभूतियाँ जारी व आंबटित करने के लिए अनुमति देगा।

इसके अतिरिक्त, सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (सेबी विनियम) के विनियम 6 व 14 के अनुसार, बैंक की प्रतिभूतियों को शामिल करते हुए सभी कर्मचारियों की लाभ योजना सेबी विनियमों व इस संबंध में सेबी द्वारा तैयार किए गए अन्य दिशानिर्देशों, विनियमों आदि के अनुपालन में होंगी।

सेबी द्वारा परिपत्र सं. सीआइआर/सीएफडी/पॉलिसी सेल/2/2015 दिनांकित 16 जून, 2015 में वर्णितानुसार, निम्नलिखित **"एसबीईबी-ईएसपीएस 2016"** के व्यापक निबंधन व शर्तों के साथ होगा:

1. योजना का संक्षिप्त विवरण:

बैंक, उन निबंधन व शर्तों पर जैसा कि **"एसबीईबी-ईएसपीएस 2016"** के तहत वर्णित हैं अथवा बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार या "इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए निदेशकों की समिति" (समिति) के अनुसार बैंक के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक

proposes to issue shares under **"SBEB-ESPS 2016"** to its employees. The said proposal is subject to approvals from GOI/RBI/Stock exchanges and other regulatory bodies, if required.

Now, the Bank proposes to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Chairman / Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under **"SBEB-ESPS 2016"** or as may be decided by the Board or "Committee of Directors for issue of equity shares" (Committee) subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, with the following objectives:

- i) Providing incentive to eligible employees, to stimulate their efforts towards better performance to contributing to the growth and profitability of the Bank;
- ii) Rewarding eligible employees for their continued support and contribution towards the Bank's growth;
- iii) Encouraging equity ownership by eligible employees by providing them with the means to acquire a proprietary interest in the Bank.

The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

Regulation 41 of the LODR Regulations provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

Further as per Regulations 6 & 14 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (SEBI Regulations) all employees' benefit schemes involving the securities of the Bank shall be in compliance with SEBI Regulations and any other guidelines, regulations etc., framed by SEBI in this regard.

As per the requirements enumerated by SEBI through Circular No. CIR/CFD/POLICY CELL/2/2015 dated 16th June, 2015 the following would inter-alia be the broad terms and conditions of the "SBEB – EPS 2016":

1. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:

The Bank desirous to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Chairman / Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under **"SBEB-ESPS 2016"** or as may be decided by the Board or "Committee of Directors for issue of equity shares" (Committee) subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, not



निदेशकों सहित सभी स्थाई कर्मचारियों ("पात्र कर्मचारियों") को इक्विटी शेयर प्रदान करने की इच्छा रखता है, इसके साथ ऑफर के समय, उपयुक्त प्रीमियम के साथ रु.10 के अंकित मूल्य पर 9.00 करोड़ के इक्विटी शेयरों से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. प्रदान किए जाने वाले शेयरों की कुल संख्या

9,00,00,000 इक्विटी शेयरों को एसबीईबी-ईएसपीएस 2016 के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। हालांकि, एसबीईबी-ईएसपीएस 2016 के अनुसार, किसी पात्र कर्मचारी को प्रदान किए गए शेयर, यदि वे गैर-सब्सक्राइब रहते हैं तो वे इच्छुक पात्र कर्मचारियों को उसी कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा कि बोर्ड या समिति द्वारा निर्णय लिया जाए।

3. एस.बी.ई.बी-ई.एस.पी.एस 2016 में भाग लेने व लाभार्थी बनने के हकदार कर्मचारियों के वर्ग की पहचान

बैंक के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक समेत बैंक के सभी स्थाई कर्मचारी

4. वेस्टिंग की आवश्यकता व वेस्टिंग की अवधि

लागू नहीं

5. अधिकतम अवधि (सेबी विनियमों के विनियम 18(1) व 24(1), जैसा भी मामला हो, के अधीन) जिसके भीतर विकल्प/एसएआरएस/ लाभ प्रदान किया जाएगा

लागू नहीं

6. विकल्प प्रयोग मूल्य, एसएआर मूल्य, क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मूला

क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मूला का निर्धारण सेबी विनियम के अनुसार इक्विटी शेयरों के निर्गमन हेतु निदेशकों की समिति द्वारा ऑफर के समय किया जाएगा।

7. विकल्प प्रयोग अवधि तथा विकल्प प्रयोग की प्रक्रिया

निर्गमन/ ऑफर की तारीख से एक माह

8. एस.बी.ई.बी-ई.एस.पी.एस 2016 के लिए कर्मचारियों की पात्रता के निर्धारण हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया

शेयरों की ऑफरिंग / निर्गमन की तारीख तक बैंक के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक समेत बैंक के सभी स्थाई कर्मचारी लागू विनियामक अपेक्षाओं व दिशानिर्देशों के अधीन भाग लेने के हकदार होंगे।

9. प्रति कर्मचारी व समग्रता में जारी विकल्प, एसएआर, शेयर, जैसा भी मामला हो, की अधिकतम संख्या

बैंक समग्रता में अधिकतम 9,00,00,000 इक्विटी शेयरों को जारी करने का प्रस्ताव रखता है और प्रति कर्मचारी जारी किए जाने वाले शेयर जारी पूँजी के 1% से अधिक नहीं होने चाहिए।

10. योजना के तहत प्रति कर्मचारी को प्रदान किए जाने वाले लाभ की अधिकतम प्रमात्रा

चूँकि नए शेयरों का एस.बी.ई.बी-ई.एस.पी.एस 2016 के तहत निर्गमन

exceeding 9.00 crore equity shares at a face value of Rs 10 each with appropriate premium, at the time of offer.

2.TOTAL NUMBER OF SHARESTO BE GRANTED

Up to 9,00,00,000 equity shares are proposed to be offered to the eligible employees under the SBEB – ESPS 2016. However, the portion of shares offered, pursuant to the SBEB – ESPS 2016, to any eligible employees, if remains unsubscribed, shall be made available to interested eligible employees at such price, as may be decided by the Board or Committee

3.IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE SBEB – ESPS 2016

All permanent employees of the Bank including Chairman / Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank

4.REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING

Not Applicable

5.MAXIMUM PERIOD (SUBJECT TO REGULATION 18(1) AND 24(1) OF THE SEBI REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE) WITHIN WHICH THE OPTIONS / SARs / BENEFIT SHALL BEVESTED

Not Applicable

6.EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA

Purchase price or pricing formula will be determined by the Committee of Directors for issue of Equity shares as per SEBI Regulations at the time of offer.

7.EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE

One month from the date of issue / offer.

8.THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE SBEB – ESPS 2016

All permanent employees including Chairman / Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank as on the date of offering/ issue of shares will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

9.MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE

The Bank proposes to issue maximum of 9,00,00,000 equity shares in aggregate and shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1% of the issued capital.

10.MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME

As the new shares are proposed to be issued under SBEB –



प्रस्तावित है, पात्र कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।

11. क्या योजना(ओं) को सीधे कंपनी द्वारा कार्यान्वित तथा एडमिनिस्टर किया जाना है या न्यास के ज़रिए

एस.बी.ई.बी-ई.एस.पी.एस 2016 सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वित तथा एडमिनिस्टर किया जाएगा।

12. क्या योजना(ओं) में कंपनी द्वारा नए शेयरों का निर्गमन न्यास द्वारा द्वितीयक अधिग्रहण या दोनों शामिल है

एस.बी.ई.बी-ई.एस.पी.एस 2016 के तहत बैंक नए इक्विटी शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी करेगा।

13. कंपनी द्वारा न्यास को योजना(ओं) के कार्यान्वयन हेतु प्रदान की जाने वाली ऋण की राशि, उसकी अवधि, उपयोग, चुकतान निबंधन आदि:

चूँकि बैंक द्वारा एस.बी.ई.बी-ई.एस.पी.एस 2016 के तहत शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी किया जाता है, न्यास के गठन या न्यास को ऋण प्रदान किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

14. सेकंडरी अधिग्रहण की प्रतिशतता (सेबी विनियमों के तहत निर्दिष्ट सीमा के अधीन) जिसे योजना(ओं) के लिए न्यास द्वारा किया जा सकता है

चूँकि बैंक द्वारा एस.बी.ई.बी-ई.एस.पी.एस 2016 के तहत शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी किया जाता है, न्यास द्वारा सेकंडरी अधिग्रहण का प्रश्न नहीं उठता।

15. कंपनी विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगी, इस अर्थ की विवरणी

बैंक विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगी।

16. प्रक्रिया जिसे कंपनी अपने विकल्पों या एसएआर के मूल्य निर्धारण के लिए प्रयोग करेगी।

चूँकि एस.बी.ई.बी-ई.एस.पी.एस 2016 के तहत सिर्फ शेयर जारी किए जाते हैं, एसएआर के मूल्य निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

17. निम्नलिखित विवरणी, यदि लागू हो:

यदि कंपनी यथार्थ मूल्य के आधार पर शेयर आधारित कर्मचारी लाभ के विकल्प को नहीं चुनती है तो परिकलित कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत व उचित मूल्य के उपयोग पर आने वाले कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत के अंतर को निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा और इस अंतर की वजह से कंपनी के लाभ व प्रति शेयर अर्जन ("ईपीएस") पर पड़ने वाले प्रभाव को भी निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

बैंक उक्त अपेक्षाओं का आवश्यकता पड़ने पर पालन करेगा।

ESPS 2016, no other benefits will be provided to eligible employees.

11.WHETHER THE SCHEME(S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE COMPANY OR THROUGH A TRUST

SBEB – ESPS 2016 will be implemented and administered directly by the Bank.

12.WHETHER THE SCHEME(S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH

Under the SBEB – ESPS 2016, the Bank will issue new equity shares directly to the eligible employees.

13.THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME(S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS, ETC.;

As the shares are directly issued to the eligible employees under the SBEB – ESPS 2016 by the Bank, formation of the trust or providing loan to the trust does not arise.

14.MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME(S)

As the shares are directly issued to the eligible employees under the SBEB – ESPS 2016 by the Bank, secondary acquisition by the trust does not arise.

15.A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15

Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15

16.THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs

As only the shares are issued under the SBEB – ESPS 2016, the valuation of options or SARs does not arise.

17.THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE:

'In case the company opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the company shall also be disclosed in the Directors' report.

The Bank will comply with the above requirements as and when applicable.



लॉक-इन अवधि:

एसबीईबी-ईएसपीएस 2016 के तहत जारी इक्विटी शेयरों को सेबी विनियम के अनुसार आबंटन की तारीख से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक किया जाएगा।

इस लिए बैंक को विशेष संकल्प के ज़रिए शेयरधारकों से सहमति प्राप्त करनी होगी। अतः उक्त प्रस्ताव हेतु आपकी सहमति का अनुरोध है।

निदेशक मंडल प्रस्तावित विशेष संकल्प के पारित होने को संस्तुत करता है।

बैंक का कोई भी निदेशक उक्त संकल्प (पों) के प्रति इच्छुक नहीं है, बिना बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा के।

Lock in period:

The equity shares issued under SBEB-ESPS 2016 shall be locked in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI Regulations.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(आर कोटीस्वरन)

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

By order of the Board of Directors

(R Koteeswaran)

Managing Director & Chief Executive Officer

चेन्नै

14.06.2016

Chennai

14.06.2016



निदेशकों की रिपोर्ट 2015-16

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाते के साथ साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक मण्डल को हर्ष का अनुभव हो रहा है।

वैश्विक कारोबार निष्पादन

तेल कीमतों में हाल की गिरावट से वास्तविक आय पर सकारात्मक प्रभाव एवं मजबूत निवेशक भावना की वजह से भारत की संवृद्धि मजबूत रही। एक तरफ जहां अर्थव्यवस्था अपनी बेड़ियों को तोड़कर और दो अंकों की संवृद्धि की ओर लक्ष्य करने की कोशिश कर रही थी वहीं बैंकिंग उद्योग आज भी प्रतिकूल प्रभाव महसूस कर रहा है। हमारा बैंक, बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा होने की वजह से, इस असर से अछूता नहीं रह सकता था। अतः वैश्विक कारोबार स्तर 31 मार्च 2015 को रु.4,25,090 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2016 तक रु.3,97,241 करोड़ रहा। वैश्विक जमा एवं सकल अग्रिम 31 मार्च 2015 को क्रमशः रु. 2,46,049 करोड़, एवं रुपए 1,79,041 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2016 को रुपए 2,24,514 करोड़ एवं रु.1,72,727 करोड़ रहा।

वर्तमान वर्ष के दौरान बैंक ने कुद मानदंडों पर अच्छी प्रगति की है - कासा में सुधार, उच्च लागत जमाओं में कमी, खुदरा उधारों की ओर झुकाव और खुदरा जमाओं में संवृद्धि। बैंक बड़े तकनीकी बदलाव की ओर भी अग्रसर हुआ और अपने घरेलू सीबीएस प्लेटफॉर्म से नए सीबीएस प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट हुआ। बैंक अपेक्षित समयावधि के भीतर माइग्रेशन प्रक्रिया पूरी करने में समर्थ रहा। नए सॉफ्टवेयर से एक बार परिचय हो जाने के बाद यह प्रभावी काउंटर सेवा, लचीले उत्पाद और सही डाटा प्रबन्धन का मुख्य आधार बनेगा जिससे बैंक को ऊंचा स्थान मिलेगा। पिछले वर्ष की तुलना में बैंक के वैकल्पिक डिलिवरी चैनलों का अब ग्राहकों द्वारा बेहतर इस्तेमाल हो रहा है और इसलिए इन चैनलों में हमें पंजीकरणों को बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

मुख्य रूप से उच्च एनपीए और ब्याज स्प्रेड में बाधाओं की वजह से वैश्विक परिचालनगत लाभ 2014-15 के रु. 3,322 करोड़ की तुलना में 2015-16 में रु. 2,885 करोड़ रहा। सकल एनपीए मार्च 2015 के रु. 14,922 करोड़ की तुलना में मार्च 2016 में रु. 30,049 करोड़ रहा। इसके परिणामस्वरूप रु. 5,782 करोड़ के उच्च प्रावधान अपेक्षा की वजह से बैंक को वर्ष के लिए रु. 2,897 करोड़ का निवल घाटा दिखाया पड़ा। वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने रुपए 454 करोड़ का घाटा दिखाया था।

आय और व्यय विश्लेषण

धीमी उधार संवृद्धि के अलावा बढ़ते एनपीए की वजह से वर्ष 2015-16 में भी चुनौतियां बनी रहीं। बैंक ने उच्च लागत जमाओं से किनारा, कासा में सुधार और उद्योग के साथ तालमेल रखते हुए जमा दरों में बदलाव करके जमाओं पर लागत को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए।

घरेलू कासा जमाएं 31 मार्च 2015 को रु.60,787 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2016 को रु. 63,609 करोड़ रहीं। कासा प्रतिशत भी 31 मार्च 2015 के 25.35% के मुकाबले बढ़कर 31 मार्च 2016 को 29.10% हो गया।

कासा में सुधार और उच्च लागत जमाओं से किनारा करने की पहलों की वजह

से जमाओं की घरेलू लागत 2014-15 में 7.84% से घटकर 2015-16 में 7.28% पर आ गई। तिमाहीवार जमाओं की घरेलू लागत 2015-16 की पहली तिमाही में 7.62% रही जो 2015-16 की दूसरी तिमाही में थोड़ा घटकर 7.43% रही 2015-16 की तीसरी तिमाही में 7.26% और 2015-16 की चौथी तिमाही में 6.79% रही। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दरों में 75 बेसिस अंकों की कमी की, जिसकी वजह से भी कार्ड दरों में धीरे धीरे कमी आई। उधारों पर घरेलू लागत 2014-15 के 9.65% की तुलना में 2015-16 में 7.74% रही जो भा.रि.बैं. द्वारा रेपो दरों में किए गए गिरावट के अनुक्रम में ही है।

बैंक का बेस रेट जो मार्च 2015 तक 10.25% पर रहा, उसे समीक्षाधीन वर्ष के दौरान तीन चरणों में उद्योगों के ट्रेंड के अनुसार घटाकर 9.70% पर लाया गया। आगे, वृद्धिशील एनपीए ने आय पर उच्च प्रभाव डाला। उपर्युक्त कारकों की वजह से घरेलू अग्रिमों पर प्राप्ति पूर्व के वर्ष के 10.62% के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2015-16 में कम होकर 9.87% पर आ गई।

उत्तर चढ़ाव भरी बाजार स्थितियों के बावजूद निवेश पर प्राप्ति 2014-15 में 7.38% के मुकाबले 2015-16 के पूर्व वर्ष के दौरान 7.41% पर बनी रही। बैंक वैश्विक निवल ब्याज मार्जिन 1.94% के सामान्य स्तर पर बनाए रखने में समर्थ रहा। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बैंक ने 47.39% का प्रोविजन कवरेज अनुपात बनाए रखा।

2015-16 के दौरान जुटाई गई पूंजी

बैंक ने नकदी के बदले रुपए 10/- प्रति इक्विटी शेयर को रुपए 41.37 प्रति इक्विटी शेयर की इश्यू कीमत पर (रु. 31.37 प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम समेत) 48,56,17,597 इक्विटी शेयर जिनकी कुल कीमत रु. 2,009 करोड़ तक है भारत सरकार को अधिमानी आधार पर जारी किए हैं और रुपए 10/- प्रति इक्विटी शेयर को रुपए 23.45 प्रति इक्विटी शेयर की इश्यू कीमत पर (रुपए 13.45 प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम समेत) 8,62,99,771 इक्विटी शेयर जिनकी कुल कीमत रु. 202.37 तक है भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर जारी किए हैं। अतः बैंक की प्रदत्त पूंजी रु. 1807.27. करोड़ से बढ़कर रु.1235.35 करोड़ हो गई है। भारत सरकार की शेयरधारिता रु. 911.71 करोड़ (73.80%) से बढ़कर रु. 1397.33 करोड़ (77.32%) हो गई है और सार्वजनिक शेयरधारिता 409.94 करोड़ (22.68%) पर रही है।

पूँजी पर्याप्तता अनुपात

बेसल III मानदंडों के अनुसार 31 मार्च 2016 को बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 9.66% रहा।

शाखा नेटवर्क

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने पूरे देश में 34 शाखाएं खोली हैं जिनमें से 26 शाखाएं (76.47%) ग्रामीण व अर्द्ध- शहरी केंद्रों में स्थित हैं, जिनमें से 8 शाखाएं बैंकरहित शहरी केंद्रों में स्थित हैं।

31 मार्च 2015 को 3,381 शाखाओं के मुकाबले 31 मार्च 2016 को बैंक के पास 3,397 घरेलू शाखाएं थीं जिनमें 1036 ग्रामीण शाखाएं (30.50%), 960 अर्द्ध-शहरी शाखाएं (28.26%), 748 शहरी शाखाएं (22.02%) और 653 महानगरीय शाखाएं (19.22%) हैं। इनके अलावा, 7 अंचल कार्यालय, 49 क्षेत्रीय कार्यालय, 41 त्वरित खुदरा केंद्र, 4 विस्तार काउंटर, 20 सेटलाइट कार्यालय, 14 सिटी बैंक ऑफिस, 18 एमएसएमई संसाधन केंद्र और 6 निरीक्षणालय हैं।



DIRECTORS' REPORT 2015-16

The Board of Directors has pleasure in presenting the Annual Report together with Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2016.

Global Business Performance

Growth in India remained robust, buoyed by strong investor sentiment and the positive effect on real incomes of the recent fall in oil prices. As the economy was struggling to break its shackles and aim for a double digit growth, the banking industry is still feeling the adverse impact. Our Bank, as a part of the banking system, could not stay untouched by this impact. Hence, the Global Business level stood at Rs.3,97,241 crore as on 31st March 2016 against Rs. 4,25,090 crore as on 31st March 2015. The global deposits and gross advances stood at Rs. 2,24,514 crore and Rs. 1,72,727 crore respectively as on 31st March 2016 against Rs. 2,46,049 crore and Rs. 1,79,041 crore as on 31st March 2015.

The Bank progressed well in a few parameters during this year - improvement in CASA, sharp decline in high cost deposits, shift towards retail lending and growth in retail deposits. The Bank also underwent a major technological overhaul by migrating to a new CBS platform from its in-house CBS platform. The Bank was able to complete the migration process within the desired time frame. The new software once familiarized would become a back bone for efficient counter service, flexible products and sound data management which would eventually place the Bank at a higher level. Bank's alternate delivery channels are now being better utilized by the customers compared to last year, and therefore we shall strive to increase the registrations in these channels.

Financial Performance

The global operating profit has stood at Rs. 2,885 crore in 2015-16 compared to Rs.3,322 crore in 2014-15 mainly due to constraints on interest spread and higher NPAs. The Gross NPAs stood at Rs. 30,049 crore for March 2016 as against Rs. 14,922 crore in March 2015. The resultant higher provision requirement of Rs. 5,782 crore during the year forced the Bank to report a Net Loss of Rs. 2,897 crore for the year. The Bank had reported Rs. 454 crore of loss during 2014-15.

Income and Expenditure Analysis

The year 2015-16 continued to have challenges on account of burgeoning NPAs apart from sluggish credit growth. The Bank took concerted efforts to reduce the cost of deposits by shedding high cost deposits, improving CASA and pruning the deposit rates in line with the industry.

The domestic CASA deposits were at Rs. 63,609 crore as on 31st March 2016 as against Rs. 60,787 crore as on 31st March 2015. The CASA % also increased to 29.10% as on 31st March 2016 as against 25.35% as on 31st March 2015.

The initiatives on account of improving CASA and shedding

of high cost deposits reduced the domestic cost of deposits to 7.28% in 2015-16 from 7.84% in 2014-15. The quarter wise domestic cost of deposits which stood at 7.62% in Q1 2015-16 gradually came down to 7.43% in Q2 2015-16, 7.26% in Q3 2015-16 and 6.79 % in Q4 2015-16. RBI had reduced Repo rates by 75 basis points during the period under review which also helped in reducing the card rates in a gradual manner. The domestic cost of borrowings ended at 7.74 % in 2015-16 as against 9.65% in 2014-15 which is also in line with the fall in the repo rates induced by RBI.

The Bank's base rate which stood at 10.25% as of March 2015 was brought down to 9.70 % in three tranches during the review period as per the industry trend. Further, the incremental NPAs had higher impact on the revenues. As a result of the above factors, the yield on domestic advances came down to 9.87% for FY 2015-16 as against 10.62% in the previous year.

Despite volatile market conditions, the yield on investments were maintained at 7.41% for the whole year 2015-16 compared to 7.38% in 2014-15. The Bank was able to maintain the global Net interest margin at 1.94% in 2015-16. The Bank maintained a Provision Coverage Ratio of 47.39 % for FY 2015-16.

Capital Raised during 2015-16

The Bank issued 48,56,17,597 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs.41.37 per equity share (including premium of Rs.31.37 per equity share) aggregating upto Rs.2,009 crore to Government of India on Preferential Basis and 8,62,99,771 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs.23.45 per equity share (including premium of Rs.13.45 per equity share) aggregating upto Rs.202.37 crore to Life Insurance Corporation of India on Preferential Basis. Hence, the paid-up capital of the Bank has increased from Rs.1235.35 crore to Rs.1807.27 crore. Government of India's shareholding has increased from Rs.911.71 crore (73.80%) to Rs.1397.33 crore (77.32%) and the Public shareholding stood at Rs.409.94 crore (22.68%).

Capital Adequacy Ratio

The Bank's capital adequacy ratio as on 31st March 2016 stood at 9.66% as per Basel III norms.

Branch Network

During the year under review, the Bank opened 34 branches across the country. Out of these, 26 branches (76.47%) are located in Rural and Semi Urban centres, of which 8 branches are located in Unbanked Rural centres.

As on 31st March 2016, the Bank had 3,397 domestic branches, as against 3,381 branches as on 31st March 2015, comprising of 1,036 Rural branches (30.50%), 960 Semi Urban branches (28.26%), 748 Urban branches (22.02%) and 653 Metropolitan branches (19.22%). Besides, the Bank has 7 Zonal Offices, 49 Regional Offices, 41 Rapid Retail Centres, 4 Extension Counters, 20 Satellite Offices, 14 City Back Offices, 18 MSME Processing Centres and 6 Inspectorates.



समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्रशासनिक खर्चों में कटौती के उद्देश्य से बैंक ने 10 क्षेत्रीय कार्यालयों, 3 विशेषीकृत वित्तीय समावेशन शाखाओं, 15 विशेषीकृत मिड कॉर्पोरेट शाखाओं और 26 सिटी बैंक कार्यालयों को बंद किया है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कॉर्पोरेट गवर्नेंस बैंक की रोजमर्रा की गतिविधियों के करने में उसके निर्मित वैल्यू सिस्टम को दर्शाता है। बैंक यह सुनिश्चित करने पर जोर देता है कि उसकी सरकारी जिम्मेदारियों का अनुपालन करने के लिए संरचनाएं और प्रक्रियाएं अपनी जगह पर हैं।

आइओबी - इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता, 2015

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम) विनियम, 2015 के विनियम 9 के अनुक्रम में, बैंक ने नई संहिता बनाई है जिसका नाम आइओबी - इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता, 2015 है जो 15 मई 2015 से प्रभाव में आयी और इसने इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आइओबी निदेशक एवं कर्मचारी आचार संहिता 2004 (2009 तक यथासंशोधित) का स्थान लिया ताकि बैंक के निदेशकों, कर्मचारियों और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली ट्रेडिंग को विनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के उद्देश्य से विनियमन, प्रबोधन और रिपोर्ट किया जा सके।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड - लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम, 2015 (एलओडीआर)

वर्ष के दौरान, सेबी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड - लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम, 2015 (एलओडीआर) नाम से निम्नलिखित विनियम बनाए हैं। यह विनियम 01 दिसंबर 2015 से अमल में आए हैं। 1 दिसंबर 2015 को सेबी का लिस्टिंग करार / उपबंध/ विभिन्न परिपत्र निरसित / रद्द हो गए। एलओडीआर के विनियम 44 के अनुसार सूचीबद्ध इकाई को शेयरधारकों को, शेयरधारकों के संकल्प के सम्बन्ध में, रिमोट ईवोटिंग सुविधा प्रदान करनी होगी। तदनुसार, बैंक ने 23 सितंबर 2015 और 24 मार्च 2016 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठकों से ईवोटिंग सुविधा को लागू कर दिया है।

निदेशक मंडल

समीक्षाधीन वर्ष में बोर्ड का गठन समान रहा है।

क्रम सं	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशकता का प्रकार
01	श्री आर कोटीस्वरन	प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	कार्यकारी/ पूर्ण कालिक
02	श्री अतुल अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	कार्यकारी/ पूर्ण कालिक
03	श्री पवन कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक	कार्यकारी/ पूर्ण कालिक
04	डॉ आलोक पाण्डे	भारत सरकार के नामित निदेशक	आधिकारिक - गैर कार्यकारी
05	श्री निर्मल चन्द	भा.रि.बैं. नामित निदेशक	आधिकारिक - गैर कार्यकारी
06	श्री आर सम्पत कुमार	कामगार कर्मचारी निदेशक	गैर कार्यकारी
07	डॉ. जे. डी. शर्मा	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	गैर कार्यकारी
08	श्री एम चित्रैय्या	निदेशक/ अंशकालिक गैर- आधिकारिक	गैर कार्यकारी
09	श्रीमती एस सुजाता	निदेशक/ अंशकालिक गैर- आधिकारिक	गैर कार्यकारी
10	श्री ए बी डी बादुशास	निदेशक/ अंशकालिक गैर- आधिकारिक	गैर कार्यकारी
11	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यकारी
12	श्री संजय रूंगटा	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यकारी

एओडीआर के विनियम 17 एवं 26 के अनुपालन में बैंक द्वारा लागू की गई आचार संहिता बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबन्धन (यानि बैंक के महा प्रबन्धकों) पर लागू है। बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक तिमाही अनुपालन रिपोर्ट भी स्टॉक एक्सचेंजों और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को सौंप रहा है।

एलओडीआर के विनियम 13 के अनुपालन में बैंक बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं उन्हें तिमाही निवेशक शिकायत रिपोर्ट भी सौंप रहा है।

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आइडपीएफ)

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार ने निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आइडपीएफ) नियमों में संशोधन किया है और बैंक को अदत्त लाभांश राशि को केंद्र सरकार को अंतरित करने की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया है। तदनुसार, 2007-08 से सम्बन्धित अदत्त लाभांश राशि बैंक द्वारा आइडपीएफ को अंतरित कर दी गई है और भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है। 2008-09 से 2013-14 वर्षों से सम्बन्धित अग्रदत्त लाभांश डाटा को एमसीए की वेबसाइट पर डाला गया है और यह www.iob.in पर भी उपलब्ध है।

बैंक विनियामक प्राधिकरणों और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशानिर्देशों / विनियमों का अनुपालन कर रहा है। बैंक बिना समय गंवाए शेयरधारकों की शिकायतों का नियमित रूप से निपटान कर रहा है।

विज्ञान-अभियान 2013-2020

बैंक ने प्रतिस्पर्धी माहौल में बदलते परिदृश्य के मद्देनजर 2013-2020 की अवधि के लिए अपनी मध्यम अवधि विज्ञान-अभियान आउटलुक की समीक्षा की है। बैंक ने सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए अगले वर्ष 2016-17 के लिए रणनीतिक कारोबार प्रायोजना पर चर्चा के लिए निदेशक मंडल की विशेष बैठक बुलाई है। बैंक को आशा है कि नए सीबीएस के सहयोग से लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।



During the year under review, the Bank has closed 10 Regional Offices, 3 specialized financial inclusion branches, 15 specialized mid corporate branches and 26 City Back Offices with a view to rationalize administrative costs.

Corporate Governance

Corporate Governance reflects the built in value system of the Bank in conducting its day to day affairs. The Bank lays emphasis on ensuring that, structures and processes are put in place to help in compliance of the government responsibilities.

IOB – Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, 2015

Pursuant to Regulation 9 of Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Bank formulated a new code called IOB Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, 2015 that came into effect from May 15, 2015 replacing IOB Directors and Employees Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading 2004 (As amended upto 2009), to regulate, monitor and report trading by the Directors, employees and other connected persons of the Bank with a view to comply with provisions of the Regulations.

Securities and Exchange Board of India - Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 (LODR)

During the year, SEBI has made the following Regulations namely, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR). These regulations came into force effective from 1st Dec 2015. The existing SEBI Listing Agreement/Clauses/various circulars stood repealed/rescinded on 1st Dec 2015. As per Regulation 44 of LODR, the listed entity shall provide the facility of remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. Accordingly, the Bank has implemented e-voting facility since Extraordinary General Meetings held on 23rd Sept 2015 and 24th March 2016.

In compliance with Regulations 17 and 26 of LODR, the code of conduct put in place by the Bank which is applicable to all members of the Board and the Senior Management (i.e., General Managers of the Bank). The Bank is also submitting a quarterly compliance report on Corporate Governance to the Audit Committee of the Board and to Stock Exchanges.

In compliance with Regulation 13 of LODR, the Bank is submitting Quarterly Investor Grievance Report to the BSE Limited and National Stock Exchange Limited, where Bank's shares are listed.

Investor Education & Protection Fund (IEPF)

Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India has amended the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Rules and advised the Bank the process of transfer of unpaid dividend amount to the Central Government. Accordingly, Unpaid Dividend amount pertaining to 2007-08 has been transferred to IEPF by the Bank and complied with the Government of India guidelines. The unpaid Dividend data pertaining to the years 2008-09 to 2013-14 is ported in MCA website and is also available at www.iob.in.

Bank is complying with all guidelines/regulations laid down by Regulatory authorities and Government of India. Bank regularly redresses the shareholders grievances without any time delay.

Vision-Mission: 2013-2020

With the changing dynamics in the competitive environment, the Bank has reviewed its medium term Vision-Mission outlook for the period 2013 – 2020. The Bank has convened an exclusive meeting of the Board of Directors to discuss the Strategic Business Plan for the next year 2016-17 covering all the key aspects. The Bank expects that the targets would be achieved with the support of migration to new CBS.

Board of Directors

The Board had the same constitution in the year under review.

Sl No.	Name of the Director	Designation	Nature of Directorship
01	Shri R. Koteeswaran	Managing Director & Chief Executive Officer	Executive / Whole Time
02	Shri. Atul Agarwal	Executive Director	Executive / Whole Time
03	Shri Pawan Kumar Bajaj	Executive Director	Executive / Whole Time
04	Dr.Alok Pande	Govt. Nominee Director	Official – Non Executive
05	Shri.Nirmal Chand	RBI Nominee Director	Official – Non Executive
06	Shri. R. Sampath Kumar	Workmen Employee Director	Non Executive
07	Dr. J.D.Sharma	Officer Employee Director	Non Executive
08	Shri Chinnaiah	Director / Part-time Non – Official	Non Executive
09	Smt. S. Sujatha	Director /Part-time Non – Official	Non Executive
10	Shri A.B.D.Badushas	Director / Part-time Non – Official	Non Executive
11	Shri Niranjan Kumar Agarwal	Shareholder Director	Non Executive
12	Shri Sanjay Rungta	Shareholder Director	Non Executive



आभारोक्ति

भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंजों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं एवं अंतरराष्ट्रीय विनियामकों से प्राप्त मूल्यवान सहयोग के लिए निदेशक मंडल आभारी है। निदेशक मंडल बैंक के बहुमूल्य ग्राहकों, कर्मचारी संघ, अधिकारी संघ, घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समुदाय, शेयरधारकों, अन्य स्ट्रेकधारकों को उनकी सद्भावना, उनके संरक्षण व बैंक पर उनके विश्वास को धन्यवाद के साथ दर्ज करता है।

बैंक अपने सभी स्तर के स्टाफ सदस्यों के मूल्यवान योगदान के प्रति अपनी प्रगाढ़ प्रशंसा भी दर्ज करना चाहता है और अपेक्षा करता है कि भविष्यगत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वे अपनी संलग्नता और प्रतिबद्धता जारी रखेंगे।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से



चेन्नै

आर. कोटीस्वरन

27 मई, 2016 प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



Acknowledgement

The Board of Directors are grateful for the valuable guidance and support received from the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, State Governments, Financial Institutions and all Overseas Regulators. The Board of Directors acknowledge with thanks the valued Customers, Employees Union, Officers Association, domestic and international banking group, the shareholders & other stake holders for their valued support and continued patronage with the Bank.

The Board also wishes to place on record its profound appreciation for the valuable contribution of the Bank's Staff at all levels and looks forward to their continued involvement with commitment towards achieving the future goals.

For and on behalf of the Board of Directors



Chennai
May 27, 2016

R. KOTEESWARAN
Managing Director & Chief Executive Officer



प्रबंधन विमर्श व विश्लेषण

आर्थिक व बैंकिंग परिवेश

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य चीन के निम्न दरों में परिवर्तन और कमोडिटी की कम कीमतों, उतार चढ़ाव भरे वित्तीय बाजारों, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के संदर्भ में धीमी वैश्विक संवृद्धि और अनिश्चितताओं से भरा हुआ था। कई अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में निम्न और / या नकारात्मक नीति व्याज दरों ने प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन की प्रवृत्ति को बढ़ाने के साथ आस्ति कीमतों एवं पूंजी प्रवाह में अस्थिरता के जोखिम को भी बढ़ा दिया है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली की बढ़ती अंतर-सम्बद्धता की वजह से संवृद्धि को पुनर्जीवित करने के लक्ष्य से बनाई गई यूएमपी (गैर-पारंपरिक मौद्रिक नीति) ने विध्वंसकारी परिणाम दिए हैं। व्यापार परिमाण में गिरावट, कमोडिटी कीमतों में नरमी, अप्रयुक्त क्षमताएं एवं बीमार आर्थिक फंडामेंटल, विशेषतौर पर कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं (इएमइ) में, बढ़ते हुए जोखिम के प्रति उनकी आर्थिक और वित्तीय ताकत को बनाए रखने की क्षमता को काफी कमजोर कर रहे हैं।

जो भी हो, सख्त सरकारी सुधारों, भारि.बैं. के महंगाई पर केन्द्रित रहने, वैश्विक कमोडिटी कीमतों में सौम्यता और तेल कीमतों में गिरावट की बदौलत अन्य प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में संवृद्धि मजबूत रही है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 7.6 प्रतिशत की संवृद्धि दर दर्ज करते हुए 2015-16 में उपादान लागत पर (2011-12) की स्थिर कीमत पर रुपए 113.5 ट्रिलियन (अमेरिकी डॉलर 1.668 ट्रिलियन) है, जबकि 2014-15 में ये रुपए 105.5 ट्रिलियन (अमेरिकी डॉलर 1.55 ट्रिलियन) था। समिष्ट स्थिति में सुधार की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से संवृद्धि करती प्रमुख अर्थव्यवस्था और लंबी अवधि की संवृद्धि के लिए सुरक्षित अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। एफडीआई अंतर्प्रवाह ने 2015-16 के पहले 11 महीनों में \$51.64 बिलियन को छुआ है जबकि 2014-15 में पूरे वर्ष में यह \$44.29 बिलियन था। एफडीआई अंतर्प्रवाह में वृद्धि देश के लिए ऐसे मौके पर आई है जब घरेलू निवेशों में भी अर्थपूर्ण तेजी की आशा की जा रही है।

बैंकिंग परिवेश

हालांकि, 2015 में संपूर्ण घरेलू समिष्ट स्थिति में सुधार आया लेकिन आस्ति गुणवत्ता में सुधार में कमी, संवृद्धि उन्मुख पूंजी की अनुपलब्धता और धीमी लाभप्रदता की वजह से बैंकिंग क्षेत्र अब भी चुनौतियों का सामना कर रहा है। स्वयं उद्योग के लिए ही समग्र आस्ति गुणवत्ता दिसंबर 2015 में कमजोर हो गई क्योंकि कुल सकल पहचान की गई गैरनिष्पादित आस्तियां (जीएनपीए) रुपए 4,37,860 करोड़ पर रही जो वर्ष दर वर्ष आधार पर तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है (निजी एवं सार्वजनिक बैंकों के लिए)। इसमें दिसंबर 2015 तक 7.32 प्रतिशत के सकल एनपीए अनुपात के साथ सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का हिस्सा कुल सकल एनपीए का रु. 3,96,386 करोड़ या 90 प्रतिशत रहा। हालांकि आस्ति गुणवत्ता की समीक्षा की वजह से छोटी अवधि में बैंकों की लाभप्रदता में कमी आई लेकिन उम्मीद है कि यह लंबी अवधि और लाभप्रदता की दृष्टि से आर्थिक संवृद्धि में सहायक होगा।

ऋण व अग्रिम में धीमी संवृद्धि की वजह से 2015-16 में अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कार्य- निष्पादन धूमिल रहा। औद्योगिक संवृद्धि में

धीमेपन, कॉर्पोरेट द्वारा खराब आय, बढ़ते खराब ऋण की वजह से बैंकों के पोर्टफोलियो के पुनर्संतुलन, वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कॉर्पोरेट का कॉर्पोरेट बॉन्ड और वाणिज्यिक पेपरों की ओर रुख करने की वजह से संवृद्धि दर में गिरावट आई है। उम्मीद की जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में वृद्धि, परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन और सुधारों की प्रक्रिया के जारी रहने से संवृद्धि को और बल मिलेगा। यह सभी कारक बताते हैं कि भारत का बैंकिंग क्षेत्र मजबूत संवृद्धि के लिए तैयार है क्योंकि तेज संवृद्धि कारोबार अपनी उदार ज़रूरतों के लिए बैंक के पास आएंगे।

वर्ष दर वर्ष 9.91% की संवृद्धि दर्ज करते हुए 18 मार्च 2016 को बैंकिंग प्रणाली में कुल जमाएं रु.93,786.5 बिलियन रही। इसी प्रकार, प्रणाली का अग्रिम वर्ष दर वर्ष 11.34% की संवृद्धि दर्ज करते हुए 20 मार्च 2016 को रु.75,776.5 बिलियन रहा।

बैंक का परिचालन

घरेलू जमाएं

31 मार्च 2015 के रु. 2,39,819 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2016 को बैंक की कुल घरेलू जमाएं रु. 2,18,556 करोड़ रहीं। लागत कम करने के उद्देश्य से थोक जमाओं में कमी करने की दिशा में बैंक द्वारा उठाये गए सोचे-समझे कदम की वजह से जमाओं में कमी आई है। हालांकि, घरेलू कासा 31 मार्च 2015 के रु. 60,787 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2016 को रु. 63,609 करोड़ हो गया। यह वर्णन करने योग्य है कि बचत बैंक जमाएं 11.20% बढ़कर रु. 52,244 करोड़ रही हैं। मार्च 2016 में कासा भी सुधरकर 29.10% हो गया है।

बैंक ने कासा स्तर में सुधार के उद्देश्य से इस सम्बन्ध में "आइओबी फिनिक्स" नाम से एक अभियान 1 दिसंबर 2015 से 29 फरवरी 2016 तक चलाया था। इस अभियान के दौरान 3,83,500 बचत बैंक खाते, 10,600 चालू खाते और कुल 3,94,100 कासा खाते खोले गए।

घरेलू अग्रिम

वृद्धिशील एनपीए एवं धीमी उधार संवृद्धि ने बैंकों को बड़े पैमाने पर उधार देने में अधिक सावधान होने पर मजबूर कर दिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जोखिम को कम करने और मार्जिन्स में सुधार के लिए, बैंक ने खुदरा और एमएसएमई क्षेत्र पर जोर दिया। घरेलू सकल अग्रिम 31 मार्च 2015 के रु. 1,62,837 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2016 को रु. 1,55,428 करोड़ रहा।

ओवरसीज़ परिचालन

मार्च 2016 के अंत में, बैंक के 14 प्रतिष्ठान विदेश में थे जिनमें 8 ओवरसीज़ शाखाएं, 3 प्रतिनिधि कार्यालय, 2 विप्रेषण केंद्र और 1 संयुक्त उपक्रम अनुषंगी शामिल हैं। हॉन्गकॉन्ग, श्रीलंका और बैंकॉक में दो-दो शाखाएं हैं और सिंगापुर और दक्षिण कोरिया में एक-एक शाखा है। प्रतिनिधि कार्यालय गुवांग जाओ, चीन, हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम और अल करामा, दुबई में स्थित हैं। विप्रेषण केंद्र बूनले एवं सेरांगून, सिंगापुर में परिचालित हैं। संयुक्त उपक्रम अनुषंगी मलेशिया में कार्य कर रही है।



MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Economic and Banking Environment

The global economic position was characterized by uncertainty and modest global growth, in context of low commodity prices, volatile financial markets, demographic changes and China's transition to lower rates of economic growth. Low and/or negative policy interest rates in many advanced economies have increased the risks of volatility in asset prices and capital flows, while increasing the propensity for competitive currency devaluations. UMPs (Unconventional Monetary Policy) targeted at reviving growth creating disruptive spillovers given the growing inter-connectedness of the global financial system. Flagging trade volumes, softening commodity prices, idle capacities and anaemic economic fundamentals, particularly in a number of large Emerging Market Economies (EMEs) are increasingly impairing their ability to sustain economic and financial resilience against rising risks.

However, growth in India remained robust, compared to other major developing economies, sustained by strong government reforms, RBI's inflation focus, benign global commodity prices and fall in oil prices. India's gross domestic product (GDP) at factor cost at constant (2011-12) prices for 2015-16 is Rs. 113.5 trillion (US\$ 1.668 trillion), as against Rs. 105.5 trillion (US\$ 1.55 trillion) in 2014-15, registering a growth rate of 7.6 per cent. The economy has emerged as the fastest growing major economy and a safer haven for long term growth, due to improvement in its macro situation. FDI inflows touched \$51.64 billion in the first 11 months of 2015-16 compared to \$44.29 billion in the whole of 2014-15. The surge in FDI inflows comes at an opportune time for the country, which is expected to see a meaningful pick-up in domestic investments.

Banking Environment

Though, the overall domestic macro situation improved in 2015, the banking sector continued to face challenges due to lack of recovery in asset quality, growth-oriented capital constraints and sluggish profitability. The overall asset quality for the industry itself weakened in December 2015 as the total gross non-performing assets (GNPAs) recognized stood at Rs. 4,37,860 crore, up 50 per cent y-o-y (for public and private sector banks). PSBs accounted for Rs.3,96,386 crore or 90 per cent of the total gross NPAs as on Dec 2015 with the average gross NPA ratio of 7.32 per cent. Though the profitability of the banks impaired in the short run, because of asset quality review, it is expected to support economic growth in a sustainable and profitable way.

The performance of Scheduled Commercial Banks (SCBs) during 2015-16 remained subdued due to tepid growth in

loans and advances. The decline in credit growth is due to slowdown in industrial growth, poor earnings by the corporates, rebalancing banks portfolio in the background of rising bad loans, switch over of corporate financing needs to corporate bonds and commercial paper. Enhanced spending on infrastructure, speedy implementation of projects and continuation of reforms are expected to provide further impetus to growth. All these factors suggest that India's banking sector is also poised for robust growth as the rapidly growing business would turn to banks for their credit needs.

The total deposits in the Banking system stood at Rs.93,786.5 billion as on 18th March, 2016 registering a Y-o-Y growth of 9.91%. Similarly, the system's advances stood at Rs. 75,776.5 billion as on 20th March, 2016 registering a Y-o-Y growth of 11.34%.

Bank's Operations

Domestic Deposits

The Bank's total domestic deposits stood at Rs. 2,18,556 crore as on 31st March 2016 as against Rs. 2,39,819 crore as on 31st March 2015. The reduction in deposits was on account of cautious step taken by the Bank towards reducing the bulk deposits with a view to reduce the cost. The domestic CASA has increased from Rs. 60,787 crore as on 31st March 2015 to Rs. 63,609 crore as on 31st March 2016. It is noteworthy to mention that the savings bank deposits have grown by 11.20% to end at Rs. 52,244 crore. The CASA% also improved to 29.10 % as of March 2016.

The Bank with an objective to improve the CASA level had launched a campaign in this regard from 1st December 2015 to 29th February 2016 named "IOB Phoenix". During the Campaign period 3,83,500 Savings Bank accounts, 10,600 Current accounts and a total of 3,94,100 CASA accounts were opened.

Domestic Advances

The incremental NPAs and slower credit uptake has forced the Bank to be more cautious on large scale lending. With a view to diversify the risk and to improve the margins, the Bank focused more on Retail and MSME sectors during the fiscal year. The Domestic gross Advances stood at Rs. 1,55,428 crore as on 31st March 2016 as against Rs. 1,62,837 crore as on 31st March 2015.

Overseas Operations

As at the end of March 2016, the Bank had 14 establishments abroad, including 8 overseas branches, 3 Representative offices, 2 Remittance Centres and 1 Joint Venture Subsidiary. There are two branches each at Hongkong, Sri Lanka and Bangkok and one each at Singapore and South Korea. Representative offices are



ओवरसीज़ कारोबार 31 मार्च 2015 के रु. 22,433 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2016 को रु. 23,257 करोड़ रहा।

फॉरेक्स परिचालन

पूर्व के वर्ष रु. 253.48 करोड़ के मुकाबले रु. 1.54 करोड़ के श्रेणी अंतरण घाटे को गणना में लिए जाने से पहले 2015-16 के दौरान निवेश की बिक्री पर लाभ रु. 450 करोड़ पर कम रहा (2014-15 के दौरान रु. 530 करोड़)। फॉरेक्स कारोबार से लाभ विनिमय पर पूर्व वर्ष के रु. 215 करोड़ के मुकाबले रुपए 216 करोड़ रहा।

निवेश

31 मार्च 2015 के रु. 81,310 करोड़ के मुकाबले निवल निवेश 31 मार्च 2016 को घटकर रु. 79,190 करोड़ रहा। 2014-15 के रु. 772 करोड़ के मुकाबले प्रतिभूतियों की बिक्री और विनिमय पर लाभ को मिलाकर कुल लाभ की राशि रु. 700 करोड़ रही। 10 वर्ष की बेंचमार्क प्राप्ति वर्ष के दौरान 7.81% से घटकर 7.46% पर चली गई।

एमएसएमई

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रदत्त बकाया ऋण 31 मार्च 2015 के रु. 32,251 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2016 को रु. 31,804 करोड़ रहा। यद्यपि वर्ष 2015-16 के दौरान कुल घरेलू अग्रिमों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रदत्त उधार में बैंक का हिस्सा 19.80% से बढ़कर 20.46% हो गया। 10% के अधिदेशित नियम के प्रति सूक्ष्म क्षेत्र के अंतर्गत उधार खातों की संख्या 53.11% बढ़ गई। बैंक ने सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र को रु. 3,155 करोड़ राशि के 78,685 संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किए हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंक ने मुद्रा ऋण योजना की शुरुआत की और रु. 1,101 करोड़ की राशि के 1,63,854 ऋण मंजूर किए हैं। बैंक ने 7 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों के लिए मुद्रा डेबिट कार्ड भी शुरू किया है।

उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक ने वर्तमान ऋण योजना आइओबी एसएमई इजी में संशोधन किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने तमिलनाडु लघु उद्योग विकास निगम, मेसर्स अशोक लेलैंड लिमिटेड एवं मेसर्स ऑटो प्रिंट मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमएसएमई ग्राहकों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए समझौता किया है।

वर्ष के दौरान, बैंक के एमएसएमई उत्पाद को लोकप्रिय करने के लिए बैंक ने एफएफसी के अंतर्गत सीआईआई, एसएमआईआरए और विभिन्न उद्योग संगठनों के साथ मिलकर चेन्नै में ग्लोबल इनवेस्टर्स मीट, दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएमइजीपी प्रदर्शनी और एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट द्वारा आयोजित प्रदर्शनी के दौरान रोड शो का आयोजन किया।

भारतीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) चैम्बर ने वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक को तीन पुरस्कारों से सम्मानित किया है, यथा - मध्यम वर्गीय बैंकों के प्रवर्ग में उत्तम ईको-टेक सैवी बैंक, मुद्रा योजना के तहत उत्तम बैंक तथा मध्यम वर्गीय बैंकों के लिए प्रमोशनल योजना के तहत रनर-अप बैंक।

खुदरा बैंकिंग और विपणन

31 मार्च 2016 तक खुदरा उधार योजनाओं (अन्यों को आभूषण ऋण सहित) का निष्पादन रु. 23,044 करोड़ रहा, जहाँ मार्च 2015 की तुलना में 31.44% की वृद्धि दर्ज की गई। मार्च 2015 की तुलना में आवास ऋण पोर्टफोलियो 33.39% की दर से बढ़ा, जबकि इस पोर्टफोलियो के तहत नया संवितरण रु. 2504 करोड़ रहा। इसी प्रकार रु. 904 करोड़ के नये संवितरण सहित पुष्पक ऋण 25.13% बढ़ा। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के आभूषण ऋण पोर्टफोलियो ने 48.94% की वृद्धि दर्ज की।

नयी उड़ान अभियान

खुदरा ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए बैंक ने अपने सभी स्टाफ सदस्यों के बीच नयी उड़ान प्रतियोगिता शुरू की। 5 अक्टूबर 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक की अभियान अवधि के दौरान शाखाओं द्वारा रु. 1,285 करोड़ की कुल रकम मंजूर की गई। इस प्रतियोगिता ने हमारे स्टाफ सदस्यों, विशेषतः युवा सदस्यों के बीच, अत्यंत दिलचस्पी उत्पन्न की।

आरोग्य महिला बचत बैंक खाते

बैंक ने 2 जनवरी 2016 को आरोग्य महिला योजना का शुभारंभ किया। हेल्थ इन्श्योरेंस और प्रसूति लाभों सहित संवर्धित फ्रीचर्स के साथ यह योजना महिला ग्राहकों के लिए विशिष्ट एसबी उत्पाद है।

सहमति ज्ञापन

- **प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास (शहरी) :**
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अमल किया जा रहा है। उधार देने वाली संस्थाओं से कहा गया कि वे किसी एक केन्द्रीय नोडल एजेंसी के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित कर क्रेडिट लिंकड सब्सिडी के जरिए कमजोर वर्गों के लिए सुलभ आवास प्रवर्तित करने हेतु योजना में सहभागिता करें। बैंक ने योजना के कार्यान्वयन के लिए 24 अगस्त 2015 को राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), जो कि केन्द्रीय नोडल एजेंसियों में से एक है, के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- बैंक का अपोलो म्यूनिच हेल्थ इन्श्योरेंस के साथ एक मौजूदा एमओयू है, जो खुदरा प्रवर्ग के तहत नवोन्मेषी हेल्थ एवं यात्रा इन्श्योरेंस योजनाएँ प्रदान करता है। बैंक ने रु. 13.02 करोड़ के प्रीमियम सहित 23,926 पॉलिसियों की कैनवसिंग की जिसके चलते वर्ष के दौरान रु. 2.06 करोड़ का कमीशन अर्जित किया गया।
- शुल्क आधारित आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से बैंक ने पैन आवेदनों के समाहरण के लिए यूटीआईआईटीएसएल (यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलजी एण्ड सर्विस लिमिटेड) के साथ एमओयू किया है।



located at Guangzhou, China, Ho Chi Minh City, Vietnam and Al Karama, Dubai. Remittance Centres operate at Boonlay and Serangoon, Singapore. The Joint Venture subsidiary is functioning at Malaysia. The overseas business stood at Rs. 23,257 crore as of 31st March 2016 compared to Rs. 22,433 crore as of 31st March 2015.

Forex Operations

The profit on sale of investments was lower at Rs. 450 crore during 2015-16 (Rs.530 crore during 2014-15) before accounting category transfer loss at Rs. 1.54 crore as against Rs 253.48 crore in the previous year. The profit on exchange from Forex business stood at Rs. 216 crore as against Rs. 215 crore in the previous year.

Investments

Net investments of the Bank decreased to Rs. 79,190 crore as on 31st March 2016 from Rs.81,310* crore as on 31st March 2015. Total profit including sale of securities & profit on exchange, amounted to Rs. 700 crore during the year 2015-16 as against Rs.772 crore for 2014-15. 10-year benchmark yield has gone down from 7.81% to 7.46% during the year. (*Includes investment in IRDF amounting to Rs.2012.25 Cr. as on 31.03.2015)

MSME

The outstanding credit to Micro, Small and Medium Enterprises stood at Rs.31,804 crore as on 31st March 2016 as against Rs.32,251 crore as on 31st March 2015. However, the share of credit to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) in the total Domestic Credit of the Bank has increased from 19.80 % to 20.46 % during the year 2015-16. The number of borrowal accounts under Micro Sector has increased by 53.11% during the year as against the mandatory target of 10%. The Bank also extended 78,685 collateral free loans amounting to Rs. 3,155 crore to Micro and Small Sector under the CGTMSE scheme.

The Bank launched MUDRA Loan Scheme under Pradhan Mantri Mudra Yojana and has sanctioned 1,63,854 loans amounting to Rs.1,101 crore. Bank also introduced Mudra Debit Card on 7th Sept 2015 for the beneficiaries under Pradhan Mantri Mudra Yojana.

The Bank modified the existing credit scheme IOB SME Easy to suit the requirements of the industry. During the year under review, the Bank signed MoU with Tamil Nadu Small Industries Development Corporation, M/s Ashok Leyland Limited & M/s Auto Print Machinery Pvt Limited with an objective to provide more offerings to MSME customers.

During the year, the Bank conducted road shows in Global Investors Meet at Chennai, PMEGP Exhibition held at Pragati Maidan, New Delhi and Exhibition organized by MSME – Development Institute under Ministry of MSME for familiarizing Bank's MSME products, in association with CII under FFC, SMERA and various industries associations.

The Chamber of Indian Micro Small and Medium Enterprises (MSME) has honoured the Bank with three awards namely Best Eco-Tech Savvy Bank, Best Bank under Mudra Yojana in Mid sized Banks category and Runner up under Promotional scheme for Mid sized banks during 2015-16.

Retail Banking and Marketing

The performance under Retail Credit Schemes (including Jewel Loans - others) as on 31st March 2016 was Rs. 23,044 crore registering an increase of 31.44% over March 2015. Housing Loan portfolio grew at 33.39% over March 2015 position while the fresh disbursement made was Rs. 2,504 crore. Similarly the Pushpaka loans grew at 25.13% with a fresh disbursement of Rs. 904 crore. Bank's Jewel loan portfolio recorded a growth of 48.94% during the year under review.

Nayi Udaan Campaign

In order to increase the Retail Loan portfolio, Bank launched Nayi Udaan contest among all the staff. A total amount of Rs. 1,285 cores has been sanctioned by the branches during the campaign period between 5th Oct 2015 and 31st Dec 2015. The contest had generated a lot of enthusiasm among our staff members.

Arogya Mahila SB Accounts

The Bank has introduced Arogya Mahila on 2nd Jan 2016, which is a specialized SB product for women customers with improved features along with health insurance and maternity benefits.

Memorandum of Understanding

➤ **Pradhan Mantri Awas Yojana - Housing for All (Urban):** The PMAY scheme is being implemented by Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, Government of India. Lending Institutions were asked to participate in the scheme for promoting affordable housing for weaker section through Credit Linked Subsidy by signing MOU with any one Central Nodal Agency. The Bank signed an MOU with National Housing Bank (NHB) which is one of the Central Nodal Agencies on 24th Aug 2015 towards implementation of the scheme.

➤ The Bank has an existing MoU with Apollo Munich Health Insurance which offers innovative health and travel insurance plans under retail segment. The Bank canvassed 23,926 policies with a premium of Rs. 13.02 crore earning a commission of Rs. 2.06 crore for the year.

➤ The Bank with an objective to shore up its fee based income has entered into a MoU with UTIITSL (UTI Infrastructure Technology and Service Limited) for collection of PAN applications.



विद्या लक्ष्मी पोर्टल

विभिन्न बैंकों में स्कॉलरशिप एवं शिक्षा ऋण योजनाओं का प्रबंधन एवं प्रबोधन करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के तहत विद्या लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया गया। बैंक इस कार्यक्रम का सदस्य है और बैंक के लिए पोर्टल का अभिगम उपलब्ध है, जो एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा सृजित एवं संग्रहित है।

स्किप ट्रेस गतिविधि

स्किप ट्रेस गतिविधि के तहत एक विशिष्ट अभियान चलाया गया ताकि उन उधारकर्ताओं से खुदरा ऋण के बकाये वसूल किये जा सकें, जिनका पता नहीं था। इसके द्वारा 12,970 खातों से रु.33.57 करोड़ की वसूली की गई।

मिड कॉर्पोरेट

मिड कॉर्पोरेट विभाग रु.40 करोड़ और रु.100 करोड़ तक की रेंज वाले उधारकर्ताओं की ऋण जरूरतों को पूरा करता है। बाजार के वर्तमान परिदृश्य के चलते बैंक नये ऋण देने/विद्यमान उधार सीमाओं में वृद्धि करने में सावधानी बरत रहा है। वर्ष 2015-16 के दौरान मिड कॉर्पोरेट समूह ने रु.8,669 करोड़ की कुल उधार सीमाएँ मंजूर की है। मिड कॉर्पोरेट प्रवर्ग के तहत 31 मार्च 2016 तक शुल्क आधारित एवं गैर-शुल्क आधारित ऋण जोखिमों सहित सकल ऋण जोखिम रु.15,768 करोड़ रहा।

बृहत कॉर्पोरेट

बृहत कॉर्पोरेट वह क्रेडिट पोर्टफोलियो है, जो कृषीतर उधारकर्ताओं की ऋण जरूरतों को पूरा करता है और जहाँ ऋण की आवश्यकता रु.100 करोड़ से अधिक होती है। इस पोर्टफोलियो के तहत 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का शुल्क आधारित ऋण जोखिम रु.74,830 करोड़ है और गैर-शुल्क आधारित ऋण जोखिम रु.25,376 करोड़ है। वर्ष के दौरान बैंक ने बढ़ोत्तरी सहित रु.5,514 करोड़ के लिए 42 प्रस्तावों तथा देश भर से कॉर्पोरेट ग्राहकों से प्राप्त रु.2,533 करोड़ के 8 नये प्रस्तावों को मंजूरी दी, इस प्रकार कुल 8,047 करोड़ की रकम मंजूरी की गई।

बृहत कॉर्पोरेट खातों पर अधिक ध्यान केन्द्रीकृत करने के लिए बैंक भारत भर में 7 जगहों पर विशिष्ट बृहत कॉर्पोरेट शाखाएँ परिचालित करता है (अहदाबाद, बेंगलूर, कोयम्बतूर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई)। इन विशिष्ट बृहत कॉर्पोरेट शाखाओं का कुल ऋण जोखिम 31 मार्च 2016 तक के लिए रु.15,862 करोड़ है। उक्त के अलावा महानगरीय केन्द्रों में 15 मौजूदा शाखाओं की बृहत कॉर्पोरेट शाखाओं के रूप में पहचान की गई है।

ये विशिष्ट शाखाएँ बृहत कॉर्पोरेट प्रवर्ग के तहत आने वाले उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने पर फोकस कर रही हैं और साथ ही क्रेडिट मूल्यांकन में आवश्यक विशेषज्ञता को उपलब्ध कराने तथा ऋण की त्वरित मंजूरी करने में अपनी भूमिका निभा रही हैं।

प्राथमिकता क्षेत्र उधार

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत 31 मार्च 2016 तक बैंक का सकल उधार रु.67,615 करोड़ तक बढ़ गया जो कि मार्च 2015 के समायोजित निवल

बैंक उधार (एएनबीसी) का 40.29% है। बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन 40% के निर्धारित मानदंड का अधिगमन किया है।

कृषि

वर्ष के दौरान बैंक ने कृषि क्रेडिट पोर्टफोलियो के तहत 31 मार्च 2015 के रु.29,236 करोड़ की तुलना में रु.1,001 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2016 तक रु.30,237 करोड़ की रकम मंजूर की। समायोजित निवल बैंक उधार की तुलना में कृषि अग्रिमों के संबंध में बैंक का अनुपात 18.02% रहा जबकि वांछित मानदंड 18% है। वर्ष के दौरान बैंक ने विशेष कृषि उधार योजना के तहत रु.30,300 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में रु.38,867 करोड़ संवितरित किये।

लघु एवं सीमांत कृषकों को ऋण

बैंक ने लघु/सीमांत कृषकों को ऋण मंजूर किये और 31 मार्च 2016 तक कुल बकाया रु.11,783 करोड़ रहा। जो कि निर्धारित 7% के लक्ष्य की तुलना में एएनबीसी का 7.02% है।

गैर-कॉर्पोरेट कृषकों को ऋण

31 मार्च 2016 तक गैर-कॉर्पोरेट कृषकों को प्रदत्त ऋण के तहत बैंक का कुल बकाया रु.20,710 करोड़ रहा। एएनबीसी के 11.57% के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में बैंक की उपलब्धि एएनबीसी का 12.34% रही।

कमजोर वर्ग

बैंक ने समाज के कमजोर वर्ग को ऋण प्रदान किये और 31 मार्च 2016 तक इसके अंतर्गत बकाया है रु.21,824 करोड़ जो कि एएनबीसी का 13.01% है जब कि लक्ष्य 10% है। 31 मार्च 2016 तक प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को प्रदत्त ऋणों का बकाया रु.8,424 रहा करोड़ जो प्राथमिकता क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 12.46% है।

सूक्ष्म वित्त

वर्ष के दौरान बैंक ने रु.719 करोड़ के क्रेडिट आउटले के साथ 45,388 स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज प्रदान किया। मार्च 2016 तक रु.7,511 करोड़ के कुल संवितरण सहित क्रेडिट लिंकेज प्रदान किये गये स्वयं सहायता समूहों की संचयी संख्या 6,21,439 है।

महिलाओं को उधार

31 मार्च 2016 तक बैंक द्वारा महिलाओं को दिये गये उधार की कुल राशि रही रु.15,201 करोड़, जो कि बैंक के समायोजित निवल बैंक उधार का 9.06% है।

विशिष्ट कृषि उधार शाखाएँ

कृषक समाज को ऋण प्रवाह में वृद्धि लाने के उद्देश्य से बैंक ने देश के विभिन्न प्रांतों में 34 विशिष्ट कृषि उधार शाखाएँ खोली हैं जो विशेष रूप से कृषि ऋण प्रदान करने के लिए हैं। 31 मार्च 2016 तक इन शाखाओं में संबंधित ऋणों का बकाया रु.269 करोड़ है जो कि वर्ष के दौरान रु.48 करोड़ की वृद्धि है।



Vidya Lakshmi Portal

In order to administer and monitor scholarship as well as Educational loan Schemes in various Banks, Vidya Lakshmi portal was launched under Pradhan Mantri Vidya Lakshmi Karyakram. The Bank is a member in the programme and the portal accessibility is available for the bank, which is developed and maintained by NSDL e- Governance infrastructure Limited.

Skip Trace Activity

An exclusive exercise has been undertaken to recover dues from the retail loan untraced borrowers under Skip Trace Activity whereby a recovery of Rs. 33.57 crore has been recovered from 12,970 accounts.

Mid Corporate

Mid Corporate department caters to the lending requirements of borrowers in the range of Rs. 40 crore and upto Rs.100 crore. In the prevailing market conditions, the Bank has been selective in extending new/ enhancing existing credit limits. During the year 2015-16, Mid Corporate Group have sanctioned total credit limits of Rs.8,669 crore. Aggregate exposure under Mid Corporate segment as on 31st March 2016 stood at Rs.15,768 crore including Fund Based and Non fund based exposure.

Large Corporate

Large Corporate is a major vertical under credit portfolio taking care of credit requirement of borrowers other than Agriculture where credit requirement is above Rs.100 crore. Under this vertical, Bank has a fund based exposure of Rs.74,830 crore and Non Fund based exposure of Rs.25,376 crore for the year ended 31st March 2016. During the year, the Bank sanctioned 42 proposals for Rs.5,514 crore with enhancement and 8 fresh proposals for Rs.2,533 crore totaling to Rs.8,047 crore from Corporate Clients all over India.

To promote focused attention on Large Corporate accounts, the Bank operates Specialized Large Corporate branches at 7 places all over India (Ahmedabad, Bangalore, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Kolkata and Mumbai). These Specialized Large Corporate Branches have exposure of around Rs.15,862 crore as on 31st March 2016. Apart from the above, 15 existing branches in Metropolitan Centres are identified as Large Corporate Branches.

These Specialized branches are focusing in lending to borrowers coming under Large Corporate segment, making available necessary expertise in Credit Appraisal and quick delivery of credit.

Priority Sector Credit

The Bank's Gross Credit under Priority Sector has increased to Rs.67,615 crore as on 31st March 2016 which is

40.29 % of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as of March 2015. The Bank has surpassed the stipulated norm of 40% under priority sector credit during the year under review.

Agriculture

During the year, the agricultural credit portfolio of the Bank registered an incremental growth of Rs. 1,001 crore from Rs.29,236 crore as on 31st March 2015 to Rs. 30,237 crore as on 31st March 2016. The Bank's ratio of agricultural advances to Adjusted Net Bank Credit was at 18.02 % against the required norm of 18%. The Bank disbursed Rs.38,867 crore under Special Agricultural Credit Plan (SACP) as against the target of Rs.30,300 crore during the year.

Loans to Small and Marginal farmers

The Bank granted loans to Small/Marginal farmers and the outstanding as on 31st March 2016 was Rs.11,783 crore forming 7.02% of ANBC against the target of 7%.

Loans to Non-Corporate farmers

The Bank's outstanding under loans to non corporate farmers stood at Rs.20,710 crore as on 31st March 2016. The Bank achievement under this segment stood at 12.34% of ANBC as against a target of 11.57% of ANBC.

Weaker Section

The Bank granted loans to weaker section of the society and the outstanding as on 31st March 2016 is Rs.21,824 crore forming 13.01% of ANBC as against the target of 10%. Outstanding under loans to SC/ST under Priority Sector as on 31st March 2016 stood at Rs.8,424 crore, 12.46% of total priority sector advances.

Microfinance

During the year, the Bank credit-linked 45,388 Self Help Groups (SHGs) with a credit outlay of Rs. 719 crore. The cumulative number of SHGs credit linked by the Bank is 6,21,439 with a total disbursement of Rs. 7,511 crore as of March 2016.

Credit flow to Women

Bank's credit flow to women stood at Rs.15,201 crore as of 31st March 2016 constitutes 9.06% of the Bank's Adjusted Net Bank Credit.

Specialized Agriculture Credit Branches

In order to increase the flow of credit to the farming community, Bank has opened 34 Specialised Agriculture Credit Branches in various parts of the country exclusively for Agricultural lending. These branches have loans outstanding of Rs. 269 crore as on 31st March 2016 with an incremental growth of Rs. 48 crore during the year.



अग्रणी बैंक योजना

बैंक को तमिलनाडु के 13 जिलों में तथा केरल के 1 जिले में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। बैंक तमिलनाडु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजक भी है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने एसएलबीसी की 4 बैठकें आयोजित की। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान बैंक ने 22 विशेष/कोर समिति/उप समिति की बैठकें आयोजित की।

प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

- 31.03.2016 तक पीएमजेडीवाई के तहत तमिलनाडु में बैंकों ने 79.87 लाख खाते खोले।
- एसएलबीसी, तमिलनाडु ने पीएमजेडीवाई के संबंध में शिकायत निवारण के लिए एक विशेष टॉल फ्री नंबर स्थापित किया है। कॉल सेन्टर के ज़रिए प्राप्त होने वाली शिकायतों को तत्काल समाधान हेतु संबंधित बैंकों को भेजा जाता है।
- एसएलबीसी ने 9 मई 2015 को पीएमजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई योजनाओं के राज्य स्तरीय लांच कार्यक्रम का आयोजन किया।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

- एसएलबीसी ने 26 सितंबर 2015, 2 अक्टूबर 2015 और 19 दिसंबर 2015 को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना ऋणों (मुद्रा) के लिए विशेष ऋण संवितरण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें माननीय केन्द्रीय मंत्रियों ने प्रतिभागिता की और लाभभोगियों को ऋण संवितरित किये।
- बैंकों ने 31 मार्च 2016 को मुद्रा योजना के तहत रु.15,846 करोड़ की राशि वाले 47.81 लाख ऋण मंजूर किये जिसमें से रु.15,497 करोड़ की राशि वाले ऋण पहले ही संवितरित किये जा चुके हैं, जब कि वार्षिक लक्ष्य रु.10,545 करोड़ है।
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार मुद्रा ऋण से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एसएलबीसी ने एक समर्पित टॉल फ्री नंबर स्थापित किया है। कॉल सेन्टर के ज़रिए प्राप्त शिकायतें तत्काल समाधान हेतु संबंधित बैंकों को भेज दी जाती हैं।

वित्तीय समावेशन के लिए एसएलबीसी की पहलें

- एसएलबीसी तमिलनाडु ने राज्य भर में स्थापित 31 आरएसईटीआईआइयों के ज़रिए विभिन्न बैंकों के कारोबार संवादियों हेतु आइबीए के दक्षता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया।
- वित्त मंत्रालय के अनुदेश अनुसार एसएलबीसी ने पीएमजेडीवाई कॉल सेन्टर के ज़रिए राज्य में स्थित बैंकों द्वारा नियुक्त कारोबार संवादियों के कामकाज के जाँच की व्यवस्था की।
- तमिलनाडु सरकार की ओल्ड एज पेंशन योजना के तहत राज्य में कारोबार संवादियों द्वारा परिचालित स्मार्ट कार्डों के ज़रिए ग्रामीण क्षेत्रों में 19 लाख से अधिक लाभभोगियों को पेंशन प्रदान की जा रही है।
- एसएलबीसी ने शहरी क्षेत्र में 11 लाख लाभभोगियों को स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए बैंक खातों के ज़रिए पेंशन का भुगतान करने के लिए भी कदम उठाये हैं।

- 1.91 लाख मछुआरों को राय में इलेक्ट्रॉनिक बैंक क्रेडिट के ज़रिए साल में दो बार रु.4000 की मंद कामकाज की अवधि वाली सहायता प्रदान की जाती है।
- राज्य में इलेक्ट्रॉनिक बैंक क्रेडिट के ज़रिए डॉ.मुत्तुलक्ष्मी प्रसूति लाभ योजना के तहत हर साल लगभग 8 लाख गर्भवती महिलाओं को रु.12000 का अनुदान प्रदान किया जाता है।
- राज्य में 65 लाख से अधिक एमजीएनआरईजीएस कर्मचारियों के वेतन बैंक खातों के ज़रिए दिये जाते हैं।

वित्तीय साक्षरता के लिए एसएलबीसी की पहलें

- एसएलबीसी ने राज्य के 59 वित्तीय साक्षरता केन्द्रों को 62 सरकारी आइटीआइज़, 569 प्राइवेट आइटीआइज़, 165 कौशल केन्द्रों तथा 35 वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान करने वाली संस्थाओं को मैप कर रखा है ताकि छात्रों को वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम प्रदान किया जा सके।
- वित्तीय साक्षरता केन्द्रों ने सभी सरकारी आइटीआइज़ में वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम पूरे कर लिये हैं तथा प्राइवेट आइटीआइयों एवं कौशल केन्द्रों में पाठ्यक्रम चला रहे हैं।

उधार प्रवाह पर एसएलबीसी की पहलें

तमिलनाडु में बैंकों ने दिसंबर 2015 तक निम्नलिखित हासिल कर लिया है।

- 113.56% के उच्चतर सीडी अनुपात की प्राप्ति
- वार्षिक क्रेडिट प्लान 2015-16 के तहत 102% की प्राप्ति
- प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 40% के राष्ट्रीय मानदंड के प्रति 44.81% की प्राप्ति
- कृषि अग्रिमों में 18% के राष्ट्रीय मानदंड के प्रति 18.38% की प्राप्ति
- कमज़ोर वर्गों को अग्रिम के तहत 10% के राष्ट्रीय मानदंड के प्रति 12.79% की प्राप्ति

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक पीएमजेडीवाई का कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कर रहा है। यह योजना भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को लाँच की गई थी। बैंक ने 31 मार्च 2016 तक योजना के तहत 38,62,633 बीएसबीडी खाते खोले और 37,30,544 रुपये डेबिट कार्ड जारी किये।

वित्तीय समावेशन

बैंक रहित गाँवों में बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने 2767 कारोबार संवादियों के ज़रिए स्मार्ट कार्ड बैंकिंग का प्रवेश किया है। बैंक ने 20,13,212 स्मार्ट कार्ड जारी किये हैं और स्मार्ट कार्ड टर्मिनल में लेनदेनों की संख्या 4,06,53,115 है। यह ध्यान देने योग्य है कि तमिलनाडु सरकार के साथ समन्वयन करते हुए 2.99 लाख बुजुर्ग पेंशनकर्ताओं को बैंक आइओबी स्मार्ट कार्ड के ज़रिए जोड़ा रहा है ताकि वे अपनी मासिक पेंशन पा सकें। इसी प्रकार 61 कैंपों में 0.25 लाख श्रीलंकन तमिल शरणार्थियों को स्मार्ट कार्ड बैंकिंग से जोड़ा जा रहा है ताकि वे अपनी मासिक पेंशन ग्रहण कर सकें।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने



Lead Bank Scheme

The Bank has been assigned Lead Bank responsibility in 13 districts in Tamil Nadu and one district in Kerala. The Bank is also the Convenor of State Level Bankers' Committee of Tamil Nadu (SLBC). During the year under review the Bank has conducted four meetings of the SLBC. In addition, the Bank convened 22 special / core committee / sub-committee meetings during the year.

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY)

- Banks have opened 79.87 lacs accounts in Tamil Nadu under PMJDY till 31.03.2016.
- SLBC, Tamil Nadu has established an exclusive Toll Free number for grievance redressal pertaining to PMJDY. The complaints received through the call centre are sent to the respective Banks for immediate resolution.
- SLBC organised the State Level Launch function of PMJJBY, PMSBY and APY schemes on 9th May 2015.

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)

- SLBC has conducted special Loan Distribution functions for Pradhan Mantri Mudra Yojana Loans (MUDRA) on 26th Sep 2015, 2nd Oct 2015 and 19th Dec 2015 in which Hon'ble Union Ministers have participated and distributed loans to the beneficiaries.
- Banks in the State have sanctioned 47.81 lac loans under MUDRA scheme to the tune of Rs.15,846 crore as on 31st March 2016 out of which loans to the tune of Rs.15,497 crore have already been distributed against the annual target of Rs. 10,545 crore.
- SLBC has established a dedicated Toll Free number for MUDRA loans as per the instructions of Ministry of Finance, Government of India for grievance redressal. The complaints received through the call centre are sent to the respective Banks for immediate resolution.

SLBC Initiatives for Financial Inclusion

- SLBC, Tamil Nadu has conducted IBA's Capacity Building for Business Correspondents of various Banks through 31 RSETIs established in the State.
- As instructed by Ministry of Finance, SLBC arranged to verify the functioning of the Business Correspondents engaged by the Banks in the State through PMJDY Call Centre.
- More than 19 lac beneficiaries in the rural area are being paid pension through Smart Cards operated by Business Correspondents in the State under Tamil Nadu Government's Old Age Pension Scheme.
- SLBC has initiated steps to cover 11 lac beneficiaries in the urban area also for payment of pension through bank accounts using smart cards.
- 1.91 lac fishermen are paid lean period assistance of

Rs.4000/- twice a year through electronic bank credit in the State.

- Around 8 lac pregnant women are being paid grant of Rs.12,000/- every year under Dr.Muthulakshmi maternity benefit scheme through electronic bank credit in the State.
- The wages of more than 65 lac MGNREGS workers in the state are being routed through bank accounts.

SLBC Initiatives for Financial Literacy

- SLBC has mapped 62 Government ITIs, 559 Private ITIs, 165 Skill Centres and 35 Vocational Training providing Institutions to the 59 Financial Literacy Centres in the State for providing Financial Literacy courses to the students.
- The FLCs have completed Financial Literacy courses in all the Government ITIs and are conducting the courses in the Private ITIs and skill centres.

SLBC Initiatives on Credit Flow

Banks in Tamil Nadu have achieved the following as of December 2015

- Achieved higher CD ratio of 113.56%.
- 102% under Annual Credit Plan 2015-16.
- 44.81% under Priority Sector against the national norm of 40%.
- 18.38% of Agricultural Advances against the national norm of 18%.
- 12.79% of advances to weaker sections against the national norm of 10%.

Regional Rural Banks

Bank has sponsored two Regional Rural Banks viz., Pandyan Grama Bank in Tamil Nadu and Odisha Gramya Bank in Odisha. Pandyan Grama Bank operates in 16 districts of Tamil Nadu with a branch network of 297 and staff strength of 1,263. As on 31st March 2016 the RRB had a business mix of Rs. 8,599 crore with a CD ratio of 92.04%. Odisha Gramya Bank has presence in 13 districts of Odisha with a network of 549 branches and staff strength of 2,431 members. As on March 31, 2016 the RRB had a business mix of Rs.12,992 crore with a CD ratio of 51.55%.

Financial Inclusion

Bank has introduced Smart Card Banking through 2,767 Business Correspondent as per the guidelines of Reserve Bank of India for providing Banking facilities in un-banked villages. The Bank has issued 20,13,212 smart cards and the number of transactions undertaken in the smart card terminal is 4,06,53,115. It is noteworthy to state that in co ordination with Government of Tamil Nadu, IOB Smart Card Banking has been enabling about 2.99 lac old age pensioners to get their monthly pension and about 0.25 lac Sri Lankan Tamil Refugees in 61 camps to obtain their monthly dole.

As per the guidelines from MoF, GOI, the Bank enabled Aadhar Enabled Payment System (AEPS) ON-US and



कारोबार संवादी द्वारा प्रचालित हस्तचालित उपकरणों में ऑन-अज़ और ऑफ़-अज़ लेनदेनों को आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (ईपीएस) से जोड़ दिया है। 31 मार्च 2016 तक कारोबार संवादियों द्वारा 9,96,379 ईपीएस ऑन-अज़ लेनदेनों और 1,774 ऑफ़-अज़ लेनदेनों को अंजाम दिया है।

प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

बैंक पीएमजेडीवाई का कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कर रहा है। यह योजना भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। बैंक ने 31 मार्च 2016 तक योजना के तहत 38,62,633 बीएसबीडी खाते खोले और 37,30,544 रुपये डेबिट कार्ड जारी किये।

जन सुरक्षा योजनाएँ

जन सुरक्षा योजनाएँ भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 1 जून 2015 को लॉन्च की गई। बैंक पीएमजेबीवाई, पीएमएसपीवाई जैसी सुरक्षा योजनाओं तथा अटल पेंशन योजना जैसी पेंशन योजनाओं के तहत ग्राहकों को शामिल कर रहा है। इन तीन योजनाओं के तहत शामिल किये गये ग्राहकों की संख्या निम्नवत है:

जन सुरक्षा योजनाएँ	ग्राहकों की संख्या
पी.एम.जे.जे.बी.वाई	8,19,780
पी.एम.एस.पी.वाई	26,45,081
ए.पी.वाई	18,450

ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने 12 आरएसईटीआई स्थापित किये हैं ताकि कृषकों, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों, एसजीएसवाई के तहत लाभभोगियों, शिक्षित बेरोज़गार युवकों, कारीगरों और कमज़ोर तबकों से जुड़े लाभभोगियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। उक्त के अतिरिक्त, बैंक ने जनजातियों के लाभ के लिए नीलगिरि ज़िले में भी एक आरएसईटीआई की स्थापना की है। आरएसईटीआईयों का प्रबंधन "स्नेहा" न्यास करता है, जिसकी स्थापना बैंक द्वारा की गई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने 366 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये हैं जिससे 9,270 बेरोज़गार युवकों को लाभ हुआ है।

कॉर्पोरेट सामाजिक बाध्यता

➤ शक्ति - इण्डियन ओवरसीज़ बैंक चिदंबरम चेट्टियार स्मारक न्यास

बैंक के प्रबंधन, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी संघ और अखिल भारतीय इण्डियन ओवरसीज़ बैंक कर्मचारी संघ द्वारा बैंक के संस्थापक श्री एम सीटी एम चिदंबरम चेट्टियार की स्मृति को शाश्वत बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया यह न्यास महिलाओं को उद्यमी विकास प्रशिक्षण निरंतर रूप से प्रदान कर रहा है ताकि चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें सामाजिक वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जा सके। न्यास ने विभिन्न केन्द्रों पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए कई उद्यमी विकास कार्यक्रम (ईडीपी) एवं कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये। वर्ष के दौरान बैंक ने 147 लाभभोगियों को कवर करते हुए 7 कार्यक्रम आयोजित किये हैं। बैंक ने अभी तक 3,951 लाभभोगियों को कवर करते हुए 86 कार्यक्रम आयोजित किये हैं। इन

लाभभोगियों में से 1,217 सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से हैं और 112 अल्प संख्यक हैं।

➤ जम्मू व कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल के तहत प्रतिभागिता

जम्मू व कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल योजना "उड़ान" प्लेसमेंट से जुड़ी एक ऐसी योजना है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के संगठनों को प्रतिभागिता करने के लिए आमंत्रित किया गया ताकि वे जम्मू व कश्मीर राज्यों से छात्रों का चयन कर, उन्हें प्रशिक्षित कर या तो उन्हें अपने संगठन में प्लेसमेंट प्रदान करें या बाहरी संगठन में या फिर उन्हें रोज़गार योग्य बनायें। कॉर्पोरेट सामाजिक बाध्यता के रूप में बैंक ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ समन्वय में इस योजना की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का आयोजन शामिल है। इसके परिणामस्वरूप, चेन्नै स्थित बैंक के स्टाफ़ कॉलेज में मार्च 2016 से 2 महीने के प्रशिक्षण के लिए 47 उम्मीदवारों का चयन किया गया, जिनमें से 28 शामिल हुए हैं।

➤ वित्तीय साक्षरता

वर्ष के दौरान बैंक ने 23 केन्द्रों में स्थित वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (स्नेहा) के ज़रिए वित्तीय साक्षरता प्रदान करते हुए कॉर्पोरेट सामाजिक बाध्यता के प्रति लगभग रु.0.28 करोड़ खर्च किये हैं। इन केन्द्रों के परामर्शदाता औपचारिक वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध होने वाले विभिन्न वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित कर रहे हैं और साथ ही वित्तीय परामर्शी सेवाएँ तथा कर्जदार व्यक्तियों को कर्ज परामर्शी सेवाएँ प्रत्यक्ष रूप से प्रदान कर रहे हैं। वे विभिन्न जगहों पर आवधिक कैंप भी आयोजित कर रहे हैं। चालू वर्ष के दौरान उन्होंने 8,687 छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता पर सत्र संचालित किये हैं। ये छात्र तमिलनाडु और केरल राज्य के विभिन्न स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, कौशल केन्द्रों से हैं।

➤ चेन्नै की बाढ़

दिसंबर 2015 में चेन्नै में आई बाढ़ के दौरान बाढ़ राहत कैंप के लिए बैंक ने रु.1,50,000 का प्रायोजन और अंशदान किया।

मर्चेन्ट बैंकिंग गतिविधियाँ

भारत में सभी सामान्य बैंकिंग शाखाओं को असबा समर्थित शाखाएँ बना दिया गया ताकि वे आइपीओ, एफ़पीओ और राइट्स निर्गमों के लिए असबा आवेदन स्वीकार कर सकें। ई-असबा का ग्राहकों द्वारा प्रभावी रूप से लगातार प्रयोग किया जा रहा है। ब्रोकरों से आइपीओ/एफ़पीओ/राइट्स आवेदनों को स्वीकार करने के लिए बैंक एक सिंडिकेट असबा बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। निर्गमों, डिबेंचर ट्रस्टी, लाभांश/ब्याज वारंटों आदि के लिए मर्चेन्ट बैंकर के रूप में बैंक अपनी भूमिका निभाता आ रहा है।

बैंक एनएसडीएल का डिपॉज़िटरी प्रतिभागी (डीपी) है और 56 सेवा केन्द्र शाखाओं से वह अपनी डिपॉज़िटरी संबंधी सेवाएँ प्रदान कर रहा है। डीमैट खातों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक 13 सेवा केन्द्रों के ज़रिए सेवा प्रदान करते हुए सीडीएसएल का डिपॉज़िटरी प्रतिभागी बन गया। वर्ष 2015-16 के दौरान डीमैट खातों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से एनएसडीएल के अनुमोदन सहित डीमैट खाते खोलने के लिए विद्यमान सेवा केन्द्रों के अतिरिक्त 250 शाखाओं को प्राधिकृत किया गया।

बैंक ने शुल्क आधारित आय को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2015-16 के दौरान 3-इन-1 ई-ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एमके ग्लोबल फाइनान्शियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। स्टॉक ब्रोकरों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैंक के यहाँ मुंबई में एक पूँजी



OFF-US Transactions in Business Correspondent Hand Held Devices. As on 31st March 2016, 9,96,379 AEPS ON-US transactions and 1,774 AEPS OFF-US transactions were carried out by Business Correspondents.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

The Bank is implementing PMJDY as per the directives of Ministry of Finance, Govt. of India. The Scheme was launched by the Prime Minister of India on 15th August 2014. The Bank has opened 38,62,633 BSBD Accounts and issued 37,30,544 RuPay Debit Cards till 31st March 2016 under this scheme.

Jansuraksha Schemes

The Jansuraksha Schemes were launched by the Prime Minister of India on 1st June 2015. The Bank is enrolling customers under Jansuraksha schemes like PMJJBY, PMSBY and Pension schemes like Atal Pension Yojana.

The enrollment under these three schemes is detailed below.

Jansuraksha schemes	No. of Enrollments
PMJJBY	8,19,780
PMSBY	26,45,081
APY	18,450

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

In line with the guidelines issued by Ministry of Rural development, Govt of India, the Bank had set up 12 RSETIs to provide training to farmers, members of SHGs, beneficiaries under SGSY, Educated unemployed youths, artisans and beneficiaries belonging to weaker sections. In addition to the above, the Bank has set up one RSETI in the Nilgiris District for the benefit of the tribals. The RSETIs are managed by SNEHA trust established by the Bank. During the year under review, the Bank has conducted 366 training programmes benefiting 9,270 unemployed youths.

Corporate Social Responsibility

➤ Sakthi - Indian Overseas Bank Chidambaram Chettyar Memorial Trust

The Trust set up jointly by the Management of the Bank, Indian Overseas Bank Officers Association and All India Overseas Bank Employees Union to perpetuate the memory of Bank's Founder Shri M. Ct. M. Chidambaram Chettyar, continued to provide Entrepreneurial Development Training to women to empower them socially and financially to meet the challenges. The Trust has conducted several Entrepreneurship Development Programmes (EDP) and skill based training programmes exclusively for women at various centers. During the year, the Bank conducted 7 programmes covering 147 beneficiaries. The Bank has so far conducted 86 programmes covering 3,951 beneficiaries of which 1,217 belong to SC/ST and 112 belong to minority.

➤ Participation under Special Industry Initiative for

Jammu & Kashmir

The Special Industry Initiative for Jammu & Kashmir scheme "UDAAN" is a placement linked scheme in which Public & Private Sector Organizations were called to participate by selecting students from the Jammu & Kashmir state, providing them training and placing them either within their organization or outside or enabling them to become employable. The scheme was initiated by the Bank as part of Corporate Social Responsibility in coordination with National Skill Development Corporation (NSDC). The process included conduct of written examination and interview process. In response to the same, 47 candidates were selected for 2 months training programme at Bank's Staff College at Chennai from March, 2016, wherein 28 candidates have joined.

➤ Financial Literacy

During the year, the Bank has spent about Rs.0.28 crore towards Corporate Social Responsibility by imparting Financial Literacy through Financial Literacy Centers (SNEHA) established at 23 centres. The counselors of these centres are educating the people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from formal financial institutions, provide face-to-face financial counselling services and offer debt counseling to indebted individuals. They are also conducting periodical camps at various places. During the current year, they have handled sessions on Financial Literacy to 8,687 students of Industrial Training Institute, Skilling centres and various schools in the state of Tamil Nadu and Kerala.

➤ Chennai Floods

The Bank had sponsored and contributed Rs. 1,50,000 for the flood relief camp during the floods in Chennai during December 2015.

Merchant Banking Activities

All general banking branches in India were made ASBA enabled branches to accept ASBA applications for IPO, FPO and Rights Issues. E-ASBA has continued to be in usage effectively by the customers. The Bank is also acting as a Syndicate ASBA bank to accept IPO/FPO/Rights applications from Brokers. The Bank continues to act as Merchant Banker for issues, Debenture Trustee, Dividend/Interest Warrants etc.

The Bank is a Depository Participant (DP) of NSDL and is extending depository related services through 56 service centre branches. In order to improve the number of demat accounts, the Bank became a Depository Participant of CDSL by offering the service through 13 service centres. During 2015-16, with approval of NSDL, 250 branches were authorized to open Demat Accounts in addition to the existing service centres with a view to increase the number of Demat Accounts.

The Bank has tied up with Emkay Global Financial Services Limited to provide 3 in 1 E-trading facility during the year 2015-16 to improve the fee based income. In order to cater to the financial requirements of Stock Brokers, Bank has a Capital Market Services Branch at Mumbai which takes necessary steps to improve its services.



मार्केट सेवा शाखा भी है जो इन सेवाओं में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाती है।

ग्राहक सेवा

बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानकता बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है। बीसीएसबीआई ने विभिन्न उचित व्यवहार संहिताओं को संशोधित किया है जो व्यापक रूप से बैंकिंग के सभी क्षेत्रों को कवर करती हैं। संशोधित संहिताओं के अनुसार "उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता" को शामिल किया गया है।

एसपीजीआरएस (मानकीकृत जन शिकायत निवारण प्रणाली) नामक वेब आधारित ऑनलाइन प्रणाली पहले से ही प्रयोग में है जो स्टेटस को ट्रैक करने की सुविधा सहित ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में ग्राहकों की सहायता करती है। क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाएँ सिस्टम में इन शिकायतों को देख सकती हैं और इनका तत्काल समाधान कर सकती हैं। ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त करने के उद्देश्य से 24x7 आधार पर ग्राहक-शिकायतों के निवारण के लिए एक टोल फ्री टेलिसर्विसेज नंबर (नं.1800-425-4445) प्रदान किया गया है ताकि 48 घंटों के भीतर ग्राहकों को समाधान दिया जा सके।

बैंक ने शाखाओं द्वारा प्रदत्त ग्राहक सेवा के स्तर का आकलन करने के लिए वर्ष 2015-16 हेतु ग्राहक सेवा सर्वेक्षण किया।

वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त और निपटाई गई ग्राहक शिकायतों का विवरण नीचे प्रदान किया गया है :

क्र. सं.	विवरण	केंद्रीय कार्यालय में	क्षेत्रीय कार्यालयों में	कुल शिकायतें
1.	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	532	94	626
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	11240	3996	15236
3.	वर्ष के दौरान समाधान की गई शिकायतों की संख्या	9400	3896	13296
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	2372	194	2566
	निपटान दर	79.85%	95.26%	83.82%

शिकायतों के विवरण नीचे हैं:

शिकायतों की प्रकृति	संख्या	कुल शिकायतों की तुलना में प्रतिशतता
अग्रिम सम्बन्धी शिकायतें	2,368	15.54
एटीएम सम्बन्धी शिकायतें	3,488	22.89

ग्राहक सेवा सम्बन्धी शिकायतें	2,431	15.96
डीमैट सेवा सम्बन्धी शिकायतें	13	0.09
जमा सम्बन्धी शिकायतें	925	6.07
सामान्य बैंकिंग सम्बन्धी शिकायतें	2,115	13.88
सरकारी कारोबार सम्बन्धी शिकायतें	57	0.37
एनआरआई सेवा सम्बन्धी शिकायतें	78	0.51
विप्रेषणों से सम्बन्धित शिकायतें	525	3.45
इंटरनेट बैंकिंग से सम्बन्धित शिकायतें	2364	15.52
क्रेडिट कार्ड सम्बन्धी शिकायतें	278	1.82
पेंशन सम्बन्धी शिकायतें	594	3.90
कुल	15,236	100.00

बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित और बैंक द्वारा लागू किए गए फैसलों की संख्या नीचे दी गई है:

1. वर्ष की शुरुआत में लागू नहीं किए गए फैसलों की संख्या 0
 2. वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए आदेश 0
 3. वर्ष के दौरान लागू किए गए फैसलों की संख्या 0
 4. ग्राहक की अस्वीकृति की वजह से समाप्त होने वाले फैसलों की संख्या 0
 5. वर्ष की समाप्ति पर लागू नहीं किए गए फैसलों की संख्या 0
- चेन्नै शहर में ग्राहक सेवा केन्द्र के संयोजक की हैसियत से बैंक ने वर्ष के दौरान प्राप्त हुई सभी शिकायतों का समाधान किया है।

वसूली प्रबन्धन

एनपीए खातों के अंतर्गत वसूली के लिए बैंक के पास 16 विशेषीकृत आस्ति वसूली प्रबन्धन शाखाएं (एआरएमबी) हैं। वसूली में तेजी लाने के लिए वसूली एजेंटों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। ₹.5 करोड़ और उससे ऊपर के उच्च मूल्य फिसलों की समीक्षा बोर्ड द्वारा की जा रही है और बोर्ड द्वारा दिए गए विशेष निदेशों का पालन किया जा रहा है। ₹.1 करोड़ और उससे ऊपर के शीर्ष एनपीए खातों की निगरानी नियमित आधार पर कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा की जा रही है और जहां भी आवश्यक होता है महा प्रबन्धक (विधि एवं वसूली) निजी तौर पर उधारकर्ताओं से मिलते हैं। प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक और महा प्रबन्धक (विधि एवं वसूली) समेत उच्च कार्यपालक ने उच्च मूल्य एनपीए खातों की फील्ड में कार्य करने वालों के साथ नियमित आधार पर समीक्षा की है।

10 लाख से कम मूल्य वाले सभी एनपीए खातों के लिए शाखा प्रबन्धकों को एकाग्रगी निपटान में सशक्त बनाने के लिए विशेष योजना का पुनर्विधीकरण किया गया है जो कि 30 जून तक 2016 वैध है। ₹.10 लाख से कम बकाया वाले कम मूल्य एनपीए खातों से ₹.794 करोड़ की राशि वसूली गई है। इनमें से, ₹.1 लाख से कम बकाया वाले खातों से वसूली ₹.439 करोड़ रही। ₹.10 लाख से अधिक व ₹.1 करोड़ तक के मूल्य वाले एनपीए खातों को वापस लाने हेतु क्षेत्रीय प्रबंधकों को सशक्त बनाने के लिए विशेष योजना की शुरुआत की गई थी एवं यह 30 जून तक 2016 वैध है। ₹.10 लाख से अधिक व ₹.1 करोड़ तक बकाया वाले खातों से ₹.301 करोड़ की राशि वसूली गई है।

सभी पात्र खातों और बिक्री के लिए लाई गई संपत्तियों के मामले में सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। विशेषकर कम मूल्य के एनपीए खातों के लिए बारंबार लोक अदालतें / वसूली शिविर आयोजित



Customer Service

The Bank is a member in Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI). BCSBI has revised various Fair Practice Codes which is elaborately covering all the areas of Banking. As per the revised codes, 'Fair Practice Code for Lenders' has been incorporated.

A web based online system called SPGRS (Standardised Public Grievance Redressal System) assisting customers to lodge complaint online with status tracking facility is already in place. The Regional offices and Branches are enabled to view the complaints in the system and resolve the same immediately. Toll Free Teleservices for Redressal of Customer Grievances (No.1800-425-4445) is provided on 24x7 basis for receiving the complaints from the customers to resolve within 48 hours.

The Bank has conducted the Customer Service Survey for the year 2015-16 to assess the level of customer service rendered by the branches.

The details of customer complaints received and redressed during the year 2015-16 are detailed below.

SI No.	Details	At Central Office	At Regional Offices	Total Complaints
1.	No. of complaints pending at the beginning of the year	532	94	626
2.	No. of complaints received during the year	11240	3996	15236
3.	No. of complaints redressed during the year	9400	3896	13296
4.	No. of complaints pending at the end of the year	2372	194	2566
	Settlement Rate	79.85%	95.26%	83.82%

Details of Complaints are given below :

Nature of Complaints	Number	% to Total Complaints
Advances related complaints	2,368	15.54
ATM related complaints	3,488	22.89

Customer service related complaints	2,431	15.96
Demat services related complaints	13	0.09
Deposit related to complaints	925	6.07
General Banking complaints	2,115	13.88
Complaints related to Government business	57	0.37
Complaints related to NRI services	78	0.51
Complaints related to Remittances	525	3.45
Internet banking related complaints	2364	15.52
Credit card related complaints	278	1.82
Pension related complaints	594	3.90
TOTAL	15,236	100.00

No. of awards passed by the Banking Ombudsman and implemented by the Bank are given below:

1. No. of awards unimplemented at the beginning of the year 0
2. No. of awards passed by Banking Ombudsman during the year 0
3. No. of awards implemented during the year 0
4. No. of awards lapsed due to non acceptance by customer 0
5. No. of unimplemented awards at the end of the year 0

The Bank in the capacity as the Convener of Customer Service Centre in Chennai City has resolved all the complaints received during the year

Recovery Management

Bank has 16 specialised Asset Recovery Management Branches (ARMB) to improve the recovery under NPA accounts. The services of Recovery Agents were utilised to expedite recovery. High value Slippages of Rs.5 crore and above were reviewed by the Board and the specific directions given by the Board is duly carried out. Top NPA accounts of Rs.1 crore and above were monitored from the corporate office on a regular basis and the borrowers were personally met by the General Manager (Law & Recovery) wherever necessary. Top executives including the Managing Director & CEO, the Executive Director and the General Manager (Law & Recovery) review all high value NPA accounts on a regular basis with field functionaries.

Special Schemes empowering Branch Managers to accept One Time Settlements in small value NPA accounts for all NPAs of less than Rs.10 lac have been revalidated and valid up to 30th June 2016. An amount of Rs. 794 crore was recovered in small value NPA accounts with outstanding less than Rs.10 lac. Out of this, recovery in accounts with outstanding less than Rs.1 lac amounted to Rs. 439 crore. Special scheme empowering Regional Managers to restore NPA accounts of value above Rs 10 lac and upto Rs 1 crore was launched and it is valid upto 30th June 2016. The recovery in accounts with outstanding of more than Rs.10 lac and upto 1 crore is Rs. 301 crore.

Action under SARFAESI act has been initiated in all eligible accounts and properties brought for sale. Frequent LokAdalats/Recovery camps have been conducted especially in respect of small value NPA accounts. In the



किए गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक की सहभागिता महत्वपूर्ण रही। रु.54 करोड़ के 6,503 मामलों का निपटान किया गया और रु.8 करोड़ की राशि की वसूली यथास्थान ही कर ली गई। पिछली लोक अदालतों में रु.1,336 करोड़ के 94,742 मामले लिए गए थे जिनमें से रु.147 करोड़ के 14,351 मामलों का निपटान किया गया। खातों से यथास्थान नकद वसूलियों की प्राप्ति रु.43 करोड़ रही।

वित्त मंत्रालय ने बैंकों को आरसी जारी मामलों में वसूली कार्रवाई शुरू करने के लिए सूचित किया है। बैंक ने विभिन्न केंद्रों पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है और उन्हें निदेश दिया गया है कि वे सभी आरसी जारी मामलों को उठाएं और प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए लाएं। बैंक विभिन्न डीआरटी के पीठासीन अधिकारियों / वसूली अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए हुए हैं और इन आमने-सामने की चर्चा/बातचीत से बैंक को अड़चनों की पहचान करने और वसूली में तेजी लाने में मदद मिली है।

इस वित्त वर्ष के दौरान रु.5,140 करोड़ (दावा राशि) के 1,133 डीआरटी मामले दायर किए गए हैं। रु.1,376 करोड़ के 467 मामलों में फैसला आ चुका है। डीआरटी के मामलों में हुई वसूली रु.65 करोड़ है। रु.3,764 करोड़ के 666 मामले लंबित हैं। बैंक डीआरटी के साथ गहनता से अनुवर्तन कर रहा है और मामलों के त्वरित निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिशें कर रहा है। ऐसे मामलों में डीआरटी ई-नीलामी अपना रहा है, जहाँ भी नीलामी कार्यवाही की आवश्यकता है। रु.2,750 करोड़ की कुल नकद वसूली के कॉरपोरेट लक्ष्य के मुकाबले (बट्टा खातों से और नामे नहीं किए गए ब्याज को मिलाकर वसूली) रु.2,191 करोड़ हासिल किया गया। वर्ष के दौरान सिर्फ एनपीए का अपग्रेडेशन रु.2000 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले रु.1814 करोड़ था। सरफेसी कार्रवाई के सम्बन्ध में, बैंक ने रु.16,204 करोड़ (संचयी) के 21,263 मामलों में नोटिस जारी किया है। 6,693 खातों में समझौतों से प्राप्त राशि रु.2,267 करोड़ है और 19,715 खातों से आंशिक वसूली रु.3,499 करोड़ हुई है।

वसूली के प्रयासों के विश्लेषण हेतु एवं वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सक्षम अधिकारियों सहित केन्द्रीय कार्यालय में अलग से एक नियंत्रण कक्ष (वार कक्ष) बनाया गया है। वसूली प्रयासों में गुणात्मक परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए प्रक्रिया का बेहतर तरीके से प्रयोग किया जाता है। महा प्रबंधकों की टीम द्वारा नियंत्रण कक्ष (वार कक्ष) की कार्यशैली की जाँच की जाती है।

आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त याचिकाओं का निपटान

बैंक ने वर्ष 2015-16 के दौरान आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना की मांग करते हुए 1,822 आवेदन प्राप्त किए। सभी आवेदनों का विधिवत रूप से निर्धारित समय के भीतर उत्तर दिया गया और मेरिट के आधार पर उनका निपटारा किया गया। बैंक के पहले अपीलीय प्राधिकरण ने उन लोगों से जो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट नहीं थे, 194 प्रथम अपीलें प्राप्त की और उनका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिवत रूप से निपटारा किया गया। 33 आवेदनों में दूसरी अपील माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग से की गई। सभी आवेदनों का निपटान केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा समुचित फैसले पारित करके किया गया, जिसमें बैंक के विरुद्ध कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं थी और उनका विधिवत रूप से अनुपालन किया गया।

जोखिम प्रबन्धन

दिनांक 31 मार्च 2008 से बैंक ने नई पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) को अपना लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार, बैंक ने उधार जोखिम पूँजी के परिकलन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए), परिचालनात्मक जोखिम हेतु पूँजी के परिकलन के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) और बाजार जोखिम पूँजी परिकलन के लिए मानकीकृत माप पद्धति (एसएमएम) को अपनाया है। इस संबंध में बैंक विनियामक अपेक्षाओं का पूर्ण अनुपालन कर रहा है एवं बैंक 1 अप्रैल 2013

से प्रभावी भा.रि.बैं.द्वारा जारी बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार पूँजी को रख रहा है।

तरलता कवरेज अनुपात तथा निवल स्थायी फंडिंग अनुपात पर दिशानिर्देशों के सम्बन्ध में, बैंक जनवरी 2015 से भा.रि.बैं. को एलसीआर की रिपोर्टिंग कर रहा है। निवल स्थायी फंडिंग अनुपात जनवरी 2018 से प्रभावी होगा। बेसल III ने सरल, पारदर्शी व गैर-जोखिम आधारित लेवरेज अनुपात की शुरुआत की है जो कि जोखिम आधारित पूँजी अपेक्षाओं हेतु विश्वसनीय पूरक उपायों के रूप में कार्य करने के लिए अंशशोधित है। बैंक लेवरेज अनुपात पर नियामक अपेक्षाओं का भी अनुपालन करता है एवं 30 जून, 2013 को समाप्त तिमाही से तिमाही आधार पर भा.रि.बैं. को रिपोर्ट करता आ रहा है।

उधार जोखिम प्रबन्धन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उपाय के रूप में, बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित उधार जोखिम प्रबन्धन नीति और संपाश्विक प्रबन्धन व उधार जोखिम शमन नीति तैयार की है। उदाहरण नीति समिति (सीपीसी) उधार जोखिम की उचित प्रबंधन के लिए कार्यकारी समिति के रूप में कार्य करता है। उधारकर्ताओं के लिए निष्पक्ष रेटिंग करने के उद्देश्य के लिए जो उच्च दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है, बैंक ने विशिष्ट स्तरों पर आंतरिक उधार रेटिंग्स का वैधीकरण करने के लिए टियर प्रणाली कार्यान्वित की है, जो कि उधार विभागों में स्वतंत्र है। बैंक के केन्द्रीय कार्यालय की शक्तियों के तहत आने वाले प्रस्तावों के संबंध में, रेटिंग्स का वैधीकरण जोखिम प्रबंधन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय में किया जाता है। कॉर्पोरेट / पी.एस.ई. / प्राइमरी डीलरों के ऋणों को उपलब्ध बाहरी रेटिंग के आधार पर जोखिम भार के साथ ऋण दिया जाता है।

इस उद्देश्य के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने छः देशीय बाहरी उधार रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग्स इस्तेमाल करने के लिए बैंकों को अनुमति दी है और बैंक पूँजी राहत उद्देश्य के लिए इन ईसीआरए द्वारा दी गई रेटिंग्स का प्रयोग करता है। बैंक किसी भी ईसीआरए द्वारा अनुरोध की गई रेटिंग्स का प्रयोग करता है।

बैंक विभिन्न उद्योगों के लिए उद्योग अध्ययन भी करता है जहाँ किसी विशेष उद्योग के लिए बैंक का ऋण बैंक द्वारा निर्धारित ऋण सीमा से परे होता है। बैंक उधार पोर्टफोलियो के लिए पोर्टफोलियो विश्लेषण करता है। बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को भी अद्यतन करने की प्रक्रिया में है साथ बेसल III फ्रेमवर्क के तहत निर्दिष्ट आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाने की प्रक्रिया का भी अद्यतन किया जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2013 से प्रभावी तरलता जोखिम प्रबंधन विषयक अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देश अलग से विभिन्न आवृत्तियों पर देशी परिचालनों व विदेशी परिचालनों सहित समेकित परिचालनों के विवरणियों की तैयारी व प्रस्तुति कवर करते हैं। इस संबंध में बैंक ने भा.रि.बैं. के अनुपालन में प्रणाली एवं प्रक्रिया प्रस्तुत की है एवं डाटा सबमिट किया है।

बैंक ने बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और ब्याज दर जोखिम के प्रभावी प्रबन्धन हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति बनाई है। तरलता जोखिम का प्रबंधन जीएपी विश्लेषण के जारिए किया जाता है जो दैनिक आस्ति व देयता के अवशेष परिपक्वता / व्यावहारिकता पैटर्न पर आधारित होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन नीति के तहत बाजार जोखिम प्रबंधन प्रकार्य व प्रक्रियाओं के लिए सुपरिभाषित संगठनात्मक संरचना दी गई है जिसके द्वारा बैंक द्वारा वहन की जाने वाली बाजार जोखिम की पहचान, परिकलन, प्रबंधन व नियंत्रण बैंक की जोखिम सहायता स्तर के अनुरूप एएलएम फ्रेमवर्क के अंदर की जाती है। बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु नीतियाँ बहुत से जोखिम तय करती हैं व सुनिश्चित करती हैं कि परिचालन उचित आस्ति देयता प्रबंधन द्वारा बाजार जोखिम में बैंक की लाभ की प्रत्याशा के अनुरूप हैं।

National Lok Adalat, Bank's participation was significant. 6,503 cases amounting to Rs.54 crore were settled and an amount of Rs. 8 crore was recovered on the spot. In the previous Lok Adalats 94,742 cases amounting to Rs.1,336 crore were referred of which 14,351 cases amounting to Rs. 147 crore were settled. Spot cash recoveries received in accounts amounting to Rs.43 crore.

Ministry of Finance has advised the Banks to initiate recovery action in the matter of RC issued cases. The Bank appointed Nodal Officers at various centres and they are directed to take up all RC issued cases and bring the securities for sale. Bank has been coordinating with Presiding Officers/Recovery Officers of various DRTs and these one to one discussions /deliberations have helped the Bank to identify the issues and speed up the recovery.

During this financial year, 1,133 DRT cases were filed amounting to Rs. 5,140 crore (claim amount). 467 cases involving Rs.1,376 crore have been decided. The recovery made in DRT cases is Rs.65 crore. There are 666 pending cases amounting to Rs.3,764 crore. The Bank is following up with DRTs closely and trying to bring speedy conclusion to the cases. In these cases DRTs are resorting to e-auction, wherever there are auction proceedings. As against the corporate target of Rs 2,750 crore for total cash recovery (including recovery from written off accounts and recovery of undebited interest) the achievement was Rs 2,191 crore. The up gradation of NPAs alone during the year was Rs.1814 crore as against the target of Rs. 2000 crores. In respect of SARFAESI action, the Bank has issued notices for 21,263 cases amounting to Rs.16,204 crores (cumulative). Amount recovered through compromise is Rs 2,267 crore from 6,693 accounts and partial recoveries were made in 19,715 accounts amounting to Rs 3,499 crore.

A separate Control Room (War Room) has been set up at Central Office with dedicated officers for analyzing recovery efforts and also to accelerate the process of recovery. The process is used optimally to show quantitative results in recovery efforts. The working of Control Room (War Room) is monitored by team of General Managers.

Disposal of petitions received under RTI Act

The Bank received 1,822 applications seeking information under RTI Act during the year 2015-16. All the requests were duly replied within the specified period and disposed of based on merits. The Banks First Appellate Authority received 194 First Appeals from those who were not satisfied with the reply of Central Public Information Officer and the same were duly disposed as per the provisions of the Act. 33 applications resulted as Second Appeals with the Hon'ble Central Information Commission were disposed by Central Information Commission by passing appropriate decisions, without any adverse remarks against the Bank, which were duly complied with.

Risk Management

The Bank adopted the New Capital Adequacy Framework (Basel II) with effect from March 31, 2008. In line with Reserve Bank of India guidelines, the Bank had adopted the Standardised Approach (SA) for computation of Credit Risk Capital, Basic Indicator approach (BIA) for calculating the capital for Operational Risk and Standardised Measurement Method (SMM) for Market Risk Capital computation. The Bank complies with the regulatory

requirements in this regard and maintains capital as per Basel III guidelines issued by RBI with effect from 1st April 2013.

With regard to the guidelines on Liquidity Coverage ratio and Net Stable funding ratio, Bank is reporting LCR to RBI from Jan, 2015 onwards. NSFR is effective from January 2018. Basel III introduced a simple, transparent and non-risk based leverage ratio, which is calibrated to act as a credible supplementary measure to the risk based capital requirement. Bank also complies with the regulatory requirement on Leverage ratio and reports to RBI on a quarterly basis from the quarter ending June 30, 2013.

As a measure of robust credit risk management process, the Bank formulated Credit Risk Management Policy and Collateral Management & Credit Risk Mitigation Policy duly approved by the Board. The Credit Policy Committee (CPC) acts as an executive committee for appropriate management of Credit Risk. The Bank has implemented a tiered system for validation of internal credit ratings at specified levels, which is independent of credit departments, in order to draw unbiased rating for borrowers, for moving to advanced approaches. In respect of proposals falling under the powers of Bank's Central Office, the validations of ratings are done at Risk Management Department, Central Office. Exposures on Corporate /PSEs/Primary Dealers are assigned with risk weights based on available external ratings. For this purpose, the Reserve Bank of India has permitted Banks to use the ratings of the six domestic External Credit Rating Agencies and the Bank uses the ratings assigned by these ECRAs for capital relief purpose. The Bank uses the solicited ratings assigned by any of the ECRAs.

The Bank also conducts industry study for various industries wherever the exposure of the Bank for a particular industry is beyond a threshold limit fixed by the Bank. The Bank conducts portfolio analysis of the credit portfolio. The Bank is also in the process of upgrading its Risk Management systems and procedure for migrating to the advanced approaches under Basel III framework.

Reserve Bank of India issued final guidelines on Liquidity Risk Management effective from March 2013. The guidelines cover preparation and submission of the statements of Consolidated Operations including domestic operations and overseas operations separately at various frequencies. The Bank has put in place system and procedure in this regard in compliance with the RBI guidelines and submitted the data.

The Bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of Market risk, Liquidity Risk and Interest Rate Risk. The Liquidity risk is managed through gap analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis. The Market Risk management policy lays down well defined organizational structure for market risk management functions and processes whereby the market risks (carried by the bank) are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance level. The policies set various risk limits for effective management of market risk and ensure that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management.



बैंक ने अल्पकालिक गत्यात्मक तरलता प्रबंधन व आकस्मिक वित्त पोषण प्रायोजना की प्रणाली बनाई है। प्रभावी आस्ति देयता प्रबंधन हेतु विभिन्न अवशेष परिपक्वता अवधि बकेट्स के लिए विवेकपूर्ण (सहिष्णुता) सीमाएँ, निर्धारित की गई हैं। बैंक के तरलता प्रोफाइल का मूल्यांकन विभिन्न तरलता अनुपातों के जरिए किया जाता है। बैंक ने तरलता की स्थिति में किसी प्रकार के तनाव से निपटने के लिए विभिन्न आकस्मिक उपाय किए हैं। बैंक प्रणालीबद्ध व स्थाई निधि प्रायोजना के जरिए देशी ट्रेजरी द्वारा पर्याप्त तरलता प्रबंधन को सुनिश्चित करता है।

ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन दर संवेदी आस्ति व देयताओं के जीएपी विश्लेषण के जरिए किया जाता है और इनका प्रबंधन निर्धारित विवेकपूर्ण (सहिष्णुता) सीमाओं के जरिए किया जाता है। शोयरधारक मूल्य को अधिकतम बनाने के मद्देनजर निवल ब्याज आय और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए आवधिक रूप से बैंक जोखिम पर आय और आशोधित अवधि अंतराल का आकलन करता है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अलको) / बोर्ड बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के पालन का प्रबंधन करता है और एएलएम नीति में निहित बाज़ार परिस्थितियों (चालू और प्रत्याशित) के आलोक में रणनीति निर्धारित करता है।

बेसल II फ्रेमवर्क तीन स्तंभीय ढांचे (न्यूनतम पूँजी अनुपात, पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया और बाज़ार अनुशासन) के जरिए बैंकिंग इकाइयों में जोखिम मापने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण देता है। पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया (2) यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बैंकों के पास अपने कारोबार के सभी जोखिमों में सहायता हेतु पर्याप्त पूँजी है और साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कि बैंक अपने जोखिमों का प्रबंधन एवं प्रबन्धन करने हेतु बेहतर जोखिम तकनीकों को विकसित करें और उन्हें उपयोग में लाएं। पिलर 2 के अंतर्गत बैंकों के लिए एक आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएपी) का निर्माण करना आवश्यक है ताकि सभी बड़े जोखिमों को पकड़ा जा सके जो पिलर I नुस्खे में कवर नहीं किए गए हैं, जिसमें कवर नहीं किए गए या आंशिक रूप से कवर किए गए जोखिम शामिल हैं। बैंक ने आईसीएपी फ्रेमवर्क को अपनाया है और उसकी वार्षिक समीक्षा की जाती है।

बेसल II फ्रेमवर्क के पिलर 2 के अंतर्गत, बैंकों से सिर्फ ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बैंक के कारोबार में सभी प्रत्यक्ष जोखिमों को समर्थन देने के लिए उनके पास पर्याप्त पूँजी है बल्कि अपने जोखिमों के प्रबंधन व प्रबंधन हेतु बेहतर जोखिम प्रबंधन तकनीकियों का विकास व प्रयोग भी करें। बीसीबीएस दस्तावेज़ के अनुसार, भा.रि.बै. ने अपने परिपत्र दिनांकित 26 जून 2007 द्वारा तनाव परीक्षण विषयक दिशानिर्देश जारी किए थे। बैंक ने तनाव परीक्षण को निवल ब्याज आय (एनआईआई) व पूँजी पर्याप्तता (सीआरएआर) के संदर्भ में तनाव की स्थिति में बैंक के तनाव झेलने की क्षमता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से अपनाया था।

भा.रि.बै. ने 17 दिसम्बर 2015 को निधि आधारित उधार दर (एमसीएलआर) परिकलन की सीमांत लागत व अग्रिमों पर ब्याज दर की कार्यप्रणाली विषयक दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंक 1 अप्रैल, 2016 से कीमत आधारित एमसीएलआर की नई ब्याज दर प्रणाली लागू कर रहा है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति बनायी है। इसमें परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक ढांचे और विस्तृत प्रक्रिया का खाका दिया गया है। महत्वपूर्ण परिचालनात्मक हानि सहित परिचालनात्मक जोखिम ऋणों की समय पर रिपोर्टिंग और परिचालनात्मक जोखिम को कम करने या नियंत्रण व प्रबंधन, मूल्यांकन,

प्रभावी पहचान के लिए भूमिकाओं का स्पष्ट रूप से निर्धारण करते हुए बैंक की परिचालनात्मक जोखिम प्रबन्धन प्रक्रियाओं को एक साथ लाना ही नीति का मूल उद्देश्य है। बैंक में परिचालनात्मक जोखिम का प्रबंधन व्यापक व सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क के जरिए किया जाता है। परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणाली के उपयुक्त प्रबंधन हेतु कार्यकारी समिति होगी। ओआरएमसी बैंक भर में परिचालनात्मक जोखिम एक्सपोज़रों की समीक्षा करती है।

परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन संबंधी बोर्ड द्वारा अपनायी गई अन्य नीतियाँ हैं: (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति, (ख) फोरिक्स जोखिम प्रबंधन नीति, (ग) अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) व धन शोधन निवारण प्रक्रिया (एएमएल) पर नीति दस्तावेज़ (घ) सूचना प्रौद्योगिकी कारोबार निरन्तरता व आपदा निवारण प्रायोजना (ङ) अनुपालन नीति और (च) वित्तीय सेवाओं की आउट सोर्सिंग से संबंधित नीति।

ऋण प्रबंधन

सभी एसएमए-2 खातों को निम्न उप प्रवर्ग यथा एसएमए-1 व एसएमए-0 में लाते हुए तथा खातों को एनपीए में स्लिप होने से बचाते हुए अनुवर्तन के जरिए फिसलनों को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखने के प्रति बैंक ने फोकस किया। खातों में चेतावनी संकेतों को पहचानने के लिए सिस्टम द्वारा प्रचालित विभिन्न प्रबंधन उपयोगिताएं शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों / अंचल कार्यालयों को प्रदान की गई थीं ताकि वे समय पर सुधारात्मक कदम उठा सकें। समय के भीतर खातों की 100% समीक्षा / नवीकरण सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने मजबूत प्रयास किया। बैंक ने तिमाही समीक्षाओं / वार्षिक लेखा परीक्षाओं के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई प्रतिकूल प्रकृति की टिप्पणियों पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई भी की।

ऋण समीक्षा प्रणाली

भा.रि.बै. द्वारा अक्टूबर 2002 में जारी किए गए 'उधार जोखिम विषयक मार्गदर्शन नोट' व बैंक की अपनी 'उधार जोखिम प्रबंधन नीति' के अनुपालन में, रु.50 लाख व उससे अधिक के क्रेडिट एक्सपोज़र वाले उधार खातों की ऑन-साइट क्रेडिट लेखा परीक्षा करवाई गई।

2015-16 के दौरान, रु.90,784 करोड़ के कुल अग्रिम को कवर करते हुए बैंक के समवर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा कुल 13,528 उधार खातों की ऑन-साइट क्रेडिट लेखा परीक्षा करवाई गई जिसमें रु.20 करोड़ और उससे अधिक के एक्सपोज़र वाले 663 खाते शामिल हैं। अनुपालन हेतु अंचल कार्यालयों / क्षेत्रीय कार्यालयों / शाखाओं के साथ अनुवर्तन के अलावा सीएएलआरएम में की गई टिप्पणियाँ क्रेडिट वर्टिकल्स को सूचित की गई। क्रेडिट लेखा परीक्षा ने उधार खातों में बीमारी / कमजोरी की कमियों / पूर्व चेतावनी संकेतों को पहचानने में एवं अग्रिमों की गुणवत्ता में क्षय को रोकने के लिए व बैंक के हितों की रक्षा करने में भी उपयुक्त व समायोजित सुधारात्मक उपाय करके बैंक की मदद की।

कॉर्पोरेट ऋण पुनर्संरचना

आरबीआई के तत्वावधान में गठित सीडीआर प्रणाली के तहत बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान रु.60 करोड़ के जोखिम वाले केवल 1 खाते में संदर्भ प्राप्त किया है। सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्संरचना हेतु अनुरोधों की अधिकता को संबंधित पर आस्ति वर्गीकरण से भा.रि.बै. के विनियम को वापस लेने के साथ रोक दिया। लगातार मंदी व भा.रि.बै. की आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के कारण, पुनर्संरचना खातों की अवनति हुई है और पुनर्संरचित पैकेज की असफलता के चलते ये खाते सीडीआर प्रणाली से बाहर हो गए। 31 मार्च 2016 तक सीडीआर के अंतर्गत पुनर्संरचित खातों में बैंक का जोखिम कुल 75 खातों में रु.8,249 करोड़ तक घट गया है जिसमें

The Bank has put in place mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed for different residual maturity time buckets for effective asset liability management. Liquidity profile of the Bank is evaluated through various liquidity ratios. The Bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. The Bank ensures adequate liquidity by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Interest rate risk is managed through use of gap analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed. The Bank estimates earnings at risk and modified duration gap periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value. The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in the light of the market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy.

Basel II framework provides a comprehensive approach to risk measurement in the banking entities, by adopting three-pillar structure (such as minimum capital ratio, supervisory review process and market discipline). The supervisory Review Process (Pillar 2) is to ensure that banks have adequate capital to support all the risks in their business and also to encourage them to develop and use better risk management techniques for monitoring and managing their risks. Pillar 2 requires the banks to establish an Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to capture all the material risks that are not covered under Pillar 1 prescriptions, which includes those that are not covered or partly covered. Bank has adopted ICAAP framework and it is being annually reviewed.

Under the Pillar 2 of Basel II framework Banks are required not only to ensure adequate capital to support all the materials risks in bank's business, but also to develop and use better risk management techniques in monitoring and managing their risks. In line with BCBS document RBI vide their circular dated 26th June 2007 had issued guidelines on Stress testing. Bank has adopted stress testing with an objective to evaluate bank's capacity to withstand stressed situations in terms of Net Interest Income (NII) and Capital Adequacy (CRAR).

RBI on 17th Dec 2015 has issued guidelines on methodology of Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR) computation and interest rate on advances. Bank is implementing the new interest rate methodology of MCLR based pricing w.e.f April 1, 2016.

The Bank framed operational risk management policy duly approved by the Board. It outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management processes of the Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling or mitigating operational risk and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework. The Operational Risk Management Committee (ORMC) will be an executive

committee for appropriate management of operation risk management function in the Bank. ORMC reviews operational risk exposures across the Bank.

Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems security policy (b) forex risk management policy (c) Policy document on know your customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (d) Business continuity and disaster recovery plan (e) compliance policy and (f) policy on outsourcing of Financial Services.

Credit Monitoring

The Bank focused towards containing the slippages to the minimum level by following up all SMA-2 accounts to the lower sub class viz SMA-1 & SMA-0 and to prevent accounts from slipping to NPA. Various system driven monitoring utilities were provided to Branches/Regional Offices/Zonal Offices for early detection of warning signals in the accounts to enable them to initiate timely corrective measures. The Bank has put forth rigorous efforts to ensure 100% review/renewal of accounts in time. The Bank also took immediate corrective actions on observations of adverse nature made by Statutory Auditors during quarterly reviews/Annual audits.

Loan Review Mechanism

In compliance with 'Guidance Note on Credit Risk' issued by RBI in Oct 2002 and in tune with Bank's own 'Credit Risk Management Policy', a cross section of borrowal accounts with credit exposure of Rs.50 lac and above were subjected to on-site Credit Audit.

During 2015-2016, a total of 13,528 borrowal accounts were subjected to Credit Audit by Concurrent Auditors of the Bank covering total advance of Rs. 90,784 crore which includes 663 accounts with exposure of Rs 20 crore and above. The observations made in CALRM were informed to Credit Verticals apart from following up with Zonal Offices/Regional Offices/Branches for compliance.

The Credit Audit exercise helped the Bank to identify deficiencies/early warning signals of sickness/weakness in borrowal accounts and to take appropriate and timely remedial measures to prevent deterioration in the quality of advances and thereby to protect the interests of the Bank.

Corporate Debt Restructuring

Under the CDR mechanism set up under the aegis of RBI, the Bank during the financial year 2015-16 received reference in only 1 account with an exposure of Rs. 60 crore. The flow of requests for restructuring under CDR mechanism stopped with RBI withdrawing regulatory forbearance on asset classification upon restructuring. With continued recession and consequence of RBI's asset quality review, the restructured accounts suffered downgradation and had to exit from CDR mechanism on account of failure of restructured package. The exposure of the bank in restructured accounts under CDR as on 31st March 2016 reduced to Rs.8,249 crore in 75 accounts of which, 10 accounts aggregating Rs.1,092 crore have completed satisfactory performance period. One account with an exposure Rs.40 crore exited CDR after paying Right of Recompense. The companies engaged in Engineering Procurement and Construction (EPC) contract works



से रु.1,092 करोड़ के कुल 10 खाते ने संतोषजनक निष्पादन अवधि पूर्ण की है। क्षतिपूर्ति के भुगतान अधिकार के बाद रु.40 करोड़ के जोखिम वाला एक खाता सीडीआर से बाहर हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र, लौह एवं इस्पात उद्योग एवं बुनियादी गतिविधियों को कैंटर करने वाला इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एवं कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) अनुबंध कार्यों में शामिल कंपनियाँ पुनर्संचित खातों का एक बड़ा हिस्सा हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, जेएलएफ प्रणाली के तहत रु.1,433 करोड़ के जोखिम वाले 7 सीडीआर खातों में महत्वपूर्ण उधार पुनर्संरचना लागू की गई।

आद्योगिक पुनर्वास

31 मार्च 2016 को कारोबार की समाप्ति तक, बीआइएफआर एवं एएआइएफआर के तहत रु.3,613 करोड़ के ऋण वाले 55 खाते हैं। उपर्युक्त में से, रु.71 करोड़ की समेकित राशि वाले 8 खाते मानक हैं रु.47 करोड़ राशि वाले 4 खाते एआरसी को बेच दिए गए और बाकी के बचे रु.3,542 करोड़ की राशि वाले 43 खाते एनपीए खाते हैं। वर्ष के दौरान, रु.2,300 करोड़ के ऋण वाले 25 नए खाते बीआइएफआर के तहत पूंजीकृत किए गए और रु.229 करोड़ के ऋण वाले 7 खाते एसआइसीए/बीआइएफआर से बाहर हो गए। बैंक 5 खातों के लिए परिचालन एजेंसी के तौर पर कार्य कर रहा है जिनमें से रु.111 करोड़ के ऋण वाले 2 खाते हैं जबकि अन्य 3 खातों का निपटान ओटीएस के अंतर्गत किया गया है। बैंक ने वर्ष 2015-16 के दौरान रु.0.50 लाख के परिचालन एजेंसी शुल्क प्राप्त किया।

अनुपालन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पास सुनिर्दिष्ट अनुपालन नीति मौजूद है और अनुपालन जोखिम का प्रबंधन करने तथा उसे कम करने के लिए बैंक के पास प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ भी विद्यमान हैं। विनियामक दिशानिर्देशों पर आवश्यक परिपत्र / अनुदेश जारी किए गए। प्रत्येक शाखा / क्षेत्रीय कार्यालय / अंचल कार्यालय / केंद्रीय कार्यालय के विभाग में एक अनुपालन अधिकारी मौजूद है, जो अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है। अनुपालन स्तर की समवेत रिपोर्ट बोर्ड / बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) को प्रस्तुत की जाती है। बोर्ड / एसीबी द्वारा इस सम्बन्ध में दिए जाने वाले निदेशों का पालन किया जाता है। बैंक ने अपने इंट्रानेट पर वेब पोर्टल जैसे बैंकिंग रूल्स.कॉम प्रदान कर रखा है जहाँ एक जगह पर ही वित्त मंत्रालय, भा.रि.बै., सेबी आदि जैसे विभिन्न विनियामकों के विनियमों, दिशानिर्देशों का संदर्भ लिया जा सकता है।

अनुशासनात्मक कार्रवाई

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, सी एंड डीएसी ने 490 फाइलों का निपटारा किया है जिनमें से 205 सतर्कता और 285 गैर-सतर्कता मामले हैं। समीक्षा के अंतर्गत वर्ष के दौरान, विभाग ने 445 आरोपपत्र जारी किए हैं। 31 मार्च 2016 तक 452 मामलों के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ विभिन्न स्तरों पर प्रगति पर हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया को कार्यपालकों द्वारा निरंतर समीक्षा द्वारा निर्धारित अवधि में पूरा करने की कोशिशें की जाती हैं। लंबे समय से लंबित सभी सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों को, जहाँ घरेलू जांच 30 सितम्बर 2015 तक चल रही थी, उन्हें 31 मार्च 2016 से पहले पूरा कर लिया गया। (सिर्फ 23 मामलों को छोड़कर जो अदालत में लंबित हैं।)

निरीक्षण

वित्तीय वर्ष के दौरान, केन्द्रीय कार्यालय के निरीक्षण हेतु आबंटित सभी 2684 शाखाओं का निरीक्षण किया गया व शाखाओं का 100% निरीक्षण प्राप्त किया गया।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के निदेशों के अनुसार, 39 क्षेत्रीय कंप्यूटर केन्द्रों व 19 शाखाओं (शीर्ष 10 जमाएँ एवं अग्रिम शाखाएँ) में सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा आयोजित की गई। बैंक 2016-17 से डाटा केन्द्रों व लैन-देन बैंकिंग विभाग परिचालनों की निरन्तर सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा

आयोजित करने के लिए प्रस्ताव कर रहा है। बैंक ने फरवरी 2016 में प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) फ्लोट किया और वेंडर का चयन कर लिया गया है।

सभी शाखाओं की माइग्रेसन लेखा परीक्षा कर ली गई एवं आंतरिक स्रोतों द्वारा पूरी कर ली गई है क्योंकि बैंक वर्ष के दौरान फिनैकल सॉफ्टवेयर में माइग्रेट हुआ है। बैंक ने एसीबी के निदेशों के अंतर्गत शीर्ष 20 शाखाओं में माइग्रेसन लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों के चयन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है।

बैंक का आंतरिक लेखा परीक्षा सॉफ्टवेयर आरबीआईए-ई-थिक भी सफलतापूर्वक फिनैकल में माइग्रेट हो गया है और टेस्ट के बाद प्रयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए स्टॉक लेखा परीक्षा 832 खातों के लिए की गई। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 2468 शाखाओं में राजस्व लेखा परीक्षा / टेस्ट चेक लेखा परीक्षा पूरी की गई। सभी सीबीओ व करेंसी चेस्ट (32) का केन्द्रीय कार्यालय निरीक्षण वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया। बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा समवर्ती लेखा परीक्षा की समीक्षा करते हुए काफी व्यय घटा दिया।

सतर्कता

वर्ष 2015-16 के दौरान, केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंक सतर्कता से जुड़े लंबित अनुशासनिक मामलों के निपटान हेतु प्रभावी कदम उठाता रहा। 31 मार्च 2016 तक, सतर्कता से जुड़े 257 आनुशासनिक मामलों का निपटान किया गया और दण्ड प्रदान किये गये। 31 मार्च 2016 तक सतर्कता के 156 सतर्कता मामले लंबित हैं, जिनमें से केवल 11 मामले 24 महीने से भी ज्यादा पुराने हैं, क्योंकि इनपर कोर्ट का स्थगन आदेश है। अधिकांश मामलों में जाँच-पड़ताल के आदेश हो चुके हैं और प्रेजेन्टिंग अधिकारी/डिफेन्स की ओर से संबंधित मामलों का समापन प्रतीक्षित है।

सीबीसी के दिशानिर्देशों के अनुपालन में धोखाधड़ियों के विवरण बोर्ड की परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखे गये और प्राप्त सुझावों / टिप्पणियों पर बैंक द्वारा कार्रवाई की गई। आरबीआई के मास्टर पत्र के अनुपालन में बहुत बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों (रु.100 लाख और उससे अधिक की राशि) वाले मामलों को बहुत बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों के प्रबोधन के लिए गठित समिति के समक्ष रखा गया और निदेशकों की टिप्पणियों पर कार्रवाई की गई तथा की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट को बैंक के बोर्ड के समक्ष रखा गया। निवारक सतर्कता उपायों को सीबीओ के आवधिक दौरों/शाखा निरीक्षण के जरिए सुदृढ़ किया गया। निवारक सतर्कता को सुदृढ़ करने के लिए जो उपाय किये गये, उनमें से कुछ निम्नवत हैं:

➤ **सावधिक/आकस्मिक निरीक्षण:** वेवाइसी/एमएल दिशानिर्देशों आदि सहित प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों के अनुपालन के संबंध में शाखाओं का सावधिक व आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है।

➤ **सावधानी पुरस्कार योजना:** यह योजना धोखाधड़ियों को रोकने / उनकी पहचान करने / उन्हें विफल करने में स्टाफ सदस्यों द्वारा बरती जानेवाली सावधानी के लिए उन्हें पुरस्कार व मान्यता प्रदान करने हेतु एक विशिष्ट योजना है, जिसका अनुमोदन बैंक के बोर्ड ने 20 सितंबर 2013 को किया।

➤ **आइओबी विजिल:** सतर्कता जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस नये त्रैमासिक गृह-न्यूज लेटर की जून 2013 से शुरुआत की गई। सतर्कता जागरूकता, सफलता की कहानियाँ, सतर्कता समाचार, उच्च प्रबंधन के संदेश आदि इसके जरिए स्टाफ सदस्यों में परिचालित किये जाते हैं।

➤ **अन्य पक्ष की हस्तियों के विरुद्ध कार्रवाई:** बैंक के अनुदेशों का अनुपालन करने में असफल होने के कारण बैंक ने अपने इंट्रानेट पर बैन

catering to infrastructure sector, iron & steel industry and Infrastructure activities forms major part of restructured accounts. During the FY 2015-16, Strategic Debt Restructuring was invoked in 7 CDR accounts with exposure of Rs.1,433 crore under JLF mechanism.

Industrial Rehabilitation

As at the close of business as on 31st March 2016, total cases under BIFR and AAFR are 55 accounts with an exposure of Rs.3,613 crore. Of the above, 8 accounts aggregating to Rs. 71 crore are Standard, 4 accounts amounting to Rs. 47 crore were sold to ARC and the remaining 43 accounts are NPA accounts amounting to Rs.3,542 crore. During the year, 25 new accounts with an exposure of Rs. 2,300 crore were registered with BIFR and 7 accounts amounting to Rs.229 crore came out of SICA/BIFR. The Bank is acting as operating agency in 5 accounts with an exposure of Rs.111 crore in 2 accounts while the other 3 accounts are settled under OTS. The Bank received operating agency fee of Rs. 0.50 lac during the year 2015-16.

Compliance

The Bank has well defined Compliance Policy as per Reserve Bank of India guidelines and has in place systems and procedures for managing Compliance Risk and mitigating the same. Necessary circulars/instructions on the regulatory guidelines were issued. Each branch/Regional office/Zonal office/Central Office department has one Compliance Officer who submits compliance certificates. The overall compliance level is submitted to Board/Audit Committee of the Board(ACB). The directions from Board/ACB are carried out. The Bank has provided a Web Portal viz., Banking Rules.com in Bank's intranet wherein all the regulations, guidelines of the various regulators like Ministry of Finance, RBI, SEBI etc., can be accessed at a single point.

Disciplinary Proceedings

During the Financial Year 2015-16, C&DAC has disposed off 490 files comprising of 205 Vigilance and 285 Non Vigilance cases. During the year under review, the Bank issued 445 charge sheets. The disciplinary proceedings are in various stages of progress in respect of 452 cases as on 31st March 2016. Efforts are made to complete the disciplinary action process within the stipulated time frame, by continuous review by executives. All long outstanding vigilance disciplinary cases, where domestic enquiry was in progress as on 30th Sept 2015 were completed before 31st March 2016. (Except 23 Cases which are pending with Courts).

Inspection

During the financial year, all the 2,684 branches allotted for Central Office Inspection were inspected and achieved 100% inspection of branches.

As per the directions of the Audit Committee of the Board, Information Security Audit was conducted at 39 Regional Computer Centres and 19 branches (Top 10 Deposits and Advances branches). The Bank proposes to conduct continuous Information Security Audit of Data Centre and Transaction Banking Departments operations from 2016-17. The Bank has floated Request for Proposal (RFP) in Feb 2016 and vendor has been selected.

Migration Audit of all the branches were undertaken and completed through the internal sources as the Bank migrated to Finacle Software during the year. The Bank also completed the process of selection of Auditor for migration Audit of Top 20 branches under the directives of ACB.

The Banks Internal audit software RBIA- e-THICK have also successfully migrated to FINACLE environment and was put to use after testing. Stock Audit was allotted for 832 accounts for the financial year 2015-16. Revenue Audit/ Test Check Audit was allotted for 2,468 branches during this financial year 2015-16. Central office Inspection of all CBO's and Currency Chests (32) were conducted during the financial year. The Bank has considerably reduced the expenditure during the financial year by conducting Review of concurrent Audit by Video Conferencing.

Vigilance

During the year 2015-16 the Bank continued to take effective steps for disposal of pending Vigilance Disciplinary cases within the time schedule prescribed by Central Vigilance Commission. As on 31st March 2016, 257 Vigilance Disciplinary cases were disposed and penalties awarded. As on 31st March 2016, 156 vigilance cases were pending of which only 11 cases were beyond 24 months mainly due to court stay. In most of the cases enquiries have been ordered and respective summing ups are awaited from Presenting Officer/Defence.

In compliance to the CVC guidelines, details of frauds were placed to Operational Risk Management Committee and Audit Committee of the Board and the observations/ suggestions received have been acted upon by the Bank. In compliance of RBI Master Circular, cases of Large Value Frauds (Amount involving Rs.100 lac and above) were placed to the Committee for Monitoring Large Value Frauds and the observations of the Directors were acted upon and the Action Taken Report was placed before the Bank's Board. Preventive Vigilance measures have been strengthened through periodical branch Inspection/visits by Chief Vigilance Officer. The following are some of the measures taken to strengthen preventive vigilance

- **Periodical/Surprise Inspections:** Periodical and surprise inspections of branches are conducted on compliance of systems and procedures including KYC/AML guidelines, etc.
- **Alertness Award Scheme:** This scheme is an exclusive scheme for recognition and reward of alertness in staff members in prevention/ detection/foiling of frauds, which has been approved by the Bank's Board on 20th September 2013.
- **IOB Vigil:** A new quarterly in-house news letter to spread vigilance awareness was launched in June 2013. Learning points from frauds, success stories, vigilance news, messages from Top Management, etc. are circulated among staff members.
- **Action against Third Party Entities:** Bank has already put on intranet, the list of banned third party entities viz., Chartered Accountants, Valuers and Lawyers for their failure to comply with the bank's instructions which enabled perpetration of fraud on the bank by the borrowers.



(निषिद्ध) किये गये उन अन्य पक्षों जैसे सनदी लेखाकारों, मूल्यांककों व वकीलों की सूची पहले ही डाल रखी है, जिनसे उधारकर्ताओं को बैंक के साथ धोखाधड़ी करने में मदद मिली।

➤ बैंक ने ऐसे अधिकारियों की पहचान की है जिनमें तहकीकात करने, विवरणों का आंकलन करने आदि का माद्दा है और उन्हें जाँच-पड़ताल में समुचित प्रशिक्षण दिया गया है।

➤ सतर्कता जागरूकता के सृजन हेतु, बैंक ने सभी अधिकारियों व अवार्ड स्टाफ सदस्यों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया तथा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2015 के दौरान विजेताओं को पुरस्कृत किया।

➤ बैंक ने जाँचकर्ताओं के लिए रिपोर्टिंग के प्रारूपों के साथ "जाँच विषयक हैंडबुक" का विमोचन किया है।

सतर्कता से संबंधित मामलों की देख-रेख करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और उनकी कार्यभूमिका भी स्पष्टतः परिभाषित की गई है, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा शाखाओं के दौरे से जुड़ी मासिक रिपोर्ट की प्रस्तुति भी शामिल है। वृहत मूल्य वाली धोखाधड़ियों की जाँच हेतु केंद्रीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए तहकीकात, जाँच कार्यवाही विषयक कार्यशाला चलायी गयी। प्रतिभागियों को निवारक सतर्कता उपायों और धोखाधड़ी पश्चात अनुवर्ती कार्यवाही से संबंधित विभिन्न मामलों से अवगत कराया गया। अक्टूबर 2015 में अर्थात् 26 अक्टूबर 2015 से 31 अक्टूबर 2015 तक बैंक ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया।

सूचना प्रौद्योगिकी

कोर बैंकिंग सोल्यूशन

बैंक ने सभी देशी शाखाओं व अन्य कार्यालयों को अपने क्राउन सीबीएस सॉल्यूशन से इंफोसिस फिनेकल सॉफ्टवेयर में सफलतापूर्वक माइग्रेट कर दिया है।

वैकल्पिक डिलिवरी चैनल

➤ **इंटरनेट बैंकिंग** : बैंक के पास अपनी इंटरनेट बैंकिंग है, जिसमें भुगतानों की बहुसूची जैसी समकालीन सेवाएं हैं। तमिलनाडु मुख्य मंत्री राहत कोष अंशदानों को आइओबी के साथ-साथ अन्य बैंक के इंटरनेट बैंकिंग या वीजा कार्ड द्वारा ऑनलाइन संग्रहित किया जाता है।

➤ **भुगतान गेटवे** : यूटिलिटी बिलों का भुगतान करने के लिए पेमेंट गेटवे को लागू किया गया है। कई धार्मिक संस्थानों व शैक्षिक संस्थानों को ई-भुगतान के लिए पेमेंट गेटवे के अंतर्गत लाया गया है। आइआरसीटीसी साइट में भुगतान विकल्प के रूप में आइओबी डेबिट कार्ड को सक्षम कर दिया गया है।

➤ **मोबाइल बैंकिंग** : विभिन्न सेवाओं की पूर्ति करने वाला नया मोबाइल बैंकिंग सॉल्यूशन तैयार किया गया है। मोबाइल बैंकिंग सॉल्यूशन ओटीपी (एकबारगी पिन) के जरिए दूसरे कारक से प्रमाणीकरण प्रदान करता है और स्मार्ट फोन एप्लिकेशंस और यूएसएसडी के जरिए लेन - देन किए जा सकते हैं। अभी हाल में आइएमपीएस - एम2पी (मर्चेन्ट से व्यक्ति को) की शुरुआत की गई है। यह आइएमपीएस का प्रयोग करते हुए सभी मर्चेन्ट वेबसाइट में ई-उपस्थिति को बढ़ाता है। ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग में मोबाइल बैंकिंग एमपिन को रिसेट करने का विकल्प दिया गया है।

➤ **एम-पासबुक** : बचत बैंक के लिए मूल पासबुक की यह इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन तैयार की गई थी। यह सुविधा एसबी उपयोगकर्ताओं को उनके स्मार्ट फोन पर एसबी लेन-देन को देखने के लिए समर्थ बनाती है।

➤ **ई-कॉरिडोर** : बैंक ई-कॉरिडोर खोलने की योजना बना रहा है जो एटीएम, सेल्फ पासबुक, प्रिंटिंग कियोस्क, कैश रिसाइकलर व इंटरनेट बैंकिंग कियोस्क प्रदान करेगा। यह ग्राहकों को पासबुक मुद्रित करना, नकद जमा करना, नकद निकालना व एक ही स्थान से इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को प्रयोग करने को सरल बनाता है। 635 पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क व 10 कैश रिसाइकलर प्रतिष्ठापित किए जा चुके हैं।

➤ **वित्तीय समावेशन परियोजना** : यूटिलिटी जैसे कि निकासी, जमाओं का शेष जानना, निधि अंतरण व मिनी स्टेटमेंट, रुपे कार्ड, ऑन-अस लेन-देनों को शाखाओं में कारोबार संवादी के हैंड हेल्ड डिवाइस (माइक्रो एटीएम) के जरिए संभव किया गया है।

➤ **कारोबार आसूचना एवं डाटा वेयरहाउसिंग** : बैंक ने कारोबार आसूचना (बीआई) समूह की शुरुआत की है जो अंततः क्रियात्मक डैश बोर्ड्स, सचेत, विश्लेषण इत्यादि प्रदान करता है। अधिक मात्रा में ऐतिहासिक डाटा व 12 वर्षों से संबंधित डाटा को जमा रखने के लिए प्रणाली स्थापित की गई है।

लेनदेन बैंकिंग

➤ **एटीएम/कैश डिस्पेंसर (सीडीज़)** : 31 मार्च 2016 तक बैंक में एटीएम/सीडीज़ की कुल सं. ऑनसाइट एटीएम की कुल सं 2,719 तथा ऑफसाइट एटीएम की कुल सं. 1,074 को मिलाकर 3,793 थी। वर्ष के दौरान, बैंक ने समीक्षा हेतु 250 एटीएम/सीडीज़ प्रतिष्ठापित किए। बैंक के 810 एटीएम मेट्रो केंद्र, 928 एटीएम शहरी केंद्र, 1061 एटीएम अर्द्धशहरी केंद्रों तथा 994 एटीएम ग्रामीण केंद्रों में हैं।

➤ **डेबिट कार्ड** : बैंक के पास समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जारी किए गए 49.57 लाख नए डेबिट कार्ड के साथ 31 मार्च 2016 तक 119 लाख का कार्ड बेस है। बैंक ने पी एम जे डी वाई योजना के तहत 40.01 लाख से अधिक रुपे कार्ड जारी किए हैं। बैंक ने ग्राहकों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं के साथ प्लैटिनम रुपे ईएमवी डेबिट कार्ड भी लांच किया है। अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं वाला इएमवी चिप डेबिट कार्ड भी शुरू किया गया है। बैंक जेन नेक्स्ट ग्राहकों को स्पेशल कार्ड (कनेक्ट कार्ड, वीजा के तहत रुपे डेबिट कार्ड क्लासिक / गोल्ड / प्लैटिनम सिग्नेचर डेबिट कार्ड, कृषि उधारकर्ताओं के लिए मास्टर डेबिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड तथा लघु उद्योग के ग्राहकों के लिए एसएमई डेबिट कार्ड तथा रुपे प्लैटिनम कार्ड जारी करता है।

➤ **क्रेडिट कार्ड** : वर्ष के दौरान जारी किए गए 2,978 कार्ड्स के साथ 31 मार्च 2016 तक बैंक के पास कुल 52,283 क्रेडिट कार्ड्स हैं। बैंक अलग - अलग क्रेडिट सीमा के साथ क्लासिक व गोल्ड ईएमवी क्रेडिट कार्ड जारी करता है।

➤ **पेमेंट गेटवे परिचालन** : बैंक में 11 एग्रीगेटर्स हैं जिनमें बीएसएनएल, एलआइसी ऑफ इंडिया आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों समेत उनके बैनर के तहत लगभग 12,000 सब मर्चेन्ट हैं। बैंक में राज्य सरकारी उद्यम व शैक्षिक संस्थानों जैसे प्रत्यक्ष ग्राहक हैं।

➤ **आर टी जी एस / एन ई एफ टी / इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग** : नेफ्ट वॉल्यूम व लेनदेन के मामले में हमारा बैंक शीर्षस्थ 20 बैंकों में से एक है। वर्ष 2015-16 के दौरान इंटरनेट बैंकिंग पंजीकरण में अच्छी वृद्धि देखी गयी है। वर्तमान में 31 मार्च 2016 तक 10.22 लाख ग्राहकों ने इंटरनेट बैंकिंग के लिए व 1.09 लाख ग्राहकों ने मोबाइल बैंकिंग के लिए पंजीकरण किया।

बैंक ने 8 संस्थाओं के लिए इंटरनेट बैंकिंग से ऑनलाइन शुल्क संग्रहण

- Bank has identified Officers having aptitude for investigation, data analysis etc. and they are given appropriate training in investigations.
- To create vigilance awareness, Bank conducted essay competition for all the officers and award staff members and awarded prizes to winners during Vigilance Awareness Week 2015.
- Bank released a book "A Handbook on Investigations" for investigators with formats for reporting.

All the Regional Offices have been posted with Vigilance Officers to handle Vigilance matters and their role functions have been well defined which includes submission of monthly report on visit to branches. A Workshop on Investigation, Enquiry Proceedings, was conducted for a team of senior officers for investigating large value frauds through Video conferencing from Central Office. The participants were refreshed on various issues relating to Preventive Vigilance measures and post-fraud follow-up action. Vigilance Awareness week was observed by the Bank in October 2015 i.e. from 26th October 2015 to 31st October 2015.

Information Technology

Core Banking Solution

The Bank has successfully migrated all Domestic branches and other offices from Home grown Crown-CBS solutions to the Infosys Finacle software.

Alternate Delivery Channels

- **Internet Banking:** The Bank has home-grown Internet Banking suite, which has contemporary offerings like Multiple scheduling of payments. Tamilnadu Chief Minister Relief Fund donations are collected online through IOB as well as Other Bank Internet banking and through VISA Cards.
- **Payment Gateway:** Payment Gateway for payment of utility bills have been implemented. Many religious institutions and educational institutions have been brought under payment gateway for E-payment. IOB Debit Card as payment option in IRCTC site, has been enabled.
- **Mobile Banking:** New Mobile banking Solution has been enabled catering to various services. Mobile Banking solution provides second factor authentication through OTP (One Time Pin) and transactions can be done through Smart phone application and USSD. Recently IMPS – M2P (Merchant to Person) has been introduced. This enhances the E-presence across all merchant websites using IMPS. Reset of Mobile Banking MPIN is enabled in Internet Banking for customers.
- **M-Passbook:** This electronic application of a physical passbook for savings bank was enabled. This facility empowers users to view their SB transaction on their smart phones.
- **E-Corridors:** Bank is planning to open E-Corridors which will provide ATM, Self Pass-Book Printing Kiosks, Cash Recycler and Internet-Banking Kiosks. This facilitates the customers to print their passbooks, deposit cash, withdraw cash and use the internet

banking facility at one place. 635 Pass Book Printing Kiosks and 10 Cash recycler have been installed.

- **Financial Inclusion Project:** The utilities such as Withdrawal, Deposits Balance enquiry, Funds Transfer & Mini Statement Ru-Pay card On-us Transactions have been enabled through Business Correspondent's Hand Held Device(Micro ATM) in branches.
- **Business Intelligence & Data Warehousing:** The Bank has introduced Business Intelligence(BI) Suite, which gives interactive Dash Boards, alerts, analytics etc.. System is established to store huge amount of historical data and data relating to 12 years have been ware-housed.

Transaction Banking

- **ATM / Cash Dispensers (CDs):** The total number of ATMs/CDs of the Bank stood at 3,793 as on 31st March 2016 comprising of 2,719 onsite and 1,074 offsite ATMS. During the year under review, the Bank has installed 250 ATMs/CDs. The Bank's 810 ATMs are spread across Metro Centres, 928 in Urban Centres, 1061 in Semi Urban Centres and 994 in Rural Centres.
- **Debit Cards:** The Bank has a card base of 119 lac as on 31st March 2016 with 49.57 lac new debit cards issued during the year under review. The Bank has issued more than 40.01 lac Rupay Debit Cards under PMJDY Scheme. The Bank has also launched a Platinum RuPay EMV Debit Card with added benefits to customers. EMV chip Debit Cards which has additional security features has also been introduced. Bank issues Special Cards (Connect Cards) to Gen Next customers, RuPay Debit cards, Classic/Gold/Platinum/Signature Debit cards under VISA, Master Debit Cards, Kissan Debit Cards for Agriculture Borrowers and SME Debit Cards for Small Industrial Customers and RuPay Platinum Cards.
- **Credit Cards:** The Bank has 52,283 credit cards as on 31st March 2016 with 2,978 cards issued during the year. Bank issues Classic and Gold EMV Credit Cards with varying credit limits.
- **Payment Gateway Operations:** The Bank has 11 aggregators who have nearly 12,000 sub-merchants under their banner including public sector organizations like BSNL, LIC of India etc. The Bank's direct clients include State government enterprises & Educational institutions.
- **RTGS/NEFT/Internet Banking/Mobile Banking:** The Bank is one among the top 20 Banks in terms of NEFT volume and transactions. The internet banking registrations have shown a good growth during 2015-16. Presently 10.22 lac customers registered for Internet Banking and 1.09 lac customers registered for Mobile Banking as on 31st March 2016.

The Bank enabled online fee collection facility in internet banking for 8 institutions. The Bank also introduced OTP as additional factor of authentication for amounts of Rs.30,000 and above and for all E-Commerce transactions through internet banking.

Net Banking customers can Initiate Intra Bank Funds Transfer and Inter Bank transfers through NEFT and RTGS



सुविधा की शुरुआत की है। बैंक ने रु. 30,000 तथा उससे अधिक की राशि के लिए व इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ई-कामर्स लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक के रूप में ओटीपी की भी शुरुआत की।

नेट बैंकिंग ग्राहक नेफ्ट व आरटीजीएस लेनदेन के जरिए इंटर बैंक व इंटर बैंक निधि अंतरण, ऑनलाइन के जरिए पीपीएफ खाते, आयकर, उत्पाद शुल्क, सेवाकर, सीमा शुल्क, पोर्ट ट्रस्ट भुगतान, राज्य सरकार वेट भुगतान, महाराष्ट्र जी आर ए एस, महाराष्ट्र बिक्री कर, पश्चिम बंगाल ग्रिप्स व तमिलनाडु परिवहन विभाग शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। बैंक ने नेट बैंकिंग के जरिए मुख्यमंत्री बाढ़ राहत निधियों में प्रेषण की शुरुआत की। बैंक ऑनलाइन के जरिए सावधि जमाओं को खोलने / बंद करने तथा नवीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है। बैंक यूटिलिटी व बिल भुगतान, बैंक खातों के साथ आधार संख्या जोड़ने व पैन जोड़ने का विकल्प प्रदान करता है। संवर्द्धित सुरक्षा हेतु कॉर्पोरेट व वैयक्तिक नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए ई टोकन / डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा उपलब्ध है। बैंक ने मोबाइल ऐप आधारित ओ टी पी सृजन की शुरुआत का प्रस्ताव रखा है जो कि अधिक सुरक्षित, कम लागत वाला है। मार्च 2016 की समाप्ति तक इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन बैंक की कुल लेन देन का 68.4 प्रतिशत रहा। नई मोबाइल बैंकिंग ऐप्लीकेशन को शुरू करने के बाद, मोबाइल बैंकिंग लेन-देनों व राशि की संख्या काफी हद तक बढ़ी। आइएमपीएस मॉड्यूल में निधि अंतरण पी2पी, पी2ए व पी2एम बताए गए हैं। ग्राहकोंमुख एम-पासबुक की शुरुआत वर्ष के दौरान की गई जिसका मोबाइल ऐप डाउनलोड करके ग्राहक अपना खाता विवरण देख सकते हैं। वर्ष के दौरान मिस्ड कॉल द्वारा शेष राशि की जानकारी देने की भी शुरुआत की गई।

देश भर के 46 क्षेत्रों की 1,877 शाखाओं में सी टी एस कार्यान्वित कर लिया गया है। बैंक की योजना है कि क्लियरिंग हाउस के सी टी एस में माइग्रेट होने का निर्णय लेने पर सभी केन्द्रों में वर्ष 2016-17 के दौरान सभी क्षेत्रों में कार्यान्वयन को पूरा कर लिया जाए।

शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों को ई उत्पादों का प्रभावी रूप से विपणन करने तथा पेपर आधारित लेन देन को कम करने के लिए आवधिक रूप से जागरूक किया जाता है। स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों के जरिए प्रशिक्षण दिया जाता है। डी डी / पी ओ का अनुरोध करने वाले ग्राहकों व चेक जारी करने वालों को सूचित किया जाता है कि वे आर टी जी एस / नेफ्ट / इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करें। बैंक सभी सक्रिय बचत खातों के लिए डेबिट कार्ड जारी करता है एवं स्टाफ सदस्यों को सिर्फ ई-चैनलों का प्रयोग करने के लिए सूचित किया है। कारोबार इंटेलेजेंस विश्लेषक विकसित किए गए हैं और उन्हें बहु विकल्पीय डिलीवरी चैनलों में शाखाओं के कार्य निष्पादन के प्रबोधन व विश्लेषण हेतु काम पर लगाया जाता है।

सरकारी लेखा विभाग

प्रत्यक्ष कर समाहरण

भारत भर में 354 शाखाओं द्वारा आय कर व अन्य प्रत्यक्ष कर का भौतिक रूप से व ऑनलाइन कर अकाउंटिंग सिस्टम (ओल्टास) के जरिए समाहरण करने के लिए बैंक को प्राधिकृत किया गया है। बैंक को प्रत्यक्ष करों के ई-भुगतान की प्राप्ति हेतु भी प्राधिकृत किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने रु.9,545 करोड़ मूल्य के लेनदेनों को अंजाम दिया है और रु.1.81 करोड़ का एजेंसी कमीशन अर्जित किया है।

अप्रत्यक्ष कर समाहरण

सीबीईसी द्वारा प्राधिकृत 217 शाखाओं द्वारा उत्पाद एवं सेवा कर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम (ईजिएस्ट) के जरिए अप्रत्यक्ष कर का समाहरण करने के लिए बैंक को प्राधिकृत किया गया है। बैंक को उत्पाद एवं सेवा कर के ई-भुगतान की प्राप्ति हेतु भी प्राधिकृत किया गया है। सीमा शुल्क का ई-भुगतान और ड्यूटी डॉबैक की ई-प्रतिपूर्ति मार्च 2011 में शुरू की गई। बैंक ने रु.8,302 करोड़ मूल्य के लेनदेनों को अंजाम दिया है और रु.1.43 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है।

राज्य सरकार के राजस्व का समाहरण

बैंक तमिलनाडु, पांडिचेरी, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र एवं संघ शासित प्रदेश

राज्यों में इंटरनेट बैंकिंग के जरिए वाणिज्यिक कर (वैट) का ई-समाहरण करता है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में कुछ चुनिंदा जगहों पर प्रत्यक्ष कर समाहरणों का कार्य भी बैंक संभालता है। बैंक ने राज्य सरकार राजस्व के तहत रु.5,821 करोड़ के मूल्य के लेनदेन की देखरेख की है और रु.4.28 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है।

पेंशन का भुगतान

ईसीएस के जरिए क्रेडिट देने के अलावा केन्द्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे, दूर संचार, राय सिविल, ईपीएफओ, सीएमपीएफओ, टीएनईबी, चेन्नै पल्लन न्यास, चेन्नै डॉक श्रम बोर्ड, तमिलनाडु की स्थानीय निधि लेखा परीक्षा और मलेशिया सरकार की पेंशन से जुड़े 2.20 लाख पेंशनकर्ताओं को बैंक सेवा करता है।

56,486 पेंशन खातों के लिए केन्द्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे और दूर संचार पेंशनकर्ताओं को केन्द्रीकृत आधार पर पेंशन का संवितरण केन्द्रीकृत पेंशन संसाधन केन्द्र द्वारा किया जाता है। वर्ष के दौरान, बैंक ने रु.865 करोड़ संवितरित किया है और संवितरण के 2-3 दिनों के भीतर केन्द्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे और टेलिकॉम पेंशनों के लिए सिंगिल विन्डो योजना के तहत प्रतिपूर्ति प्राप्त की है। बैंक जून 2015 के अंत तक तमिलनाडु राज्य के सिविल पेंशन के केन्द्रीयकरण के लिए सक्रिय रूप से अनुवर्तन कर रहा है। बैंक ने प्रति वर्ष रु.2364 करोड़ के विभिन्न प्रकार के पेंशन भुगतान भी संवितरित किए। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने रु.4.30 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है।

तमिलनाडु सरकार के कोष कारोबार को भी बैंक अपनी 13 शाखाओं के जरिए संभालता है और ओडिशा सरकार के कोष कारोबार को 3 शाखाओं के जरिए तथा बैंक ने रु.257 करोड़ की प्राप्तियों व रु.2273 करोड़ के भुगतान की भी देखरेख की है। बैंक को केरल की एक शाखा द्वारा ट्रेजरी कारोबार की देखरेख के लिए भी प्राधिकृत किया गया है। योजना आयोग, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र और दूर संचार विभाग के खातों की भी देखरेख बैंक करता है और क्रमशः रु.6118 करोड़ व रु.125 करोड़ के भुगतानों व प्राप्तियों की भी देखरेख करता है। डाक कार्यालय समाहरण (निकासी व जमा) खाता तमिलनाडु के 63 शाखाओं में मौजूद है जहाँ रु.60 करोड़ की प्राप्तियों व रु.183 करोड़ के भुगतान की देख रेख की जाती है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004, 8% टेक्सेबल बॉण्ड, लोक भविष्य निधि जैसी भारत सरकार की बचत योजनाओं में भी बैंक की सक्रिय प्रतिभागिता है और बैंक इनके लिए लगभग रु.107 करोड़ के अंशदान का योगदान देता है।

अंतर शाखा समाधान

अंतर शाखा समाधान का इसकी संवेदनशीलता की वजह से काफ़ी महत्व है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को कारोबार विकास के समांतर अंतर शाखा समाधान को प्राथमिकता देने को सूचित किया है। भा.रि.बैं. ने अंतर शाखा प्रविष्टियों की निकासी के लिए छः महीनों का समय नियत किया है।

भौतिक अंतर शाखा की एडवाइस को हटा दिया गया है और सिर्फ सिस्टम सृजित अंतर शाखा एडवाइस जारी की जा रही हैं। दिनांक 31.03.2016 तक कंपास और माँग ड्राफ्ट समाधान खाते में कोई भी नामे प्रविष्टि बकाया नहीं है जो कि आरबीआई की छः महीनों के मानदंड के अंतर्गत है। आदाताओं द्वारा ड्राफ्ट की प्रस्तुति पर ही डीडीआर में क्रेडिट प्रविष्टियों का निरसन संभव है। निधि अंतरण के तहत कोई भी नामे प्रविष्टि 3 महीनों से अधिक के लिए बकाया नहीं है और टीटी प्रदत्त प्रतिपूर्ति खातों के अंतर्गत कोई भी प्रविष्टि 2 महीनों से अधिक पुरानी नहीं है, जो कि भा.रि.बैं.के छः महीनों के मानदंड के अनुरूप है। माँग ड्राफ्ट समाधान व कंपास खाते दोनों को सीबीएस (फिनैकल) वातावरण में माइग्रेट कर दिया गया है।

transactions, PPF accounts, payment of Income Tax, Excise Duty, Service Tax, Customs Duty, Port Trust Payment, State Government VAT payments, Maharashtra GRAS, Maharashtra Sales Tax, West Bengal GRIPS and Tamil Nadu Transport Department Charges through online. The Bank introduced remittances to Chief Minister Flood Relief Funds through net banking. The Bank offers facility to open /close/renew Term Deposits online. The Bank also offers options to pay their Utility and Bills payments, seed AADHAAR Number with Bank accounts and attach PAN number. E-token/Digital signature facility is available to Corporate & Individual Net Banking customers for enhanced security. The Bank has introduced Mobile App based OTP generation which is more secured and cost saving. As at the end of March 2016, electronic transactions stood at 68.4% of the total transactions of the Bank. After introducing the new mobile banking application, the number of mobile banking transactions and amount increased substantially. Funds Transfer P2P, P2A and P2M introduced in IMPS module. Customer friendly M-passbook introduced during the year in which a customer can view their account statement upon downloading the mobile app. Balance enquiry through missed call was also introduced during the year.

Cheque Truncation System (CTS) has been implemented in 1,877 branches in 46 regions across the country. The Bank plans to complete the implementation in all the regions during this FY 2016-17 in all centres as and when clearing houses take decision to migrate to CTS.

Branches, Regional Offices are periodically sensitized to effectively market e-products and to reduce paper based transactions. Training is imparted through Staff Training Centres. Customers requesting for DDs/POs and who issue cheques are being advised to make use of RTGS/NEFT/Internet Banking. The Bank issues Debit cards to all active SB accounts and has advised Staff members to use only e-channels. Business Intelligence analytics have been developed and deployed to monitor and analyse the performance of branches in multiple alternate delivery channels.

Government Accounts Department

Direct Tax Collections

The Bank is authorized to collect Income Tax and other Direct Taxes in physical mode and through On Line Tax Accounting System (OLTAS) by 354 branches all over India. The Bank is also authorized to receive e-payment of Direct taxes. During the year under review, the Bank handled transactions worth Rs. 9,545 crore earning an agency commission of Rs.1.81 crore.

Indirect Tax Collections

The Bank is authorized to collect indirect taxes through Electronic Accounting System in Excise and Service Tax (EASIST) by 217 branches authorized by CBEC. The Bank is also authorized to receive e-payment of Excise and Service Tax. E-payment of Customs Duty and e-refunds of Duty drawback have started in March 2011. The Bank handled transactions amounting to Rs. 8,302 crore earning commission of Rs. 1.43 crore.

Collection of State Government revenues

The Bank handles e-collection of Commercial Taxes (VAT) through internet banking in the states of Tamil Nadu,

Pondicherry, Andhra Pradesh, Karnataka, Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha, Delhi, Gujarat, West Bengal and Maharashtra and UT. The Bank is also handling physical collections in selected locations in Gujarat, Uttar Pradesh, Maharashtra, West Bengal and Delhi. The Bank handled transactions worth Rs.5,821 crore under State Government revenues earning commission of Rs.4.28 crore.

Payment of Pension

The Bank is servicing 2.20 lac pensioners belonging to Central Civil, Defence, Railways, Telecom, State Civil, EPFO, CMPFO, TNEB, Chennai Port Trust, Chennai Dock Labour Board, Local Fund Audit of Tamil Nadu and Malaysian Government Pension apart from credit through ECS.

Centralised Pension Processing Centre disburses pension on a centralized basis to Central Civil, Defence, Railway and Telecom Pensioners for 56,486 pension accounts. The Bank has disbursed about Rs.865 crore during the year and received reimbursement under single window scheme for Central Civil, Defence, and Railway and Telecom pensions within 2-3 days from the date of disbursement. The Bank is actively pursuing for centralization of Tamil Nadu State Civil Pension by the end of June 2016. The Bank also disbursed various types of pension payment to the tune of Rs.2,364 crore during the year. During the period under review bank has earned commission of Rs.4.30 crore.

The Bank also handles Treasury business of the Government of Tamil Nadu at 13 branches and Government of Orissa at 3 branches and handled Rs.257 crore of receipts and Rs. 2,273 crore of payments. The Bank also received authorization for handling treasury business by one branch in Kerala. The Bank services the account of Planning Commission, National Informatics Centre and Department of Telecommunications and handled receipts and payments of Rs.6,118 crore and Rs.125 crore respectively. Post Office Collection (Drawing and Deposit) Account is maintained at 63 branches in Tamil Nadu handling Rs.60 crore receipts and Rs.183 crore of payments. The Bank actively participates in the Government of India Savings Schemes like Senior Citizens Savings Scheme 2004, 8% Taxable Bond, Public Provident Fund contributing subscriptions of about Rs.107 crore.

Inter Branch Reconciliation

Inter - branch reconciliation has assumed greater significance in view of its vulnerability. Reserve Bank of India has advised Banks to accord priority to inter-branch reconciliation at par with Business development. RBI has fixed six months time for elimination of inter-branch entries.

Physical inter branch advices have been done away with and only system generated inter branch advices are being issued. There are no debit entries outstanding in Compass and Demand Draft Reconciliation accounts as on 31.03.2016 beyond six months. The elimination of Credit entries in DDR is possible only on presentation of the drafts by the payees. No debit entries are outstanding for more than 3 months under Funds Transfer and 2 months under TT's Paid Reimbursement Accounts as against RBI norms of six months. Both Demand Draft reconciliation and Compass account have been migrated to CBS (Finacle) environment.



मानव संसाधन विकास

प्रशिक्षण

एक ग्राहकोन्मुख बैंक के रूप में, आंतरिक व बाह्य मोड्स के ज़रिए बैंकिंग के मूलभूत क्षेत्रों के अलावा बैंक से जुड़े सामयिक विषयों पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में बैंक का सॉफ्टवेयर सीबीएस से फिनैकल वर्जन 10X में माइग्रेट किया गया, प्रशिक्षण का केन्द्र बिन्दु फिनैकल वर्जन 10X के परिचालनों पर एण्ड यूजर्स को ज्ञान प्रदान करना था। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 14,703 स्टाफ सदस्यों को फिनैकल वर्जन 10X विषयक प्रशिक्षण दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा, ऋण मूल्यांकन / ऋण प्रबोधन, अनर्जक आस्ति प्रबंधन व वसूली, जोखिम प्रबंधन, प्राथमिकता उधार, विदेशी विनिमय, अपने ग्राहक को जानें/ धन शोधन निवारण, बैंकिंग कोड्स, लघु व सूक्ष्म उद्यम/ माइक्रो फाइनेंस व ग्रामीण उधार, आइटी उत्पाद व निवारक सतर्कता के क्षेत्र में अधिकारियों व कर्मचारियों को बैंकिंग विषयों पर नियमित प्रशिक्षण दिए गए।

वर्ष के दौरान, नेतृत्व विकास, ग्राहक संबंध प्रबंधन, संकाय विकास विषयक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला अधिकारियों के लिए भी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। योग्यता मूल्यांकन के निर्विघ्न कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आंतरिक मूल्यांकनकर्ता के विकास के लिए वर्ष के दौरान एक विशेष कार्यशाला भी आयोजित की गई। बैंक के भर्ती किये गये नये परीक्षाधीन अधिकारियों व विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए परीक्षाधीन अधिकारियों के लिए ओरिएंटेशन व पुष्टि-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा प्रवेश कार्यक्रम भी चलाये गए। पदोन्नति के लिए पात्र अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु भी विभिन्न स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों पर पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गए।

वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों व अवार्ड स्टाफ सदस्यों के वास्ते सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श कार्यक्रम भी चलाया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए बैंक ने अनुबंध आधार पर सेवानिवृत्त कार्यपालकों की सेवाएँ हासिल की ताकि बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में उनके अनुभव, ज्ञान और दक्षता का लाभ उठाया जा सके। कार्यपालकों/ अधिकारियों को ओवरसीज प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया ताकि वे बैंकिंग व प्रौद्योगिकी विषयक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्राप्त कर सकें और अन्य प्रतिभागियों के साथ अपनी विशेषज्ञता व अनुभव बाँट सकें।

बैंक की आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली में एक स्टाफ कॉलेज, ग्यारह स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र और एक ग्रामीण बैंकिंग प्रशिक्षण केन्द्र शामिल है। वर्ष के दौरान 1,128 कार्यक्रमों का आयोजन कर कुल 22,863 स्टाफ सदस्यों को आंतरिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनमें से 14,725 अधिकारी, 7,994 लिपिक और 144 अधीनस्थ स्टाफ हैं। प्रशिक्षित कुल सदस्यों में से 4,366 अनुसूचित जाति (एससी) के और 1,661 अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्य हैं। इसके अलावा बैंक ने 81 प्रतिभागियों के लिए विभिन्न शाखाओं में 3 ऑन लोकेशन कार्यक्रम भी आयोजित किये और प्रतिष्ठित बाहरी संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 1,104 कार्यपालकों/ अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है। 5 कार्यपालकों को विदेश में प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया गया।

बैंक ने बाह्य एजेंसियों के सहयोग से विभिन्न विषयों जैसे कि लाइफस्टाइल एण्ड हेल्थ, कार्डिफ एक स्क्रीनिंग, ऑर्थोपेडिक्स, कैंसर जागरूकता, गैस सुरक्षा, दंत चिकित्सा शिविर, नेत्र शिविर आदि जैसे विभिन्न विषयों पर

चिकित्सा पेशेवरों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य जागरूकता सत्र आयोजित किए गए।

उत्तराधिकार प्रायोजना व अभिप्रेरण

कार्य परिस्थिति व कार्य भूमिका में सफलता हेतु महत्वपूर्ण हैं व्यवहार संबंधी व प्रबंधकीय दक्षता को पहचानन व वर्णन करने के लिए दक्षता मूल्यांकन बैंक में मुख्य प्रबंधकों के स्तर पर प्रारंभ किया गया था। पहचाने गए 41 मुख्य प्रबंधकों का आकलन किया गया ताकि उनकी क्षमताओं का विकास किया जा सके व भविष्य में मुख्य क्षेत्रों में उन्हें जटिल व उच्च ज़िम्मेदारियाँ देने के लिए तैयार किया जा सके।

अभिप्रेरण योजना के रूप में, अधिकारियों व अवार्ड स्टाफ दोनों के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में अखिल भारतीय स्तर पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय कार्यालय मेंटरिंग कक्ष से प्रतिदिन सभी कर्मचारियों को कोट्स, लेख, कहानियाँ आदि भेजे जाते हैं।

भर्ती एवं स्टाफ संख्या

वर्ष 2015-16 के दौरान, बैंक ने 242 विशेषज्ञ अधिकारियों (106 ग्रामीण विकास अधिकारियों, 31 विपणन अधिकारियों, 11 राजभाषा अधिकारियों, 33 आईटी अधिकारियों, 6 विधि अधिकारियों, 5 एच आर/ आइ आर अधिकारियों, 3 सुरक्षा अधिकारियों व 47 क्रेडिट अधिकारियों), 792 परीक्षाधीन अधिकारी और 1,311 लिपिक 8 अधीनस्थ स्टाफ की भर्ती की।

31 मार्च 2016 तक 16,000 अधिकारियों, 12,325 लिपिकों और 3,521 अधीनस्थ स्टाफ को मिलाकर कुल स्टाफ की संख्या 31,846 है। कुल स्टाफ की संख्या में से बैंक के 6,440 सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग से, 2068 अनुसूचित जन जाति वर्ग से और 7522 अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। स्टाफ की कुल संख्या में 10,097 महिला कर्मचारी, 1,121 पूर्व-सैनिक और 567 शारीरिक विकलांग सदस्य शामिल हैं।

औद्योगिक सम्बन्ध

बैंक के सभी कार्यालयों / शाखाओं में अच्छा औद्योगिक सम्बन्ध माहौल बनाए रखने और उसके प्रबोधन के लिए अनुशासन लागू करने हेतु, नियुक्तियों और प्रोन्नतियों में पालन की जानी वाली नीतियों के सम्बन्ध में, प्रबन्धन और संघों के साथ - साथ कर्मचारियों इत्यादि के बीच होने वाली शिकायतों के निपटारे के लिए समय-समय पर परिपत्र / दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं जिससे औद्योगिक सम्बन्ध के अंतर्गत मामलों / विवादों में कमी आई है।

31 मार्च 2015 तक अधिकारी कर्मचारियों द्वारा चल, अचल और बहुमूल्य सम्पत्तियों के रिटर्न की ऑनलाइन प्रस्तुति रिकॉर्ड 99% के स्तर पर पहुंच गई है। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार, बैंक के पंचाट स्टाफ सदस्यों को भी 2015 सी शुरू करते हुए प्रत्येक वर्ष अपनी आस्तियों व देयता विवरण प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया। स्टाफ सदस्यों द्वारा आईआर से सम्बन्धित धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतों / मामलों में दोषी सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, जहां कहीं भी जरूरी रही हो, शुरू की गई है ताकि बैंक में अनुशासनात्मक समरस औद्योगिक सम्बन्ध माहौल बनाए रखा जाए। स्टाफ सदस्यों से सम्बन्धित वित्त मंत्रालय एवं भारतीय बैंक संघ द्वारा जारी दिशानिर्देशों को परिपत्र जारी करके कर्मचारियों के लाभ के लिए शीघ्रता से लागू किया जाता है। संस्था के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए बैंक का औद्योगिक सम्बन्ध माहौल सौहार्द्रपूर्ण और अनुकूल बना रहा है।

वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अदालती मामलों की बैंक के उच्चतम स्तर द्वारा समीक्षा की जाती है और कोशिश की जाती है कि अदालती मामलों का तेजी से निपटारा / समझौता हो जाए। ऐसे मामले जिनका निपटान

Human Resources Development

Training

As a customer centric Bank, training has been imparted on contemporary issues of banking apart from basic areas of banking through internal and external modes.

As the Bank's software migrated from CBS to Finacle Version 10x in FY 2015 – 16, the focus of training was on imparting knowledge to end users on the operations of Finacle Version 10x. Training on Finacle Version 10x has been imparted to 14,703 staff members in FY 2015 – 16.

Apart from the above, regular training on Banking topics have been imparted to officers and clerks in the field of Credit Appraisal/ Credit Monitoring, Non Performing Asset Management and Recovery, Risk Management, Priority Credit, Foreign Exchange, Know Your Customer/Anti Money Laundering, Banking Codes, Small & Medium Enterprises / Micro Finance & Rural Credit, IT Products & Preventive Vigilance.

Special Training Programmes on Leadership Development, Customer Relationship Management, Faculty Development were conducted during the year. Special training programme for women officers were also conducted. A special workshop was conducted during the year for developing the internal assessors of the Bank to ensure smooth implementation of the competency assessment exercise. Induction programme for newly recruited probationary officers, specialist officers have been conducted apart from pre confirmation programme for Probationary Officers. Pre Promotion Training for SC/ST members who are eligible for promotion have been conducted at various Staff Training Centers.

The Pre Retirement counseling programme has been conducted for Officers and Award Staff Members who retired during the year. Bank has engaged the services of retired executives on contract basis to derive the benefit of their experience, knowledge and expertise in various facets of banking. Executives/Officers have been nominated for overseas training to acquire international perspective on banking & technology and share their expertise and experience with other participants.

The internal training system comprises of One Staff College, eleven Staff Training Centers and One Rural Banking Training Centre. Internal training was imparted to 22,863 staff comprising of 14,725 Officers, 7,994 Clerical and 144 Sub-staff by conducting 1,128 programmes. Of the total staff trained 4,366 belonged to Scheduled Caste (SC) and 1,661 belonged to Scheduled Tribe (ST). Bank has conducted 3 On-location programmes across various branches for 81 participants and deputed 1,104 Executives/ Officers for training programmes conducted by reputed external institutes. Further, 5 executives were deputed for training abroad.

The Bank in coordination with external agencies conducted various health awareness sessions by medical professions on various topics such as Lifestyle and Health, Cardiac Screening, Orthopedics, Cancer awareness, Gas safety, Dental Camp, Eye Camp, etc.

Succession Planning & Motivation

To identify and describe the Behavioral and Managerial competencies which are critical for success in a work situation or work role, Competency Assessment was initiated at the level of Chief Managers in the Bank. Various assessments were conducted for 41 identified Chief Managers to develop their competencies and groom them to take up more complex & higher responsibilities in key critical areas in future.

As a part of Motivation scheme, Online Quiz Programme on Banking products across all regions pan India was conducted in FY 2015 – 16. Quotes, articles, stories, etc. are being sent daily from Mentoring Cell at Central Office to all the employees.

Recruitment & Staff Strength

During the year 2015-16, the Bank recruited 242 Specialist Officers (106 Rural Development Officers, 31 Marketing Officers, 11 Rajbhasha Officers, 33 IT Officers, 6 Law Officers, 5 HR/ IR Officers, 3 Security Officers and 47 Credit Officers), 792 Probationary Officers, 1,311 Clerks and 8 Subordinate staff.

The Bank's staff strength stood at 31,846 comprising 16,000 Officers, 12,325 Clerks and 3,521 Sub-staff as on 31st March, 2016. Of the total staff strength, 6,440 members belong to Scheduled Caste category, 2068 to Scheduled Tribe Category, and 7522 to Other Backward Caste Category. Staff Strength includes 10,097 Women employees, 1,121 ex-servicemen and 567 physically challenged members.

Industrial Relations

In order to monitor and maintain good industrial relations climate in all offices/Branches of the Bank, circulars/ guidelines are issued from time to time regarding enforcement of discipline, policies to be followed in recruitment, promotion and redressal of grievance between Management and Union as well as among employees etc., which has led to reduction of cases/ disputes under Industrial Relations.

Online submission of Return of Movable, Immovable and valuable properties by officer employees as on 31st March 2015 has reached a record of 99% submission. As per Lokpal and Lokayukthas Act, 2013, the award staff members of the bank were also advised to submit their assets and liability statement every year, starting from 2015. With regard to complaints/matters pertaining to IR matters committed by staff members, disciplinary action, wherever necessary, had been initiated against erring members to maintain discipline and harmonious industrial relations in the Bank. The guidelines issued by the Ministry of Finance and Indian Banks Association with regard to staff matters are implemented expeditiously by issuing circulars for the benefit of employees. The Industrial relations environment for the Bank remained cordial and conducive for achieving organization's objectives.

Court cases are reviewed by the Bank at Apex level as per Ministry of Finance guidelines and efforts are taken to settle/ get the Court cases disposed of expeditiously. In such cases which cannot be settled, the cases are contested strongly. As per the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act



नहीं हो सकता है, उन्हें मजबूती से लड़ा जाता है। जहां तक कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न (बचाव, रोक और समाधान) अधिनियम 2013 की बात है, सभी प्रशासनिक कार्यालयों (केंद्रीय, अंचल व क्षेत्रीय कार्यालय) ने आंतरिक शिकायत समिति गठित की है। समिति की अनुशंसाओं के अनुसार, शिकायतों के निपटारे के लिए समुचित कारवाई की गई है।

वर्ष 2015 व 2016 के दौरान प्राप्त / निपटाई गई शिकायतें निम्नलिखित हैं:

31.03.2015 तक लंबित शिकायतें	2015-16 के दौरान प्राप्त शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें	लंबित शिकायतें
0	1	0	1

सुरक्षा

अधिदेशित और अनुशंसा योग्य सुरक्षा उपायों को सही-सही और सख्ती से सभी शाखाओं, एटीएम और प्रशासनिक कार्यालयों में लागू किया गया। समय - समय पर स्थानीय कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखकर उनकी समीक्षा की जाती है और सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं जिससे ग्राहकों और स्टाफ के लिए सुरक्षित बैंकिंग माहौल का निर्माण किया जा सके। सुरक्षा और अग्निशमन प्रबन्धों के लिए रक्षात्मक उपायों और स्टाफ में सुरक्षा को लेकर जागरूकता की भावना डालने पर बैंक जोर देता रहता है ताकि जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बैंक ने सुरक्षा को लेकर जागरूकता के सम्बन्ध में स्टाफ सदस्यों को सचेत किया है और सभी शाखाओं में 24*7*365 दिनों के लिए पैसिव इंफ्रा रेड (पीआईआर) सेंसर एवं वाइब्रेशन सेंसर के साथ सीसीटीवी और चोर अलार्म लगाने और संवेदनशील शाखाओं और एटीएम में महा निदेशक पुनर्स्थापन में पंजीकृत निजी सुरक्षा एजेंसियों से प्रहरी / सशस्त्र गार्ड तैनात करना सुनिश्चित किया है।

राजभाषा (राजभाषा नीति)

बैंक ने वर्ष 2015-16 में भारत सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। वर्ष के दौरान, 267 स्टाफ सदस्यों को जिनके पास हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं था, उन्हें आइओबी प्रवीण और बैंकिंग प्राज्ञ पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया। हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त 2,976 स्टाफ सदस्यों को वर्ष के दौरान आयोजित सामान्य हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

मंडल स्तर की सभी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त का हिन्दी में अनुवाद किया गया। भारत सरकार के निदेशों के अनुसार, बैंक ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी यूनिकोड स्थापित किया है और आइओबी ऑनलाइन पर उसे डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान की है। स्टाफ सदस्यों के फायदे के लिए आइओबी ऑनलाइन पर बैंकिंग शब्दावली भी प्रदान की गई है। कंप्यूटर पर हिन्दी का उपयोग करने के लिए 2,196 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका "वाणी" के छह अंक प्रकाशित किए गए हैं और सभी अंकों को आइओबी ऑनलाइन पर प्रदर्शित किया गया।

राजभाषा विषयक लेखांकन व साक्ष्य समिति ने क्रमशः 9 जनवरी 2016 को एरणाकुलम क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण किया। राजभाषा विषयक संसदीय समिति की तीसरी उप समिति ने 23 जनवरी 2016 को तंगच्चिमेंडम शाखा का निरीक्षण किया। दोनों समितियों ने इन केंद्रों में राजभाषा के कार्यान्वयन पर संतोष प्रकट किया है। राजभाषा अधिकारियों के लिए वार्षिक राजभाषा समीक्षा बैठक 9 से 11 अप्रैल, 2015 को आयोजित की गई ताकि क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में हुई प्रगति का जायज़ा लिया जा सके और क्षेत्रों में सघन कार्यान्वयन के लिए इनपुट प्रदान किया जा सके।

भारत सरकार ने 14 सितम्बर 2015 को 'ग' क्षेत्र में वर्ष 2014-15 के लिए हमारे बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका 'वाणी' को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है। वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की गृह पत्रिकाओं के लिए अंतर-बैंक प्रतियोगिता में वर्ष 2013-14 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका "वाणी" को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया था। राजभाषा कार्यान्वयन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा किया गया तथा राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में प्रशंसनीय कार्य करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखाओं को राजभाषा शीलड प्रदान किया गया। वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा गुवाहाटी में 18 से 19 मार्च 2016 को अखिल भारतीय स्तर संगोष्ठी व समीक्षा बैठक की गई।

प्रायोजना व आर्थिक डेस्क

क्षेत्रवार लाभ व हानि मूवमेंट के प्रबोधन, कॉर्पोरेट स्तर की बजटिंग, प्रावधानिक दैनिक एमआईएस की शीर्ष प्रबन्धन को रिपोर्टिंग व विभिन्न अध्ययन विश्लेषण की दिशा में प्रायोजना कार्यप्रणाली उपयोगी परिणाम दे रही हैं। आर्थिक डेस्क बैंक के शीर्ष प्रबन्धन का रोजमर्रा के घटनाक्रमों में सहयोग करने के साथ सरकार / भा.रि.बैं. नीतियों का नियमित अंतराल पर आकलन करता है।

संसदीय समिति

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित समितियों के दौरे का आयोजन किया :

ए) 31 मई से 2 जून 2015 तक उटकमुण्ड में उद्योग विषयक समिति।

बी) 10 से 12 जून 2015 तक उटकमुण्ड में पेपर लेड ऑन टेबल विषयक समिति (सीओपीएलओटी)।

स) 18 से 20 जून 2015 तक उटकमुण्ड में अधीनस्थ विधान विषयक समिति।

डी) 20 से 23 जून 2015 तक चेन्नै में 122वें संशोधन पर संविधान विषयक समिति।

ई) 9 से 11 सितंबर 2015 तक चेन्नै में लोकसभा की गृह समिति विषयक समिति।

एफ) 4 से 11 फरवरी 2015 तक चेन्नै में अ.पि.व. के कल्याण विषयक समिति।

आउटलुक 2016-17

2016 में विश्व अर्थव्यवस्था में 3.2 प्रतिशत व 2017 में 3.5 प्रतिशत तक की वृद्धि अनुमानित है। विशेषकर किए गए विभिन्न संरचनात्मक सुधार, सामान्य मॉनसून की प्रत्याशा, सीपीआई मुद्रास्फीति की सहजता व बढ़ती निजी खपतों के कारण वर्ष 2016-17 हेतु घरेलू विकास आउटलुक सकारात्मक बना हुआ है। ग्रामीण व सामाजिक मूलभूत क्षेत्र पर फोकस व सब्सिडी खर्च में अवनति ने मात्रात्मक व गुणात्मक रूप से राजकोषीय स्तर पर सुधार किए हैं। पिछले कुछ वर्षों में, स्टील के मूल्य वैश्विक व घरेलू दोनों स्तरों पर खासकर के न्यूनतम आयात मूल्य की शुरुआत के बाद से मजबूत हुए हैं। इस वर्ष आर्थिक विकास में तेजी के लिए घरेलू उपभोग के मुख्य कारक होने की संभावना है। विवेकाधीन खर्च को बढ़ाने के लिए भा.रि.बैं. की सौम्य मुद्रास्फीति व उदार मौद्रिक नीति से उम्मीद की जाती है। केन्द्रीय बैंक के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को निधियों की सीमांत लागत पर आधारित उधार दरों या नई जमाओं के लिए दी गई दरों को तय करने की आवश्यकता है, यह नीति दरों को उधार दरों तक घटाने के लिए एक बड़ा ट्रांसमिशन होगा। उधार लागतों में लगातार कमी से कुल माँग में बढ़ोतरी की संभावना है। सरकारी सुधारों पर अधिक फोकस के साथ - साथ मुद्रास्फीति के मध्यम स्तर, चालू खाते में कमी से हुआ घाटा, राजकोषीय समेकन, बढ़े हुए औद्योगिक उत्पादन के कारण वर्ष 2016-17 में वृद्धि दर में 7-7.5 प्रतिशत के बीच तेजी की आशा है।

2013, all Administrative offices (Central, Zonal & Regional office) have constituted internal complaints committee. As per the recommendations of the Committee, appropriate action has been taken to redress the grievance.

The following are the Complaints received / disposed during the year 2015 - 2016.

Complaints Pending as on 31.03.2015	Complaints received during 2015-16	Complaints Disposed	Complaints Pending
0	1	0	1

Security

Security measures, mandatory and recommendatory, were correctly and strictly implemented at all the branches, ATMs and administrative offices. Reviews were done periodically keeping in view the local law and order situation and necessary steps were taken to fortify security thereby creating a safe business environment for customers and staff. The Bank continued to stress on preventive measures for security and fire fighting arrangements and inculcation of security consciousness among staff to ensure safety to life and property. Bank has sensitised staff members regarding security awareness and ensured installation and functioning of CCTV and Burglar Alarm 24 x7x365 days incorporating Passive Infra Red (PIR) sensors and vibrations sensors in all branches and deployment of Armed Guards/ Watchmen respectively at vulnerable branches and ATMs from outsourced private security agencies registered vide Director General Resettlement/reputed agencies.

Rajbhasha (Official Language Policy)

The Bank took all efforts to implement the Official Language Policy of Government of India during the year 2015-16. During the year 267 Staff members who do not possess working knowledge of Hindi were trained in IOB Praveen and Banking Pragya Courses. 2,976 Staff members possessing working knowledge of Hindi were trained in General Hindi Workshops held during the year.

Minutes of all meetings of all board level committees were translated in Hindi. As per the directives of Govt. of India, the Bank enabled Hindi Unicode font in Regional Offices and provided the facility of downloading of the same on Bank's intranet. Banking terminology has been provided on Bank's intranet for the benefit of staff members. Training has imparted to 2,196 staff members for the use of Hindi in computers. Six issues of quarterly Hindi Magazine "VANI" were published during the year and all the issues have been ported on Bank's intranet. Bank's website has been made available in Hindi also. During the year IOB -LEKHMALA was also published.

Drafting and evidence committee on Official Language had inspected Ernakulam Regional offices on 9th January 2016. Third Sub Committee of Parliamentary Committee on Official Language inspected Thangachimadam Branch on 23rd January 2016. Both the committees had expressed satisfaction over the implementation of Official Language in these centres. Annual Official Language Review Meeting for Official Language Officers was held on 9th to 11th April 2015 to assess the progress made in the area of Official Language implementation in Regional Offices and provided inputs for intensive implementation in all Regions.

Govt. of India has awarded First prize to bank's In-house Hindi magazine VANI for the year 2014-15 in 'C' Region on September 14, 2015. During the year, Reserve Bank of India awarded third prize to Banks inhouse Hindi Magazine "Vani" for the year 2013-14 in the Inter-Bank competition for Hindi house magazines of banks and financial institutions. Regional Offices were inspected on Official Language implementation and Rajbhasha Shields were awarded to Regional Offices and branches for doing commendable work in official language implementation. All India level Seminar and Review Meeting was held on 18th & 19th March 2016 at Guwahati by Department of Financial Services.

Planning & Economic Desk

The Planning function continue to derive useful results towards monitoring region wise monthly Profit & Loss movement, Corporate level Budgeting, reporting provisional daily MIS to top Management & various study analysis. The economic desk supports top management with day-to-day developments apart from analyzing the Government/ RBI policies at regular intervals.

Parliamentary Committee

The Bank hosted the visit of following committees during the financial year 2015-16:

- Committee on Industry at Ootacamund from 31st May – 2nd June 2015.
- Committee on Paper Laid on Table (COPLAT) at Ootacamund from 10th – 12th June 2015.
- Committee on Subordinate Legislation at Ootacamund from 18th - 20th June 2015.
- Committee on Constitution 122nd Amendment at Chennai from 20th - 23rd June 2015.
- Committee on House Committee at Chennai from 9th to 11th Sep 2015.
- Committee on welfare of OBC at Chennai from 4th – 11th Feb 2016.

Outlook 2016-17

The global economy is projected to grow at 3.2 percent in 2016 and 3.5 percent in 2017. Domestic growth outlook remains positive for 2016-17 mainly on account of various structural reforms undertaken, expectations of a normal monsoon, easing of CPI inflation and rising private consumption. Focus on rural and social infrastructure sector and decline in subsidy outgo have resulted in improvements in the fiscal front, both quantitatively and qualitatively. Over the recent past, steel prices have strengthened both, globally and domestically, especially after introduction of the Minimum Import Price. Domestic consumption is expected to be the main driver of the likely acceleration in economic growth this year. Benign inflation and an accommodative monetary policy stance of the RBI are expected to help increase discretionary spending. With new guidelines from the central bank requiring banks to set their lending rates based on marginal cost of funds, or rates offered to new deposits, there will be greater transmission of reduced policy rates to lending rates. The consequent reduction in the cost of borrowing is likely to boost aggregate demand. Owing to moderate level of inflation, reduced current account deficit, fiscal consolidation, increased industrial production coupled with more focus on government reforms would expect to accelerate the growth rate between 7-7.5 percent in 2016-17.



वर्ष 2015-16 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

ए. अधिदेशात्मक आवश्यकताएँ

1. गवर्नेन्स कोड पर बैंक का दर्शन

कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने दैनिक क्रियाकलापों के संचालन में बैंक की अंतर्निहित मूल्य आधारित प्रणाली को प्रतिबिंबित करता है। बैंक हमेशा ही पारदर्शिता के पक्ष में रहा है तथा उसने प्राधिकारों के विविध स्तरों पर कार्यनिष्पादन हेतु उच्च मानक, निष्पक्षता व जवाबदेही तय की है। स्वस्थ कारोबारी व्यवहार अपनाने से अधिकतम दक्षता हासिल होती है। हम उच्च स्तरीय कारोबारी आचरण का पालन करते हैं और आचरण संहिता रखते हैं जो उच्च प्रबंधन पर लागू है और साथ ही हम उस देश के कानून का पालन करते हैं जहाँ हमारा परिचालन मौजूद है। बैंक का लक्ष्य सदैव शेरधारकों की समृद्धि को बढ़ाने की ओर है और वह इस सुरक्षित रखना सुनिश्चित करता है।

सभी सांविधिक और विनियामक अपेक्षाओं का सभी परिप्रेक्ष्यों में सख्ती से अनुपालन किया जाता है। हितधारकों को परिचालनों के संबंध में अद्यतित करने के लिए हमारी वेबसाइट www.iob.in का निरंतर अद्यतन किया जाता है। हम सदैव सभी पहलुओं में बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

बैंक का कॉर्पोरेट विज़न:-

"बैंक का उद्देश्य है कि गवर्नेंस के उच्च मानकों और आचार द्वारा निर्देशित वैश्विक पहचान/मौजूदगी के साथ कारोबार और टिकाऊ लाभप्रदता के साथ शीर्षस्थ पाँच राष्ट्रीयकृत बैंकों में एक बने और "पहली पसंद वाले बैंकिंग पार्टनर" के रूप में उभरे ताकि अपने सभी स्टेकधारकों को मूल्य प्रदान करे।"

बैंक का कॉर्पोरेट मिशन

- गुणवत्ता, उत्पादों की रेंज, उपयोगिता और लागत प्रभावकारिता के संदर्भ में सर्वोत्कृष्ट प्रतिस्पर्धी उत्पाद प्रदान करना।
- मानव संसाधन को प्रशिक्षण, एक्सपोज़र, मेंटरिंग और प्रोत्साहन तथा 'सॉफ्ट टच' के जरिए बेहतर करना न कि "कठोर व्यवहार"

बी. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कार्यरत निदेशकों के विवरण

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशकता का स्वरूप	नियुक्ति की तारीख	वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति/ कार्यकाल की समाप्ति
01	श्री.आर. कोटीस्वरन	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	कार्यपालक / पूर्णकालिक	31.12.2014	
02	श्री अतुल अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	27.09.2013	
03	श्री पवन कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	10.03.2015	
04	डॉ. आलोक पाण्डे	सरकारी नामिती निदेशक	आधिकारिक - गैर कार्यपालक	22.07.2011	
05	श्री निर्मल चंद	भा.रि.बैं. नामिती निदेशक	आधिकारिक - गैर कार्यपालक	13.03.2014	
06	श्री आर. संपत कुमार	कामगार कर्मचारी निदेशक	गैर कार्यपालक	24.01.2014	
07	डॉ. जय देव शर्मा	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	गैर कार्यपालक	02.05.2013	
08	श्री चिन्नैया	निदेशक / अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	13.11.2013	
09	श्रीमती एस. सुजाता	निदेशक/ अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	05.12.2013	
10	श्री ए.बी.डी. बादुशास	निदेशक/ अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	12.12.2013	
11	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2014	
12	श्री संजय रंगटा	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2014	

से।

- गुणवत्तायुक्त बैंकों का विकास करना, जो कि उद्योग के भावी नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरेंगे।
- समावेशित वृद्धि और ग्राहकोन्मुखी प्रयासों के जरिए देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देना।
- उभरती जरूरतों की आपूर्ति के लिए नवोन्मेषी उत्पादों को शुरू करके समय-समय पर सेवा सुपुर्दगी की प्रक्रिया को संगठित करना।
- यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा बैंक ग्राहकोन्मुखी है, ग्राहकों की समस्याओं का तत्परता से समाधान के लिए सर्जनात्मक समस्या समाधान कौशल वातावरण तैयार करना।
- उभरती अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु अनुपालन की नीतिगत और नियम चालित संस्कृति पर जोर देना।
- उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए सी.आर.एम. (ग्राहक संबंध प्रबंधन) और हासिल दृष्टि का निर्माण करना।
- सभी बैंकिंग सेवाओं को "एक स्रोत" प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे का विस्तार करना चाहे ग्राहक कहीं भी हो।
- "बैंक के अंदर बैंक" की अवधारणा के विकास के जरिए भविष्य की संवृद्धि के लिए बहुआनुशासनिक विधि को अपनाना।

2. निदेशक मंडल

ए. संरचना

बैंक के कारोबार का कार्यभार निदेशक मंडल पर है। प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा दो कार्यपालक निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में काम करते हैं। निदेशक मंडल में 31.03.2016 तक 12 निदेशक हैं, जिनमें तीन पूर्ण कालिक निदेशक हैं व नौ गैर कार्यपालक निदेशक हैं जिसमें दो निदेशक शेयर धारकों द्वारा उनके हितों के विधिवत प्रतिनिधित्व के लिए चुने गए हैं। प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।



Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the year 2015-16

A. Mandatory Requirements :

1. Bank's Philosophy on code of Governance :

Bank is conducting its day to day affairs in accordance with the principles of Corporate Governance. The Bank has always stood for more transparency and set very high standards, fairness and accountability for performance at various layers of authorities. The adoption of sound business practices ensures optimum efficiency. We maintain high level of business ethics and established code of conduct applicable to top management strictly adhering to Laws of Land and where our operation extends to. The Bank always aims to maximise shareholders wealth and ensure to protect the same.

All statutory and regulatory requirements are strictly adhered to and complied in all respects. Every step is taken at regular intervals, to update the stakeholders about the operations on continuous basis in our Web site www.iob.in. We always ensure strict compliance to good Corporate Governance in all aspects.

Bank's Corporate Vision

"To be among the top five nationalized banks in terms of business volumes and sustained profitability with global recognition guided by high standard of governance and ethics; and emerge as the "Most Preferred Banking Partner" to unlock value to all its stakeholders."

Bank's Corporate Mission:

- Deliver the best of competitive products in terms of quality, range, utility and cost effectiveness.
- Optimize HR resources through training, exposure, mentoring and incentive, relying on the "soft touch"

instead of the "big stick".

- Develop quality bankers who would rise to be future leaders of the industry.
- Contribute to country's economic growth through dedicated efforts of inclusive growth and customer focus.
- Streamline the process of service delivery from time to time to meet emerging requirements.
- Nurture a climate of creative problem-solving to resolve customer's grievances with alacrity ensuring that the Bank is regarded as Customer Centric.
- Emphasize a policy-oriented and rule-driven culture of compliance to meet evolving requirements.
- Engineer CRM (Customer Relationship Management) and insights gained for further enhancement of products and service quality.
- Expand IT infrastructure to deliver all banking services from "one tap" irrespective of customer location.
- Adopt a multi disciplinary approach to facilitate future growth through the evolution of "Banks within the Bank".

2. BOARD OF DIRECTORS :

a. Composition :

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The MD & CEO and two EDs function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength as on 31.03.2016 is twelve directors comprising three whole time Directors and nine non-executive Directors, which includes two directors elected by the shareholders to duly represent their interest. The Managing Director & Chief Executive Officer presides over the meetings of the Board.

B. Particulars of directors who held office during the financial year 2015-16:

S. No.	Name of the Director (Sarvashri)	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointment	Retirement/ demission of office during the year
01	Shri R.Koteeswaran	Managing Director & Chief Executive Officer	Executive / Whole Time	31.12.2014	
02	Shri Atul Agarwal	Executive Director	Executive / Whole Time	27.09.2013	
03	Shri Pawan Kumar Bajaj	Executive Director	Executive / Whole Time	10.03.2015	
04	Dr.Alok Pande	Govt. Nominee Director	Official – Non Executive	22.07.2011	
05	Shri.Nirmal Chand	RBI Nominee Director	Official -Non Executive	13.03.2014	
06	Shri. R. Sampath Kumar	Workmen Employee Director	Non Executive	24.01.2014	
07	Dr. Jai Deo Sharma	Officer Employee Director	Non Executive	02.05.2013	
08	Shri Chinnaiah	Director / Part-time Non – Official	Non Executive	13.11.2013	
09	Smt. S. Sujatha	Director / Part-time Non – Official	Non Executive	05.12.2013	
10	Shri A.B.D.Badushas	Director / Part-time Non – Official	Non Executive	12.12.2013	
11	Shri Niranjana Kumar Agarwal	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2014	
12	Shri Sanjay Rungta	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2014	



बैंक के निदेशकों की प्रोफाइल अनुबंध के रूप में संलग्न है। यह घोषित किया जाता है कि कोई भी निदेशक एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं। मंडल ने निदेशकों और सभी महाप्रबंधकों के लिए आचरण संहिता अपनाई है और प्र.नि.व.मु.का.अधि. से इस आशय की घोषणा प्राप्त की गई है जिसमें संहिता अनुपालन की पुष्टि की गई है और यह इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। महाप्रबंधक श्री कृष्णलाल 16.05.2015 तक बोर्ड के सचिव रहे। महाप्रबंधक श्री जग्गा राव 18.05.2015 से 30.09.2015 तक बोर्ड के सचिव रहे। वर्तमान में श्रीमती शंकरी पलनिवेल, उप महा प्रबंधक बोर्ड की सचिव हैं।

सी. बोर्ड की बैठकें

बैठक की तारीख व स्थान और कार्यसूची सभी निदेशकों को समय रहते सूचित की जाती है। निदेशकों को कार्यसूची के सभी मदों पर अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। आवश्यक स्पष्टीकरण उपलब्ध करवाने के लिए बैंक के कार्यपालकों को भी निदेशक मंडल की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने तिमाही में कम-से-कम एक बैठक के साथ, वर्ष में न्यूनतम छः बार आयोजित किए जाने की तुलना में, 14 बोर्ड बैठकें कीं।

बोर्ड पोर्टल, एक वेब आधारित ऑनलाइन वर्कस्पेस, के जरिए बोर्ड के सदस्यों को सूचनाओं का समय पर और निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने 2012-13 में बोर्ड व समिति की बैठकों के आयोजन के लिए ई गवर्नेंस पहल शुरू की। पोर्टल निदेशकों को आईपैड पर वास्तविक समय आधार पर एजेंडा पेपर्स के लिए गोपनीय ई-एक्सेस प्रदान करता है। इस पहल से बैठकों के आयोजन में व्यापक परिवर्तन आया है। परिणामस्वरूप लागत, समय व संसाधन में उल्लेखनीय बचत होती है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित तारीखों एवं स्थानों में 14 बार मंडल की बैठकें आयोजित की गईं :

क्र.सं.	बैठक की तारीख	बैठक का स्थान
01	08.05.2015	चेन्नै
02	06.06.2015 (विशेष बैठक सं. 1)	चेन्नै

03	30.06.2015	चेन्नै
04	25.07.2015	चेन्नै
05	22.08.2015	चेन्नै
06	04.09.2015	चेन्नै
07	05.10.2015	चेन्नै
08	05.10.2015 (विशेष बैठक सं. - 2)	चेन्नै
09	31.10.2015	चेन्नै
10	12.12.2015	चेन्नै
11	12.12.2015 (विशेष बैठक सं. - 3)	चेन्नै
12	10.02.2016	चेन्नै
13	18.03.2016	चेन्नै
14	19.03.2016 (विशेष बैठक सं. - 4)	चेन्नै

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर ध्यान देने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक विशेष बोर्ड बैठक आयोजित की गई:

- 1) जोखिम एवं एन.पी.ए. प्रबंधन
 - 2) मानव संसाधन एवं उत्तराधिकार योजना
 - 3) कोर कारोबार
 - ए) शाखा परिचालन, ऑनलाइन बैंकिंग, कारोबार प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग, लागत एवं उत्पादकता
 - बी) ग्राहक सेवाएँ
 - 4) उत्पाद और बाजार, कारोबार में नवोन्मेष और ई-प्रशासन समेत रणनीतिक कारोबार योजना
- ☐ मंडल की उक्त बैठकों और दिनांक 30.06.2015 को आयोजित पिछली ए.जी.एम. में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी गयी है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति / धारित बोर्ड ने बैठकों की सं	30.06.2015 को संपन्न पिछली ए.जी.एम. में उपस्थिति
01	श्री आर. कोटीस्वरन	14/14	उपस्थित
02	श्री अतुल अग्रवाल	14/14	उपस्थित
03	श्री पवन कुमार बजाज	12/14	उपस्थित
04	डॉ. आलोक पाण्डे	09/14*	अनुपस्थित
05	श्री निर्मल चंद	11/14	अनुपस्थित
06	श्री आर. संपत कुमार	14/14	उपस्थित
07	डॉ. जय देव शर्मा	14/14	उपस्थित
08	श्री चित्रैया	14/14	उपस्थित
09	श्रीमती एस. सुजाता	14/14**	उपस्थित
10	श्री ए. बी. डी. बादुशास	14/14	उपस्थित
11	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	11/14***	उपस्थित
12	श्री संजय रंगटा	13/14	उपस्थित



Profile of Directors of the Bank is enclosed as an Annexure. It is declared that none of the directors are related to each other. The Board has adopted a Code of Conduct for Directors and all the General Managers, and a declaration has been obtained from the MD & CEO confirming their compliance with the Code of Conduct and is attached to this report. Shri Krishan Lal, General Manager was the Secretary to the Board till 16.05.2015. Shri K.Jagga Rao, General Manager, was the Secretary to the Board from 18.05.2015 to 30.09.2015. Smt. Sankari Palanivel, Deputy General Manager, is presently the Secretary to the Board.

C. Meetings of the Board :

The date and place of the meeting as well as the agenda papers are sent to all Directors well in advance. The Directors have access to all additional information on the agenda. Executives of the Bank are also invited to attend the Board meetings to provide necessary clarifications. During the year under review, the meetings of the Board were held 14 times as against the requirement of holding meetings at least once a quarter with a minimum of six times a year.

During the year 2012-13, the Bank has promoted an e-governance initiative for e-conduct of Board and Committee meetings by ensuring timely and seamless flow of information to Board members through the use of a Board Portal, a web based online workspace. The portal offers Directors confidential e-access on I Pads, on a real-time basis, to agenda papers. This initiative has transformed the way meetings are conducted while resulting in substantial savings in cost, time and resources.

During the financial year 2015-16, the Board meetings were held 14 times on the following dates and places :

SL.NO.	DATE OF MEETING	PLACE HELD
01	08.05.2015	Chennai
02	06.06.2015 (Special MeetingNo.1)	Chennai

03	30.06.2015	Chennai
04	25.07.2015	Chennai
05	22.08.2015	Chennai
06	04.09.2015	Chennai
07	05.10.2015	Chennai
08	05.10.2015 (Special Meeting No.2)	Chennai
09	31.10.2015	Chennai
10	12.12.2015	Chennai
11	12.12.2015 (Special Meeting No.3)	Chennai
12	10.02.2016	Chennai
13	18.03.2016	Chennai
14	19.03.2016 (Special Meeting No.4)	Chennai

As directed by Ministry of Finance, Government of India, one Special Board Meeting was held in each quarter to focus on one of the following subjects:

- 1) Risk and NPA Management
 - 2) Human Resources & Succession Planning
 - 3) Core Business –
 - a) Branch operation, on-line banking, Business Process Re-engineering, costs and productivity
 - b) Customer Services
 - 4) Strategic Business Plan including products and markets, innovation in business and e-governance
- Attendance of the directors at the above Board meetings and last AGM held 30.06.2015 are furnished below:

Sl. No.	Name of Director	Number of Board Meetings attended/held	Attendance in the Last AGM 30.06.2015
01	Shri R Koteeswaran	14/14	Attended
02	Shri. Atul Agarwal	14/14	Attended
03	Shri. Pawan Kumar Bajaj	12/14	Attended
04	Dr. Alok Pande	09/14 *	Not Attended
05	Shri. Nirmal Chand	11/14	Not Attended
06	Shri R. Sampath Kumar	14/14	Attended
07	Dr. Jai Deo Sharma	14/14	Attended
08	Shri Chinnaiah	14/14	Attended
09	Smt. S. Sujatha	14/14 **	Attended
10	Shri. A B D Badushas	14/14	Attended
11	Shri. Niranjan Kumar Agarwal	11/14 ***	Attended
12	Shri Sanjay Rungta	13/14	Attended



* डॉ. आलोक पांडे ने 04.09.2015 तथा 12.12.2015 को संपन्न बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया।

** श्रीमती एस. सुजाता ने 22.08.2015 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया।

*** श्री निरंजन कुमार अग्रवाल ने 22.08.2015 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया।

31.03.2016 तक सेबी (एल.ओ.डी.आर) विनियम 2015 के विनियम 34 के संबंध में गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयरों के ब्योरे निम्नवत हैं:

क्रम सं.	नाम	स्थिति	धारिता	संबंध
1	डॉ. आलोक पाण्डे	निदेशक	शून्य	
2	श्री. निर्मल चंद	निदेशक	शून्य	
3	श्री. एन.के. अग्रवाल	निदेशक	200	स्वयं
4	डॉ. जे.डी. शमा	निदेशक	1600 200	स्वयं पत्नी
5	श्री. आर. संपत कुमार	निदेशक	शून्य	
6	श्री. संजय रंगटा	निदेशक	600	स्वयं
7	श्री. एस. सुजाता	निदेशक	शून्य	
8	श्री. चित्रैया	निदेशक	शून्य	
9	श्री. ए. बी. डी. बादुशास	निदेशक	शून्य	

डी. अन्य मण्डल या मण्डल समितियों की संख्या जिनमें निदेशक सदस्य/अध्यक्ष हैं

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों की संख्या (निजी कंपनियों और आइओबी को छोड़ कर) जिनमें वे सदस्य/ बोर्ड के अध्यक्ष हैं (वैकल्पिक/ नामित निदेशक को छोड़कर)	समितियों की संख्या जिसमें सदस्य हैं (आइओबी को छोड़कर)
श्री आर. कोटीस्वरन प्र.नि.व.मु.का. अधि.	1. युनिवर्सल सॉपो जनरल इंश्योरेंस कं. लि. 2. इंडिया इंटरनैशनल बैंक (मलेशिया), बरहद में बोर्ड सदस्य	शून्य 1

ई. समितियों में सदस्यता:

मंडल के निदेशकों में से कोई भी 10 समितियों से अधिक में सदस्य नहीं हैं या सभी सूचीबद्ध इकाइयों, जिनमें वे निदेशक हैं, की पाँच समितियों से अधिक में अध्यक्ष के रूप में पदस्थ नहीं हैं। (सेबी (सूचीबद्ध बाध्यता व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 26 के संबंध में सीमा की गणना के लिए, लेखापरीक्षा समिति व स्टैकधारक संबंध समिति की अध्यक्षता/ सदस्यता पर ही विचार किया गया है।)

3. मंडल की समितियाँ:

निर्णय प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए मंडल ने निम्नलिखित समितियाँ गठित की हैं और उन्हें विशेष अधिकार भी दिए हैं। हर बैठक के कार्यवृत्त समिति की अगली बैठक के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं तथा बोर्ड बैठक के समक्ष कार्यवृत्त सूचनार्थ भी प्रस्तुत किए जाते हैं।

1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
2. बोर्ड की प्रबंधन समिति
3. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति
4. जोखिम प्रबंधन समिति

5. बड़े मूल्य की धोखाधड़ी के प्रबोधन हेतु समिति
6. ग्राहक सेवा समिति
7. आनुशासनिक मामलों की समीक्षा हेतु समिति
8. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति
9. मानव संसाधन विषयक बोर्ड स्तरीय संचालन समिति
10. एन.पी.ए. में वसूली के प्रबोधन हेतु बोर्ड स्तरीय समिति
11. इरादतन चूककर्ता से संबंधित शिकायत निवारण समिति
12. नामांकन समिति
13. पारिश्रमिक समिति तथा
14. हितधारक संबंध समिति (हितधारक शिकायत निवारण समिति)

इनके अलावा कई अन्य समितियाँ मसलन आस्ति देयता प्रबंधन समिति, निवेश समीक्षा समिति तथा प्र.नि. व मु.का.अधि., का.नि. तथा विभाग कार्यपालक जैसे सदस्यों वाली उच्च प्रबंधन समिति हैं, जिनका गठन कारोबार के विभिन्न पहलुओं के दैनंदिन कार्यप्रणाली, समीक्षा व प्रबोधन के लिए किया गया है।



* Dr. Alok Pande attended the meeting through videoconferencing on 04.09.2015 and 12.12.2015.

** Smt. S. Sujatha attended the meeting through video conferencing on 22.08.2015

*** Shri. Niranjan Kumar Agarwal attended the meeting through video conferencing on 22.08.2015.

Details of the Shares held by Non-Executive Directors in terms of Regulation 34 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 as on 31.03.2016

S No.	Name	Position	Holding	Relationship
1.	Dr. ALOK PANDE	DIRECTOR	NIL	
2.	Shri. NIRMAL CHAND	DIRECTOR	NIL	
3.	Shri. N K AGARWAL	DIRECTOR	200	SELF
4.	Dr. J D SHARMA	DIRECTOR	1600 200	SELF SPOUSE
5.	Shri. R SAMPATH KUMAR	DIRECTOR	NIL	
6.	Shri. SANJAY RUNGTA	DIRECTOR	600	SELF
7.	Shri. S SUJATHA	DIRECTOR	NIL	
8.	Shri. CHINNAIAH	DIRECTOR	NIL	
9.	Shri. A B D BADUSHAS	DIRECTOR	NIL	

d. Number of other Boards or Board Committees in which the Director is a member/Chairperson:

Name of the Director	Number of other companies (excluding private companies and IOB) in which he / she is a member/ Chairperson of the Board (excluding alternate / nominee director)	Number of Committees (other than IOB) in which a member
Shri. R. Koteeswaran MD & CEO	Board Member in 1. Universal Sompo General Insurance Co. Ltd. 2. India International Bank (Malaysia) Berhad.	NIL 1

e. Membership in Committees:

None of the directors on the Board is a member in more than 10 committees or acts as a Chairman of more than five committees across all listed entities in which he is a director. (For the purpose of reckoning the limit in terms of Regulation 26 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the chairmanship/membership of the Audit Committee and the Stakeholders' Relationship Committee alone has been considered).

3. COMMITTEES OF THE BOARD:

In order to facilitate the decision-making process, Board has constituted the following committees and delegated specific powers to them. The minutes of each meeting are subsequently placed before the next meeting of the committee for confirmation. The minutes are also placed before the Board Meeting for information.

1. Audit Committee of the Board
2. Management Committee of the Board (MCB)
3. Credit Approval Committee of the Board
4. Risk Management Committee

5. Committee for Monitoring Large Value Frauds
6. Customer Service Committee
7. Committee for Review of Disciplinary Cases
8. Information Technology Strategy Committee
9. Board Level Steering Committee On Human Resources
10. Board Level Committee to Monitor Recovery in NPA
11. Grievances Redressal Committee On Wilful Defaulters
12. Nomination Committee
13. Remuneration Committee and
14. Stakeholders Relationship Committee (Stakeholders' Grievance Committee)

There are various other committees such as Asset Liability Management Committee, Investment Review Committee, and Top Management Committee comprising MD & CEO, ED and GMs along with Department executives, which have been constituted for the day to day functioning, review and monitoring of various aspects of business.



बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (ए.सी.बी)

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा गठित की गयी है। वर्तमान में समिति में पाँच सदस्य हैं- आंतरिक निरीक्षण व लेखापरीक्षा के प्रभारी कार्यपालक निदेशक, सरकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशक व दो गैर सरकारी निदेशक। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र, दिनांकित 24 सितंबर 2015 के जरिए सूचित किया है कि आंतरिक निरीक्षण व लेखापरीक्षा के प्रभारी कार्यपालक निदेशक को ए.सी.बी का सदस्य होना चाहिए जबकि अन्य का.नि. को बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है। बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को तदनुसार 31.10.2015 को संपन्न बैठक में बोर्ड के अनुमोदन से पुनर्गठित किया गया।

भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांकित 10.06.2014 के जरिए सूचित किया है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (जी) व (एच) के तहत नियुक्त निदेशक, जो प्रबंधन समिति में शामिल हैं, किसी भी रूप में लेखापरीक्षा समिति में शामिल नहीं होंगे। बैंक इसका अनुपालन कर रहा है।

मंडल लेखा परीक्षा समिति के कार्य व कर्तव्य निम्नानुसार हैं :

- ★ बैंक में समग्र लेखा परीक्षा कार्य के परिचालन की देख-रेख करना और मार्गदर्शन देना। बैंक में आंतरिक निरीक्षण/ लेखापरीक्षा समग्र लेखापरीक्षा की समीक्षा करना- अनुवर्तन और साथ ही, विशेषीकृत व अति वृहदाकार शाखाओं तथा असंतोषजनक रेटिंग वाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्ट के संबंध में सिस्टम, इसकी गुणवत्ता व प्रभाविता।
- ★ कार्यात्मक क्षेत्रों के अनुपालन अधिकारियों से छमाही रिपोर्ट प्राप्त करना व उनकी समीक्षा करना।
- ★ सांविधिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट तथा लॉग फार्म लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (एलएफ़एआर) में उठाए गए सभी मदों पर अनुवर्तन तथा समीक्षा करना और वार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय विवरणों तथा रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ विचार विमर्श करना।
- ★ भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मामलों/चिंताजनक विषयों की समीक्षा एवं अनुवर्तन करना।

यह समिति निम्नलिखित बातों के अनुवर्तन पर विशेष रूप से ध्यान देती है

- + अन्तर - शाखा समायोजन खाते
- + अन्तर-बैंक तथा नोस्ट्रो खातों में लंबी अवधि से असमंजित लंबित प्रविष्टियाँ
- + विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान में बकाये का समंजन
- + धोखाधड़ियों एवं व्यवस्था संबंधी अन्य सभी प्रमुख क्षेत्र

स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सेबी समिति की शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों पर मंडल की लेखा-परीक्षा समिति को निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य/शक्तियाँ सौंपी गई हैं:

- समिति के अधीन किसी भी गतिविधि की जाँच पड़ताल करना।

- किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करना।
- बाहर से विधिक या अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।
- जरूरत पड़ने पर संबंधित विषय में विशेषज्ञता वाले बाहरी व्यक्तियों को आमंत्रित करना।

लेखा-परीक्षा समिति के कार्यों में विद्यमान कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी शामिल हैं:

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर दृष्टि रखना तथा उसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय हैं।
- लेखाकरण नीतियों व आचरणों पर जोर देते हुए, लेखाकरण मानकों का अनुपालन और अन्य कानूनी जरूरतों को पूरा करते हुए वित्तीय विवरणों का पुनरीक्षण करने के साथ वित्तीय विवरणों के प्रबंधन की समीक्षा।
- आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के संबंध में प्रबंधन, बाहरी एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ समीक्षा करना।
- महत्वपूर्ण स्वरूप के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता या अनियमितता या धोखाधड़ी संबंधी संदेहास्पद मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई आंतरिक जाँच के परिणामों का पुनरीक्षण कर मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना।
- लेखा-परीक्षा शुरू होने से पहले लेखा-परीक्षा के स्वरूप और विस्तार के बारे में बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करने के साथ-साथ लेखा-परीक्षा के बाद किसी चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा करना।
- कंपनी की वित्तीय तथा जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सुझावों के क्रम में बोर्ड की लेखा समिति ने विशिष्ट जोखिम स्तरों पर खातों की निम्नवत समीक्षा को शामिल करने के लिए बोर्ड की लेखा समिति की संभावनाओं के विस्तार का अनुमोदन किया:

- ए) यथावश्यक संभाव्य एनपीए/ दबावग्रस्त मामले
- बी) उच्च मूल्य के ऋण जिन्हें किसी प्रतिभूति, जो दायित्व से मुक्त नहीं है, के प्रति प्रदान किया गया है।
- सी) एक बारगी निपटान के मामले जिनमें उच्च मूल्य के ऋण शामिल हों।
- डी) उच्च मूल्य के खाते - खाते के प्रति प्रदत्त प्रतिभूति/ संपार्श्विक (मूर्त और विशेष रूप से अमूर्त दोनों) के मूल्य व गुणवत्ता के मूल्यांकन व पुनर्मूल्यांकन हेतु।

वर्ष 2015-16 के दौरान समिति दिनांक 25.04.2015, 08.05.2015, 10.07.2015, 25.07.2015, 30.10.2015, 31.10.2015, 15.12.2015, 13.01.2016, 10.02.2016 तथा 18.03.2016 को 10 बार मिली।

- दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है :



AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD (ACB)

The Audit Committee of the Board has been constituted by the Board of Directors as per instructions of the Reserve Bank of India/GOI and presently consists of five members comprising of the Executive Director in charge of Internal Inspection and Audit, Government director, RBI director and two non-official directors. RBI vide its letter dated September 24, 2015 advised that the ED in charge of Internal Inspection and Audit should be the member of the ACB whereas other EDs can be invitees to the meeting. The Audit Committee of the Board was accordingly reconstituted with the approval of the Board at its meeting held on 31.10.2015.

Government of India has advised vide their letter dated 10.06.2014 that Directors appointed under Section 9 (3) (g) and (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, who are on the Management Committee shall not be on the Audit Committee in any capacity. The Bank is complying with the same.

The delegated functions and duties of the ACB are as under:

- ★ To provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank. To review the internal inspection / audit function in the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up and also the inspection reports of specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings
- ★ To obtain and review half – yearly reports from the Compliance Officers of the functional areas
- ★ To review and follow up on the report of the statutory audit and all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interact with the external auditors before the finalization of the annual / quarterly financial statements and reports.
- ★ To review and follow up all the issues / concerns raised in the Inspection reports of RBI.

This committee specially focuses on the follow-up of:

- + Inter – Branch Adjustment Accounts
- + Unreconciled long outstanding entries in Inter – Bank Accounts and Nostro Accounts
- + Arrears in balancing of books at various branches
- + Frauds and all other major areas of house – keeping,

The following additional role functions/powers have been entrusted to ACB in terms of SEBI Committee on Corporate Governance guidelines issued by RBI to Indian Commercial Banks listed on stock exchanges:

- To investigate any activity within its terms of reference.
- To seek information from any employee.

- To obtain outside legal or other professional advice.
- To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

The role of the Audit Committee shall also include the following in addition to the existing role function:

- Overseeing of the company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
- Reviewing with the Management the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning the financial statements.
- Reviewing with the Management, external and internal auditors, the adequacy of internal control systems.
- Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- Discussing with external auditors before the commencement of audit the nature and scope of audit as well as having post audit discussion to ascertain any area of concern.
- Reviewing the company's Financial and Risk Management Policies.

In line with the suggestions of the Ministry of Finance, Government of India, the scope of the Audit Committee of the Board was broadened to include the following reviews of accounts at specific exposure levels as approved by the Audit Committee of the Board:

- A) Potential NPA / stress cases as and when required.
- B) High value loans which have been granted against a security which is not free from encumbrances
- C) Cases of One time settlement involving high value loans
- D) High value accounts - to evaluate / re-evaluate the value and quality of security / collateral (both tangible and especially intangible) provided against the account.

The committee met 10 times during the year 2015-16 on 25.04.2015, 08.05.2015, 10.07.2015, 25.07.2015, 30.10.2015, 31.10.2015, 15.12.2015, 13.01.2016, 10.02.2016 and 18.03.2016.

- The members who held office during the period 01.04.2015 to 31.03.2016 and the particulars of the number of meetings attended by them during the year are as under :



क्रम सं.	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि से तक		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
1	श्री अतुल अग्रवाल	सदस्य	27.09.2013		10/10
2	श्री पवन कुमार बजाज	सदस्य #	10.03.2015	31.10.2015	06/06
3	डॉ. आलोक पाण्डे	सदस्य	22.07.2011		09/10*
4	श्री निर्मल चंद	सदस्य	13.03.2014		07/10
5	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	सदस्य /समिति के अध्यक्ष	08.12.2014		10/10*
6	श्री संजय रंगटा	सदस्य	08.12.2014		10/10*

* डॉ. आलोक पांडे, श्री निरंजन कुमार अग्रवाल व श्री संजय रंगटा ने 15.12.2015 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

01.11.2015 से आंतरिक निरीक्षण व लेखापरीक्षा के प्रभारी कार्यपालक निदेशक ए.सी.बी के सदस्य तथा अन्य का.नि. भा.रि.बैं. की सूचना के अनुसार आमंत्रित किए जाएंगे।

पारिश्रमिक व नामांकन समिति

पारिश्रमिक समिति

बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक (कार्य-निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को छोड़कर) के बारे में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। बैंक के अन्य निदेशकों को केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक बैठक के शुल्क के अलावा बैंक द्वारा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निष्पादन का मूल्यांकन एवं कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन का भुगतान करने की सिफारिश करने हेतु निदेशक मंडल की उप समिति- पारिश्रमिक समिति उचित समय पर गठित की जाएगी। बैंक समिति वर्ष 2015-16 के दौरान एक बार भी नहीं मिली।

नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र संदर्भ डीबीओडी सं. बी सी सं.47 / 29.39.001 / 2007-08 दिनांकित 01.11.2007 में दिनांक 16.10.2006 से प्रभावी बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970 में हुए संशोधन के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करते

क्र. सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक का ब्योरा वेतन पी.एफ.		राशि (रु. में)
1.	श्री आर. कोटीस्वरन	प्र.नि. व मु.का.अधि	20,33,825	92,885	21,26,710
2.	श्री अतुल अग्रवाल	का.नि.	17,99,063	82,149	18,81,212
3.	श्री पवन कुमार बजाज	का.नि.	17,37,702	79,755	18,17,457
4.	श्री वाइ.सी जैन	म.प्र. व सी.एफ.ओ	18,91,767	2,02,785	20,94,552

बैंक गैर- कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैठक शुल्क के अलावा और कोई पारिश्रमिक नहीं देता है। 01.04.2015 से 19.07.2015 तक केंद्रीय बोर्ड बैठकों के लिए प्रदत्त बैठक शुल्क- रु. 10,000 प्रति बैठक तथा केंद्रीय बोर्ड स्तरीय समितियों के लिए रु. 5000 प्रति बैठक, 20.07.2015 से केंद्रीय बोर्ड बैठकों के लिए बैठक शुल्क- रु. 20,000 प्रति बैठक तथा केंद्रीय बोर्ड स्तरीय समितियों के लिए रु. 10,000 प्रति बैठक का भुगतान किया जाता है।

4. हितधारक संबंध समिति (हितधारक शिकायत निवारण समिति)

श्री संजय रंगटा समिति के अध्यक्ष हैं तथा अन्य सदस्य बोर्ड द्वारा

समय "योग्य तथा उचित" हैसियत आदि निर्णय लेने के प्राधिकार, पद्धति / कार्यविधि तथा मानदण्ड-के निर्धारण के लिए आवश्यक दिशानिर्देश दिए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेश दिया है कि "योग्य तथा उचित" मानदण्ड को अब से चुने गए निदेशकों (शेयरधारक निदेशकों) - वर्तमान तथा भविष्य दोनों में भी लागू किया जाए।

समिति का पुनर्गठन 31.10.2014 को निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से तक	
1	डॉ. आलोक पाण्डे- अध्यक्ष	28.04.2014	
2	श्रीमती एस.सुजाता	28.04.2014	
3	श्री चिन्मया	01.11.2014	

समिति वर्ष 2015-16 के दौरान एक बार भी नहीं मिली।

निदेशकों व मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों व मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक का ब्योरा निम्नवत है:

नामित दो निदेशक हैं। निम्नलिखित सदस्यों वाली यह समिति 01.04.2015 से 31.03.2016 के दौरान 30.06.2015, 04.09.2015, 12.12.2015 तथा 10.02.2016 को चार बार मिली।

क्रम सं.	नाम	कार्यकाल से तक	
1	श्री संजय रंगटा	08.12.2014	
2	श्री अतुल अग्रवाल	18.10.2013	
3	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	08.12.2014	



Sl. No.	Name of Director	Position	Tenure of membership From To		Number of Meetings Attended/held
1	Shri Atul Agarwal	Member	27.09.2013		10/10
2	Shri Pawan Kumar Bajaj	Member #	10.03.2015	31.10.2015	06/06
3	Dr. Alok Pande	Member	22.07.2011		09/10 *
4	Shri Nirmal Chand	Member	13.03.2014		07/10
5	Shri. Niranjana Kumar Agarwal	Member/ Chairman of the Committee	08.12.2014		10/10 *
6	Shri Sanjay Rungta	Member	08.12.2014		10/10 *

* Dr. Alok Pande, Shri. Niranjana Kumar Agarwal and Shri. Sanjay Rungta attended the meeting on 15.12.2015 through video conferencing.

With effect from 01.11.2015 ED in charge of Inspection and Audit is a member of ACB and the other ED is an invitee as advised by RBI.

REMUNERATION & NOMINATION COMMITTEE

Remuneration Committee

Remuneration (excluding performance linked incentive) payable to the whole time directors is decided by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to other directors except sitting fees as per directives of Central Government. A Remuneration Committee, a Sub-Committee of the Board of Directors, would be constituted at an appropriate time for evaluating the performance in terms of government guidelines and to recommend payment of performance-linked incentives to the whole time directors of the Bank. The Committee did not meet during the year 2015-2016.

Nomination committee

RBI, vide circular ref: DBOD. No. BC. No.47 / 29.39.001 / 2007-08 dated 01 11 2007, pursuant to the amendment in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 effective 16.10.2006, has issued

necessary guidelines for determining the authority, manner/procedure and criteria for deciding the 'Fit and Proper' status etc., while appointing the Directors.

RBI has directed that the "Fit and Proper" criteria, as of now, be made applicable to the elected directors (Shareholder directors) – both present and future.

The Committee was reconstituted on 31.10.2014 with the following members:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership From To	
1	Dr. Alok Pande- Chairman	28.04.2014	
2	Smt. S. Sujatha	28.04.2014	
3	Shri. Chinnaiah	01.11.2014	

The Committee did not meet during the year 2015-2016.

REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL:

The remuneration of the Chairman & Managing Director, Managing Director and Chief Executive Officer and the Executive Directors is fixed by the Central Government.

Details of Remuneration paid to whole time Directors & Key Managerial Personnel during the Financial Year 2015-16 are as follows:

Sl. No.	Name	Designation	Details of Remuneration		Amount (Rs.)
			Salary	PF	
1.	Shri R Koteeswaran	MD & CEO	20,33,825	92,885	21,26,710
2.	Shri Atul Agarwal	ED	17,99,063	82,149	18,81,212
3.	Shri Pawan Kumar Bajaj	ED	17,37,702	79,755	18,17,457
4.	Shri Y C Jain	GM & CFO	18,91,767	2,02,785	20,94,552

The Bank does not pay any remuneration to the Non-executive Directors excepting sitting fees as per the Govt. of India guidelines. Sitting fees paid for Central Board Meetings – Rs. 10000/- per meeting and for other Central Board Level Committees Fees – Rs.5000/- per meeting from 01.04.2015 to 19.07.2015. From 20.07.2015 onwards, the sitting fee is being paid at Rs.20000/- per meeting for Central Board Meeting and Rs.10000/- per meeting for other Central Board Level Committees

4. STAKEHOLDERS' RELATIONSHIP COMMITTEE (STAKEHOLDERS' GRIEVANCE COMMITTEE):

Shri Sanjay Rungta is the Chairman of the Committee and

the other members are two directors nominated by the Board. The committee consisting of following members met 4 times during the period from 01.04.2015 to 31.03.2016, on 30.06.2015, 04.09.2015, 12.12.2015 and 10.02.2016.

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership From To	
1.	Shri Sanjay Rungta	08.12.2014	
2.	Shri. Atul Agarwal	18.10.2013	
3.	Shri Niranjana Kumar Agarwal	08.12.2014	



अनुपालन अधिकारी-

सेबी (एल.ओ.डी.आर) के विनियम 6 के संबंध में सेबी, स्टॉक एक्सचेंज आदि के विविध प्रावधानों के अनुपालन हेतु समीक्षाधीन अवधि के दौरान सुश्री दीपा चेल्लम कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी हैं।

शेयरधारकों की शिकायत:

वर्ष के दौरान प्राप्त, सुलझाई गई व लंबित शिकायतों की संख्या:

01.04.2015 तक लंबित	1
वर्ष के दौरान प्राप्त	312
वर्ष के दौरान सुलझाई गई	313
31.03.2016 तक लंबित	शून्य

5. सामान्य निकाय बैठक

क) अंतिम तीन सामान्य निकाय बैठकों आयोजन का स्थान व समय निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	बैठक की प्रकृति	बैठक की तारीख, दिन व समय	स्थान
1	13वीं ए.जी.एम	28.06.2013, शुक्रवार, पूर्वाह्न 10.00	रानी सीतै हॉल, 603, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 006,
2	14वीं ए.जी.एम	27.06.2014, शुक्रवार, पूर्वाह्न 10.00	रानी सीतै हॉल, 603, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 006,
3	15वीं ए.जी.एम	30.06.2015, मंगलवार, पूर्वाह्न 10.30	नारद गान सभा, 314 टीटीके रोड, चेन्नै- 600018

ख) 13वीं, 14 वीं व 15वीं वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदनार्थ योग्यता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यू.आइ.पी.), राइट्स ईश्यू, अधिमानी आधार पर आबंटन और अनुवर्तन पब्लिक ऑफर या अधिमानी शेयरों (संचयी / गैर संचयी) के ज़रिए इक्विटी शेयरों को जारी कर पूंजी जुटाने के लिए विशेष संकल्प प्रस्तुत किए गए।

ग). कोई डाक मतदान नहीं था।

घ). स्थान व समय जहाँ असाधारण सामान्य बैठकें आयोजित हुईं :

क्रम सं.	बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख, दिन व समय	स्थान
01	ई.जी.एम.	16.12.2013, सोमवार, पूर्वाह्न 10.00 बजे	होटल एंबेसेडर पल्लवा, 30, मॉन्टियथ रोड, एम्मोर, चेन्नै - 600 008.
02	ई.जी.एम.	26.02.2014, बुधवार, पूर्वाह्न 10.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड, चेन्नै 600 018
03	ई.जी.एम.	23.09.2015, बुधवार, पूर्वाह्न 10.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड, चेन्नै 600 018
04	ई.जी.एम.	24.03.2016, गुरुवार, पूर्वाह्न 10.30 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड, चेन्नै 600 018

उक्त असाधारण सामान्य बैठकों का आयोजन अधिमानी आधार पर भारत सरकार और एल.आइ.सी को इसकी विभिन्न योजनाओं को इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किया गया।

ड.) ई-वोटिंग:

सेबी (एल.ओ.डी.आर) के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, जारीकर्ता वार्षिक सामान्य बैठक / असाधारण सामान्य बैठक में पारित होने वाले सभी शेयरधारक संकल्पों के संबंध में अपने शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने को सहमत हैं। तदनुसार बैंक ने 23.09.2015 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक से अपने शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करना शुरू कर दिया है।

6. संप्रेषण के माध्यम

क. बैंक के तिमाही अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल द्वारा

सेबी (एल.ओ.डी.आर) के विनियम 46 के संबंध में, हमने शेयरधारकों को सूचित किया है कि निवेशकों की शिकायतों को दर्ज करने व उनके समाधान हेतु एक अलग ईमेल आइडी

investorcomp@iobnet.co.in आबंटित किया गया है

और कंपनी सचिव सुश्री दीपा चेल्लम इस संबंध में अनुपालन अधिकारी हैं। हमने इस ईमेल आइडी व अन्य प्रमुख ब्योरों को अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है। निवेशक संपर्क कक्ष, जिसके प्रमुख सहायक महाप्रबंधक हैं, जो कि योग्य कंपनी सचिव भी हैं, निवेशकों की शिकायतों को भी निपटारा करते हैं।

अनुमोदित किए जाते हैं और इसे नियत समय के अन्दर उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया जाता है जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। बैंक वार्षिक परिणाम हरित पहल के तहत ईमेल के द्वारा उन शेयरधारकों को भेजता रहा है जिनका ई मेल पता बैंक के पास उपलब्ध है तथा अन्य को हार्ड प्रति के ज़रिए भेजा जाता है और प्रत्येक तिमाही परिणाम हमारी वेबसाइट www.iob.in पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

ख. सेबी (सूचीबद्ध करार व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 (एल.ओ.डी.आर.) के विनियम 47 के मुताबिक तिमाही वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय दैनिक, क्षेत्रीय स्थानीय दैनिक व हिंदी दैनिक में प्रकाशित किए जाते हैं। प्रकाशन की तारीख व विवरण निम्नानुसार हैं :

**Compliance Officer:**

In terms of Regulation 6 of SEBI (LODR), Ms. Deepa Chellam is the Company Secretary and the Compliance Officer during the period under review for the purpose of complying with the various provisions of SEBI, Stock Exchanges etc.

Shareholders Complaints:

Number of complaints received, resolved and pending during the year:

Pending as on 01.04.2015	1
Received during the year	312
Redressed during the year	313
Pending as on 31.03.2016	Nil

5. GENERAL BODY MEETING:

a. Location and time where last three General Body Meetings were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1	13 th AGM	28.06.2013, Friday, 10.00 A.M.	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
2	14 th AGM	27.06.2014, Friday, 10.00 AM	Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
3	15 th AGM	30.06.2015, Tuesday, 10.30 AM	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018

b. In the 13th, 14th and 15th, special resolutions were put through to obtain the shareholders approval to raise capital by way of issue of equity shares through Qualified Institutional Placement (QIP), Rights Issue, Preferential allotment or Follow-on Public Offer or preference shares (cumulative / non cumulative).

c. There was no postal ballot exercise.

d. Location and time where Extra Ordinary General Body Meetings were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1	EGM	16.12.2013 Monday 10.00 A.M.	Hotel Ambassador Pallava, 30, Montieth Road, Egmore, Chennai – 600 008
2	EGM	26.02.2014 Wednesday 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
3	EGM	23.09.2015 Wednesday 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
4	EGM	24.03.2016 Thursday 10.30 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018

The above EGMs were held for obtaining shareholders approval for issue of equity shares to Government of India and to LIC on its various schemes on preferential basis.

e) E-Voting:

In accordance with the provisions Regulation 44 of SEBI (LODR), the Issuer agrees to provide **E-Voting facility to its shareholders** in respect of all shareholders' resolutions, to be passed at AGM / EGM. Accordingly, the Bank has commenced providing e-voting facility to its shareholders from EGM conducted on 23.09.2015.

6. MEANS OF COMMUNICATION:

a. The quarterly un-audited financial results of the Bank are

In terms of Regulation 46 of SEBI (LODR), we have advised the shareholders that an exclusive e-mail ID - **investorcomp@iobnet.co.in** has been allotted and Ms. Deepa Chellam, Company Secretary is the Compliance Officer for the purpose of registering and redressal of complaints by investors. We have displayed this email ID and other relevant details prominently on our website. The Investor Relations Cell headed by an Assistant General Manager who is also a qualified Company Secretary handles the redressal of investor complaints.

approved by the Board of Directors and the same are submitted within the stipulated period to all the stock exchanges where the Bank's shares are listed. The Bank has been sending annual results, under Green Initiative by email to those shareholders whose e mail addresses are available with the bank, for others by hard copy and displaying every quarter results in our website www.iob.in.

b. The quarterly financial results are published in a national daily, a regional vernacular daily and in Hindi daily in terms of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (LODR). The details and dates of publication are as under:



... को समाप्त तिमाही	अंग्रेजी दैनिक	क्षेत्रीय दैनिक (तमिल)	हिंदी दैनिक	प्रकाशन की तिथि
31.03.2015	फाइनेंसियल एक्सप्रेस	दिनमणि	जनसत्ता	09.05.2015
30.06.2015	बिजनेस स्टैंडर्ड	दिनमणि	जनसत्ता	27.07.2015
30.09.2015	फाइनेंसियल एक्सप्रेस	दिनमणि	जनसत्ता	02.11.2015
31.12. 2015	बिजनेस लाइन	द हिंदू	जनसत्ता	11.02.2016

ग. तिमाही परिणाम व वार्षिक परिणाम बैंक की वेबसाइट www.iob.in/Financial_perf.aspx पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं।

7. सामान्य शेयरधारक सूचना

क. ए.जी.एम.: तारीख, समय और स्थान:

दिनांक	18.07.2016
समय	पूर्वाह्न 10:00 बजे
स्थान	रानी सैत हॉल, 603, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 006,

ख. वित्तीय वर्ष:

1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016

ग. लाभांश भुगतान की तारीख: शून्य (वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक को नुकसान हुआ)

घ. बही बंद करने की तारीख: वार्षिक सामान्य बैठक के लिए
12.07. 2016 से 18.07.2016 (दोनों दिन शामिल हैं)

ड. अदत्त लाभांश :

16.10.2006 से प्रभावी बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) तथा वित्तीय संस्थाएँ विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970 में 10 (बी) नामक एक नई धारा जोड़ दी गई है जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान है:

- घोषणा की तारीख से 30 दिनों के बाद 7 दिनों के अंदर, यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश का नकदीकरण / दावा नहीं किया हो, ऐसी रकम जो बैंक के चालू खाते में पड़ी है, उसे वर्ष के लिए आइ ओ बी के अदत्त लाभांश खाते नामक अलग खाते में अंतरित किया जाना है।
- कॉर्पोरेट मामलात मंत्रालय ने बैंकों को अदत्त लाभांश खाते, जो इस प्रकार के अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त या अदावी पड़ी हैं, जिसे निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि को अंतरित कर देना है को जमा करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में सूचित किया है। अतः 2008 तक घोषित लाभांश को 08.08.2015 को निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया गया।

तदनुसार पिछले वर्षों के अदत्त लाभांशों को आइओबी के अदत्त लाभांश खातों को अंतरित कर दिया गया है और अतः इस प्रकार की अंतरण राशि को जो अंतरण की तारीख से सात साल की अवधि तक अदत्त या अदावी हैं, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया जाएगा:

.....वर्ष के लिए लाभांश	अदत्त लाभांश खाते को अंतरित करने की तारीख	केंद्र सरकार (आइ.ई.पी.एफ.) को अंतरण की तारीख
2000-01	08.12.2006	26.08.2014
2001-02	05.12.2006	30.08.2014
2002-03	05.12.2006	30.08.2014
2003-04 (आइ)	04.12.2006	30.08.2014
2003-04 (एफ)	04.12.2006	05.09.2014
2004-05 (आइ)	09.12.2006	30.08.2014
2004-05 (एफ)	05.12.2006	05.09.2014
2005-06	04.12.2006	05.09.2014
2006-07	13.07.2007	05.09.2014
2007-08	19.07.2008	08.08.2015
2008-09	11.08.2009	
2009-10	26.10.2010	
2010-11	02.09.2011	
2011-12	16.10.2012	
2012-13	01.08.2013	
2013-14 (आई)	05.03.2014	
2013-14 (एफ)	01.08.2014	

च. बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए गए हैं:

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड
बांबे स्टॉक एक्सचेंज लि.	532388
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. .	आइओबी ईक्यू आई बीई बीटी

स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2015-16 के लिए सूचीबद्ध करने हेतु वार्षिक शुल्क निर्धारित देय तारीखों के अंदर दिया गया है।

प्राधिकृत पूंजी

31.03.2016 तक बैंक की प्राधिकृत पूंजी रु. 3000 करोड़ है।

प्रदत्त पूंजी में बढ़ोतरी

बैंक ने अधिमानी आधार पर भारत सरकार को 16.10.2015 को रु. 41.37 प्रति इक्विटी शेयर (रु. 31.37 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम समेत) के इश्यू मूल्य पर नकद के लिए रु. 10 प्रति इक्विटी शेयर के 48,56,17,597 इक्विटी शेयर जिनका मूल्य रु. 2009 करोड़ के करीब हुआ, जारी किए तथा अधिमानी आधार पर एल.आइ.सी को 29.03.2016



Quarter ended	English Daily	Regional Daily (Tamil)	Hindi Daily	Date publication
31.03.2015	Financial Express	Dinamani	Jansatta	09.05.2015
30.06.2015	Business Standard	Dinamani	Jansatta	27.07.2015
30.09.2015	Financial Express	Dinamani	Jansatta	02.11.2015
31.12.2015	Business Line	The Hindu	Jansatta	11.02.2016

c. The quarterly results and annual results are also being displayed on the Bank's web-site

http://www.iob.in/Financial_perf.aspx

7. GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION:

a) AGM: Date, Time and Venue:-

Date	18.07.2016
Time	10.00 am
Venue	Rani Seethai Hall, 603 Anna Salai, Chennai 600 006

b) Financial Year : 01st April 2015 to 31st March 2016.

c) Dividend Payment Date : NIL (Bank incurred loss during FY 2015-16)

d) Date of Book Closure : 12.07.2016 to 18.07.2016 (Both days inclusive) for purpose of Annual General Meeting.

e) Unpaid Dividend:

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 which has come into force on 16.10.2006, has inserted a new section 10(B) in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 which provides as under:

- Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed / claimed the dividend, such amounts lying in the bank current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend Account of IOB for the year ____".
- Ministry of Corporate Affairs had advised the process to be followed by Banks for depositing the Unpaid Dividend account which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, to be transferred to the Investor Education and Protection Fund. Hence Dividend declared up to 2008 was transferred to Investors Education and Protection Fund (IEPF) on 08.08.2015.

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend Account/s of IOB as follows and hence such monies, which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such, transfer, and thereafter shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund:

Dividend for	Date of Transfer to Unpaid Dividend A/c	Date of Transfer to Central Government(IEPF)
2000-01	08.12.2006	26.08.2014
2001-02	05.12.2006	30.08.2014
2002-03	05.12.2006	30.08.2014
2003-04 (I)	04.12.2006	30.08.2014
2003-04 (F)	04.12.2006	05.09.2014
2004-05 (I)	09.12.2006	30.08.2014
2004-05 (F)	05.12.2006	05.09.2014
2005-06	04.12.2006	05.09.2014
2006-07	13.07.2007	05.09.2014
2007-08	19.07.2008	08.08.2015
2008-09	11.08.2009	
2009-10	26.10.2010	
2010-11	02.09.2011	
2011-12	16.10.2012	
2012-13	01.08.2013	
2013-14 (I)	05.03.2014	
2013-14 (F)	01.08.2014	

f. The Bank's shares are listed on the following stock exchanges:

Name of the Stock Exchange	Stock Code
Bombay Stock Exchange Ltd.	532388
National Stock Exchange of India Ltd.	IOB EQ AE BE BT

Annual listing fee for the year 2015-16 has been paid to the stock exchanges within the prescribed due dates.

Authorised Capital:

As on 31.03.2016, the Authorized Capital of the Bank is Rs.3000 crore.

Increase in Paid-up Capital:

The Bank has issued 48,56,17,597 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs.41.37 per equity share (including premium of Rs.31.37 per equity share) aggregating upto Rs.2009 crore to Government of India on Preferential Basis on 16.10.2015 and 8,62,99,771 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs.23.45 per equity share (including premium of Rs.13.45 per equity



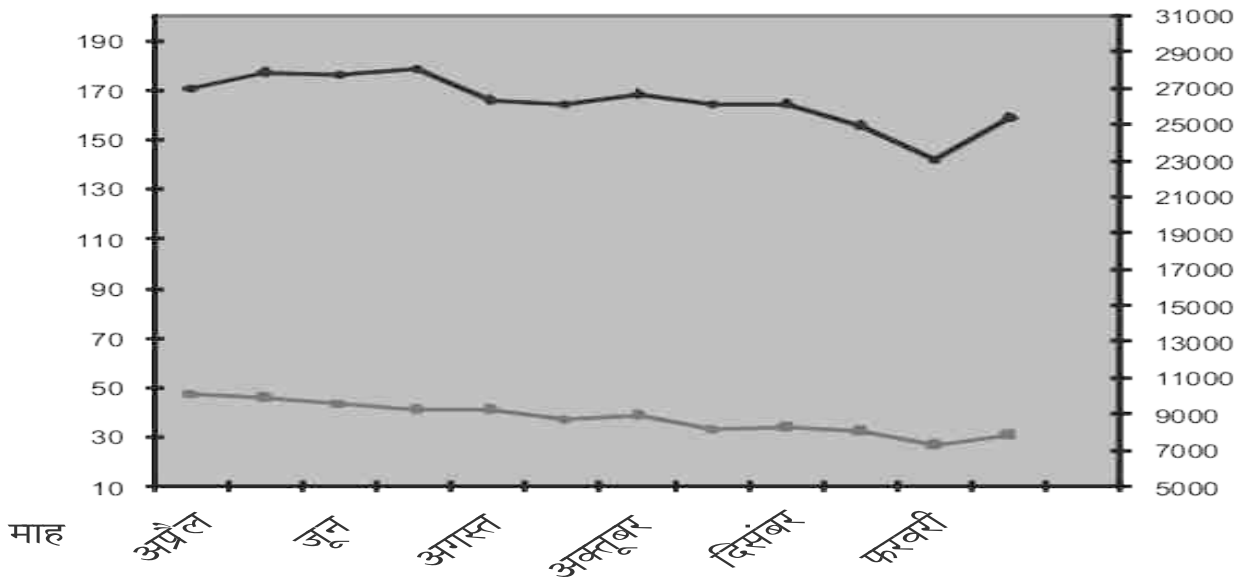
को रु. 23.45 प्रति इक्विटी शेयर (रु. 13.45 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम समेत) के इश्यू मूल्य पर नकद के लिए रु. 10 प्रति इक्विटी शेयर के 8,62,99,771 इक्विटी शेयर जिनका मूल्य रु. 202.37 करोड़ के करीब हुआ, जारी किए। अतः बैंक की प्रदत्त पूँजी रु. 1235.35 करोड़ से बढ़कर रु. 1807.27 करोड़ हो गई। भारत सरकार की शेयरधारिता रु. 911.71 करोड़ (73.80%) से बढ़कर रु. 1397.33 करोड़ (77.32%) तथा पब्लिक शेयरधारिता रु. 409.94 करोड़ (22.68%) रही।

छ. बाजार मूल्य के आँकड़े

अवधि - माह	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज		बाँबे स्टॉक एक्सचेंज	
	उच्च(रु)	निम्न (रु)	उच्च(रु)	निम्न (रु)
अप्रैल 2015	47.50	41.55	47.50	41.55
मई 2015	45.60	39.85	45.50	39.90
जून 2015	43.45	35.90	43.40	36.00
जुलाई 2015	40.15	35.00	40.50	35.05
अगस्त 2015	40.90	33.60	40.85	33.75
सितंबर 2015	37.10	32.60	37.05	32.55
अक्टूबर 2015	38.10	34.90	38.20	34.85
नवंबर 2015	33.15	29.55	33.05	29.55
दिसंबर 2015	33.40	30.20	33.55	30.25
जनवरी 2016	31.80	24.50	31.75	24.55
फरवरी 2016	26.20	20.85	26.20	21.10
मार्च 2016	30.50	24.15	30.45	24.30

2015-16 के दौरान संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के शेयरों का उच्च / निम्न कीमतों के आँकड़े स्पष्ट अक्षरों में दिए गए हैं।

ज. 01-04-2015 से 31-03-2016 के दौरान बीएसई सेंसेक्स की तुलना में इक्विटी निष्पादन



झ) रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एंजेंट

मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लि.
(यूनित - आइ ओ बी) सुब्रमणियन बिल्डिंग, पाँचवी मंजिल
न.1, क्लब हाउस रोड चेन्नै - 600 002
टेलिफोन - 044- 28460395, फैक्स- 28460129
ई.मेल : cameo@cameoindia.com

—●— माह के लिए उच्च शेयर कीमत
—●— सेंसेक्स उसी दिन बंद होता है



share aggregating upto Rs.202.37 crore to LIC of India on 29.03.2016 on Preferential Basis.

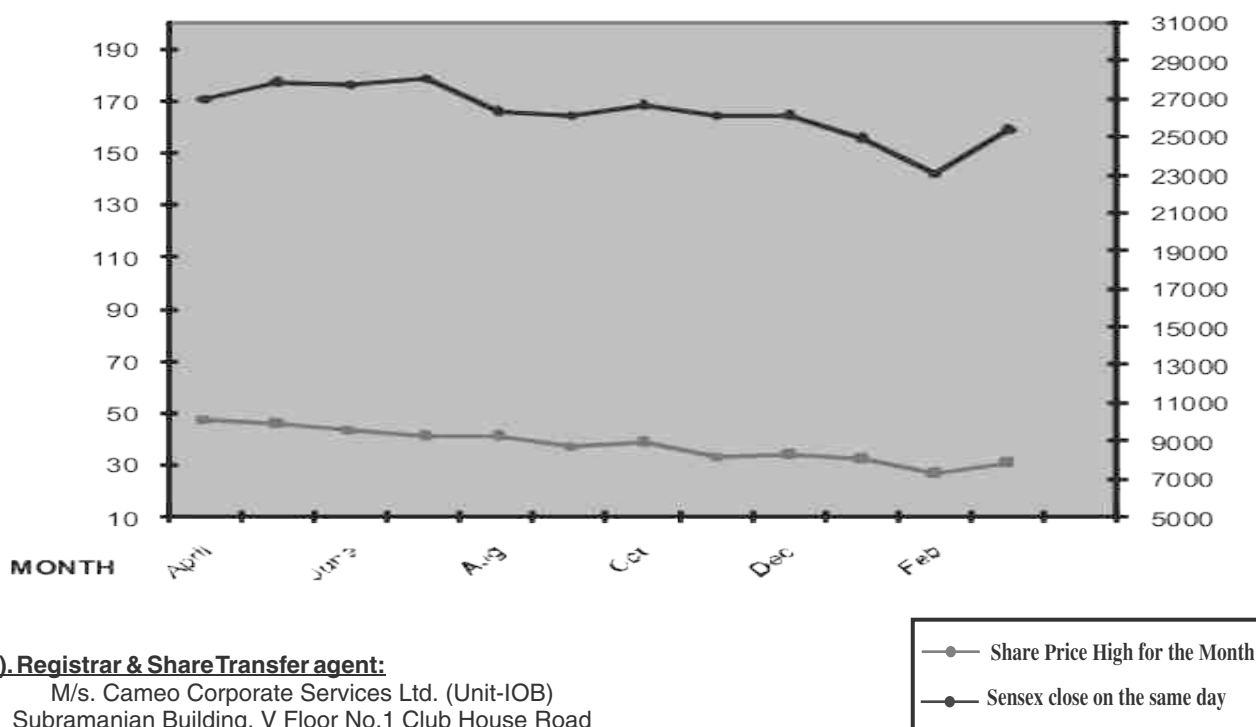
Hence, the paid-up capital of the Bank has increased from Rs.1235.35 crore to Rs.1807.27 crore. Government of India's shareholding has increased from Rs.911.71 crore (73.80%) to Rs.1397.33 crore (77.32%) and the Public shareholding stood at Rs.409.94 crore (22.68%).

g) Market Price Data:-

Period - Month	National Stock Exchange		BSE	
	High (Rs.)	Low (Rs.)	High (Rs.)	Low (Rs.)
April 2015	47.50	41.55	47.50	41.55
May 2015	45.60	39.85	45.50	39.90
June 2015	43.45	35.90	43.40	36.00
July 2015	40.15	35.00	40.50	35.05
August 2015	40.90	33.60	40.85	33.75
September 2015	37.10	32.60	37.05	32.55
October 2015	38.10	34.90	38.20	34.85
November 2015	33.15	29.55	33.05	29.55
December 2015	33.40	30.20	33.55	30.25
January 2016	31.80	24.50	31.75	24.55
February 2016	26.20	20.85	26.20	21.10
March 2016	30.50	24.15	30.45	24.30

Figures in bold represent the high/low price of the Bank's shares traded during the year 2015 -16, in the respective Stock Exchanges.

h). Equity performance in comparison to BSE Sensex during 01.04.2015 to 31.03.2016



i). Registrar & Share Transfer agent:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd. (Unit-IOB)
Subramanian Building, V Floor No.1 Club House Road
Chennai-600 002
Tel: 044-28460395 Fax: 28460129
e-mail:cameo@cameoindia.com



ज. शेयर अंतरण प्रणाली

शेयर अंतरण समिति में प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, एक शेयरधारक निदेशक और मंडल, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं, द्वारा नामित एक निदेशक हैं। समिति शेयर अंतरण, प्रेषण, डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्रों निर्गमन, स्थिति अंतरण, डीमेट/रीमेट आदि मसलों को संभालती है। समिति वर्ष के दौरान 8 बार मिली।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से तक
1	श्री आर. कोटीस्वरन	31.12.2014
2	श्री अतुल अग्रवाल *	27.09.2013
3	श्री पी.के. बजाज**	10.03.2015
4	श्री संजय रंगटा	08.12.2014
5	डा. जे.डी.शर्मा	08.12.2014

* प्र. नि. व मु. का. अधि. की अनुपस्थिति या बैठक में शामिल होने की अक्षमता की स्थिति में शेयर अंतरण समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को नियुक्त।

** प्र. नि. व मु. का. अधि. या का. नि. श्री अतुल अग्रवाल की अनुपस्थिति या बैठक में शामिल होने की अक्षमता की स्थिति में शेयर अंतरण समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को नियुक्त।

ट) कार्यपालक स्तरीय शेयर अंतरण अनुमोदन समिति (एलस्टैक)

हमारे बैंक के निदेशक मंडल ने 20.09.2013 से विभिन्न तारीखों को कार्यपालक स्तरीय शेयर अंतरण समिति (एलस्टैक) को प्रमाणपत्रों के खो जाने या पुराने हो जाने, प्रतिभूतियों के स्थिति अंतरण तथा भौतिक प्रमाणपत्रों के नष्ट हो जाने आदि की स्थिति में इक्विटी शेयरों के लेनदेन की शक्ति पर विचार व अनुमोदन करने के साथ- साथ शेयरों को अस्वीकार करने की शक्ति के साथ उनके अंतरण एवं प्रेषण, रीमैट, उपखंड के प्रमाणपत्रों के निर्गमन, पृथक्करण, नाम में परिवर्तन, समेकन, प्रतिलिपि प्रमाण पत्र जारी करने पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की शक्तियां भी प्रदान की हैं। प्रत्यायोजित प्राधिकारी उक्त अनुसार इक्विटी शेयरों के लेनदेन से संबंधित औपचारिकताओं को हर पखवाड़े में कम से कम एक बार अटैंड करेगा। यह भी एल.ओ.डी.आर के विनियम 39 व 40 के अनुपालन में है।

कार्यपालक स्तरीय शेयर अंतरण अनुमोदन समिति (एलस्टैक) में वरिष्ठतम कॉर्पोरेट महाप्रबंधक या उनकी अनुपस्थिति में एलस्टैक समिति के अगले वरिष्ठतम महाप्रबंधक - अध्यक्ष, महाप्रबंधक, तुलन पत्र प्रबंधन विभाग - सदस्य, महाप्रबंधक, प्रायोजना विभाग - सदस्य, महाप्रबंधक, जोखिम प्रबंधन विभाग व अनुपालन विभाग- सदस्य, महाप्रबंधक, परिचालन विभाग- सदस्य व बैंक के कंपनी सचिव-सदस्य शामिल हैं। समिति के कार्यवृत्त को एस.टी.सी के समक्ष अभिपुष्टि / पुष्टि हेतु रखा गया। समिति के कार्यवृत्त को 18.03.2016 से बोर्ड को रिपोर्ट किया जाएगा।

ठ. 31.03.2016 तक शेयरधारिता का वितरण:

क्रम. सं.	श्रेणी	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
	प्रवर्तकों की धारिता		
1.	भारत सरकार	1397328445	77.32
	उप योग	1397328445	77.32
	गैर-प्रवर्तकों की धारिता		
2.	संस्थागत निवेशक		
क.	म्यूचुअल फण्ड्स तथा यू.टी.आइ	142825	0.01
ख.	बैंक, वित्तीय संस्थाएँ	263471284	14.58
ग.	बीमा कंपनियाँ	4681678	0.26
घ.	विदेशी संस्थागत निवेशक	9906533	0.55
ङ.	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	48000	0.00
च.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	6217824	0.34
	उप योग	284420144	15.74
3.	अन्य		
क.	निजी निगम निकाय	12499502	0.69
ख.	वैयक्तिक	104305250	5.77
ग.	एन.आर.आइ	5528888	0.31
घ.	अन्य	3183454	0.17
	उप योग	125517094	6.94
	कुल योग	1807265683	100.00



j) Share Transfer System:

Share Transfer Committee consists of the Managing Director & Chief Executive Officer or in his absence the Executive Director, one shareholder Director and one Director nominated by the Board consisting of the following members. The committee deals with all matters connected with share transfers, transmission, issue of duplicate share certificates, transposition, demat/remat etc. The Committee met 8 times during the year.

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership	
		From	To
1	Shri.R.Koteswaran	31.12.2014	
2	Shri.Atul Agarwal *	27.09.2013	
3	Shri. P.K.Bajaj**	10.03.2015	
4	Shri Sanjay Rungta	08.12.2014	
5	Dr J. D. Sharma	08.12.2014	

*Appointed to act as Chairman of the Share Transfer Committee in the absence or inability of MD & CEO to attend Meetings.

** Appointed to act as Chairman of the Share Transfer Committee in the absence or inability of MD & CEO or Shri.Atul Agarwal, ED to attend Meetings.

k) Executive Level Share Transfer Approval Committee (ELSTAC)

Our Bank's Board of Directors have delegated on various dates since 20.09.2013, the power of transactions on equity shares to **Executive Level Share Transfer Approval Committee (ELSTAC)** to consider and approve and also the power to reject the Share Transfer, Transmission, Remat, issue of certificates of subdivision, split, change in name, consolidation, issuance of duplicates thereof or issuance of new certificates in cases of loss or old decrepit or worn out certificates, transposition of securities and destruction of physical share certificates etc., The delegated authority shall attend to the formalities pertaining to the transactions on equity shares as mentioned above, **at least once in a fortnight**. This is also in conformity of Regulation 39 and 40 of LODR.

The **Executive Level Share Transfer Approval Committee (ELSTAC)** consisting of Senior Most Corporate General Manager or in his / her absence the next Senior most General Manager in the ELSTAC Committee – The Chairman, General Manager, Balance Sheet Management Department – Member, General Manager Planning Department – Member, General Manager, Risk Management Department & Compliance Department – Member, General Manager, Operations Department – Member and Company Secretary of the Bank – Member.

The minutes of the committee are placed to STC for ratification / confirmation. The minutes of the committee will be reported to the Board from 18.03.2016

l) Distribution of shareholding as on 31.03.2016:

S No	Category	No. of Shares	% of share holding
	PROMOTERS HOLDING		
1	Government of India	1397328445	77.32
	Sub-Total	1397328445	77.32
	NON-PROMOTERS HOLDING		
2	Institutional Investors		
A	Mutual funds and UTI	142825	0.01
B	Banks, Financial Institutions	263471284	14.58
C	Insurance Companies	4681678	0.26
D	Foreign Institutional Investors	9906533	0.55
E	Overseas Corporate Body	48000	0.00
F	Foreign Portfolio Investor	6217824	0.34
	Sub-Total	284420144	15.74
3	OTHERS		
A	Private Corporate Bodies	12499502	0.69
B	Individuals	104305250	5.77
C	NRI	5528888	0.31
D	Others	3183454	0.17
	Sub-total	125517094	6.94
GRAND TOTAL		1807265683	100.00



ड. 31.03.2016 तक वितरण अनुसूची :

शेयर धारकों की सं.	शेयरधारकों की कुल सं.का %	रु.10 के अंकित मूल्य के शेयरों की कुल शेयरधारिता	शेयरों की कुल रकम (अंकित मूल्य)	कुल सं का %
212841	84.45	5000 तक	369723110	2.05
24448	9.70	5001 -10000	203563080	1.13
8757	3.47	10001 -20000	127819230	0.70
2285	0.91	20001 - 30000	57626960	0.32
1058	0.42	30001 - 40000	38010820	0.20
714	0.28	40001 - 50000	33696760	0.19
1056	0.42	50001- 100000	77195720	0.43
890	0.35	100001 व अधिक	17165021150	94.98
252049	100.00	कुल	18072656830	100.00

द. 31.03.2016 तक विदेशी शेयरधारिता

क्रम सं.	संवर्ग	31.03.2015 तक		31.03.2016 तक	
		शेयरों की सं	कुल पूँजी की तुलना में %	शेयरों की सं	कुल पूँजी की तुलना में %
01	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ.आई.आई)	18582239	1.50	9906533	0.55
02	ओ.सी.बी.	48000	0.00	48000	0.00
03	एन.आर.आई	4779578	0.39	5528888	0.31
04	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	1891361	0.15	6217824	0.34
	कुल	25301178	2.04	21701245	1.20

उक्त सारणी में वर्णितानुसार 31.03.2016 तक कुल विदेशी शेयरधारण (एन.आर.आई, ओ.सी.बी, विदेशी संस्थागत निवेशक) 1.20% था जो कि बैंक की कुल प्रदत्त पूँजी के 20% के निर्धारित स्तर के अंदर है।

ण. 31.03.2016 तक बैंक के पाँच सर्वोच्च शेयरधारक

क्रम सं	शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की सं	कुल धारण का %
1	भारत के राष्ट्रपति - भारत सरकार	1397328445	77.32
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	262053524	14.50
3	आशीष रमेश कुमार गोयंका लवीना आशीष कुमार गोयंका	6086781	0.34
4	सुलतानिया ट्रेड प्रा.लि.	3305000	0.18
5	वैनगार्ड टोटल इंटरनैशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	3013982	0.17
	कुल	1671787732	92.50

त. शेयरों का अमूर्तिकरण :

बैंक के शेयर अनिवार्य डीमैट ट्रेडिंग के अधीन हैं। बैंक शेयरों के अमूर्तिकरण के लिए जारीकर्ता कंपनी के रूप में बैंक राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी. लि. (एन.एस.डी.एल) और केन्द्रीय डिपॉजिटरी सेवाएँ (भारत) लि. (सी. डी.एस.एल) में सदस्य के रूप में शामिल है। शेयरधारक एनएसडीएल या सीडीएसएल किसी के भी साथ अपने शेयरों का अमूर्तिकरण करा सकते हैं। डिपॉजिटरी सेवा ने बैंक को निम्नलिखित

आइ.एस.आइ.एन. कोड आबंटित किया है-आइएनई 565ए01014

31.03.2016 तक 180.73 करोड़ इक्विटी शेयरों में से 177.72 करोड़ शेयर या 98.34% 162480 शेयरधारकों के पास डीमैट रूप में है (जिसमें से भारत सरकार 139.73 करोड़ शेयर डीमैट रूप में धारित करता है जो कि समग्रतः 77.32% है) तथा 3.01 करोड़ शेयर या 1.66% 89569 शेयरधारकों के पास प्रत्यक्ष रूप में है।



m) Distribution schedule as on 31.03.2016:

No. of share holders	% to total no. of shareholders	Shareholding in terms of nominal value of Rs.10/-	Share Amount (Face Value)	% to total
212841	84.45	Upto 5000	369723110	2.05
24448	9.70	5001 -10000	203563080	1.13
8757	3.47	10001 -20000	127819230	0.70
2285	0.91	20001 - 30000	57626960	0.32
1058	0.42	30001 - 40000	38010820	0.20
714	0.28	40001 - 50000	33696760	0.19
1056	0.42	50001- 100000	77195720	0.43
890	0.35	100001 and above	17165021150	94.98
252049	100.00	Total	18072656830	100.00

n) Foreign Shareholding as on 31.03.2016:

Sl. No.	Category	As on 31.03.2015		As on 31.03.2016	
		No. of shares	% To total capital	No. of shares	% To total capital
01	Foreign Institutional Investors (FIIs)	18582239	1.50	9906533	0.55
02	OCBs	48000	0.00	48000	0.00
03	NRI's	4779578	0.39	5528888	0.31
04	Foreign Portfolio Investor	1891361	0.15	6217824	0.34
	Total	25301178	2.04	21701245	1.20

As detailed in the above table, the total foreign shareholding (FIIs, OCBs, NRIs and Foreign Portfolio Investors) as at 31.03.2016 was 1.20% which is within the stipulated level of 20% of the total paid up capital of the Bank.

o) Top five shareholders of the bank as on 31.03.2016:

Sl.No.	Name of the Shareholders	No. of shares held	% of total holding
1	THE President of India - Government of India	1397328445	77.32
2	Life Insurance Corporation of India	262053524	14.50
3	Ashish Rameshkumar Goenka Lavina Ashishkumar Goenka	6086781	0.34
4	Sultania Trade Pvt. Ltd.,	3305000	0.18
5	Vanguard Total International Stock Index Fund	3013982	0.17
	Total	1671787732	92.50

p) Dematerialization of shares and physical holding:

The shares of the Bank are under compulsory demat trading. The Bank is a member of the depository services with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an issuer company for dematerialization of the Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL. The depository services have

allotted the following ISIN code to the Bank: INE565A01014.

As on 31.3.2016, out of 180.73 crore equity shares, 177.72 crore shares or 98.34% are held by 162480 shareholders in Demat form (of which Government of India holds 139.73 crore shares in Demat form aggregating to 77.32%) and 3.01 crore shares or 1.66% are held by 89569 shareholders in physical form.



त. डीमैट खाते में धारित अदावी शेयर:

अदावी संस्पेंस खाते धारित शेयरों की स्थिति निम्नवत है :

व्यौरा	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.
01.04.2015 के प्रारंभ में शेयरधारकों की समग्र संख्या और प्रारंभ में अदावी संस्पेंस खाते में पड़े बकाया शेयर	224	58100
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने अदावी संस्पेंस खाते से वर्ष के दौरान शेयरों के स्थानांतरण के लिए संपर्क किया	3	3100
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्हें अदावी संस्पेंस खाते से शेयरों का स्थानांतरण किया गया ।	3	3100
शेयरधारकों की समग्र सं. और 31.03.2016 के अंत में अदावी संस्पेंस खाते में पड़े बकाया शेयर	221	55000

थ. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या अन्य कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख व इक्विटी पर इसका संभाव्य प्रभाव:

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या कोई परिवर्तनीय लिखतें जारी नहीं की हैं।

द. बैंक ने समय - समय पर वचन-पत्रों के रूप में अप्रत्यावर्तनीय बॉण्ड एकत्र किए गए हैं:

31-03-2016 तक बकाया ऐसे बॉण्डों के विवरण निम्नानुसार है:

क्रम	आबंटन की तारीख	आकार (रु.करोड़ों में)	अवधि (महीनों में)	कूपन (%)	मोचन की तारीख
निम्न टियर II					
ix	09.01.2006	250.00	123	07.70	09.04.2016
xi	26.07.2006	500.00	120	09.10	26.07.2016
xii	22.08.2008	300.00	120	10.85	22.08.2018
xiii	24.08.2009	290.00	120	8.48	24.08.2019
Xiv	31.12.2010	1000.00	120	8.95	31.12.2020
उच्च टियर II					माँग विकल्प तारीख
i	05.09.2006	500.00	@180	9.24	@05.09.2016
ii	17.09.2008	655.30	@180	11.05	@17.09.2018
iii	01.09.2009	510.00	@180	8.80	@01.09.2019
iv	10.01.2011	967.00	@180	9.00	@10.01.2021
टियर 1 (बेमियादी)					माँग विकल्प तारीख
ii	18.05.2006	200.00	@ बेमियादी	09.15	@18.05.2016
iii	30.09.2006	80.00	@ बेमियादी	09.20	@30.09.2016
iv	29.09.2009	300.00	@बेमियादी	09.30	@29.09.2019
टियर 1- बेसल III (बेमियादी)					
i	04.02.2015	1000.00	* बेमियादी	10.00	04.02.2020
कुल योग		6552.30			



Unclaimed shares held in Demat Account:

The position of shares held in the unclaimed suspense account is mentioned below:

Details	No of shareholders	No of Shares
Aggregate number of shareholders and outstanding shares lying in unclaimed suspense account at the beginning 01.04.2015	224	58100
Number of Shareholders who approached for Transfer of shares from unclaimed suspense Account during the year	3	3100
Number of Shareholders to whom shares were Transferred from the unclaimed suspense account	3	3100
Aggregate Number of Shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed suspense account at the end of 31.03.2016	221	55000

q) Outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity:

The bank has not issued any GDRs /ADRs / Warrants or any convertible instruments.

r) The bank has raised non-convertible bonds in the nature of promissory notes from time to time.

The details of such bonds outstanding as on 31.03.2016 are as follows:

Series	Date of Allotment	Size (Rs in cr)	Tenor (In Months)	Coupon (%)	Redemption Date
Lower Tier II					
ix	09.01.2006	250.00	123	07.70	09.04.2016
xi	26.07.2006	500.00	120	09.10	26.07.2016
xii	22.08.2008	300.00	120	10.85	22.08.2018
xiii	24.08.2009	290.00	120	8.48	24.08.2019
xiv	31.12.2010	1000.00	120	8.95	31.12.2020
Upper Tier II					
					Call Option date
i	05.09.2006	500.00	@ 180	9.24	@05.09.2016
ii	17.09.2008	655.30	@ 180	11.05	@17.09.2018
iii	01.09.2009	510.00	@ 180	8.80	@01.09.2019
iv	10.01.2011	967.00	@ 180	9.00	@10.01.2021
Tier I (Perpetual)					
					Call Option date
ii	18.05.2006	200.00	@ Perpetual	09.15	@18.05.2016
iii	30.09.2006	80.00	@ Perpetual	09.20	@30.09.2016
iv	29.09.2009	300.00	@ Perpetual	09.30	@29.09.2019
Tier I – Basel III (Perpetual)					
i	04.02.2015	1000.00	*Perpetual	10.00	04.02.2020
Grand Total		6552.30			



@ 10 वर्ष के अंत में माँग विकल्प उपलब्ध है (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ)। यदि माँग विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो कूपन दर को 50 बीपीएस तक बढ़ाया जाएगा।

*5 वर्ष के अंत में माँग विकल्प उपलब्ध है (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ)

ध. इश्यू का बॉण्ड ट्रस्टी

बैंक ने उक्त सभी बाँड इश्यू के लिए बॉण्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स आइडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि., मुंबई को नियुक्त किया है जो बॉण्ड्स के निवेशकों के हितों की रक्षा करे। ट्रस्टी का पता निम्नवत है:

मेसर्स आइडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि.,
एशियन बिल्डिंग
17 आर कमानी रोड, बालार्ड एस्टेट, फोर्ट
मुंबई- 400001

न. पत्राचार करने का पता:

शेयरों के अन्तरण, लाभांश भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी क्रियाकलाप रजिस्ट्रार व शेयर अन्तरण एजेंट मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सेवाएं लि. के कार्यालय में किए जाते हैं। शेयरधारक अपने अन्तरण विलेख और अन्य कोई भी दस्तावेज, शिकायतें निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं :

मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लि.
(यूनिट - आइ.ओ.बी.) सुब्रमणियन बिल्डिंग, पाँचवीं मंजिल
न.1, क्लब हाउस रोड चेन्नै 600 002
टेलिफोन -044- 28460395, फैक्स- 28460129
ई.मेल : : cameo@cameoindia.com

बैंक के निम्नलिखित पते पर शेयरधारकों की शिकायतों के निपटान के लिए और उनकी सेवा के लिए बैंक के केंद्रीय कार्यालय में निवेशक संबंध कक्ष है:

इण्डियन ओवरसीज बैंक

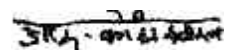
निवेशक संपर्क कक्ष
केन्द्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालू, चेन्नै 600 002
टेलिफोन : 044-71729791, 28415702, 28889392
फैक्स-044-28585675

ई.मेल: investor@iobnet.co.in/investorcomp@iobnet.co.in

बी. गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ

गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ	बैंक द्वारा अपनाई गई
बोर्ड - कंपनी के खर्चे पर गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा एक कार्यालय का रखरखाव	भारत सरकार द्वारा अबतक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है। अतः यह खण्ड हमारे लिए लागू नहीं होगा।
शेयरधारकों के अधिकार	वित्तीय परिणाम वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं।
ऑडिट अर्हता	2015-16 की लेखापरीक्षा टिप्पणी में योग्य अभ्युक्ति मौजूद नहीं है।
अध्यक्ष व मु.का.अधि. के अलग पद	अभी भी वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है।
आंतरिक लेखापरीक्षक	बैंक की अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा / निरीक्षण है और उनकी रिपोर्ट आवधिक रूप से समीक्षा हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से



(आर. कोटीस्वरन)

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

चेन्नै
27.05.2016



@ Call option available at the end of 10 years (with the prior approval of RBI). If the call option is not exercised, the coupon rate will be stepped up by 50 bps.

*Call option available at the end of 5 years (with the prior approval of RBI).

s) BOND TRUSTEE TO THE ISSUE:

The Bank has appointed M/s. IDBI Trusteeship Services Ltd., Mumbai, as Bond Trustees to all the above Bond Issues, to safeguard and to protect the interests of the investors of the Bonds. Address of the Trustees is given below:

M/s. IDBI Trusteeship Services Ltd.,
Asian Building 17 R Kamani Road, Ballard Estate, Fort,
MUMBAI-400 001

t) Address for Correspondence:

Share transfers, dividend payment and all other investor related activities are attended to and processed at the office of M/s. Cameo Corporate Services Ltd., Registrars & Share Transfer agents. Shareholders may lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints at their address:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building, V Floor
No.1 Club House Road, Chennai-600 002
Tel: 044-28460395 Fax: 28460129
email:cameo@cameoindia.com

The Bank has an Investor Relations Cell at its Central Office, to deal with the services and complaints of the shareholders at the following address:

Indian Overseas Bank

Investor Relations Cell, Central Office,
763, Anna Salai, Chennai-600 002
Tel: 044-71729791, 28415702, 28889392
Fax : 044-28585675

email : investor@iobnet.co.in / investorcomp@iobnet.co.in

Disclosures

- Disclosures as to Related Party Transactions of Key Managerial Personnel i.e. Whole Time Directors and Chief Financial Officer are being reviewed on a quarterly basis by the Audit Committee of the Board.
- There are no significant related party transactions of the Bank with its directors, management or their relatives etc that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- No penalties were imposed or strictures passed on us by Stock Exchanges/SEBI /any statutory authority on any matter related to capital markets during the last three years ended 31.03.2016.
- Bank has a Whistle Blower Policy as per CVC guidelines and the same is disclosed in our website.
- The Bank has complied with all the mandatory requirements to the extent provided for in the statutes/guidelines/directives issued from time to time by the RBI/Government of India to the nationalized banks.
- The Non Mandatory requirements have been adopted as stated in this report against the relevant items.
- The Certificate of CEO and CFO in accordance with Regulation 17(8) of SEBI (LODR) has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this report.
- In terms of Regulations 34 of SEBI (LODR), a certificate has been obtained from the Statutory Central Auditors on corporate governance in the Bank for the year 2015-16 and the same is annexed to this report.

B.NON MANDATORY REQUIREMENTS:

Non Mandatory Requirements	Our Adoption
The Board – Maintenance of an office by a non executive Chairman at the company's expense	Non-executive chairman is not yet appointed by Government of India. Hence this Clause is not applicable to us.
Shareholders Rights	The financial results are displayed in our website.
Audit Qualification	The audit reports for the year 2015-16 do not contain qualified remarks.
Separate post of Chairman and CEO	The appointment of Chairman is yet to be made by Ministry of Finance, Government of India.
Internal Auditor	The Bank has its own internal audit/Inspection and their reports are periodically placed to the Board for review.

For and on behalf of the Board of Directors

(R Koteeswaran)
Managing Director & Chief Executive Officer

Chennai
27.05.2016



वर्ष 2015-2016 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट के लिए अनुबंध

निदेशकों का जीवन परिचय

01	नाम	श्री आर. कोटीस्वरन प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी
	आयु और जन्म-तिथि	59 वर्ष - 10.06.1956
	योग्यता	बी.कॉम, सीएआइआईबी
	नियुक्ति की तारीख	31.12.2014
	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	30.06.2016
	अनुभव	श्री आर. कोटीस्वरन ने 31 दिसंबर 2014 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पूर्व, वे 5 अगस्त 2013 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में पदभार ग्रहण करने तक बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत थे। बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में उन्होंने देश भर की 4831 शाखाओं के लिए नीतिबद्ध कारोबार विकास, सूचना प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण व प्रबोधन, मानव संसाधन, एस.एम.ई., ट्रेजरी, लेनदेन बैंकिंग, वित्तीय समावेशन तथा खुदरा बिजनेस सेगमेंट के दायित्व का निर्वहन किया। बोर्ड स्तरीय दायित्व में बैंक के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करना, बैंक में एमएसएमई और खुदरा कारोबार केंद्रों का समग्र प्रबोधन करना और बैंक का समग्र नियंत्रण व निर्देश देना शामिल है। वे स्टार यूनियन दाई इचि इश्योरेंस कंपनी व बैंक ऑफ इंडिया न्यूजीलैंड लि. के भी निदेशक थे। श्री आर. कोटीस्वरन ने वाणिज्य में स्नातक करने के पश्चात 1976 में बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कई केंद्रों में, अधिकतर क्रेडिट में विभिन्न शाखाओं में कार्य किया है। उन्होंने केन्या की किमुमू शाखा में 4 वर्षों तक शाखा प्रमुख के रूप में कार्य किया। जब बैंक ने प्रौद्योगिकी आधारित कारोबार रूपांतरण की दिशा में अपने सफर की शुरुआत की, तब वे मई 2005 में इसके कार्यान्वयन हेतु इसकी कोर टीम में शामिल हुए। तत्पश्चात 2010 में सूचना प्रौद्योगिकी व परियोजना विभाग में महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नवंबर 2006 से 4 वर्षों के लिए उन्होंने डाटा सेंटर मैनेजर के रूप में कार्य किया। मई 2013 में उन्हें डाटा वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट व सीआरएम, संसाधन संचयन, धन प्रबंधन व राजभाषा विभाग का प्रभारी बनाया गया। इस दौरान डाटा वेयरहाउस से उच्च प्रबंधन के लिए कई दैनिक डैशबोर्ड रिलीज़ किए गए जिनमें से कुछ मोबाइल यंत्रों पर भी रिलीज़ किए गए।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	1) युनिवर्सल सॉपो जनरल इश्योरेंस कं. लि 2) इंडियन इंटरनैशनल बैंक (मलेशिया) बरहद
2.	नाम	श्री अतुल अग्रवाल कार्यपालक निदेशक
	आयु व जन्म तिथि	59 वर्ष, 12.09.1956
	योग्यता	बी.कॉम, सीएआईआईबी
	नियुक्ति की तारीख	27.09.2013



**ANNEXURE TO REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE
GOVERNANCE FOR THE YEAR 2015-2016**

DIRECTORS PROFILE

1	Name	Shri R. Koteeswaran Managing Director and Chief Executive Officer
	Age and Date of Birth	59 years – 10.06.1956
	Qualification	B.Com., CAIIB
	Date of Appointment	31.12.2014
	Date of expiry of the Current term	30.06.2016
	Experience	Shri R. Koteeswaran took over as Managing Director & Chief Executive Officer of Indian Overseas Bank on 31st December 2014. Prior to this assignment, Shri R Koteeswaran was Executive Director, Bank of India from 5th August 2013 till he joined Indian Overseas Bank. As Executive Director of Bank of India, he was responsible for strategic business development, control and monitoring of Information Technology, Human Resources, SME, Treasury, Transaction Banking, Financial Inclusion and Retail Business segments covering over 4,831 branches of the Bank across India. Board level responsibility included framing of policy guidelines for the Bank, monitoring the SME and Retail Business Centres of the Bank as a whole and overall control and direction of the Bank. He was also Director of Star Union Dai Ichi Insurance Company and Bank of India New Zealand Ltd. Shri R Koteeswaran joined Bank of Baroda in 1976 after completing graduation in Commerce. He has worked in various branches in different centers, mostly in credit. He was also heading Kisumu Branch in Kenya for 4 years. When the Bank embarked on its journey to Technology led Business Transformation, he was inducted into the core team for its implementation in May 2005. Thereafter, he discharged duties as Data Centre Manager for 4 years from November 2006, before becoming the Head of IT & Projects Department in 2010 as General Manager. From May 2013, he was made in charge of Data Warehousing Project & CRM, Resources Mobilisation, Marketing, Wealth Management and Official Language Department. Several daily dashboards for the top management were released, some of them even on mobile devices, from data warehouse, during this period.
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	(1) Universal Sompo General Insurance Co.Ltd (2) Indian International Bank (Malaysia) Berhad.
2	Name	Shri Atul Agarwal Executive Director
	Age & date of birth	59 years - 12.09.1956
	Qualification	B.Com., CAIIB
	Date of Appointment	27.09.2013



	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	30.09.2016
	अनुभव	श्री अतुल अग्रवाल ने 27.09.2013 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। कार्यपालक निदेशक के रूप में उन्होंने कई पोर्टफोलियो संभाला जो कि वृहत कॉर्पोरेट, मिड कॉर्पोरेट, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, सीडीआर, खुदरा बैंकिंग, कृषि व ग्रामीण पहल, ट्रेजरी, सूचना प्रौद्योगिकी, लेनदेन बैंकिंग, मानव संसाधन, सामान्य प्रशासन, विधि व वसूली, निरीक्षण/लेखापरीक्षा, प्रायोजना, परिचालन व अनुपालन, तुलनपत्र प्रबंधन तक सीमित नहीं है। इससे पूर्व वे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सहायक महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे जहाँ उन्होंने साढ़े छह वर्षों की बेदाग सेवा दी। श्री अग्रवाल का चयन विशेषज्ञ के रूप में हुआ और उन्होंने 2007 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सहायक महाप्रबंधक (जोखिम आधारित पर्यवेक्षण) के रूप में कार्यभार संभाला। बैंक की बेहतरी के लिए उनके योगदान व उनके ईमानदार परिश्रम की वजह से उन्हें दिसंबर 2008 में उप महाप्रबंधक और फरवरी 2011 में महाप्रबंधक बनाया गया। उन्होंने अपने बैंकिंग कैरियर की शुरुआत 1978 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की गाज़ीपुर शाखा (उ.प्र.) में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की। तथा वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से देश के चार राज्यों में सेवारत रहते हुए परिचालन व प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर प्रकार्यात्मक, लेखा व आइटी जानकारी प्राप्त करते रहे। उन्हें व्यावसायिक बैंकिंग में 37 वर्षों का लंबा अनुभव है जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय, अंचल कार्यालय तथा कॉर्पोरेट कार्यालय में विभिन्न रूप में कार्य करने के अलावा ग्रामीण, अर्द्धशहरी, शहरी व मेट्रो केंद्रों में लघु, मध्यम, वृहत, अति वृहत एकसपोज़र शामिल हैं। अंचल प्रबंधक के रूप में उन्होंने दो कार्यावधि में कार्य किया है। साथ ही उन्होंने अ.जा./ अ.ज.जा./ पी.डब्ल्यू.डी./ भूतपूर्व सैनिकों के मुख्य संपर्क अधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ कॉर्पोरेट कार्यालयों के विभिन्न विभागों में कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य किया। वे कॉर्पोरेट कार्यालय में कई उप समितियों के सक्रिय सदस्य भी रहे। अन्य कार्यों के साथ उनका कई पहलों में भी योगदान रहा है जिनमें सीए कंपनियों के वेब आधारित आवेदन, फेमा ऑडिट, अनुपालन ऑडिट, सीबीएस का केवाईसी अद्यतन, मास्टर परिपत्रों का निर्गमन, विभिन्न नीतियों की समीक्षा, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में क्रय मैन्युअल का आरंभ शामिल हैं। श्री अग्रवाल संगीत व आध्यात्मिक विमर्शों में रुचि रखते हैं। वे उत्तर दक्षिण सांस्कृतिक संगठन के स्थायी सदस्य हैं तथा उन्होंने चिन्मय मिशन लखनऊ के कार्यपालक समिति सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकताएँ	शून्य
3	नाम	श्री पवन कुमार बजाज कार्यपालक निदेशक
	आयु और जन्म-तिथि	57 वर्ष - 21.09.1958
	योग्यता	विज्ञान में स्नातकोत्तर, एलएलबी, सीएआइआइबी व एचआर, ट्रेजरी, विदेशी विनिमय तथा अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग में कई डिप्लोमा प्राप्त
	नियुक्ति की तारीख	10.03.2015



	Date of expiry of the Current term Experience	30.09.2016 Shri Atul Agarwal had taken charge as Executive Director of Indian Overseas Bank on 27.9.2013. As ED he has overseen various portfolios which are not limited to Large Corporate, Mid Corporate, International Banking, CDR, Retail Banking, Agri & Rural Initiatives, Treasury, Information Technology, Transaction Banking, Human Resources, General Administration, Law & Recovery, Inspection/Audit, Planning, Operations & Compliance, Balance sheet management. Prior to the assignment as ED in IOB he was General Manager of Central Bank of India where he had an unblemished service of 6 ½ years. Shri Agarwal was selected as a Specialist and joined Central Bank of India in June 2007 as Asst. General Manager (Risk Based Supervision). His diligence and sincerity coupled with his contributions to the Bank's betterment were rewarded through recognition & elevations as Deputy General Manager in December 2008 and as General Manager in February 2011. He started his Banking career with Union Bank of India as Probationary Officer in 1978 at Ghazipur(UP) and served in four states of the country through Union Bank of India, and simultaneously acquired functional, accounting and IT knowledge at various levels of operation and management. He has 37 years of experience in commercial banking with exposures in Small, Medium, Large, Very Large and Extra Large branches situated at Rural, Semi-Urban, Urban and Metro centres and assignments at Regional Office, Zonal Office and Corporate Office. He has had two stints as Zonal Manager and has also been functional head of various departments at corporate office with additional responsibility as Chief Liaison officer for SC/ST/PWDs/Ex-servicemen. He was an active member of many sub-committees at corporate office. He has been instrumental in many initiatives including web-based application of CA firms, FEMA Audit, Compliance Audit, KYC updation of CBS, issuance of master circulars, review of various policies, introduction of Procurement Manual in a Public Sector Bank. Shri Agarwal takes interest in music and spiritual discourses. He is life member of Uttar Dakshin Cultural Organisation (UDCO) and has served as an Executive Committee Member of Chinmaya Mission, Lucknow.
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil
3	Name	Shri Pawan Kumar Bajaj Executive Director
	Age and Date of Birth	57 years – 21.09.1958
	Qualification	He is a Post Graduate in Science, LLB, CAIIB and holds many diplomas in Human Resources, Treasury, Foreign Exchange and International Banking.
	Date of Appointment	10.03.2015



	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	30.09.2018
	अनुभव	श्री पवन कुमार बजाज ने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में 10 मार्च 2015 को कार्यभार संभाला। उन्होंने अपना करियर 1982 में बैंक ऑफ इंडिया में डी.आर.ओ. के रूप में शुरू किया था तथा इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के कार्यपालक निदेशक का पद संभालने से पूर्व वहाँ मुख्य महाप्रबंधक पद तक रहे। इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में कार्यभार संभालने से पूर्व वे बैंक ऑफ इंडिया के नेशनल बैंकिंग ग्रुप जिसमें दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश (राज्यों) व केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ समेत दस अंचल शामिल थे, के मुख्य महाप्रबंधक थे। इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में उनके पोर्टफोलियो में एमएसएमई, वृहत कॉर्पोरेट, मिड कॉर्पोरेट, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, ट्रेजरी, रिटेल बैंकिंग, प्रायोजना, जन संपर्क, एच.आर, औद्योगिक संबंध, कार्मिक प्रशासन, तुलनपत्र प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, उधार प्रबंधन आदि शामिल हैं। उन्हें बैंकिंग के क्षेत्र में वृहत अनुभव है। उन्होंने भारत व विदेश में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने न सिर्फ सामान्य प्रशासन, मानव संसाधन, ट्रेजरी, डीलिंग रूम, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, विदेशी विनिमय अदि क्षेत्रों में काम किया बल्कि इंडोनेशिया, वियतनाम व कंबोडिया में सिंगापुर सेंटर इनकंपासिंग ऑपरेशन के मुख्य कार्यपालक के रूप में भी कार्य किया है। उनकी दक्षता का क्षेत्र ट्रेजरी परिचालन, विदेशी विनिमय तथा मानव संसाधन है। सिंगापुर शाखा में कार्य करने के अतिरिक्त उन्होंने कार्यालयीय प्रयोजनों से कई देशों का दौरा किया है। वे एक अनुभवी बैंकर के अतिरिक्त कुशल एकैडमिशियन, क्रिकेटर तथा मार्केट विश्लेषक भी हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
4	नाम	डॉ. आलोक पाण्डे भारत सरकार के नामिती
	आयु और जन्म-तिथि योग्यता	44 वर्ष - 22.10.1971 बी. ई (मैकेनिकल), एन.आइ.टी इलाहाबाद, पीएच.डी (फाइनेंस) आइआइएम बैंगलोर।
	नियुक्ति की तारीख	22.07.2011
	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	भारत सरकार से आगे आदेश मिलने तक
	अनुभव	डॉ. आलोक पांडे वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान में वे वित्तीय समावेशन के प्रमुख हैं। वे भारत सरकार की अहम योजना प्रधानमंत्री जनधनयोजना के अतिरिक्त मिशन निदेशक हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार की सफलतम योजनाओं में से एक है। वित्तीय सेवाएं विभाग को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। डॉ. आलोक पांडे को भारत सरकार में बीस वर्षों से अधिक का अनुभव है जहाँ उन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया है। वित्तीय समावेशन उनके अनुभव व रुचि का क्षेत्र रहा है। उन्होंने 1992 में नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ



	Date of expiry of the Current term	30.09.2018
	Experience	Shri Pawan Kumar Bajaj has taken charge as Executive Director of Indian Overseas Bank on 10th March 2015. He started his career in Bank of India as DRO in the year 1982 and rose up to the level of Chief General Manager before moving to Indian Overseas Bank as Executive Director. Prior to joining Indian Overseas Bank he was the Chief General Manager at National Banking Group (NBG) – North, in Bank of India, comprising 10 zones covering Delhi, Rajasthan, Jammu & Kashmir, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Uttar Pradesh States and Chandigarh U.T. As Executive Director of Indian Overseas Bank. Mr. Bajaj's portfolio includes MSME, Large Corporate, Mid Corporate, International Banking, Treasury, Retail Banking, Planning, Public Relations, Human Relations, Industrial Relations, Personnel Administration, Balance Sheet Management, Risk Management, Credit Monitoring etc. He has a vast experience in the field of banking, working in various capacities in different places in India and abroad. He has worked not only in General Administration, Human Resources, Treasury, Dealing Room, International Banking, Foreign Exchange etc., but also as Chief Executive in Singapore Centre encompassing operations at Indonesia, Vietnam and Cambodia. His forte is Treasury operations, Foreign Exchange and Human Resources. He has travelled abroad extensively to several countries on official duties apart from working in Singapore branch. He is a good Academician, Cricketer, Market Analyzer apart from a Seasoned Banker.
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil
4	Name	Dr. Alok Pande GoI Nominee
	Age and Date of Birth	44 years - 22.10.1971
	Qualification	BE(Mech), NIT Allahabad, Ph. D(Finance). IIM Bangalore
	Date of Appointment	22.07.2011
	Date of expiry of the Current term	Until further orders from Govt. of India
	Experience	Dr. Alok Pande is working as a Director in the Department of Financial Services, Ministry of Finance. Presently he is in-charge of Financial Inclusion. He is the Additional Mission Director of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) which is a flagship scheme of the Government. The PMJDY has been hailed as one of the big successes of the Government. Department of Financial Services has also been recognized by the Guinness World Records. Dr. Pande has more than 20 years of experience in the Government of India where he has worked in different



		टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। डॉ. पाण्डे ने 1994 में सिविल सेवाओं में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी पीएचडी उपाधि आइआइएम बैंगलोर से कॉर्पोरेट फाइनेंस में 2009 में प्राप्त की। उन्होंने अनेक प्रकाशन किए हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत थीसिस वर्ष 2013 में वित्तीय अर्थव्यवस्था में सर्वोत्कृष्ट थीसिस के एनएसई अवार्ड हेतु चुनी गई।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
5	नाम	श्री निर्मल चंद भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती
	आयु और जन्म-तिथि	55 वर्ष - 31.01.1961
	योग्यता	पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर, एमबीए, सीएआईआईबी।
	नियुक्ति की तारीख	13.03.2014
	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	भारत सरकार से आगे आदेश मिलने तक
	अनुभव	भारतीय रिज़र्व बैंक में ग्रेड एफ अधिकारी के रूप में 1986 में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने मार्च 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पूर्व वे भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय निदेशक थे। बैंक में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यालयों में कई पद संभाले। बैंकिंग पर्यवेक्षी, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षी, मुद्रा प्रबंधन तथा भुगतान प्रणाली जैसे विभागों में बैंक के केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के साथ ही कोलकाता, जयपुर, नई दिल्ली तथा रायपुर के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कार्य किया।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
6	नाम	श्री आर संपत कुमार कामगार कर्मचारी निदेशक
	आयु और जन्म-तिथि	58 वर्ष - 16.02.1958
	योग्यता	बी.ए, सीएआईआईबी,
	नियुक्ति की तारीख	24.01.2014
	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	23.01.2017 या इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के कामगार कर्मचारी निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता या अन्य किसी आदेश तक, जो भी पहले हो।
	अनुभव	वे 16.12.1981 में बैंक में नियुक्त हुए तथा उन्हें आइओबी में लगभग 34 वर्ष का बैंकिंग अनुभव है। वर्तमान में वे सीबीओ चेन्नै में विशेष सहायक हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
7	नाम	डॉ. जय देव शर्मा अधिकारी कर्मचारी निदेशक
	आयु और जन्म-तिथि	59 वर्ष - 20.07.1956
	योग्यता	एम.कॉम, बी.ए, सीएआईआईबी, डीआईएम, एमबीए, एलएलबी, पीएच.डी



		capacities. His area of interest as well as experience has been that of ensuring Financial Inclusion. He did his graduation in Mechanical Engineering from National Institute of Technology, Allahabad in 1992. Dr. Pande joined the Civil Services in 1994. He completed his Doctorate from IIM Bangalore in the area of Corporate Finance in the year 2009. Dr. Pande has several publications to his credit. The thesis submitted by him has been selected for NSE Award for the best thesis in Financial Economics for the year 2013.
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil
5	Name	Shri. Nirmal Chand RBI Nominee
	Age and Date of Birth	55 years - 31.01.1961
	Qualification Date of Appointment	Post Graduate from Punjab University, M.B.A. , CAIIB 13.03.2014
	Date of expiry of the Current term	Until further orders from Govt. of India
	Experience	Joined RBI in 1986 as an Officer in Grade F. Has taken charge as the Regional Director, Reserve Bank of India, Chandigarh in March 2016. Prior to this, he was Regional Director, Reserve Bank of India, Thiruvananthapuram. During his long tenure in the Bank, has held several positions in various offices. Worked in Bank's Central Office at Mumbai as well as other Regional Offices at Kolkata, Jaipur, New Delhi and Raipur in Departments like Banking Supervision, Non Banking Supervision, Currency Management and Payment Systems
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil
6	Name	Shri. R. Sampath Kumar Workmen Employee Director
	Age and Date of Birth	58 years - 16.02.1958
	Qualification	B.A. CAIIB I
	Date of Appointment	24.01.2014
	Date of expiry of the Current term	23.01.2017 or until he ceases to be a Workmen Employee of Indian Overseas Bank or until further orders, whichever is the earliest.
	Experience	He joined the Bank on 16.12.1981 and is having about 34 years of banking experience in IOB. He is presently a Special Assistant attached to CBO, Chennai
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil
7	Name	Dr. Jai Deo Sharma Officer Employee Director
	Age and Date of Birth	59 years , 20.07.1956
	Qualification	M.Com., BA., CAIIB, DIM, MBA, LLB, Ph.D



	नियुक्ति की तारीख	02.05.2013
	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	01.05.2016 अथवा आइओबी में उनके अधिकारी कर्मचारी होने तक या अन्य आदेशों तक, जो भी पहले हो।
	अनुभव	डॉ. जय देव शर्मा ने 22 जूलाई 1977 को बैंक में कार्यभार ग्रहण किया। वे विगत 38 वर्षों से बैंक में सेवाएँ दे रहे हैं। उन्होंने 4 सालों से भी अधिक समय के लिए बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली में संकाय सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी हैं। इसके अतिरिक्त वे मौद्रिक सिद्धांत हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स में एसोसिएट फैकल्टी भी रहे हैं। वे पाँच वर्षों तक बिजनेस प्रबंधन (सीएआईआईबी भाग 2) के परीक्षक भी रहे हैं। वे 1991 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी एसोसिएशन के कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न पदों पर जुड़े रहे हैं। वर्तमान में वे आइओबीओए के अध्यक्ष हैं तथा अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआइबीओसी) के संयुक्त महासचिव हैं। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नै से 'पोस्ट ग्लोबलाइजेशन मोटीवेशनल डाइमेंसंस एमंग ऑफिसर्स ऑफ इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स' पर पी.एचडी की है। कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में समकालीन विषयों पर उनके कई शोध पत्र तथा आलेख प्रकाशित हुए हैं। वे 'आइओबीओए-दि क्रुसेडर' नामक आइओबीओए की गृह पत्रिका के एसोसिएट संपादक भी हैं। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया- हैदराबाद, सेंटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट- हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडीज़ एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट- नोएडा में व्याख्यान दिए हैं। वे आइसीडब्ल्यूआई - एसआईआरसी चेन्नै, मद्रास विश्वविद्यालय (वाणिज्य विभाग), एएमईटी विश्वविद्यालय चेन्नै, एस.आर.एम. यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट स्टडीज़ विभाग, एमिटी विश्व विद्यालय, नोएडा आदि में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि/ विशिष्ट अतिथि भी रहे हैं। बैंक के बोर्ड में अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में यह उनका दूसरा कार्यकाल है। उनका पहला कार्यकाल 2006- 09 के दौरान रहा। वर्तमान में कैथीड्रल शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं।
	आइओबी में श्रेयरधारिता	1600
	अन्य निदेशकता	शून्य
8	नाम	श्री चिन्नैय्या अंशकालिक गैर अधिकारी निदेशक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत नियुक्त।
	योग्यता	बी.ए., एलएलबी
	आयु और जन्म-तिथि	57 वर्ष - 01.06.1958
	नियुक्ति की तारीख	13.11.2013
	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	12.11.2016 (अथवा अन्य किसी आदेश तक, जो भी पहले हो)
	अनुभव	योग्यता से एक अधिवक्ता होते हुए उन्होंने समाज सेवा से जुड़ने का चुनाव किया। वे वर्तमान में श्री सुब्रमण्य स्वामी मंदिर प्रबंधन समिति, हलसुरु, बैंगलोर के अध्यक्ष हैं।



	Date of Appointment	02.05.2013
	Date of expiry of the Current term	01.05.2016 or until he ceases to be an Officer of Indian Overseas Bank or till further orders, whichever is the earliest.
	Experience	Dr. Jai Deo Sharma joined the Bank on 22nd July 1977. He has been in the services of the Bank for the past 38 years. He has also served as Faculty Member in the Training System of the Bank for more than 4 years. Besides, he has been the Associate Faculty at the Indian Institute of Bankers for Monetary Theory. He was an Examiner for Business Management (CAIIB-Part II) for 5 years. He has been associated with Indian Overseas Bank Officers' Association (IOBOA) as its functionary since 1991 in various capacities. At present he is the President of IOBOA and Senior Vice President of All India Bank Officers' Confederation (AIBOC). He has completed his research (PhD) on Post Globalization Motivational Dimensions among officers of Indian Public Sector Banks from University of Madras, Chennai. He has published many Research Papers and Articles on Contemporary Topics in prestigious Newspapers and Journals. He is also Associate Editor of "IOBOA-The Crusader", the House Magazine of IOBOA. He has delivered lectures at Administrative Staff College of India - Hyderabad, Centre for Organisation Development - Hyderabad, National Institute of Banking Studies & Corporate Management – Noida. He is a member of Committee on Banking and Insurance of ICAI and also a member in International Advisory Board, ICAI, Kolkata on a purely honorary basis. He has been the Chief Guest/ Guest of Honour in various programmes held at ICWAI-SIRC-Chennai, University of Madras (Dept. of Commerce), AMET University – Chennai, SRM University, Department of Management Studies, Amity University, Noida, etc. This is his second term in the Bank's Board as Officer Employee Director. His earlier term was during 2006-09. Presently Senior Manager, Cathedral Branch.
	Shareholding in IOB	1600
	Other Directorships	Nil
8	Name	Shri Chinnaiah Part time Non-official Director Appointed under Section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970
	Qualification	B.A., LLB
	Age and Date of Birth	57 years, 01.06.1958
	Date of Appointment	13.11.2013
	Date of expiry of the Current term	12.11.2016 (or until further orders whichever is earlier)
	Experience	An advocate by qualification, he has chosen to be associated with social service. He is presently President of Sri Subramanya Swamy Temple Management Committee, Halasuru, Bangalore.



		वे जय भीम अ.जा./ अ.ज.जा. उपभोक्ता सहकारी सोसायटी, उलसूर, बेंगलूर, 560 008, के अध्यक्ष थे। यह संस्था समाज के पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए काम करती है। वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, बेंगलूर के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने डोलोमाइट माइन्स एंड एम्प्लॉयीज वेल्फेयर फंड, नई दिल्ली की केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
9	नाम	श्रीमती एस. सुजाता अंशकालिक गैर अधिकारी निदेशक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत नियुक्त।
	योग्यता	एम.कॉम, बीए (हिंदी)
	आयु और जन्म-तिथि	44 वर्ष - 15.12.1971
	नियुक्ति की तारीख	05.12.2013
	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	04.12.2016 (अथवा अन्य किसी आदेश तक, जो भी पहले हो)
	अनुभव	श्रीमती सुजाता 2006 में तिरुच्चि नगर निगम पार्षद चुनी गईं तथा उन्होंने 2009 से 2011 तक तिरुचिरापल्ली नगर निगम की मेयर के रूप में अपनी सेवाएँ दीं। वर्तमान में लेडीज क्लब की अध्यक्ष हैं। वे सामाजिक व लोक स्वास्थ्य सेवा, बाढ़ राहत तथा कल्याण कार्यों, महिलाओं को वित्तीय सहयोग प्रदान करने, पिछड़े तबकों को मजबूत करने वाले 1500 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय व प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने से जुड़ी रही।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
10.	नाम	श्री ए.बी.डी. बादुशास अंशकालिक गैर अधिकारी निदेशक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत नियुक्त।
	योग्यता	वैकल्पिक चिकित्सा के चिकित्सक, एम.बी.ए. (वित्तीय प्रबंधन)
	आयु और जन्म-तिथि	53 वर्ष - 19.08.1962
	नियुक्ति की तारीख	12.12.2013
	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	11.12.2016 (अथवा अन्य किसी आदेश तक, जो भी पहले हो)
	अनुभव	श्री ए.बी.डी. बादुशास पेशे से चिकित्सक (वैकल्पिक चिकित्सा) हैं तथा वे समाज सुधारक, खिलाड़ी तथा कारोबारी के रूप में विविध गतिविधियों में शामिल रहे हैं। वे सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री बागसाहिब के पौत्र भी हैं। श्री बादुशास निम्नलिखित पदों पर कार्यरत हैं: 1. 1015 वर्ष पुराने तथा दक्षिण एशिया के सबसे बड़े न्यास हातर थैबल आलम बादुशास नाथरवल्ली दरगाह वक्फ न्यास के मुख्य कार्यपालक न्यासी हैं। 2. कॉमनवेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एकेडमी फॉर रिसर्च, चेन्नई के



		He was President of Jai Bheem SC/ST Consumer Co-operative Society, Ulsoor, Bangalore 560 008. The Society is engaged in the helping of downtrodden of the society for their upliftment. Has served as a member of Central Board of Film Certification, Bangalore. Also served as a member of Central Advisory Committee, Dolomite Mines and Employees Welfare Fund, New Delhi
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil
9	Name	Smt. S. Sujatha Part time Non-official Director Appointed under Section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
	Qualification	M.Com., BA (Hindi)
	Age and Date of Birth	44 years, 15.12.1971
	Date of Appointment	05.12.2013
	Date of expiry of the Current term	04.12.2016 (or until further orders whichever is earlier)
	Experience	Smt Sujatha was elected as Trichy City Corporation Councillor in 2006 and served as Mayor, Tiruchirappalli Corporation from 2009 to 2011. She is presently President, Ladies' club. She has been involved in Social and Public Health Care, flood relief and welfare works, providing financial assistance to women, providing financial and administrative assistance to over 1500 self help groups empowering the weaker sections.
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil
10	Name	Shri A.B.D. Badushas Part time Non-official Director Appointed under Section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
	Qualification	Doctor of Alternative Medicine, M.B.A.(Financial Management)
	Age and Date of Birth	53 years, 19.08.1962
	Date of Appointment	12.12.2013
	Date of expiry of the Current term	11.12.2016 (or until further orders whichever is earlier)
	Experience	Shri A.B.D. Badushas is a Doctor (Alternative Medicine) by profession and has been involved in multifarious activities as a social reformer, sportsman and businessman. He is also the grandson of well known freedom fighter Late Shri Bagisahib. Shri Badushas, holds the following positions: 1. Chief Executive Trustee of the Hazrath Thable Alam Badusha Nathervali Dargah Wakf Trust which is 1015 years old and is also the biggest Trust of South Asia 2. Director, Commonwealth Science and Technology



		निदेशक हैं। 3.अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, भारत सरकार के राज्य स्तरीय समन्वयक के रूप में नियुक्त। 4.अखिल भारतीय उपभोक्ता मेला प्रदर्शनी समिति, तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं। 5.तिरुच्चि पुनर्वास केंद्र द्वारा स्थापित असंख्य नेत्रहीन विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले ब्लाइंड स्कूल ऑफ तिरुच्चि के सलाहकार समिति के सदस्य हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
11	नाम	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल शेयरधारक निदेशक
	आयु और जन्म-तिथि	57 वर्ष - 22.10.1958
	योग्यता	एफ.सी.ए.
	नियुक्ति की तारीख	08.12.2014
	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	07.12.2017
	अनुभव	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल , एफ.सी.ए .,1983 से पेशे से सनदी लेखाकार हैं। वे मेसर्स निरंजन कुमार एण्ड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कोलकाता के मालिक हैं। उन्हें वृहद कॉर्पोरेट, कंपनी विधि मामले और आयकर को संभालने का 31 वर्षों का अनुभव है। पूँजी व मुद्रा बाजार के क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव है। लेखापरीक्षा, विलयन, व समामेलन, कॉर्पोरेट पुनर्संरचना एवं परियोजना वित्तपोषण में विशेषज्ञता। उन्हें टैक्स से जुड़े मामलों, टैक्स योजना एवं कंपनी कानून के मामलों पर भी मजबूत पकड़ है। वे कंपनी कानून मामलों, वित्तीय पुनर्संरचना, संसाधन बढ़ाने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आदि मामलों में कॉर्पोरेटों के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में 1) एमसीसी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री तथा 2) मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी, कोलकाता के कार्यपालक मंडल के सदस्य हैं। इससे पूर्व 01.11.2011 से 31.10.2014 तक वे हमारे बोर्ड में सनदी लेखाकार निदेशक (बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3)(जी))के रूप में कार्यरत थे।
	आइओबी में शेयरधारिता	200
	अन्य निदेशकता	मेसर्स वीको इन्फ्रस्ट्रक्चर पी.लि.
12	नाम	श्री संजय रूंगटा शेयरधारक निदेशक
	आयु और जन्म-तिथि	50 वर्ष - 26.01.1966
	योग्यता	बीकॉम, एफ.सी.ए.
	नियुक्ति की तारीख	08.12.2014
	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	07.12.2017
	अनुभव	मुंबई के श्री संजय रूंगटा ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से बी.कॉम किया है तथा 26 वर्षों से अधिक से सनदी लेखाकार के रूप में कार्य कर रहे हैं वे



		Academy for Research, Chennai. 3. Appointed as State Level Co-ordinator by Ministry of Minority Affairs, Government of India 4. Chairman, All India Consumer Fair Exhibition Committee, Tamil Nadu. 5. Advisory Board member of the Blind School of Trichy founded by Trichy Rehabilitation Centre, providing free education to numerous blind students.
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil
11	Name	Shri Niranjan Kumar Agarwal Shareholder Director
	Age and Date of Birth	57 Years - 22.10.1958
	Qualification	F.C. A.
	Date of Appointment	08.12.2014
	Date of expiry of the Current term	07.12.2017
	Experience	Shri.Niranjan Kumar Agarwal, FCA is a Practicing Chartered Accountant since 1983. He is a Proprietor of M/s.Niranjan Kumar & Co., Chartered Accountants, Kolkata. He has 31 years of experience in handling Audits of Large Corporates, Company Law Matters and Income Tax. He has vast experience in the field of capital and money market. Specialised in Audit, Merger and Amalgamation, Corporate Restructuring and Project Financing. Also specialised in Taxation, Tax Planning and Company Law matters. He is acting as Advisor to many Corporates on company law matters, financial restructuring, resource raising, Corporate Governance etc. He is presently member in Executive Board of (1) MCC Chamber of Commerce & Industry and (2) Marwari Relief Society, Kolkata He was earlier on our Board as Chartered Accountant Director from 01.11.2011 to 31.10.2014. (Appointed under Section 9 (3) (g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
	Shareholding in IOB	200
	Other Directorships	M/s Vico Infrastructure Private Ltd.
12	Name	Shri Sanjay Rungta Shareholder Director
	Age and Date of Birth	50 years, 26.01.1966
	Qualification	B.Com, F.C.A.
	Date of Appointment	08.12.2014
	Date of expiry of the Current term	07.12.2017
	Experience	Shri Sanjay Rungta from Mumbai has done B.Com from Rajasthan University and is a practicing Chartered Accountant with more than 26 years of experience. He is a



		पिछले 26 वर्षों से मेसर्स संजय रूंगटा एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, मुंबई के वरिष्ठ प्रबंधक साझेदार रहे हैं। पिछले 26 वर्षों में उन्होंने बैंक शाखाओं में विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षाओं का आयोजन किया है जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से बैंक की शाखाओं की नियमित आंतरिक निरीक्षण, समवर्ती लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षा आयोजित की है। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से स्टॉक लेखापरीक्षा, मूल प्रतिभूतियों का मूल्यांकन समुचित सावधानी तथा वृहत कॉर्पोरेट घरेलू उधारकर्ताओं का प्रबोधन। उन्हें भा.रि.बै.के सीडीआर कक्ष के तहत प्रबोधनात्मक संस्था द्वारा सीडीआर मेकैनिज्म के तहत बड़े उधारकर्ताओं के समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने औद्योगिक वित्त पुनर्संरचना व आइडीबीआई की ओर से विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का अनुसंधानात्मक लेखा परीक्षा किया है। श्री रूंगटा आइसीएआइ द्वारा नामित “पियर रिव्यूअर्स” के पैनल में शामिल हैं तथा उन्होंने पिछले कुछ सालों में आइसीएआइ विनियमों के अनुपालन में विभिन्न सीए फर्मों की समीक्षा की है। लेखापरीक्षा व बैंकिंग जगत में अपने वृहत अनुभव के अलावा उन्होंने कई प्राइवेट व पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन, बीमा कंपनियों, केंद्रीय सहकारी समितियों, सरकारी कंपनियों में विभिन्न प्रकार से लेखापरीक्षण, किया है। आयका मामलो व परामर्शन उन्होंने भारत व भारत से बाहर कई यात्राएँ की हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	600
	अन्य निदेशकता	शून्य



		senior managing partner of M/s. S.P. Rungta & Associates, Chartered Accountants, Mumbai since the last 26 years. In the last 26 years he has conducted various kinds of audits of the Banks' branches like regular Internal inspection, concurrent audit, statutory audit and having conducted stock audit, valuation of primary securities, due diligence and monitoring of large corporate borrowers on behalf of Public Sector Banks. He was also appointed as concurrent auditor of large borrowers under the CDR mechanism. He has also undertaken special investigative audits (SIA) of various public limited companies at the behest of Board of Industrial Finance Reconstruction (BIFR) and Industrial Development Bank of India (IDBI). Shri Rungta is in the panel of "Peer Reviewers" nominated by the ICAI and has also conducted peer reviews of various CA firms in accordance with the ICAI regulations in the last few years. Apart from vast experience of audits of banking industry, he has also handled various types of audit, Income-Tax matter and consultant of many private and public sector corporations, insurance companies, central cooperative societies, Government companies. He has widely travelled in India and abroad.
	Shareholding in IOB	600 shares
	Other Directorships	Nil



इण्डियन ओवरसीज बैंक

Indian Overseas Bank

केन्द्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै 600 002

Central Office: 763, Anna Salai, Chennai-600 002

घोषणा

इस बात की पुष्टि की जाती है कि बैंक ने मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन (यानी महा प्रबंधकों) के लिए आचार संहिता निर्धारित की है और इसे बैंक की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

कृते इण्डियन ओवरसीज बैंक

चेन्नै

27.05.2016

(आर कोटीस्वरन)

प्रबंध निदेशक व सीइओ

DECLARATION

This is to confirm that the bank has laid down a code of conduct for all the Board Members and Senior Management (i.e., General Managers) of the Bank and the said code is posted on the website of the Bank. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct.

For Indian Overseas Bank

(R KOTEESWARAN)

Managing Director & CEO

Chennai

27.05.2016



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

Indian Overseas Bank

केन्द्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै 600 002

Central Office: 763, Anna Salai, Chennai-600 002

27.05.2016

27.05.2016

सेवा में

निदेशक मंडल

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

31-03-2016 को समाप्त 12 महीनों के लिए बैंक का वित्तीय विवरण सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (एलओडीआर) के विनियम 17(8) के अनुसार सीईओ / सीएफओ का प्रमाणीकरण

सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (एलओडीआर) के विनियम 17(8) के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि:

- क हमने उक्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार :
- इन विवरणों में कोई भी विवरण विषय की दृष्टि से गलत नहीं है या इनमें कोई भी तथ्य छोड़ा नहीं गया है या भ्रम पैदा करनेवाले व्योरे शामिल नहीं हैं ;
 - ये सभी विवरण मिलकर बैंक के क्रियाकलापों की सत्य और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं और ये वर्तमान लेखाकरण मानकों, प्रभावी कानूनों और विनियमों के अनुसार हैं ।
- ख हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो धोखाधड़ीपूर्ण, गैरकानूनी हों या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हों ।
- ग हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी लेते हैं तथा हम स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और इन आंतरिक नियंत्रणों की रचना या परिचालन में यदि कोई कमियां हों, जिसकी जानकारी हमें है और उन्हें सुधारने के संबंध में हमारे द्वारा किए गए उपायों या प्रस्तावित उपायों की जानकारी हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को दी है ।
- घ हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित जानकारी दी है:
- वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में,
 - वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में और उन्हें वित्तीय विवरण के नोट्स में प्रकट किया गया है; और
 - महत्वपूर्ण धोखाधड़ियों की घटनाएं जिनकी हमें जानकारी है और जिनमें प्रबंधन या कर्मचारी शामिल हैं, जो वित्तीय रिपोर्टिंग विषयक बैंक की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।

TO

**THE BOARD OF DIRECTORS
INDIAN OVERSEAS BANK**

Financial Statements of the Bank for the 12 months ended 31.03.2016

CEO/CFO Certification as per Regulation 17(8) of SEBI- (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR)

In terms of Regulation 17(8) of SEBI – (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), we certify that:

A. We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year and to the best of our knowledge and belief:

- These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
- These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's Code of Conduct.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We have indicated to the auditors and the Audit Committee

- Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
- Significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
- Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(वाई. सी. जैन)

महा प्रबंधक एवं सीएफओ

(आर कोटीस्वरन)

प्रबंध निदेशक व मु.का.अधि.

(Y C JAIN)

General Manager & CFO

(R KOTEESWARAN)

Managing Director & CEO



**कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखा
परीक्षकों का प्रमाण-पत्र**

इण्डियन ओवरसीज बैंक

चेन्नै के शेयरधारकों को

हमने 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज बैंक, चेन्नै द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया जैसा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 में निर्धारित किया गया है।

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कॉर्पोरेट प्रबंधन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो लेखा परीक्षा है न ही यह इण्डियन ओवरसीज बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करता है।

बैंक द्वारा रखे गए रिकॉर्डों और दस्तावेजों एवं हमें दी गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक द्वारा उक्त सूचीबद्ध करार में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेन्स संबंधी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

हम सूचित करते हैं कि रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट द्वारा रखे गए रिकॉर्डों के अनुसार बैंक के विरुद्ध किसी भी निवेशक की कोई भी शिकायत एक महीने से ज्यादा अवधि के लिए लंबित नहीं है।

आगे हम सूचित करना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है न ही प्रबंधन की दक्षता या प्रभावत्मकता का, जिससे कि प्रबंधन ने बैंक के कार्यकलाप संपन्न किए हैं।

**AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE
GOVERNANCE**

To

The Shareholders of

Indian Overseas Bank

Chennai

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Indian Overseas Bank, Chennai for the year ended 31.03.2016, as stipulated in Regulation 34 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR).

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by Indian Overseas Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of Indian Overseas Bank.

On the basis of records and documents maintained by the Bank, the information provided to us and according to the explanation given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Regulation.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Registrar and Share Transfer Agent.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते वर्धमान एंड कं
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 004522एस

कृते एसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 009571 एन/ एन500006

कृते ए वी देवेन एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000726एस

For VARDHAMAN & Co
Chartered Accountants
FRN 004522S

For ASA & ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FRN 009571N / N500006

For A V DEVEN & Co
Chartered Accountants
FRN 000726S

(सीए. वी. भास्करन)
साझेदार
एम नं. 012202

(सीए. एस. सुन्दर राजन)
साझेदार
एम नं. 211414

(सीए. आर. मुरलीधरन)
साझेदार
एम नं. 023283

(CA. V. BASKARAN)
Partner
M.No. 012202

(CA. S. SUNDAR RAJAN)
Partner
M.No.211414

(CA. R. MURALIDHARAN)
Partner
M.No.023283

कृते हरिभक्ति एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 103523डब्ल्यू

कृते तलाटी एंड तलाटी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 110758डब्ल्यू

For HARIBHAKTI & Co LLP
Chartered Accountants
FRN 103523W

For TALATI & TALATI
Chartered Accountants
FRN 110758W

(सीए. जी. एन. रामस्वामी)
साझेदार
एम.नं. 202363

(सीए. उमेश एच. तलाटी)
साझेदार
एम. नं. 034834

(CA. G. N. RAMASWAMI)
Partner
M.No. 202363

(CA. UMESH H. TALATI)
Partner
M.No.034834

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 27.05.2016

Place : Chennai
Date : 27.05.2016



31.3.2016 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(रु. 000' में)

	अनुसूची	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
पूँजी व देयताएँ			
पूँजी	01	1807 26 57	1235 34 83
आरक्षितियाँ और अधिशेष	02	13858 54 97	14405 66 93
जमा राशियाँ	03	224514 23 96	246048 72 15
उधार	04	27183 30 77	18232 41 08
अन्य देयताएँ व प्रावधान	05	7073 40 09	5714 83 36
योग		274436 76 36	285636 98 35
आस्तियाँ			
भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ नकदी और अतिशेष	06	14033 49 24	12637 77 47
बैंकों में अतिशेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	07	8212 74 33	12260 77 15
निवेश	08	79189 55 06	79298 09 84
अग्रिम	09	160860 66 80	171756 02 06
स्थिर आस्तियाँ	10	3270 46 49	2507 06 48
अन्य आस्तियाँ	11	8869 84 44	7177 25 35
योग		274436 76 36	285636 98 35
समाश्रित देयताएँ	12	75858 73 53	83531 49 26
संग्रहण के लिए बिल		19123 33 86	14916 54 79
मूल लेखाकरण नीतियाँ	17		
लेखों पर टिप्पणियाँ	18		

अनुसूचियाँ तुलन - पत्र का अंग हैं

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के जरिए

श्री आर. कोटीस्वरन
प्रबंध निदेशक व मुख्य
कार्यपालक अधिकारी

कृते वर्धमान एंड कं
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 004522एस

कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 009571 एन/ एन500006

कृते ए वी देवेन एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000726एस

श्री अतुल अग्रवाल
कार्यपालक निदेशक

श्री पवन कुमार बजाज
कार्यपालक निदेशक

(सीए. वी. भास्करन)
साझेदार
एम नं. 12202

(सीए. एस. सुन्दर राजन)
साझेदार
एम नं. 211414

(सीए. आर. मुरलीधरन)
साझेदार
एम नं. 023283

निदेशकगण

निर्मल चंद
आर. संपत कुमार
निरंजन कुमार अग्रवाल
चित्रैय्या

कृते हरिभक्ति एंड कं. एलएलपी कृते तलाटी एंड तलाटी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 103523डब्ल्यू

कृते तलाटी एंड तलाटी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 110758डब्ल्यू

एस सुजाता
ए.बी. डी. बादुशास
संजय रंगटा

(सीए. जी. एन. रामस्वामी)
साझेदार
एम.नं. 202363

(सीए. उमेश एच. तलाटी)
साझेदार
एम. नं. 034834

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 27.05.2016



BALANCE SHEET AS AT 31.03.2016

(Rs. in 000's)

	SCHEDULES	AS AT 31.03.2016	AS AT 31.03.2015
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	01	1807 26 57	1235 34 83
Reserves and Surplus	02	13858 54 97	14405 66 93
Deposits	03	224514 23 96	246048 72 15
Borrowings	04	27183 30 77	18232 41 08
Other Liabilities & Provisions	05	7073 40 09	5714 83 36
TOTAL		274436 76 36	285636 98 35
ASSETS			
Cash & Balances with Reserve Bank of India	06	14033 49 24	12637 77 47
Balances with Banks			
and Money at Call and Short Notice	07	8212 74 33	12260 77 15
Investments	08	79189 55 06	79298 09 84
Advances	09	160860 66 80	171756 02 06
Fixed Assets	10	3270 46 49	2507 06 48
Other Assets	11	8869 84 44	7177 25 35
TOTAL		274436 76 36	285636 98 35
Contingent Liabilities	12	75858 73 53	83531 49 26
Bills for Collection		19123 33 86	14916 54 79
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		

Schedules Form Part of the Balance Sheet

Vide our Report of Even Date

R. KOTEESWARAN
Managing Director & CEO

For VARDHAMAN & CO
Chartered Accountants
FRN 004522S

For ASA & ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FRN 009571N/N500006

For A V DEVEN & CO
Chartered Accountants
FRN 000726S

ATUL AGARWAL
Executive Director

(CA.V.BASKARAN)
Partner
M.No.12202

(CA. S.SUNDAR RAJAN)
Partner
M.No.211414

(CA.R.MURALIDHARAN)
Partner
M.No.023283

PAWAN KUMAR BAJAJ
Executive Director

DIRECTORS
Nirmal Chand
R. Sampath Kumar
Niranjan Kumar Agarwal
Chinnaiah
S. Sujatha
A.B.D. Badushas
Sanjay Rungta

For HARIBHAKTI & CO LLP
Chartered Accountants
FRN 103523W

(CA. G.N.RAMASWAMI)
Partner
M.No.202363

For TALATI & TALATI
Chartered Accountants
FRN 110758W

(CA. UMESH H.TALATI)
Partner
M.No.034834

Place : Chennai
Date : 27.05.2016



31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता

(रु. 000' में)

	अनुसूची	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
आय			
अर्जित ब्याज	13	23517 29 49	23938 33 45
अन्य आय	14	2528 25 70	2138 59 67
योग		26045 55 19	26076 93 12
व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	18134 60 05	18554 37 59
परिचालन व्यय	16	5025 49 57	4200 21 35
प्रावधान और आकस्मिक व्यय (निवल)		5782 78 32	3776 66 69
योग		28942 87 94	26531 25 63
लाभ / हानि (-)			
वर्ष के लिए निवल लाभ / हानि (-)		-2897 32 75	-454 32 51
अग्रणीत लाभ / हानि (-)		-489 83 75	0
योग		-3387 16 50	-454 32 51
विनियोजन			
राजस्व आरक्षित निधि में अंतरण		0	0
राजस्व और अन्य आरक्षितियों में अंतरण		0	0
पूँजी आरक्षितियों में अंतरण		36 42 00	35 51 24
विशेष आरक्षित को अंतरण		0	0
प्रस्तावित अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)		0	0
तुलन-पत्र में अग्रणीत शेष राशि		-3423 58 50	-489 83 75
योग		-3387 16 50	-454 32 51
मूल एवं तनुकृत प्रति शेयर अर्जन (रु.)		-19.86	-3.68
प्रति इक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (रु.)		10.00	10.00

अनुसूचियाँ लाभ व हानि खाता का अभिन्न अंग हैं

समिति की हमारी रिपोर्ट के जरिए

श्री आर. कोटीस्वरन
प्रबंध निदेशक व मुख्य
कार्यपालक अधिकारी

कृते वर्धमान एंड कं
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 004522एस

कृते एसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 009571 एन/ एन500006

कृते ए वी देवेन एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000726एस

श्री अतुल अग्रवाल
कार्यपालक निदेशक

श्री पवन कुमार बजाज
कार्यपालक निदेशक

(सीए. वी. भास्करन)
साझेदार
एम नं. 12202

(सीए. एस. सुन्दर राजन)
साझेदार
एम नं. 211414

(सीए. आर. मुरलीधरन)
साझेदार
एम नं. 023283

निदेशकगण

निर्मल चंद
आर. संपत कुमार
निरंजन कुमार अग्रवाल
चित्रैय्या

कृते हरिभक्ति एंड कं. एलएलपी **कृते तलाटी एंड तलाटी**
सनदी लेखाकार
सनदी लेखाकार
एफआरएन 103523डब्ल्यू
एफआरएन 110758डब्ल्यू

एस सुजाता
ए.बी. डी. बादुशास
संजय रंगटा

(सीए. जी. एन. रामस्वामी)
साझेदार
एम.नं. 202363

(सीए. उमेश एच. तलाटी)
साझेदार
एम. नं. 034834

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 27.05.2016



PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016

(Rs. in 000's)

	SCHEDULES	Year Ended 31.03.2016	Year Ended 31.03.2015
INCOME			
Interest earned	13	23517 29 49	23938 33 45
Other income	14	2528 25 70	2138 59 67
TOTAL		26045 55 19	26076 93 12
EXPENDITURE			
Interest expended	15	18134 60 05	18554 37 59
Operating expenses	16	5025 49 57	4200 21 35
Provisions & Contingencies (Net)		5782 78 32	3776 66 69
TOTAL		28942 87 94	26531 25 63
PROFIT / LOSS (-)			
Net Profit / Loss (-) for the year		-2897 32 75	-454 32 51
Profit /Loss (-) brought forward		-489 83 75	0
TOTAL		-3387 16 50	-454 32 51
APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserve		0	0
Transfer to Revenue and Other Reserves		0	0
Transfer to Capital Reserve		36 42 00	35 51 24
Transfer to Special Reserve		0	0
Proposed Dividend (including Dividend Tax)		0	0
Balance carried over to Balance Sheet		-3423 58 50	-489 83 75
TOTAL		-3387 16 50	-454 32 51
Basic & Diluted Earnings per share (Rs.)		-19.86	-3.68
Nominal Value per Equity Share (Rs.)		10.00	10.00

Schedules Form Part of the Profit & Loss Account

Vide our Report of Even Date

R. KOTEESWARAN Managing Director & CEO	For VARDHAMAN & CO Chartered Accountants FRN 004522S	For ASA & ASSOCIATES LLP Chartered Accountants FRN 009571N/N500006	For A V DEVEN & CO Chartered Accountants FRN 000726S
ATUL AGARWAL Executive Director	(CA.V.BASKARAN) Partner M.No.12202	(CA. S.SUNDAR RAJAN) Partner M.No.211414	(CA.R.MURALIDHARAN) Partner M.No.023283
PAWAN KUMAR BAJAJ Executive Director			
DIRECTORS Nirmal Chand R. Sampath Kumar Niranjan Kumar Agarwal Chinnaiah S. Sujatha A.B.D. Badushas Sanjay Rungta	For HARIBHAKTI & CO LLP Chartered Accountants FRN 103523W (CA. G.N.RAMASWAMI) Partner M.No.202363	For TALATI & TALATI Chartered Accountants FRN 110758W (CA. UMESH H.TALATI) Partner M.No.034834	

Place : Chennai
Date : 27.05.2016



अनुसूचियाँ

(रु. '000 में)

अनुसूची-1 पूँजी

31.03.2016

31.03.2015

तक

तक

प्राधिकृत पूँजी

प्रत्येक रु.10/- के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर

3000 00 00

3000 00 00

निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूँजी

रु.10 इक्विटी शेयर वाले 180,72,65,683 इक्विटी शेयर

1807 26 57

1235 34 83

(भारत सरकार द्वारा धारित रु.10 प्रति इक्विटी शेयर वाले 139,73,28,445 इक्विटी शेयर शामिल हैं)

पिछले वर्ष के रु. 10 इक्विटी शेयर वाले 123,53,48,315 इक्विटी शेयर

(भारत सरकार द्वारा धारित रु.10 प्रति इक्विटी शेयर वाले 91,17,10,848 इक्विटी शेयर शामिल हैं)

अनुसूची-2

31.03.2016

31.03.2015

आरक्षितियाँ व अधिशेष

तक

तक

I. शेयर प्रीमियम

अथ शेष

4845 12 80

4845 12 80

जोड़ें : परिवर्धन

1639 45 56

0

योग - I

6484 58 36

4845 12 80

II. सांविधिक आरक्षितियाँ

अथ शेष

3062 11 87

3062 11 87

जोड़ें : परिवर्धन

0

0

योग - II

3062 11 87

3062 11 87

III. पूँजी आरक्षितियाँ

अ) पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ

अथ शेष

1706 53 20

1813 90 57

जोड़ें : परिवर्धन

869 69 82

65 02

घटाएँ: कटौतियाँ / मूल्य-ह्रास*

164 62 00

108 02 39

योग - अ

2411 61 02

1706 53 20

आ) निवेशों की बिक्री पर

अथशेष

1008 63 16

973 11 92

जोड़ें : परिवर्धन

36 42 00

35 51 24

योग-आ

1045 05 16

1008 63 15

इ) अन्य

अथशेष

152 93 18

152 89 13

जोड़ें : परिवर्धन*

5 82

4 05

योग - इ

152 99 01

152 93 18

योग - III (अ, आ, इ)

3609 65 18

2868 09 53

IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियाँ

(ए) अन्य राजस्व आरक्षितियाँ

अथशेष

2560 56 67

2560 56 67

जोड़ें : परिवर्धन

0

0

घटाएँ: कटौतियाँ

100 00 00

0

योग - (ए)

2460 56 67

2560 56 67



SCHEDULES

(Rs. in 000's)

SCHEDULE -1 CAPITAL

AS AT
31.03.2016

AS AT
31.03.2015

AUTHORISED CAPITAL

300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each

3000 00 00

3000 00 00

ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL

1807 26 57

1235 34 83

180,72,65,683 Equity Shares of Rs.10/- each

(Includes 139,73,28,445 Shares of Rs.10/- each held by Government of India)

Previous year 123,53,48,315 Equity Shares of Rs.10/- each

(Includes 91,17,10,848 Shares of Rs.10/- each held by Government of India)

SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS

AS AT
31.03.2016

AS AT
31.03.2015

I. SHARE PREMIUM

Opening balance

4845 12 80

4845 12 80

Add: Additions

1639 45 56

0

TOTAL - I

6484 58 36

4845 12 80

II. STATUTORY RESERVE

Opening balance

3062 11 87

3062 11 87

Add: Additions

0

0

TOTAL - II

3062 11 87

3062 11 87

III. CAPITAL RESERVE

A. Revaluation Reserve

Opening Balance

1706 53 20

1813 90 57

Add: Additions

869 69 82

65 02

Less: Deductions / Depreciation

164 62 00

108 02 39

TOTAL - A

2411 61 02

1706 53 20

B. On sale of Investments

Opening Balance

1008 63 15

973 11 91

Add: Additions

36 42 00

35 51 24

TOTAL - B

1045 05 15

1008 63 15

C. Others

Opening Balance

152 93 18

152 89 13

Add: Additions

5 83

4 05

TOTAL - C

152 99 01

152 93 18

TOTAL - III (A,B,C)

3609 65 18

2868 09 53

IV. REVENUE & OTHER RESERVES

A Other Revenue Reserves

Opening Balance

2560 56 67

2560 56 67

Add: Additions

0

0

Less: Deduction

100 00 00

0

TOTAL - A

2460 56 67

2560 56 67



अनुसूचियाँ जारी

(रु. '000 में)

अनुसूची-2	31.03.2016	31.03.2015
आरक्षितियाँ व अधिशेष तक	तक	तक
(बी) विशेष आरक्षिति		
अथशेष	741 60 00	741 60 00
जोड़ें : परिवर्धन	0	0
योग - (बी)	741 60 00	741 60 00
सी) निवेश आरक्षितियाँ खाते		
अथशेष	97 95 58	97 95 58
जोड़ें : परिवर्धन	0	0
घटाएँ: कटौतियाँ	0	0
योग - (सी)	97 95 58	97 95 58
डी) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षितियाँ		
अथशेष	720 04 23	687 53 86
जोड़ें : परिवर्धन	105 61 58	32 50 37
घटाएँ: कटौतियाँ	0	0
योग - (डी)	825 65 81	720 04 23
योग - IV (ए, बी, सी व डी)	4125 78 06	4120 16 48
V. लाभ व हानि खाते	-3423 58 50	-489 83 75
योग (I, II, III, IV & V)	13858 54 97	14405 66 93

अनुसूची-3	31.03.2016	31.03.2015
जमाएं	तक	तक
अ. i) माँग जमाएं		
i) बैंकों से	18 56 50	40 85 46
ii) अन्यो से	12063 25 75	14599 47 43
योग - I	12081 82 25	14640 32 89
II. बचत बैंक जमाएं	52403 60 00	47101 16 22
III. मीयादी जमाएं		
i) बैंकों से	1 69 21	599 02 19
ii) अन्यो से	160027 12 50	183708 20 85
योग - III	160028 81 71	184307 23 04
योग- अ (I, II & III)	224514 23 96	246048 72 15
आ. I) भारत की शाखाओं में जमाएं	218555 80 33	239819 19 60
II) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाएं	5958 43 63	6229 52 55
योग - आ	224514 23 96	246048 72 15


SCHEDULES (Contd.)

(Rs. in 000's)

**SCHEDULE - 2
RESERVES & SURPLUS**
**AS AT
31.03.2016**
**AS AT
31.03.2015**

B Special Reserve
Opening balance
Add: Additions

741 60 00
0

741 60 00
0

TOTAL - B
741 60 00
741 60 00

C Investment Reserve Account
Opening Balance
Add: Additions
Less: Deductions

97 95 58
0
0

97 95 58
0
0

TOTAL - C
97 95 58
97 95 58

D Foreign Currency Translation Reserve
Opening balance
Add: Additions
Less: Deduction

720 04 23
105 61 58
0

687 53 86
32 50 37
0

TOTAL - D
825 65 81
720 04 23
TOTAL - IV (A,B,C,D)
4125 78 06
4120 16 48
V. PROFIT AND LOSS ACCOUNT
-3423 58 50
-489 83 75
TOTAL (I, II , III, IV & V)
13858 54 97
14405 66 93
**SCHEDULE - 3
DEPOSITS**
**AS AT
31.03.2016**
**AS AT
31.03.2015**
A. I. DEMAND DEPOSITS

i) From Banks
ii) From Others

18 56 50
12063 25 75

40 85 46
14599 47 43

TOTAL - I
12081 82 25
14640 32 89
II. SAVINGS BANK DEPOSITS
52403 60 00
47101 16 22
III. TERM DEPOSITS

i) From Banks
ii) From Others

1 69 21
160027 12 50

599 02 19
183708 20 85

TOTAL - III
160028 81 71
184307 23 04
TOTAL - A (I,II & III)
224514 23 96
246048 72 15

B. I) Deposits of branches in India
II) Deposits of branches outside India

218555 80 33
5958 43 63

239819 19 60
6229 52 55

TOTAL - B
224514 23 96
246048 72 15



अनुसूचियाँ

(रु. '000 में)

अनुसूची-4 लिये गये उधार	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
I. भारत में लिए गए उधार		
भारतीय रिज़र्व बैंक	0	0
अन्य बैंक	0	0
अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	10936 68 12	748 72 62
नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	1580 00 00	1780 00 00
बॉण्ड के तौर पर जारी हाइब्रिड कर्ज पूंजी लिखत	2632 30 00	2632 30 00
अधीनस्थ कर्ज	2340 00 00	2990 00 00
योग I	17488 98 12	8151 02 62
II. भारत के बाहर से लिए गए उधार	9694 32 65	10081 38 46
योग (I व II)	27183 30 77	18232 41 08
III. ऊपर I व II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	10936 68 12	748 72 62
अनुसूची-5	31.03.2016	31.03.2015
अन्य देयतायें व प्रावधान	तक	तक
I. देय बिल	560 25 11	521 09 62
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	0	710 11 65
III. प्रोद्भूत ब्याज	136 18 90	697 74 05
IV. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	6376 96 08	3785 88 04
योग	7073 40 09	5714 83 36
अनुसूची-6	31.03.2016	31.03.2015
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	तक	तक
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट और एटीएम नकद सम्मिलित हैं)	1825 38 72	1489 70 16
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ	12244 42 59	11148 07 31
i) चालू खाते में शेष	-36 32 07	0
ii) अन्य खातों में शेष	14033 49 24	12637 77 47
अनुसूची-7	31.03.2016	31.03.2015
बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	तक	तक
I. भारत में		
i) बैंकों में शेष		
क. चालू खातों में	73 35 51	55 25 34
ख. अन्य जमा खातों में	109 57 25	36 92 34
ii) माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन		
क. बैंकों के साथ	950 00 00	2449 99 32
ख. अन्य संस्थाओं के साथ	4471 21 49	56081185
योग - I	5604 14 25	8150 28 85



SCHEDULES

(Rs. in 000's)

SCHEDULE - 4 BORROWINGS	AS AT 31.03.2016	AS AT 31.03.2015
I. BORROWINGS IN INDIA		
Reserve Bank of India	0	0
Other Banks	0	0
Other Institutions & Agencies	10936 68 12	748 72 62
Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	1580 00 00	1780 00 00
Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	2632 30 00	2632 30 00
Subordinated Debt	2340 00 00	2990 00 00
TOTAL (I)	17488 98 12	8151 02 62
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA	9694 32 65	10081 38 46
TOTAL (I & II)	27183 30 77	18232 41 08
III. Secured borrowings included in I & II above	10936 68 12	748 72 62
SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	AS AT 31.03.2016	AS AT 31.03.2015
I. Bills Payable	560 25 11	521 09 62
II. Inter Office Adjustments (Net)	0	710 11 65
III. Interest Accrued	136 18 90	697 74 05
IV. Others (including provisions)	6376 96 08	3785 88 04
TOTAL	7073 40 09	5714 83 36
SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	AS AT 31.03.2016	AS AT 31.03.2015
I. Cash on hand (including Foreign currency notes & ATM cash)	1825 38 72	1489 70 16
II. Balances with Reserve Bank of India		
i) in Current Account	12244 42 59	11148 07 31
ii) in Other Accounts	-36 32 07	0
TOTAL	14033 49 24	12637 77 47
SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	AS AT 31.03.2016	AS AT 31.03.2015
I. In India		
i) Balances with banks		
a) In Current Accounts	73 35 51	55 25 34
b) In Other Deposit Accounts	109 57 25	36 92 34
ii) Money at Call and Short Notice		
a) With banks	950 00 00	2449 99 32
b) With other institutions	4471 21 49	5608 11 85
TOTAL - I	5604 14 25	8150 28 85



अनुसूचियाँ (जारी)

(रु. '000 में)

अनुसूची-7

31.03.2016

31.03.2015

बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन तक

तक

तक

II.

भारत के बाहर

क. चालू खातों में

1019 98 16

382 35 27

ख. अन्य जमा खातों में

1252 98 22

3597 69 03

ग. माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन

335 63 70

130 44 00

योग - II

2608 60 08

4110 48 30

योग (I व II)

8212 74 33

12260 77 15

अनुसूची-8

31.03.2016

31.03.2015

निवेश तक

तक

तक

I.

भारत में निवेश

i) सरकारी प्रतिभूतियाँ

64025 25 84

65861 98 67

ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

3 10 93

3 10 93

iii) शेयर

1446 45 29

1358 91 75

iv) डिबेंचर और बंध-पत्र

7773 99 05

4495 88 23

v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम

0

0

vi) अन्य निवेश

2470 09 30

4041 62 89

(म्यूच्युअल फंड, जमाओं की वेंचर पूँजी फंड जमा प्रमाण-पत्र और सी पी में निवेश)

योग - I

75718 90 41

75761 52 47

II.

भारत के बाहर निवेश

i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (इसमें स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं)

2521 40 15

2463 60 23

ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

0

0

iii) शेयर

9 30

9 59

iv) डिबेंचर और बंध-पत्र

749 57 68

873 30 03

v) अनुषंगी / संयुक्त उद्यम

199 57 52

199 57 52

vi) अन्य निवेश

0

0

योग - II

3470 64 65

3536 57 37

कुल जोड़ (I व II)

79189 55 06

79298 09 84

भारत में सकल निवेश

76155 64 83

76183 97 49

घटाएँ : मूल्यहास

436 74 42

422 45 02

निवल निवेश

75718 90 41

75761 52 47

भारत के बाहर सकल निवेश

3470 64 65

3536 57 37

घटाएँ : मूल्यहास

0

0

निवल निवेश

3470 64 65

3536 57 37

कुल निवल निवेश

79189 55 06

79298 09 84


SCHEDULES (Contd.)
(Rs. in 000's)

SCHEDULE - 7	AS AT	AS AT
BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	31.03.2016	31.03.2015
II. Outside India		
a) In Current Accounts	1019 98 16	382 35 27
b) In Other Deposit Accounts	1252 98 22	3597 69 03
c) Money at Call and Short Notice	335 63 70	130 44 00
TOTAL - II	2608 60 08	4110 48 30
TOTAL (I & II)	8212 74 33	12260 77 15

SCHEDULE - 8	AS AT	AS AT
INVESTMENTS	31.03.2016	31.03.2015
I. INVESTMENTS IN INDIA		
i) Government Securities	64025 25 84	65861 98 67
ii) Other Approved Securities	3 10 93	3 10 93
iii) Shares	1446 45 29	1358 91 75
iv) Debentures and Bonds	7773 99 05	4495 88 23
v) Subsidiaries/ Joint Ventures	0	0
vi) Other Investments	2470 09 30	4041 62 89
(Investments in Mutual Funds, Venture Capital Funds Certificate of Deposits and CP)		
TOTAL - I	75718 90 41	75761 52 47
II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		
i) Government Securities (including Local Authorities)	2521 40 15	2463 60 23
ii) Other Approved Securities	0	0
iii) Shares	9 30	9 59
iv) Debentures and Bonds	749 57 68	873 30 03
v) Subsidiaries/ Joint Ventures	199 57 52	199 57 52
vi) Other Investments	0	0
TOTAL - II	3470 64 65	3536 57 37
TOTAL (I & II)	79189 55 06	79298 09 84

Gross Investments in India	76155 64 83	76183 97 49
Less: Depreciation	436 74 42	422 45 02
Net Investments	75718 90 41	75761 52 47
Gross Investments Outside India	3470 64 65	3536 57 37
Less: Depreciation	0	0
Net Investments	3470 64 65	3536 57 37
Total Net Investments	79189 55 06	79298 09 84



अनुसूचियाँ (जारी)

(रु. '000 में)

अनुसूची-9

अग्रिम

31.03.2016

31.03.2015

तक

तक

- अ. i) क्रय किए गए व मितिकाटे पर भुगतान किए गए बिल
ii) रोकड़ उधार, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय उधार
iii) सावधि उधार

3914 35 73

3755 94 23

72065 25 40

80034 41 73

84881 05 67

87965 66 10

योग

160860 66 80

171756 02 06

- आ. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत
(बहीगत ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित)
ii) बैंक / सरकारी जमानतों द्वारा संरक्षित
iii) अप्रतिभूत

129252 03 00

148806 53 16

10240 87 00

3116 21 11

21367 76 80

19833 27 79

योग

160860 66 80

171756 02 06

इ. I. भारत में अग्रिम

- i) प्राथमिकता क्षेत्र
ii) सार्वजनिक क्षेत्र
iii) बैंक
iv) अन्य

59622 77 20

59997 17 69

12106 32 10

20868 08 16

23 21 84

11 54 74

73674 01 12

75774 73 21

योग

145426 32 26

156651 53 80

II. भारत के बाहर अग्रिम

- i) बैंकों से शोध्द
ii) अन्यो से शोध्द
क) क्रय किए गए व मितिकाटे पर भुगतान किए गए बिल
ख) संघबद्ध उधार
ग) अन्य

439 61 45

760 21 52

2755 65 68

1963 43 60

3881 29 78

5418 12 94

8357 77 63

6962 70 20

योग

15434 34 54

15104 48 26

कुल योग (सी I व सी II)

160860 66 80

171756 02 06

अनुसूची-10

स्थिर आस्तियाँ

31.03.2016

31.03.2015

तक

तक

I. परिसर

गत वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर / पुनःमूल्यांकित रकम
वर्ष के दौरान परिवर्धन

2588 89 63

2597 47 45

815 78 16

-6 65 63

3404 67 79

2590 81 82

वर्ष के दौरान कटौतियाँ

20 87

1 92 19

अद्यतन मूल्यहास

3404 46 92

2588 89 63

631 15 02

525 63 05

योग - I

2773 31 90

2063 26 58

II. पूँजीगत चालू कार्य

52 16 77

44 99 55

योग - II

52 16 77

44 99 55


SCHEDULES (Contd.)
(Rs. in 000's)

SCHEDULE - 9			AS AT	AS AT
ADVANCES			31.03.2016	31.03.2015
A.	i)	Bills Purchased & Discounted	3914 35 73	3755 94 23
	ii)	Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	72065 25 40	80034 41 73
	iii)	Term Loans	84881 05 67	87965 66 10
TOTAL			160860 66 80	171756 02 06
B.	i)	Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	129252 03 00	148806 53 16
	ii)	Covered by Bank/Government Guarantees	10240 87 00	3116 21 11
	iii)	Unsecured	21367 76 80	19833 27 79
TOTAL			160860 66 80	171756 02 06
C.	I)	Advances in India		
	i)	Priority Sector	59622 77 20	59997 17 69
	ii)	Public Sector	12106 32 10	20868 08 16
	iii)	Banks	23 21 84	11 54 74
	iv)	Others	73674 01 12	75774 73 21
TOTAL			145426 32 26	156651 53 80
	II)	Advances Outside India		
	i)	Due from Banks	439 61 45	760 21 52
	ii)	Due from Others		
	a)	Bills Purchased & Discounted	2755 65 68	1963 43 60
	b)	Syndicated Loans	3881 29 78	5418 12 94
	c)	Others	8357 77 63	6962 70 20
TOTAL			15434 34 54	15104 48 26
TOTAL (C-I & C-II)			160860 66 80	171756 02 06

SCHEDULE - 10		AS AT	AS AT
FIXED ASSETS		31.03.2016	31.03.2015
I.	Premises		
	At cost / revalued amount as on 31st March of Previous Year	2588 89 63	2597 47 45
	Additions during the year	815 78 16	-6 65 63
		3404 67 79	2590 81 82
	Deductions during the year	20 87	1 92 19
		3404 46 92	2588 89 63
	Depreciation to date	631 15 02	525 63 05
	TOTAL - I	2773 31 90	2063 26 58
II.	Capital work in progress	52 16 77	44 99 55
	TOTAL - II	52 16 77	44 99 55



अनुसूचियाँ (जारी)

(रु. '000 में)

अनुसूची-10 स्थिर आस्तियाँ	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
III. अन्य स्थिर आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्चर सम्मिलित हैं)		
पूर्व वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	1493 10 52	1351 40 71
वर्ष के दौरान परिवर्धन	428 32 77	164 88 68
	1921 43 29	1516 29 39
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	234 48 77	23 18 86
	1686 94 52	1493 10 53
अद्यतन मूल्यहास	1241 96 70	1094 30 18
योग - III	444 97 82	398 80 35
कुल योग (I, II & III)	3270 46 49	2507 06 48

अनुसूची-11 अन्य आस्तियाँ	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
I) अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	61 73 29	0
ii) प्रोद्भूत ब्याज	2854 35 03	2782 86 86
iii) अग्रिम रूप से संदत्त (प्रावधानों का निवल)	472 13 72	576 52 19
iv) लेखन - सामग्री और स्टैम्प	12 35 66	11 48 18
v) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ	211 55 39	211 55 39
vi) अन्य (नाबार्ड के पास रखे जमाओं को शामिल करें)	5257 71 35	3594 82 73
योग	8869 84 44	7177 25 35

अनुसूची-12 आकस्मिक दायित्व	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
I बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	44 03 05	43 60 72
ii) अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता	11 60	11 60
iii) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	30206 83 11	34709 30 28
iv) ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ		
क. भारत में	19291 40 76	20379 62 79
ख. भारत के बाहर	1048 07 35	1217 31 75
v) सकार, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ	15858 88 58	17299 21 83
vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	9409 39 08	9882 30 29
योग	75858 73 53	83531 49 26


SCHEDULES (Contd.)
(Rs. in 000's)
**SCHEDULE - 10
FIXED ASSETS**
**AS AT
31.03.2016**
**AS AT
31.03.2015**
III. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)

At cost as on 31st March of Previous Year

1493 10 52

1351 40 71

Additions during the year

428 32 77

164 88 68

1921 43 29

1516 29 39

Deductions during the year

234 48 77

23 18 86

1686 94 52

1493 10 53

Depreciation to date

1241 96 70

1094 30 18

TOTAL - III
444 97 82
398 80 35
Total (I, II & III)
3270 46 49
2507 06 48
**SCHEDULE - 11
OTHER ASSETS**
**AS AT
31.03.2016**
**AS AT
31.03.2015**

i) Inter Office Adjustments (Net)

61 73 29

0

ii) Interest Accrued

2854 35 03

2782 86 86

iii) Tax paid in advance (Net of Provisions)

472 13 72

576 52 19

iv) Stationery & Stamps

12 35 66

11 48 18

v) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims

211 55 39

211 55 39

vi) Others (Include Deposits placed with NABARD)

5257 71 35

3594 82 73

TOTAL
8869 84 44
7177 25 35
**SCHEDULE - 12
CONTINGENT LIABILITIES**
**AS AT
31.03.2016**
**AS AT
31.03.2015**

i) Claims against the Bank not acknowledged as debts

44 03 05

43 60 72

ii) Liability for partly paid investments

11 60

11 60

iii) Liability on account of outstanding forward exchange contracts

30206 83 11

34709 30 28

iv) Guarantees given on behalf of constituents

a) In India

19291 40 76

20379 62 79

b) Outside India

1048 07 35

1217 31 75

v) Acceptances, Endorsements & Other obligations

15858 88 58

17299 21 83

vi) Other items for which the bank is contingently liable

9409 39 08

9882 30 29

TOTAL
75858 73 53
83531 49 26



अनुसूचियाँ (जारी)

(रु. '000 में)

अनुसूची-13 अर्जित ब्याज		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
i)	ब्याज / अग्रिम बट्टा / बिल	16662 31 10	17945 58 06
ii)	निवेशों पर आय	6483 50 93	5469 73 94
iii)	भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ शेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	371 47 46	465 84 39
iv)	अन्य	0	57 17 06
योग		23517 29 49	23938 33 45

अनुसूची-14 अन्य आय		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
i)	कमीशन, विनिमय और दलाली	1061 45 34	1001 92 99
ii)	निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	458 12 77	536 29 36
iii)	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि (निवल)	-1 53 60	-253 48 45
iv)	भूमि और भवनों के विक्रय पर लाभ व अन्य आस्तियाँ	1 24 72	1 14 85
v)	विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	252 51 35	258 65 75
vi)	विविध आय	756 45 12	594 05 17
योग		2528 25 70	2138 59 67

अनुसूची-15 खर्च किया गया ब्याज		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
i)	जामाओं पर ब्याज	16249 71 40	17245 82 90
ii)	भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर- बैंक उधारों पर ब्याज	1884 84 47	1308 50 68
iii)	अन्य	4 18	4 01
योग		18134 60 05	18554 37 59

अनुसूची-16 परिचालन व्यय		31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
i)	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	3390 39 55	2649 53 79
ii)	भाड़ा, कर और रोशनी	440 64 34	378 25 05
iii)	मुद्रण और लेखन-सामग्री	24 72 41	25 98 55
iv)	विज्ञापन और प्रचार	3 60 07	10 34 44
v)	बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास (पूँजी आरक्षितियों से अंतरित अवक्षयण की निवल राशि)	196 48 08	149 00 08
vi)	निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	83 72	1 33 74
vii)	लेखापरीक्षकों की फीस, भत्ते और खर्च (शाखा लेखापरीक्षकों के शुल्क व व्यय सहित)	40 85 62	42 25 18
viii)	विधि प्रभार	17 54 81	12 68 65
ix)	डाक , तार, टेलिफोन आदि	42 09 75	60 23 63
x)	डॉक , तार, टेलिफोन आदि	12 13 71	9 73 76
xi)	मरम्मत और अनुरक्षा	279 14 60	268 06 99
xii)	बीमा	577 02 91	592 77 49
योग		5025 49 57	4200 21 35


SCHEDULES (Contd.)
(Rs. in 000's)
**SCHEDULE - 13
INTEREST EARNED**
**Year Ended
31.03.2016**
**Year Ended
31.03.2015**

i)	Interest / discount on advances / bills	16662 31 10	17945 58 06
ii)	Income on investments	6483 50 93	5469 73 94
iii)	Interest on Balances with Reserve Bank of India and Other Inter-Bank Funds	371 47 46	465 84 39
iv)	Others	0	57 17 06
TOTAL		23517 29 49	23938 33 45

**SCHEDULE - 14
OTHER INCOME**
**Year Ended
31.03.2016**
**Year Ended
31.03.2015**

i)	Commission, Exchange and Brokerage	1061 45 34	1001 92 99
ii)	Profit on Sale of Investments (Net)	458 12 77	536 29 36
iii)	Loss on Revaluation of Investments (Net)	-1 53 60	-253 48 45
iv)	Profit on sale of land, Building & other Assets	1 24 72	1 14 85
v)	Profit on exchange transactions (Net)	252 51 35	258 65 75
vi)	Miscellaneous Income	756 45 12	594 05 17
TOTAL		2528 25 70	2138 59 67

**SCHEDULE - 15
INTEREST EXPENDED**
**Year Ended
31.03.2016**
**Year Ended
31.03.2015**

i)	Interest on Deposits	16249 71 40	17245 82 90
ii)	Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank Borrowings	1884 84 47	1308 50 68
iii)	Others	4 18	4 01
TOTAL		18134 60 05	18554 37 59

**SCHEDULE - 16
OPERATING EXPENSES**
**Year Ended
31.03.2016**
**Year Ended
31.03.2015**

i)	Payments to and provisions for employees	3390 39 55	2649 53 79
ii)	Rent, Taxes and Lighting	440 64 34	378 25 05
iii)	Printing and Stationery	24 72 41	25 98 55
iv)	Advertisement and Publicity	3 60 07	10 34 44
v)	Depreciation on Bank's property (Net of depreciation transferred from Revaluation Reserve)	196 48 08	149 00 08
vi)	Directors' fees, allowances and expenses	83 72	1 33 74
vii)	Auditors' fees and expenses (including Branch auditor's Fees and Expenses)	40 85 62	42 25 18
viii)	Law charges	17 54 81	12 68 65
ix)	Postages, telegrams, telephones, etc.	42 09 75	60 23 63
x)	Repairs and Maintenance	12 13 71	9 73 76
xi)	Insurance	279 14 60	268 06 99
xii)	Other Expenditure	577 02 91	592 77 49
TOTAL		5025 49 57	4200 21 35



अनुसूची -17

प्रमुख लेखांकन नीतियाँ

1. तैयारी का आधार

1.1. यह वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं यदि अन्यथा उल्लेख न हुआ हो तो वे भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) की पुष्टि में हैं, जिसमें सांविधिक उपबंध, नियंत्रक/भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देश, लेखांकन मानक/ भारतीय लेखा सनदी संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट (आईसीएआई) और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियाँ समाविष्ट हैं। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, उन सांविधिक उपबंधों, प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जायेगा जो संबंधित विदेशी राष्ट्रों में विद्यमान हैं।

आकलन का प्रयोग:

1.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को चाहिए कि वे ऐसे आकलन करें व अनुमान लगाएँ जिनको वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (प्रासंगिक देयताओं सहित) की प्रतिवेदित रकम तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिये आय व खर्च की प्रतिवेदित रकम में विचारार्थ शामिल किया जा सके। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त ये आकलन विवेक सम्मत व तर्कसंगत हैं। भविष्य के परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

2. राजस्व मान्यता और लेखांकन खर्च

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के मुताबिक अर्जक आस्तियों पर उपचित आधार पर और अनर्जक आस्तियों के मामले में उगाही के आधार पर आय का अभिज्ञान किया जाता है। अनर्जक आस्तियों में वसूली का समंजन, वाद दायर खातों एवं एकबारगी निपटान खातों को छोड़कर बाकी मामलों में पहले ब्याज के लिए और शेष अगर हो तो मूल रकम के लिए किया जाता है।

2.2 खरीदे गए बिलों/बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों पर ब्याज, कमीशन (साख पत्र / गारंटीपत्र/सरकारी कारोबार/ बीमा को छोड़कर), विनिमय, लॉकर किराया और लाभांश को उगाही के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2.3 बहुमूल्य धातुओं की परेषण बिक्री से हुई आय को बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

2.4 खर्चों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है, सिवाय तब जब उसे अन्यथा उल्लिखित किया गया हो।

2.5 परिपक्व अतिदेय सावधि जमाओं के मामले में, जमाओं का नवीकरण करते समय ब्याज का परिकलन किया जाता है। निष्क्रिय बचत बैंक खाते, अदावी बचत बैंक खाते एवं अदावी मियादी जमाओं के मामलों में ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर उपचित किया जाता है।

2.6 वाद दायर खातों में कानूनी खर्चों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया

जाता है। ऐसे खातों में वसूली हो जाने पर उसे आय में लिया जाता है।

2.7 विदेशी शाखाओं के मामलों में, आय और व्यय का अभिज्ञान/ हिसाब संबंधित देशों में लागू स्थानीय कानून के अनुसार किया जाता है।

3. विदेशी मुद्रा लेनदेन

3.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव" विषयक लेखांकन मानक (एएस) 11 के अनुसार विदेशी विनिमय युक्त लेन-देनों का लेखांकन किया जाता है।

3.2 ट्रेजरी के संबंध में लेन-देन (विदेशी):

क) विदेशी मुद्रा जमाओं और ऋणों को छोड़कर विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन के दिन रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय दर विदेशी मुद्रा रकम पर लागू कर के रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता को रिकार्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा जमाएँ और ऋणों का आरंभिक लेखांकन तत्कालीन लागू फ़ेडाई की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार किया जाता है।

ख) नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों में समापन, समापन दरों पर दिखाया जाता है। सभी विदेशी मुद्रा जमाओं एवं आकस्मिक देयताओं सहित उधारों को प्रत्येक तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू फ़ेडाई की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार दिखाया जाता है। अन्य आस्तियों, देयताओं और विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गीकृत बकाया वायदा संविदाओं को लेनदेन की तारीख की दरों पर दिखाया जाता है।

ग) फ़ेडाई द्वारा सूचित वर्षांत विनिमय दरों पर आकस्मिक देयताओं सहित बकाया वायदा विनिमय संविदाओं व सभी आस्तियों, देयताओं के पुनर्मूल्यांकन के कारण परिणत लाभ व हानि को "अन्य देयताएँ व प्रावधान" / "अन्य आस्ति खाता" में तत्सम्बन्धी निवल समायोजनाओं सहित राजस्व में ले लिया जाता है, केवल नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों को छोड़कर जहाँ खातों का समायोजन समापन दरों पर किया जाता है।

घ) आय और व्यय संबंधी मदों को, लेखा-बहियों में उनके लेनदेन की निर्दिष्ट तारीख पर लागू विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

3.3. विदेशी शाखाओं के संबंध में परिवर्तन:

क. लेखांकन मानक 11, में निर्धारितानुसार सभी विदेशी शाखाओं को गैर अभिन्न प्रचालन माना जाता है।

ख. आस्तियों और देयताओं (प्रासंगिक देयताओं सहित) को हर तिमाही के अंत में फ़ेडाई द्वारा अधिसूचित समान स्पॉट दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

ग. आय और व्यय को हर तिमाही के अंत में फ़ेडाई द्वारा सूचित त्रैमासिक औसतन दर पर परिवर्तित किया जाता है।

घ. परिणत के विनिमय के अंतर को आय या व्यय के रूप में नहीं लिया जाता है लेकिन निवल निवेश के निपटान तक "विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व" नामक अलग खाते में जमा किया जाता है।

4. निवेश

4.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में किये गए निवेश को 'व्यापार के लिए धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और



SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation

- 1.1 The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

Use of Estimates

- 1.2 The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions which are considered in the reported amounts of assets and liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

2. Revenue Recognition and Expense Accounting

- 2.1 Income is recognized on accrual basis on performing assets and on realization basis in respect of non-performing assets as per the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India. Recovery in Non Performing Assets is first appropriated towards interest and the balance, if any, towards principal, except in the case of Suit Filed Accounts and accounts under One Time Settlement, where it would be appropriated towards principal.
- 2.2 Interest on bills purchased/Mortgage Backed Securities, Commission (except on Letter of Credit /Letter of Guarantee/Government Business/ Insurance), Exchange, Locker Rent and Dividend are accounted for on realization basis.
- 2.3 Income from consignment sale of precious metals is accounted for as Other Income after the sale is complete.
- 2.4 Expenditure is accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.
- 2.5 In case of matured overdue Term Deposits, interest is accounted for as and when deposits are renewed. In respect of Inoperative Savings Bank Accounts, unclaimed Savings Bank accounts and unclaimed Term Deposits, interest is accrued as per RBI guidelines.
- 2.6 Legal expenses in respect of Suit Filed Accounts are charged to Profit and Loss Account. Such amount when recovered is treated as income.

- 2.7 In respect of foreign branches, Income and Expenditure are recognized / accounted for as per local laws of the respective countries.

3. Foreign Currency Transactions

- 3.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.
- 3.2 Transactions in respect of Treasury(Foreign):
- a) Foreign Currency transactions except foreign currency deposits and lending are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction. Foreign Currency deposits and lendings are initially accounted at the then prevailing FEDAI weekly average rate.
- b) Closing Balances in NOSTRO and ACU Dollar accounts are stated at closing rates. All foreign currency deposits and lendings including contingent liabilities are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of each quarter. Other assets, liabilities and outstanding forward contracts denominated in foreign currencies are stated at the rates on the date of transaction.
- c) The resultant profit or loss on revaluation of all assets, liabilities and outstanding forward exchange contracts including contingent liabilities at year-end exchange rates advised by FEDAI is taken to revenue with corresponding net adjustments to "Other Liabilities and Provisions"/"Other Asset Account" except in case of NOSTRO and ACU Dollar accounts where the accounts stand adjusted at the closing rates.
- d) Income and expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the date of incorporating the transaction in the books of accounts.
- 3.3 Translation in respect of overseas branches:
- a) As stipulated in Accounting Standard 11, all overseas branches are treated as Non Integral Operations.
- b) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- c) Income and Expenses are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

4. Investments

- 4.1 Investments in India are classified into "Held for Trading", "Available for Sale" and "Held to Maturity"



'परिपक्वता तक धारित' प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। इन निवेशों के प्रकटीकरण को निम्नलिखित 6 वर्गों में दिखाया जाता है :

- क) सरकारी प्रतिभूतियाँ
- ख) स्थानीय निकायों द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों सहित अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
- ग) शेयर
- घ) बॉण्ड्स एवं डिबेंचर
- ड.) सहायक/संयुक्त उपक्रम
- च) म्यूचुअल फंड यूनिट व अन्य

4.2. म्यूचुअल फण्ड के यूनिटों से आय और जहाँ ब्याज/मूलधन 90 से भी अधिक दिनों से बकाया है, वहाँ निवेशों पर ब्याज की पहचान विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार उगाही आधार पर की जाती है।

4.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नवत रूप में किया गया है:

4.3.1. "व्यापार के लिए धारित" और "बिक्री के लिए उपलब्ध" प्रवर्गों के तहत व्यक्तिगत शेयरों को तिमाही अंतराल पर विपणन को मार्क किया गया। केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन एफआइएमएडीए द्वारा घोषित बाजार दरों पर किया जाता है। राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और बाण्ड एवं डिबेंचरों का मूल्यन एफआइएमएडीए द्वारा सुझाई गई अन्य पद्धतियों और रेटिंग / उधार स्प्रेड यील्ड कर्व के अनुसार किया जाता है। सूचित ईक्विटी शेयरों और बाजार दरों पर है अ-सूचित ईक्विटी शेयरों और जोखिम पूँजी निधियों की यूनिट और बही मूल्य उपलब्ध तुलन पत्र से प्राप्त एनएवी के आधार पर किया जाता है अन्यथा इसका मूल्यन रु.1/- के प्रति कंपनी/ निधि किया जाता है।

ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्र और जमाओं के प्रमाण पत्र को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। म्यूचुअल फण्ड योजना में धारित यूनिटों को उपलब्ध बाजार मूल्य या पुनर्खरीद मूल्य या नेट एसेट वैल्यू पर मूल्यांकित किया जाता है।

पीडीएआइ /एफआइएमएडीए द्वारा केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाइटीएम दर पर उपयुक्त मूल्य वृद्धि के साथ अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन वाइटीएम के आधार पर आवधिक रूप से किया जाता है।

छ: वर्गीकरणों में से प्रत्येक के तहत उपर्युक्त मूल्यांकनों के आधार पर निवल मूल्य ह्रास, यदि कोई है, तो प्रावधान किया जाता है और निवल वृद्धि, यदि कोई है, को नजर अंदाज किया जाता है। हालाँकि यदि व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बही मूल्य में मूल्यांकन के कारण कोई परिवर्तन नहीं है, तुलन पत्र में निवेशों को मूल्य ह्रास के निवल के रूप में दर्शाया जाता है।

4.3.2 "परिपक्वता के लिए धारित" : ऐसे निवेशों को अधिग्रहण लागत / परिशोधन लागत पर लिया जाता है। प्रत्येक प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर अधिग्रहण लागत में यदि अधिकता हो, उसे परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। अनुषंगी, सहयोगी और प्रायोजित संस्थाओं और जोखिम पूँजी निधि के यूनिटों में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

4.4 एन.पी.ए वर्गीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आय के उचित प्रावधान / आय की अनभिज्ञान के अधीन है। अग्रिमों के रूप में डिबेंचरों / बॉण्डों पर भी सामान्य विवेकपूर्ण मानदण्ड प्रयोज्य होते हैं और जहाँ कहीं लागू हो तदनुसार प्रावधान किया जाता है।

4.5 किसी भी वर्ग में निवेशों के विक्रय से होने वाले लाभ / हानि को लाभ / हानि खाते में लिखा जाता है। "परिपक्वता के लिए धारित" वर्ग में निवेशों के विक्रय की आय के मामले में, एक समान राशि "पूँजी आरक्षित खाते" में विनियोजित की जाती है।

4.6 प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज, प्रोत्साहन / फ्रण्ट-एण्ड-फीस आदि को लाभ-हानि खाते में लिखा जाता है।

4.7 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रेपो / आरक्षित रेपो लेनदेनों का हिसाब-किताब किया जाता है।

4.8 विदेशी शाखाओं द्वारा धारित निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन संबंधित विदेशी विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

5. अग्रिम

5.1 भारत में अग्रिमों को 'मानक', 'अव-मानक', 'संदिग्ध' और 'हानि जनक आस्तियाँ' और ऐसे अग्रिमों पर हानि के लिए प्रावधान में वर्गीकृत किया गया है और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार ऐसे अग्रिमों पर हानियों के लिए प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखाओं के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों के आधार पर वर्गीकरण और प्रावधान बनाया जाता है या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंड पर, जो भी उच्चतर हो।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों को प्रावधानों के निवल के रूप में दिखाया गया है।

6. डेरिवेटिव्स

6.1. ब्याज सहित आस्तियों / देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार उद्देश्यों के लिए बैंक ने डेरिवेटिव अनुबंध किया है।

6.2. प्रतिरक्षा उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा के संबंध में प्राप्तियों / देय निवल रकम की पहचान उपचय आधार पर की जाती है। ऐसी संविदा के समापन पर हुए लाभ या हानि को आस्थगित किया गया है और संविदा की शेष अवधि पर अथवा आस्ति / देयता जो भी पहले हो, पर इसकी पहचान की गयी है। ऐसी व्युत्पन्न संविदा बाजार को मार्क किया गया है और परिणामी लाभ या हानि की पहचान नहीं की गयी है सिवाय तब जब कि व्युत्पन्न संविदा को आस्ति / देयता के साथ पदनामित किया जाता है जिसे कि बाजार को मार्क किया जाता है और जिस मामले में परिणामी लाभ या हानि पड़े हुए आस्ति / देयता के बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में दर्ज किया जाता है।

6.3. उद्योग में प्रचलित सामान्य पद्धति के अनुसार कारोबार के उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा और बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को लाभ-हानि खाते में पहचाना / मान्य किया गया। इन संविदाओं से संबंधित आय व व्यय को निपटान की तारीख को मान्यता दी जाती है। कारोबार व्युत्पन्न संविदा के समापन पर लाभ या हानि को आय या व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।



categories in line with the guidelines from Reserve Bank of India. Disclosures of Investments are made under six classifications viz.,

- a) Government Securities,
- b) Other Approved securities including those issued by local bodies,
- c) Shares,
- d) Bonds & Debentures,
- e) Subsidiaries / Joint Ventures,
- f) Units of Mutual Funds and Others.

4.2 Interest on Investments, where interest/principal is in arrears for more than 90 days and income from Units of Mutual Funds, is recognized on realization basis as per prudential norms.

4.3 Valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India as under:

4.3.1. Individual securities under "Held for Trading" and "Available for Sale" categories are marked to market at quarterly intervals. Central Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. Securities of State Government, other Approved Securities and Bonds & Debentures are valued as per the yield curve, credit spread rating-wise and other methodologies suggested by FIMMDA. Quoted equity shares are valued at market rates, Unquoted equity shares and units of Venture Capital Funds are valued at book value /NAV ascertained from the latest available balance sheets, otherwise the same are valued at Re. 1/- per company /Fund.

Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost. Units held in Mutual fund schemes are valued at Market Price or Repurchase price or Net Asset Value in that order depending on availability.

Valuation of Preference shares is made on YTM basis with appropriate markup over the YTM rates for Central Government Securities put out by the PDAI/FIMMDA periodically.

Based on the above valuations under each of the six classifications, net depreciation, if any, is provided for and net appreciation, if any, is ignored. Though the book value of individual securities would not undergo any change due to valuation, in the books of account, the investments are stated net of depreciation in the balance sheet.

4.3.2. "Held to Maturity": Such investments are carried at acquisition cost/amortised cost. The excess, if any, of acquisition cost over the face value of each security is amortised on an effective interest rate method, over the remaining period of maturity. Investments in subsidiaries, associates and sponsored institutions and units of Venture capital funds are valued at carrying cost.

4.4 Investments are subject to appropriate provisioning / de-recognition of income, in line with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India for NPA classification. Bonds and Debentures in the nature of advances are also subject to usual prudential norms and accordingly provisions are made, wherever applicable.

4.5 Profit/Loss on sale of Investments in any category is taken to Profit and Loss account. In case of profit on sale of investments in "Held to Maturity" category, profit net of taxes is appropriated to "Capital Reserve Account".

4.6 Broken period interest, Incentive / Front-end fees, brokerage, commission etc. received on acquisition of securities are taken to Profit and Loss account.

4.7 Repo / Reverse Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

4.8 Investments held by overseas branches are classified and valued as per guidelines issued by respective overseas Regulatory Authorities.

5. Advances

5.1 Advances in India have been classified as 'Standard', 'Sub-standard', 'Doubtful' and 'Loss assets' and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In case of overseas branches, the classification and provision is made based on the respective country's regulations or as per norms of Reserve Bank of India whichever is higher.

5.2 Advances are stated net of provisions except general provisions for standard advances.

6. Derivatives

6.1 The Bank enters into Derivative Contracts in order to hedge interest bearing assets/ liabilities, and for trading purposes.

6.2 In respect of derivative contracts which are entered for hedging purposes, the net amount receivable/payable is recognized on accrual basis. Gains or losses on termination on such contracts are deferred and recognized over the remaining contractual life of the derivatives or the remaining life of the assets/ liabilities, whichever is earlier. Such derivative contracts are marked to market and the resultant gain or loss is not recognized, except where the derivative contract is designated with an asset/ liability which is also marked to market, in which case, the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the underlying asset/ liability.

6.3 Derivative contracts entered for trading purposes are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry and the changes in the market value are recognized in the profit and loss account. Income and expenses relating to these contracts are recognized on the settlement date. Gain or loss on termination of the trading derivative contracts are recorded as income or expense.



7. अचल आस्तियाँ

- 7.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर स्थाई आस्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखाया गया है।
- 7.2 प्रबंधन द्वारा उपयुक्त समझी गयी दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्य ह्रास प्रदान किया जाता है।

परिसर	2.50 %
फ़र्नीचर*	10 %
इलेक्ट्रिकल उपकरण, वाहन व कार्यालयीन उपकरण	20%
कम्प्यूटर	33 1/3 %
अग्निशामक यंत्र	100 %
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	33 1/3 %

स्थायी आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि खाते से निकालकर लाभ-हानि खाते में जमा कर दिया जाता है।

- 7.3 अधिग्रहण/पुनर्मूल्यांकन की तारीख का लिहाज किए बिना मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे साल के लिए किया जाता है।
- 7.4 जहाँ अलग-अलग लागतों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ भूमि और भवन पर मूल्यह्रास का प्रावधान समग्र रूप में किया गया है।
- 7.5 पट्टे वाली संपत्तियों के मामले में पट्टे की अवधि के दौरान प्रीमियम का चुकतान किया जाता है।
- 7.6 विदेशी शाखाओं की स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए संबंधित देश में लागू कानून पद्धति के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

8. स्टाफ़-सुविधाएँ

- 8.1 भविष्य निधि के अंशदान लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।
- 8.2 उपदान व पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और उसे अनुमोदित उपदान एवं पेंशन निधि में अंशदानित किया जाता है। सेवा निवृत्ति व्यवस्था के मामलों में संचित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान वर्षांत पर सीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। तथापि पेंशन विकल्प के आ जाने से वर्ष के दौरान अतिरिक्त देयता और ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोत्तरी का पाँच वर्षों के लिए परिशोधन किया जा रहा है।
- 8.3. विदेशी शाखाओं के मामले में उपदान का हिसाब संबंधित देशों में लागू कानून के अनुसार किया गया है।

9. आय पर कर :

आय पर करों के लेखांकन, आईसीएआइ के लेखांकन मानक 22 के तहत निर्धारित अनुसार चालू कर और आस्थगित कर प्रभार या जमा के लिए प्रावधान (संबंधित अवधि के लिए लेखांकन आय और आयकर आय के बीच समयबद्ध विभेदों के कर प्रभावों को परिलक्षित करने वाला) इसमें समाहित है। आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है परंतु इस शर्त पर कि आय की मदों के संबंध में विवेकपूर्ण विचार हो सके

और एक समय में उत्पन्न होने वाले ऐसे खर्च जिन्हें बाद की एक या अवधियों में उलट दिये जाने की संभावना हो पर भी विचार हो सके। आस्थगित कर से जुड़ी आस्तियों और देयताओं की गणना लागू कर दरों का प्रयोग करते हुए की जाती है और ये दरें उस वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर प्रयोज्य की जानेवाली आय कर दरों के आधार पर नियत की जाती है जहाँ समयबद्ध विभेदों को उल्टे जाने की संभावना होती है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं पर कर दरों में बदलाव के प्रभाव को आय के उस विवरण में मान्यता दी जाती है जो परिवर्तन को लागू करने की अवधि से संबंधित है।

10. प्रति शेयर के अर्जन

बैंक लेखांकन मानक 20 ईपीएस के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकरण संस्थान द्वारा रिपोर्ट करता है मूल प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन का परिकलन वर्ष के लिए निवल लाभ को कुछ अवधि के दौरान बकाया शेयरों की धारित औसत से संभाजित किया गया है। सांद्रित मूल अर्जन प्रति शेयर अर्जन संभाव्य घटाव दर्शाता है जो वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर जारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य संविदाओं के उपयोग या परिवर्तन के कारण से हो सकता है। प्रति इक्विटी शेयर सांद्रित आय का परिकलन भारत औसत इक्विटी शेयरों की संख्या और अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के घटाव के आधार पर किया गया है सिवाय उसके जहाँ परिणाम घटाव विरोधी रहते हैं।

11. आस्तियों का अनर्जन

बैंक प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को निर्धारित करता है कि क्या किसी आस्ति में घाटा होने का संकेत है। घाटा यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि खाता में अनुमानित वसूली योग्य रकम से अधिक आस्ति रकम तक दर्शाया गया है।

12. प्रावधानों प्रासंगिक देयताओं और प्रासंगिक आस्तियों के लिए लेखाकरण

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 29 के अनुसार जारी प्रावधानों, प्रासंगिक देयताओं और प्रासंगिक आस्तियों के लिये बैंक प्रावधानों को मान्यता देता है जब अतीत की घटनाओं के कारण बैंक को वर्तमान में बाध्यता हो, संभव है कि ऐसे में संसाधनों का बहिर्प्रवाह और उससे आर्थिक लाभ की आवश्यकता से बाध्यताओं को निपटाने के लिए और जब बाध्यता की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को बाध्यताओं के निपटान के लिए प्रबंधन द्वारा किया गया है और निपटान के लिए प्रबंधन के अनुमान और उसी प्रकार के लेनदेनों द्वारा अनुपूरक के आधार पर निर्णय किया गया है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित की जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ उपलब्ध जानकारी यह संकेत देती है कि प्रासंगिकता का नुकसान संभव है लेकिन नुकसान की रकम का अनुमान लगाना संभव नहीं है इसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण में किया गया है।

वित्तीय विवरण में प्रासंगिक आस्ति यदि कोई हो को मान्यता नहीं दी गई है या प्रकट नहीं किया गया।



7. Fixed Assets

- 7.1 Fixed Assets except revalued premises are stated at historical cost.
- 7.2 Depreciation is provided on straight-line method at the rates considered appropriate by the Management as under:

Premises	2.50%
Furniture	10%
Electrical Installations, Vehicles & Office Equipments	20%
Computers	33 1/3 %
Fire Extinguishers	100%
Computer Software	33 1/3%

Depreciation on revalued portion of the fixed assets is withdrawn from revaluation reserve and credited to profit and loss account.

- 7.3 Depreciation is provided for the full year irrespective of the date of acquisition / revaluation.
- 7.4 Depreciation is provided on Land and Building as a whole where separate costs are not ascertainable.
- 7.5 In respect of leasehold properties, premium is amortised over the period of lease.
- 7.6 Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws/practices of the respective countries.

8. Staff Benefits

- 8.1 Contribution to Provident Fund is charged to Profit and Loss Account.
- 8.2 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Fund. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement or otherwise is based on actuarial valuation at the year-end. However, additional liability accrued during the year on account of Re-opening of pension option and enhancement of Gratuity limit is being amortised over a period of five years.
- 8.3 In respect of overseas branches gratuity is accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

9. Tax on Income

This comprises provision for current tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income & taxable income for the period) as determined in accordance with Accounting Standard 22 of ICAI, "Accounting for taxes on income". Deferred tax is recognized subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and

liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognized in the income statement in the period of enactment of the change.

10. Earning per Share

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard - 20, "Earnings Per Share", issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net profit for the year by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period except where the results are anti-dilutive.

11. Impairment of Assets

The bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Profit and Loss Account to the extent the carrying amount of assets exceed their estimated recoverable amount.

12. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In accordance with Accounting Standard 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date, supplemented by experience of similar transactions. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. In cases where the available information indicates that the loss on the contingency is reasonably possible but the amount of loss cannot be reasonably estimated, a disclosure is made in the financial statements.

Contingent Assets, if any, are not recognized or disclosed in the financial statements.



अनुसूची -18

लेखों पर टिप्पणियाँ

1. निवेश

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.) के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के निवेश पोर्टफोलियो (देशी) को तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नवत हैं:

प्रवर्ग	सकल बही मूल्य (रु करोड़ में)		कुल निवेशों का प्रतिशत	
	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015
परिपक्वता के लिए धारित	53640.07	56447.61	67.36	70.79
बिक्री के लिए उपलब्ध	25965.76	22980.34	32.61	28.82
ट्रेडिंग के लिए धारित	20.46	312.36	0.03	0.39

1.2 “परिपक्वता के लिए धारित” के तहत एसएलआर प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 21.50%(पिछले वर्ष 23.50%) की सीमा के अंदर हैं जो मार्च 2016 की समाप्ति तक बैंक की माँग व सावधि देयताओं का 19.71 प्रतिशत (पिछले वर्ष 22.26 प्रतिशत) रहीं।

1.3 “परिपक्वता के लिए धारित” प्रवर्ग के निवेशों के संबंध में रु.103.87 करोड़ के प्रीमियम (पिछले वर्ष रु.88.37 करोड़) का इस वर्ष के दौरान परिशोधन कर दिया गया है।

1.4 समझौता गारंटी निधि के प्रति रु.1050 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1050 करोड़) के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों और संपाश्विकीकृत उधार ऋण बाध्यताओं के तहत उधार के लिए संपाश्विक के प्रति रु.20455 करोड़ (पिछले वर्ष रु.9455 करोड़) की प्रतिभूतियाँ क्लियरिंग कापेरेशन ऑफ इंडिया के पास रखी गई हैं। रु.1500 करोड़ (पिछले वर्ष 2500 करोड़) की अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को इंट्रा डे उधार हेतु आरबीआई के पास रखा गया है। हमने एलएएफ विंडो के अंतर्गत हमारे उधार हेतु भा.रि.बैंक के साथ रु.10550 करोड़ (पिछले वर्ष 10600 करोड़) प्रतिभूति रखा है। इसके अलावा, फॉरेक्स परिचालन हेतु डिफॉल्ट निधि के प्रति रु.15 करोड़ (पिछले वर्ष रु.15 करोड़) की राशि को सीसीआईएल के यहाँ रखा गया है एवं रु.12 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) राशि को मुद्रा व्युत्पन्न सेगमेंट हेतु एनएससीसीएल के साथ रखा गया है।

1.5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशों के तहत शेयरों में रु 222.04/- करोड़ (पिछले वर्ष रु.222.04/- करोड़) के शेयर पूँजी जमाएँ शामिल हैं।

1.6 बैंक ने आउटराइट और भारतीय रिज़र्व बैंक के खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) दोनों के अंतर्गत वर्ष के दौरान एचटीएम प्रवर्ग से सरकारी प्रतिभूतियाँ बेची। ओएमओ के अंतर्गत बैंक द्वारा रु.3,285.00 करोड़ (पिछले वर्ष 20.00 करोड़) (बीवी) का विक्रय हुआ, और अर्जित लाभ रु.18.90 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 0.11 करोड़) है। बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियाँ (ओएमओ के अतिरिक्त) भी बेची और रु.1642.35 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 1,769.86 करोड़) (बीवी) (भा.रि.बैं.की 5% दी गई सीमा के अंदर) का विक्रय हुआ, और अर्जित लाभ रु.55.70 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 53.69 करोड़) है।

2. अग्रिम

2.1 अग्रिमों का वर्गीकरण एवं संभावित हानि के लिए प्रावधान भारतीय

रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार किया गया।

2.2 गारंटी संस्थाओं के यहाँ निपटारे के लिए लंबित व दायर किए जाने वाले ऐसे दावों, जिनकी शाखाओं ने पहचान की है, पर प्रावधानिक अपेक्षाओं के लिए इस आधार पर विचार किया गया है कि ऐसे दावे वैध व वसूली योग्य हैं।

2.3 आस्ति वर्गीकरण और आय की पहचान के उद्देश्य से कुछ अग्रिमों की उगाही की स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रतिभूति के अनुमानित मूल्य, केन्द्र सरकार की गारंटियों आदि को ध्यान में रखा गया है।

2.4 अलेखा-परीक्षित शाखाओं के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण शाखा प्रबंधकों द्वारा किए गए प्रमाणन के अनुसार किया गया है।

2.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीओडी सं.बीपी. 95/21.04.048 /2014-15 दिनांकित 30.03.2015 बैंकों को 31.12.2014 तक धारित प्रतिक्रिय प्रावधानीकरण बफ़र/ चल प्रावधानों का 50% उपयोग कर सकते हैं। इसी अनुसार वर्ष 2015-16 हेतु बैंकों ने अनर्जक आस्तियों के विनिर्दिष्ट प्रावधानों के को पूरा करने के लिए प्रतिक्रिय प्रावधानीकरण बफ़र/ चल प्रावधानों रु.658.22 करोड़ (31 दिसम्बर तक) के रु. 170.00 करोड़ (25.83%) [पिछले वर्ष रु.150.00 करोड़ (22.79%)] का प्रयोग किया है।

3. अचल आस्तियाँ

3.1 वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक की सम्पूर्ण भूमि एवं भूमि (पट्टे पर दी हुई परिसम्पत्तियों सहित) को अनुमोदित मूल्यांकन की रिपोर्टों के मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन किया गया था। रु. 800.55 करोड़ की निवल वृद्धि को आस्तियों में जोड़ा गया एवं इसे पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों में जमा खाते किया गया। पट्टे पर दिए गए परिसर के मूल्यांकन को पट्टे की बकाया अवधि के लिए परिशोधित किया जा रहा है।

3.2 आस्तियों की बिक्री पर लाभ रु.1.25 करोड़ रहा (पिछले वर्ष रु.1.15 करोड़) जिसे पूँजी आरक्षिती में विनियोजित किया गया है।

4. रुपया ब्याज दर स्वैप

प्रतिरक्षा हेतु लिए गए रुपया ब्याज स्वैप के निरसन पर रु.0.02 करोड़ (पिछले वर्ष रु.0.99 करोड़) की रकम को लाभों के कारण आस्थिगत आय में रखा गया है और इसे स्वैप की संविदागत शेष अवधि या आस्तियों / देयताओं की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए मान्यता दी जाएगी।



Schedule 18

NOTES ON ACCOUNTS

1. Investments

- 1.1 In accordance with RBI guidelines, the investments portfolio of the bank has been classified into three categories, as given below:

Category	Gross Book Value (Rs. in Crore)		Percentage to Total Investments	
	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015
Held to Maturity	53640.07	56447.61	67.36	70.79
Available for Sale	25965.76	22980.34	32.61	28.82
Held for Trading	20.46	312.36	0.03	0.39

- 1.2 SLR Securities (domestic) under "Held to Maturity" accounted for 19.71 % (previous year 22.26%) of bank's Demand and Time liabilities as at the end of March 2016 as against ceiling of 21.50% [previous year 23.50%] stipulated by RBI.
- 1.3 In respect of Held to Maturity category of Investments, premium of Rs.103.87 crore was amortized during the year (previous year Rs. 88.37 crore)
- 1.4 Securities of Face Value for Rs.1050 crore (previous year Rs.1050 crore) towards Settlement Guarantee Fund and securities for Rs.20455 crore (previous year Rs. 9455 crore) towards collateral for borrowing under Collateralized Borrowing and Lending Obligations have been kept with Clearing Corporation Of India Limited. We have placed securities of face value Rs.1500 crore [previous year Rs. 2500 crore] with RBI for intra day borrowing. We have also placed Securities to the extent Rs.10550 crore [previous year Rs.10600 crore] with Reserve Bank of India for our borrowing under the LAF window. Besides, a sum of Rs.15 crore (previous year Rs.15 crore) has been lodged with CCIL towards default fund for Forex operations and Rs.12 crore [previous year Nil] held with NSCCL for Currency derivative segment.
- 1.5 Shares under Investments in India in Regional Rural Banks is Rs.222.04 crore (previous year Rs.222.04 crore) including amount towards share capital Deposits.
- 1.6 The Bank sold Government Securities from HTM category during the year, both outright and under RBI's Open Market Operations (OMO). The extent of sale by the Bank under OMO was Rs. 3285.00 crore (BV) [previous year Rs.20.00 crore] and earned a profit of Rs. 18.90 crore [previous year Rs.0.11 crore]. The Bank has also sold Government Securities (other than OMO), to the extent of Rs 1642.35 crore (BV) [previous year Rs.1769.86 crore](within 5%, prescribed limit of RBI) and booked a profit of Rs 55.70 crore (previous year Rs.53.69 crore).
- 2.2 Claims pending settlement and claims yet to be lodged with Guarantee Institutions identified by the branches have been considered for provisioning requirements on the basis that such claims are valid and recoverable.
- 2.3 In assessing the realisability of certain advances, the estimated value of security, Central Government guarantees etc. have been considered for the purpose of asset classification and income recognition.
- 2.4 The classification of advances, as certified by the Branch Managers have been incorporated, in respect of unaudited branches.
- 2.5 The Reserve Bank of India, vide Circular No. DBR.No.BP.BC.79/21.04.048/ 2014-15 dated 30.03.2015, allowed banks to utilize upto 50% of Counter-cyclical Provisioning Buffer / Floating Provisions held by them as at the end of 31.12.2014. Accordingly, during the year 2015-16, Bank has utilized Rs. 170.00 crore [25.83%] (previous year Rs.150 crore [22.79%]) of Counter-cyclical Provisioning Buffer of Rs.658.22 crore held (as on December 31, 2014) for meeting specific provisions for Non-performing Assets.

3. Fixed Assets

- 3.1 During the year 2015-16, the entire land and building of the bank (including leasehold properties) were revalued based on the valuation reports of the approved valuers. The net appreciation of Rs. 800.55 crore was added to the carrying value of the assets and credited to the revaluation reserve. The revalued amount on leasehold premises is being amortised over the remaining period of the lease.
- 3.2 Profit on Sale of Assets for Rs.1.25 crore (previous year Rs.1.15 crore), has been appropriated to Capital Reserve.

4. Rupee Interest Rate Swap

An amount of Rs.0.02 crore (previous year Rs.0.99 crore) is kept on deferred income on account of gains on termination of Rupee Interest Rate Swaps taken for hedging and would be recognized over the remaining contractual life of Swap or life of the Assets/Liabilities, whichever is earlier.

2. Advances

- 2.1 The Classification for advances and provisions for possible loss has been made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India.



5. पूँजी एवं आरक्षितियाँ

बैंक ने अधिमानी क्रय आधार पर रु. 10 मूल्य के शेयरों को प्रति इक्विटी शेयर रु. 41.37 नगद (प्रति इक्विटी शेयर रु. 31.37 प्रीमियम सहित) दर से 48,56,17,597 के इक्विटी शेयर जारी कर दिनांक 16.10.2015 तक भारत सरकार के लिए अधिमानी क्रय के आधार पर रु. 2009 करोड़ एवं रु. 10 मूल्य के शेयरों को प्रति इक्विटी शेयर रु. 23.45 नगद (प्रति इक्विटी शेयर रु. 13.45 प्रीमियम सहित) दर से 8,62,99,771 के इक्विटी शेयर जारी कर दिनांक 29.03.2016 तक एलआइसी ऑफ इण्डिया हेतु रु. 202.37 करोड़ रुपये एकत्रित किए हैं। यहां पर बैंक की प्रदत्त पूँजी में रु. 1235.35 करोड़ से रु. 1807.27 करोड़ वृद्धि हुई है। भारत सरकार की शेयरधारिता में रु. 911.71 करोड़ (73.80%) से रु. 1397.33 करोड़ (77.32%) की एवं पब्लिक शेयरधारिता में रु. 409.94 (22.68%) करोड़ की वृद्धि हुई है।

5.2 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने टीयर-I/टीयर-II बाण्ड नहीं बढ़ाए हैं।

6. कर

6.1 अपीलकर्ता प्राधिकारियों के निर्णयों, न्यायिक संघोषणाओं और कर-विशेषज्ञों की राय पर काफी विचार करने के बाद, आय कर से संबंधित रु. 1086.10 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 1031.31 करोड़) की विवादित रकम और अन्य माँगों के संबंध में किसी प्रकार का प्रावधानीकरण करना आवश्यक नहीं समझा गया।

6.2 वर्ष के लिए कर व्यय रु.-830.78 करोड़ है (पिछले वर्ष रु. 565.76 करोड़)।

7. समाधान

9. पूँजी:

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16	2014-15
i.	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	7.10%	6.55%
ii.	टियर 1 पूँजी (%)	7.75%	7.30%
iii.	टियर 2 पूँजी (%)	1.92%	2.81%
iv.	कुल पूँजी अनुपात (सीआरएआर) %	9.66%	10.11%
v.	भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत	77.32%	73.80%
vi.	जुटाई गई इक्विटी पूँजी रकम (प्राप्त प्रतिभूति प्रीमियम को छोड़कर)	571.92	शून्य
vii.	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूँजी :	शून्य	1000.00
viii.	जुटाई गई टियर 2 पूँजी	शून्य	शून्य

10. निवेश

10.1 निवेशों का मूल्य

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
i निवेशों का सकल मूल्य		
(क) भारत में	76155.64	76183.97
(ख) भारत के बाहर	3470.65	3536.57



5. Capital and Reserves

5.1 The Bank has issued 48,56,17,597 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs.41.37 per equity share (including premium of Rs.31.37 per equity share) aggregating upto Rs.2009 crore to Government of India on Preferential Basis on 16.10.2015 and 8,62,99,771 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs.23.45 per equity share (including premium of Rs.13.45 per equity share) aggregating upto Rs.202.37 crore to LIC of India on 29.03.2016 on Preferential Basis. Hence, the paid-up capital of the Bank has increased from Rs.1235.35 crore to Rs.1807.27 crore. Government of India's shareholding has increased from Rs.911.71 crore (73.80%) to Rs.1397.33 crore (77.32%) and the Public shareholding stood at Rs.409.94 crore (22.68%).

5.2 During the Financial Year 2015-16, Bank had not raised Additional Tier I/Tier II Bonds.

6. Taxes

6.1 Taking into consideration the decisions of Appellate Authorities, judicial pronouncements and the opinion of tax experts, no provision is considered necessary in respect of disputed and other demands of income tax aggregating Rs.1086.10 crore (previous year Rs. 1031.31 crore).

6.2 Tax expense for the year is Rs. -830.78 crore net of deferred tax (Previous year Rs. 565.76 crore).

7. Reconciliation

7.1 Reconciliation of Inter Bank and Inter Branch

9. Capital

transactions has been completed up to the date of migration to new operating system during the year and steps for elimination of outstanding entries are in progress. The management does not anticipate any material consequential effect on reconciliation / elimination of outstanding entries.

7.2 Migration to New Operating System

During the year, the bank has migrated to a new Operating System viz., 'Finacle'. The Bank has got the migration audit of top 20 branches done by engaging an external consultant and has resolved the issues pointed out by them. During the course of audit certain other issues were identified, most of which also have been resolved, except with regard to balances lying in inter-branch reconciliation, migration account, interest suspense and interest receivable account which have not been reconciled. Considering the nature of issues identified, there could be some more unidentified issues as well. Hence the management intends to conduct a comprehensive migration audit in the near future to address all issues connected with such migration. However, the management does not anticipate any material impact emanating out of such exercise on the financial statements of the bank.

8. Information relating to vendors registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and from whom goods and services have been procured by the Bank, is being ascertained.

ADDITIONAL DISCLOSURES

In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India vide Master Circular dated 1.07.2015, the following additional disclosures are made:-

(Rs. in Crore)

S.No.	Particulars	2015-16	2014-15
i)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	7.10%	6.55%
ii)	Tier I Capital (%)	7.75%	7.30%
iii)	Tier 2 Capital (%)	1.92%	2.81%
iv)	Total Capital Ratio (CRAR) %	9.66%	10.11%
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	77.32%	73.80%
vi)	Amount of Equity Capital raised (excluding security premium received)	571.92	Nil
vii)	Amount of Additional Tier 1 raised	Nil	1000.00
viii)	Amount of Tier 2 capital raised	Nil	Nil

10. Investments

10.1 Value of Investments

(Rs. in Crore)

Particulars	31.3.2016	31.3.2015
(i) Gross Value of Investments		
(a) In India	76155.64	76183.97
(b) Outside India	3470.65	3536.57



ii. मूल्यहास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	436.74	422.45
(ख) भारत के बाहर	-	-
iii. निवेशों का निवल मूल्य		
(क) भारत में	75718.90	75761.52
(ख) भारत के बाहर	3470.65	3536.57

10.2 निवेशों पर मूल्यहास के प्रति धारित प्रावधानों का प्रचलन (रु. करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
i आरंभिक शेष	422.45	995.49
ii जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	158.16	83.68
iii घटाएँ: वर्ष के दौरान आधिक्य प्रावधानों के खारिज किए गए/ प्रतिलेखन का समायोजन	143.87	656.72
iv समापन शेष	436.74	422.45

10.3 रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के अनुसार) (रु. करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		मार्च 31 को बकाया	
	15-16	14-15	15-16	14-15	15-16	14-15	2016	2015
i रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ								
सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	5.22	शून्य	5.22	शून्य	0.01	शून्य	शून्य
ii कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ								
सरकारी प्रतिभूतियाँ	10.49	9.92	42.40	30.60	1.21	0.11	शून्य	शून्य
iv कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10.4 गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

गैर- एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता-वार संरचना

(रु. करोड़ में)

सं.	जारीकर्ता	रकम दिनांक 31.03.2016 तक	निजी प्लेसमेंट का विस्तार	'कम निवेश श्रेणी' प्रतिभूतियों का विस्तार	'गैर रेटेड' प्रतिभूतियों का विस्तार	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	9066.94	6266.34	357.38	357.38	357.38
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ	422.25	406.15	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	बैंक	365.35	303.34	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	निजी कॉर्पोरेट	4899.57	3958.34	103.50	शून्य	326.00
(v)	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	199.58	--	--	--	--
(vi)	अन्य	749.67	--	--	113.47	--
(vii)	मूल्यहास हेतु धारित प्रावधान	(436.74)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल	15266.62	10934.17	460.88	470.85	683.38



(ii)	Provisions for Depreciation		
	(a) In India	436.74	422.45
	(b) Outside India	-	-
(iii)	Net value of Investments		
	(a) In India	75718.90	75761.52
	(b) Outside India	3470.65	3536.57

10.2 Movement of Provisions held towards depreciation on Investments

(Rs. in Crore)

Particulars		2015-16	2014-15
(i)	Opening Balance	422.45	995.49
(ii)	Add : Provisions made during the year	158.16	83.68
(iii)	Less: Write-off / write back of excess provision Adjustments during the year	143.87	656.72
(iv)	Closing Balance	436.74	422.45

10.3 Repo transactions (in face value terms)

(Rs. in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily average outstanding during the year		Outstanding as on March 31	
	15-16	14-15	15-16	14-15	15-16	14-15	2016	2015
Securities sold under Repo								
i) Government securities	Nil	5.22	Nil	5.22	Nil	0.01	Nil	Nil
ii) Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities Purchased under reverse Repo								
i) Government securities	10.49	9.92	42.40	30.60	1.21	0.11	Nil	Nil
ii) Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

10.4 Non-SLR Investment Portfolio

Issuer Composition of Non-SLR Investments

(Rs. in Crore)

No	Issuer	Amount As on 31.03.16	Extent of Private Placement	Extent of 'Below investment grade' securities	Extent of 'Unrated' securities	Extent of Unlisted securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	9066.94	6266.34	357.38	357.38	357.38
(ii)	FIs	422.25	406.15	Nil	Nil	Nil
(iii)	Banks	365.35	303.34	Nil	Nil	Nil
(iv)	Private Corporates	4899.57	3958.34	103.50	Nil	326.00
(v)	Subsidiaries / Joint Ventures	199.58	--	--	--	--
(vi)	Others	749.67	--	--	113.47	--
(vii)	Provision held towards depreciation	(436.74)	NA	NA	NA	NA
	Total	15266.62	10934.17	460.88	470.85	683.38



(रु. करोड़ में)

सं.	जारीकर्ता	रकम दिनांक 31.03.2015 तक	निजी प्लेसमेंट का विस्तार	'कम निवेश श्रेणी' प्रतिभूतियों का विस्तार	'गैर रेटेड' प्रतिभूतियों का विस्तार	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	5381.24	3377.36	1203.51	शून्य	10.39
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ	432.24	416.14	शून्य	शून्य	6.94
(iii)	बैंक	121.03	90.50	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	निजी कार्पोरेट	4460.81	3796.86	शून्य	शून्य	407.00
(v)	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	199.58	--	--	--	--
(vi)	अन्य	5349.24	--	--	128.46	--
(vii)	मूल्यहास हेतु धारित प्रावधान	(420.71)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल	15523.43	7680.86	1203.51	128.46	424.33

10.5 अनर्जक गैर एसएलआर निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
1 अप्रैल 2015 तक अथ शेष	179.63	143.69
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड़	68.28	59.49
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौतियाँ	-	23.55
31 मार्च 2016 तक इति शेष	247.91	179.63
कुल धारित प्रावधान	105.43	76.45

10.6 एचटीएम श्रेणी को / से अन्तरण एवं बिक्री

1. अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के दौरान एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों का अंतरण एवं बिक्री का कुल मूल्य वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम श्रेणी में निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(उक्त 5% सीमा निम्न को अलग-अलग करेंगी (अ) मंडल निदेशकों के अनुमोदन के साथ एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों का एक बारगी अंतरण को लेखा वर्ष के प्रारंभ में बैंकों द्वारा लिए जाने की अनुमति (आ) पूर्व - घोषित ओएमओ नीलामी के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को बिक्री (इ) भारत सरकार द्वारा बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद (ई) एफएएस/एचएफटी को प्रतिभूतियों की बिक्री अथवा अंतरण के परिणामस्वरूप लेखा वर्ष के प्रारंभ में स्थानांतरण के अतिरिक्त एचटीएम में एसएलआर प्रतिभूतियों की अधिकतम सीमा में कमी।)

भा.रि.बैं. के मौजूदा दिशा निर्देशों के संबंध में अभी तक कोई भी प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

11. डेरिवेटिव्स

11.1 वायदा दर करार/ब्याज दर अदला-बदली

(रु. करोड़ में)

विवरण	2015-16			2014-15		
	रुपया ऋण	एफएक्स ऋण	कुल	रुपया ऋण	एफएक्स ऋण	कुल
i) अदला-बदली करारों के काल्पनिक मूल	323.00	6901.62	7224.62	823.00	6577.27	7400.27
ii) करारों के तहत यदि काउंटर पार्ट अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में असफल होती है तो उससे होने वाली हानि	0.47	80.57	81.04	0.02	139.27	139.29
iii) अदला-बदली करने के बाद बैंक को अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv) अदला-बदली से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम पर केंद्रीकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
v) अदला-बदली बही का उचित मूल्य	0.19	80.57	80.76	-5.77	139.27	133.50



No	Issuer	Amount As on 31.03.15	Extent of Private Placement	Extent of 'Below investment grade' securities	Extent of 'Unrated' securities	Extent of Unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	5381.24	3377.36	1203.51	Nil	10.39
(ii)	FIs	432.24	416.14	Nil	Nil	6.94
(iii)	Banks	121.03	90.50	Nil	Nil	Nil
(iv)	Private Corporates	4460.81	3796.86	Nil	Nil	407.00
(v)	Subsidiaries / Joint Ventures	199.58	--	--	--	--
(vi)	Others	5349.24	--	--	128.46	--
(vii)	Provision held towards depreciation	(420.71)	NA	NA	NA	NA
	Total	15523.43	7680.86	1203.51	128.46	424.33

10.5 Non Performing Non SLR Investments

(Rs. in Crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Opening Balance as on 1st April 2015	179.63	143.69
Additions during the year since 1st April	68.28	59.49
Reductions during the above period	-	23.55
Closing Balance as on 31st March 2016	247.91	179.63
Total Provisions held	105.43	76.45

10.6 Sale and Transfers to/from HTM Category

The total value of sales and transfers of securities to / from HTM category during 1st April'15 to 31st March'16 has not exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

(The 5 percent threshold referred to above will exclude (a) the one- time transfer of securities to/ from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year; (b) sales to the Reserve Bank of India under pre-announced OMO auctions; (c) Repurchase of Government Securities by Government of India from banks; (d) Sale of securities or transfer to AFS/HFT consequent to the reduction of ceiling on SLR securities under HTM in addition to shifting permitted at the beginning of the accounting year)

As such no disclosure is to be made in terms of extant RBI guidelines.

11. DERIVATIVES

11.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(Rs. in Crore)

PARTICULARS	2015-16			2014-15		
	Rupee Exposure	FX Exposure	Total	Rupee Exposure	FX Exposure	Total
i) The notional principal of swap agreements	323.00	6901.62	7224.62	823.00	6577.27	7400.27
ii) Losses which would be incurred if counter-parties failed to fulfill their obligations under the agreements	0.47	80.57	81.04	0.02	139.27	139.29
iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
v) The fair value of the swap book	0.19	80.57	80.76	-5.77	139.27	133.50



11.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम (लिखतवार)	शून्य	शून्य
2)	31 मार्च 2016 तक विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम (लिखतवार)	शून्य	शून्य
3)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम और जो (लिखतवार) “ज्यादा प्रभावी ” नहीं	शून्य	शून्य
4)	प्रतिभूतियों के दैनिक मूल्य प्रभार के विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम जो (लिखतवार) “ज्यादा प्रभावी ” नहीं	शून्य	शून्य

11.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम ऋण पर प्रकटीकरण

11.3.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

ट्रेजरी-(विदेशी)

बैंक, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा के लिए ब्याज दर स्वैप (आइ आर एस), मुद्रा स्वैप व सुरक्षा उद्देश्य उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग करता है। बैंक कापरेट ग्राहकों को ये उत्पाद भी उपलब्ध कराता है ताकि वे अपनी ही मुद्रा और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन कर सकें। इस तरह के लेनदेन ग्राहकों व बैंक के साथ ही किए जाते हैं जिनके करार विद्यमान हैं।

अ) विदेशी उधार / एफ सी एन आर (बी) पोर्टफोलियो / आस्ति देयता के असंतुलन के कारण ब्याज / विनिमय दरों में उत्पन्न होने वाली जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करने के लिए विदेशी खाताओं आदि के निधियन हेतु बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियाँ अनुमति देती हैं और साथ ही ये उत्पाद बैंक टू बैंक दुतरफा आधार पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने की अनुमति देती है।

आ) डेरिवेटिव्स एक्सपोजर का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के पास एक अलग प्रणाली है और व्यक्तिगत ग्राहकों की निवल साख एवं प्रतिभूति समर्थन को पूर्ण रूप से गणना में लेते हुए डेरिवेटिव लेनदेनों के निष्पादन के लिए समुचित उधार श्रेणियाँ प्रस्तुत करने की भी प्रणाली है।

इ) बैंक ने प्रतिरक्षा लिखतों के रूप में डेरिवेटिव्स के उपयोग से जुड़े जोखिम को निर्धारित करने के लिए उचित नियंत्रण प्रणालियों का गठन किया है और डेरिवेटिव लेनदेन से संबंधित सभी पक्षों के प्रबोधन के लिए उचित रिपोर्टिंग प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्रतिपक्षी पार्टी के लिए उपयुक्त उधार मंजूरीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित ऋण सीमा के अंदर डेरिवेटिव्स लेन-देन सिर्फ प्रतिपक्षी पार्टी के साथ किए गए।

ई) बैंक ने डेरिवेटिव्स के प्रयोग के लिए आवश्यक सीमाएँ गठित की हैं और इसकी स्थिति का निरंतर प्रबोधन किया जाता है।

उ) बैंक के पास आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम के परिणामी एक्सपोजर के मूल्यांकन व निरंतर प्रबोधन करने की अलग प्रणाली है।

ऊ) बैंक द्वारा तुलन पत्र की प्रतिरक्षा और कापरेट ग्राहकों का पारस्परिक आधार पर चयन करने के लिए व्युत्पन्न का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरक्षा लेनदेनों के संबंध में प्रतिरक्षा के मूल्य व परिपाक ने मूलाधार को पार नहीं किया है। बैंक टू बैंक लेनदेनों के संबंध में ग्राहकों के साथ के लेनदेन, बैंक के काउंटर पार्टी लेनदेनों से पूर्णतः मेल किए गए हैं और आरक्षित ऋण नहीं हैं।

ऋ) इस प्रकार के डेरिवेटिव्स से होने वाली आय को परिशोधित किया गया है और संविदा की आयु के लिए उपचयन के आधार पर लाभ व हानि लेखों में लिया गया है। तुलन पत्र हेतु किए गए अदला-बदली के शीघ्र निरसन के मामले में ऐसे लाभों से प्राप्त आय अदला बदली की शेष संविदात्मक अवधि आयु या आस्तियों / देयताओं की अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। ग्राहकों के लिए बैंक टू बैंक आधार पर लिए गए डेरिवेटिव्स के शीघ्र समापन के संबंध में प्राप्त होने वाली आय की पहचान समापन के आधार पर की जाएगी।

ए) सभी बकाया प्रतिरक्षा लेन देन उपचयन के आधार पर परिकलित किए गए हैं। बकाया संविदाओं का मूल्यांकन बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के आधार पर किया गया। बैंक के पास डेरिवेटिव्स में लेन देन के लिए विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन और लेखांकन नीति उपलब्ध है।

ऐ) डेरिवेटिव्स लेन देन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

व्युत्पन्नों के विशेष संदर्भ के साथ उस सीमा तक जिस सीमा तक व्युत्पन्नों का प्रयोग किया जाता है, जुड़े हुए जोखिम एवं कारोबारी उद्देश्य से संबद्ध जोखिम प्रबंधन नीतियाँ। ये भी शामिल होगा -

अ) व्युत्पन्न कारोबार में जोखिम के प्रबंधन के लिए संगठन एवं संरचना ;

आ) जोखिम माप की प्रकृति एवं स्कोप, जोखिम रिपोर्टिंग एवं जोखिम निगरानी व्यवस्था



11.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(Rs. in Crore)

S.No.	Particulars	2015-16	2014-15
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	Nil	Nil
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2016 (instrument wise)	Nil	Nil
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	Nil	Nil
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	Nil	Nil

11.3 DISCLOSURES ON RISK EXPOSURE IN DERIVATIVES

11.3.1 Qualitative Disclosure

Treasury (Foreign)

The Bank uses Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps and Options for hedging purpose to mitigate interest rate risk and currency risk in banking book. The Bank also offers these products to corporate clients to enable them to manage their own currency and interest rate risk. Such transactions are entered only with Clients and Banks having agreements in place.

- The Risk Management Policy of the Bank allows using of derivative products to hedge the risk in Interest/Exchange rates that arise on account of overseas borrowing/FCNR(B) portfolio/the asset liability mis-match, for funding overseas branches etc., and also to offer derivative products on back-to-back basis to customers.
- The Bank has a system of evaluating the derivatives exposure separately and placing appropriate credit lines for execution of derivative transactions duly reckoning the Net Worth and security backing of individual clients.
- The Bank has set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives as hedge instruments and proper risk reporting systems are in place to monitor all aspects relating to derivative transactions. The Derivative transactions were undertaken only with the Banks and counterparties well within their respective exposure limit approved by appropriate credit sanctioning authorities for each counterparty.
- The Bank has set necessary limits in place for using derivatives and its position is continuously monitored.

- The Bank has a system of continuous monitoring appraisal of resultant exposures across the administrative hierarchy for initiation of necessary follow up actions.
- Derivatives are used by the Bank to hedge the Bank's Balance sheet and offered to select corporate clients on back-to-back basis. In respect of hedge transactions the value and maturity of hedges have not exceeded that of the underlying exposures. In respect of back-to-back transactions the transactions with clients are fully matched with counter party Bank transactions and there is no uncovered exposure.
- The income from such derivatives are amortized and taken to profit and loss account on accrual basis over the life of the contract. In case of early termination of swaps undertaken for Balance Sheet Management, income on account of such gains would be recognized over the remaining contractual life of the swap or life of the assets/liabilities whichever is lower. In case of early termination of derivatives undertaken for customers on a back-to-back basis, income on account of such things will be recognized on termination.
- All the hedge transactions are accounted on accrual basis. Valuations of the outstanding contracts are done on Mark to Market basis. The Bank has duly approved Risk Management and Accounting procedures for dealing in Derivatives.
- The derivative transactions are conducted in accordance with the extant guidelines of Reserve Bank of India.

Risk Management policies pertaining to derivatives with particular reference to the extent to which derivatives are used, the associated risks and business purposes served. Also to include

- The structure and organization for management of risk in derivatives trading;
- The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems;



इ) प्रतिरक्षा एवं/अथवा जोखिम कम करने के लिए नीतियां तथा प्रतिरक्षा/शमन के सतत प्रभावशाली निगरानी हेतु प्रक्रिया एवं रणनीतियां ; एवं

ई) प्रतिरक्षित एवं गैर प्रतिरक्षित लेन-देनों की रिकार्डिंग के लिए लेखा नीतियां ; आय की पहचान, प्रीमियम एवं छूट ; बकाया करारों का मूल्यांकन ; प्रावधानीकरण, सम्पार्श्विक एवं क्रेडिट जोखिम शमन।

ट्रेजरी (देशी)

बैंक, सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याज दर जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा हेतु और अधीनस्थ ऋणों और सावधि जमाओं की लागत कम करने के लिए रुपया ब्याज दर स्वैप (आइ.आर.एस) का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ट्रेडिंग के लिए बैंक रुपया ब्याज दर स्वैप को अपनाता है। स्वैप लेन देन केवल उन्हीं बैंकों के साथ किए जाते हैं जिनके पास आइ.एस.डी.ए करार मौजूद है।

क) बैंक में जोखिम प्रबंधन के लिए उपयुक्त ढांचा और संगठन उपलब्ध है जिसमें ट्रेजरी विभाग, बोर्ड की आस्ति देयता प्रबंधन समिति और जोखिम प्रबंधन समिति शामिल है।

ख) व्युत्पन्न लेन देन में बाजार जोखिम (ब्याज दरों में प्रतिकूल संचलन के

कारण उत्पन्न), उधार जोखिम (संभावित काउंटर पार्टी चूकने से उत्पन्न) तरलता जोखिम (सामान्य मूल्य पर लेन देन निष्पादित करने हेतु या निधियों की जरूरत की पूर्ति करने से चूकने पर उत्पन्न), परिचालनगत जोखिम , विनियामक जोखिम , प्रतिष्ठा जोखिम शामिल रहता है। बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने में निहित जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण प्रणालियां स्थापित कर रखी हैं और व्युत्पन्न लेन देनों से संबंधित सभी पक्षों का प्रबोधन करने हेतु उचित जोखिम सूचना प्रणाली और उसे कम करने की प्रणाली उपलब्ध करवाई है। आइ आर एस लेन देन केवल बैंकों के साथ प्रतिपार्टी के रूप में किए जाते हैं और हर पार्टी के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित उधार सीमा के अंदर होते हैं।

ग) बैंक व्युत्पन्न का प्रयोग प्रतिरक्षा एवं ट्रेडिंग के लिए करता है। बैंक में व्युत्पन्न के लिए अनुमोदित नीति उपलब्ध है और बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सीमाएं नियत की हैं और इसकी स्थिति का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है। केवल दुतरफा आधार पर प्रयुक्त प्रतिरक्षाओं अथवा बैंक के तुलन पत्र की प्रतिरक्षा का मूल्य व परिपाक ने ऋण के मूलाधार का अधिगमन नहीं किया है।

घ) व्युत्पन्न के लिए लेखाकरण नीति भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूची 17 -महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ (नीति संख्या 6) में प्रकट किए अनुसार तैयार की गयी है।

11.3.2 मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16		2014-15	
		मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
i)	डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूल रकम)				
	क) प्रतिरक्षा के लिए	153.43	6883.83	646.97	7005.77
	ख) व्यापार के लिए	23.91	340.79	70.47	394.50
ii)	बाजार मूल्य को बही में अंकित करने की स्थिति				
	क) आस्तियाँ (+)	7.50	80.85	16.59	139.29
	ख) देयताएँ (-)	0.28	-8.72	3.30	-6.22
iii)	ऋण जोखिम	14.18	70.63	58.29	71.18
iv)	ब्याज दर में संभावित एक प्रतिशत के लिए परिवर्तन (100*पीवी01)				
	क) प्रतिरक्षा डेरिवेटिव्स पर	0.76	102.75	5.86	12.93
	ख) व्यापार डेरिवेटिव्स पर	0.12	5.28	0.78	2.43
v)	वर्ष के दौरान देखे गए 100*पीवी 01 का न्यूनतम और अधिकतम	अधिकतम 5.95 न्यूनतम 0.76	अधिकतम 145.09 न्यूनतम 1.78	अधिकतम 16.11 न्यूनतम 5.86	अधिकतम 13.39 न्यूनतम 7.30
	क) प्रतिरक्षा पर ख) व्यापार पर	अधिकतम 0.72 न्यूनतम 0.12	अधिकतम 6.90 न्यूनतम 0.93	अधिकतम 1.83 न्यूनतम 0.78	अधिकतम 2.46 न्यूनतम 1.64



- c) Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants; and
- d) Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation.

Treasury (Domestic)

The Bank uses Rupee Interest Rate Swaps (IRS) for hedging purpose to mitigate interest rate risk in Govt. Securities and to reduce the cost of Subordinated Debt. In addition, the bank also enters into rupee interest rate swaps for trading purposes as per the policy duly approved by the Board. Swap transactions are entered only with Banks having ISDA agreements in place.

- a) The bank has put in place an appropriate structure and organization for management of risk, which includes Treasury Department, Asset Liability Management Committee and Risk Management Committee of the Board.
- b) Derivative transactions carry Market Risk (arising from adverse movement in interest rates), Credit risk (arising from probable counter party failure), Liquidity

risk (arising from failure to meet funding requirements or execute the transaction at a reasonable price), Operational risk, Regulatory risk and Reputation risk. The Bank has laid down policies, set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives and proper risk reporting and mitigation systems are in place to monitor all risks relating to derivative transactions. The IRS transactions were undertaken with only Banks as counter party and well within the exposure limit approved by the Board of Bank for each counter party.

- c) Derivatives are used by the bank for trading and hedging. The bank has an approved policy in force for derivatives and has set necessary limits for the use of derivatives and the position is continuously monitored. The value and maturity of the hedges which are used only as back to back or to hedge bank's Balance Sheet has not exceeded that of the underlying exposure.
- d) The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, as disclosed in Schedule 17 – Significant Accounting Policies (Policy No.6)

11.3.2 Quantitative Disclosures

(Rs. in Crore)

Sr. No.	Particulars	2015-16		2014-15	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	a) For Hedging	153.43	6883.83	646.97	7005.77
	b) For Trading	23.91	340.79	70.47	394.50
(ii)	Mark to Market Positions				
	a) Asset (+)	7.50	80.85	16.59	139.29
	b) Liability (-)	0.28	-8.72	3.30	-6.22
(iii)	Credit Exposure	14.18	70.63	58.29	71.18
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) On hedging derivatives	0.76	102.75	5.86	12.93
	b) On trading derivatives	0.12	5.28	0.78	2.43
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	a) On hedging	Maximum 5.95	Maximum 145.09	Maximum 16.11	Maximum 13.39
		Minimum 0.76	Minimum 1.78	Minimum 5.86	Minimum 7.30
	b) On trading	Maximum 0.72	Maximum 6.90	Maximum 1.83	Maximum 2.46
		Minimum 0.12	Minimum 0.93	Minimum 0.78	Minimum 1.64



12.आस्ति गुणवत्ता

12.1.1 अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए)

(रु. करोड़ में)

	2015-16	2014-15
i) निवल एनपीए की तुलना में निवल अग्रिम (%)	11.89	5.68
ii) एनपीए की गतिशीलता (सकल)		
क) अथ शेष	14922.45	9020.48
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	20998.38	12015.96
ग) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	5872.20	6113.99
घ) इति शेष	30048.62	14922.45
iii) निवल एनपीए की गतिशीलता		
क) अथ शेष	9813.33	5658.12
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	13650.12	8486.65
ग) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	4250.87	4331.44
घ) इति शेष	19212.57	9813.33
iv) एनपीए की गतिशीलता के लिए प्रावधान (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)		
क) अथ शेष	4457.20	2994.03
ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	7348.26	3529.31
ग) बट्टे खाते में डाले गए / पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान	2062.08	2066.14
घ) इति शेष	9743.38	4457.20

12.1.2 प्रावधान कवरेज अनुपात

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 31.03.2016 तक प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 47.39% (दिनांक 31.03.2015 तक 50.92%) था।



12. ASSET QUALITY

12.1.1 Non-Performing Assets (NPAs)

(Rs. in Crore)

	2015-16	2014-15
i) Net NPAs to Net Advances (%)	11.89	5.68
ii) Movement of NPAs (Gross)		
a) Opening Balance	14922.45	9020.48
b) Additions during the year	20998.38	12015.96
c) Reductions during the year	5872.20	6113.99
d) Closing Balance	30048.62	14922.45
iii) Movement of Net NPAs		
a) Opening Balance	9813.33	5658.12
b) Additions during the year	13650.12	8486.65
c) Reductions during the year	4250.87	4331.44
d) Closing Balance	19212.57	9813.33
iv) Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
a) Opening balance	4457.20	2994.03
b) Provisions made during the year	7348.26	3529.31
c) Write-off/Write-back of excess provisions	2062.08	2066.14
d) Closing balance	9743.38	4457.20

12.1.2 Provision Coverage Ratio

The Provision Coverage Ratio (PCR) computed as per the RBI guidelines stood at 47.39% as on 31.3.2016 (50.92% as on 31.3.2015).



12.2 पुनर्संचित खातों के विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र. स.	पुनः संरचना का प्रकार			सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार पुनर्संरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आसित वर्गीकरण			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल					
विवरण																							
1	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल, 2015 तक पुनर्संचित खाते पुनर्संचित (प्रारंभिक आंकड़े)			50	11	13	0	74	98	33	54	0	185	114	37	78	0	229	262	81	145	0	488
	उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया राशि	उन पर प्रावधान	6272.72	975.07	1448.40	0.00	8696.19	870.55	60.08	57.23	0.00	987.86	9209.39	870.41	719.71	0.00	10799.51	16352.66	1905.56	2225.34	0.00	20483.56
	565.16	6272.72	50	50.83	975.07	1448.40	0.00	658.89	8696.19	13.06	60.08	0.00	16.29	446.29	29.10	23.46	0.00	498.85	1024.51	83.16	66.36	0.00	1174.03
2	1.4.15 से 31.03.2016 के दौरान नई पुनर्संरचना			0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	12	0	1	0	13
	उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया राशि	उन पर प्रावधान	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.01	0.00	0.00	0.00	616.01	616.01	0.00	48.00	0.00	664.01
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00	16.61	616.01	0.00	48.00	0.00	664.01
3	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान पुनर्संचित मानक वर्ग के स्तर में उन्नयन			1	0	-1	0	0	8	-5	-3	0	0	6	-3	-3	0	0	15	-8	-7	0	0
	उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया राशि	उन पर प्रावधान	68.24	0.00	-68.24	0	0.00	13.51	-11.37	-2.14	0.00	0	32.46	-32.33	-0.13	0.00	0.00	114.21	-43.70	-70.51	0.00	0.00
	5.92	68.24	5.92	0.00	0.00	-68.24	0	0.00	0.02	0.32	-0.34	0.00	0	2.04	-2.03	-0.01	0.00	7.98	-1.71	-6.27	0.00	0.00	



12.2 Particulars of Accounts Restructured

(Rs. in Crore)

SI No.		Type of Restructuring		Under CDR Mechanism				Under SME Debt Restructuring Mechanism				Others				Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Details		Asset Classification																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1 Restructured Accounts as on April 1 2015 of the FY (opening figures)		No. of Borrowers Amount Outstanding Provision Thereon		50	6272.72	565.16	11	975.07	50.83	13	1448.40	42.90	0	0.00	658.89	8696.19	13.06	870.55	3.23	60.08	0.00	57.23	0.00	0.00	16.29	987.86	185	446.29	9209.39	29.10	870.41	23.46	719.71	0.00	0.00	498.85	10799.51	229	1024.51	16352.66	83.16	1905.56	66.36	2225.34	0.00	0.00	1174.03	20483.56	488	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				2 Fresh Restructuring during 01.04.15 to 31.03.2016		No. of Borrowers Amount Outstanding Provision Thereon		0	0.00	0.00	0	0.00	0.27	48.00	0.00	0.00	0.27	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.61	616.01	12	16.61	616.01	16.61	616.01	0.00	0.00	0.27	48.00	0.00	0.00	16.88	664.01	13	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								0	0.00	0.00	1	48.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	पुनः संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार पुनर्संरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल					
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
	विवरण																						
4	उच्च प्रावधान आकर्षित करनेवाले पुनः संरचित मानक अग्रिम और/या वित्तीय वर्ष के अंत में अतिरिक्त गोखिम भार और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में निन्हें पुनः संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है ।	उधारकर्ताओं की संख्या	0				0	29				29	24				24	53					53
		बकाया राशि	228.33				228.33	101.48				101.48	1960.95				1960.95	2290.76					2290.76
		उन पर प्रावधान	49.96				49.96	1.11				1.11	102.19				102.19	153.26					153.26

5	1.4.15 से 31.03.2016* के दौरान पुनः संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-16	5	11	0	0	-30	11	19	0	0	-58	31	23	4	0	-104	47	53	4	0
		बकाया राशि	-2409.79	998.05	1411.74	0.00	0.00	-265.91	157.03	108.88	0.00	0.00	-1614.61	487.98	988.96	137.67	-0.00	-4290.31	1643.06	2509.58	137.67	-0.00
		उन पर प्रावधान	-82.49	37.11	45.38	0.00	-0.00	-1.03	0.80	0.23	0.00	0.00	-14.85	8.20	6.65	0.00	0.00	-98.37	46.11	52.26	0.00	-0.00

6	दिनांक खारिज 01.04.2015 से दिनांक 31.03.2016 तक के दौरान खारिज करना/बिक्री/सीडीआर से वापसी/पुनर्संरचित खातों में वसूली की शुरुआत	उधारकर्ताओं की संख्या	-1	-4	-5	0	-10	-1	-6	-23	0	-30	0	0	0	0	0	-2	-10	-28	0	-40
		बकाया राशि			-114.69	0.00	-114.69	-7.31	-5.92	-16.90	0.00	-30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.31	-5.92	-131.59	0.00	-144.82



SI No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism			Under SME Debt Restructuring Mechanism			Others			Total		
	Asset Classification	Details												
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and /or additional risk weight at the end of FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrowers	Amount Outstanding	Provision Thereon	5	Downgradation of the restructured accounts during 1.04.15 to 31.03.2016*	No. of Borrowers	Amount Outstanding	Provision Thereon	6	Write off/ sale/ closure/ exit from CDR/ recovery action initiated in restructured accounts during 1.04.2015 to 31.03.2016	No. of Borrowers	Amount Outstanding	
		0	228.33	49.96	-16	-2409.79	5	998.05	37.11	-1	-1	-4	0.00	0.00
					11	1411.74	11		45.38	-5	-5	-5	-114.69	-114.69
					0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00
		0	228.33	49.96	0	0.00	0	0.00	0.00	-10	-10	-10	-114.69	-114.69
		29	101.48	1.11	-30	-265.91	11	157.03	0.80	-1	-1	-6	-5.92	-5.92
					19	108.88	19		0.23	-23	-23	-23	-16.90	-16.90
					0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00
		29	101.48	1.11	0	0.00	0	0.00	0.00	-30	-30	-30	-30.13	-30.13
		24	1960.95	102.19	-58	-1614.61	31	487.98	8.20	0	0	0	0.00	0.00
					23	988.96	23		6.65	0	0	0	0.00	0.00
					4	137.67	4		0.00	0	0	0	0.00	0.00
		24	1960.95	102.19	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00
		53	2290.76	153.26	-104	-4290.31	47	1643.06	46.11	-2	-2	-10	-5.92	-5.92
					53	2509.58	53		52.26	-28	-28	-28	-131.59	-131.59
					4	137.67	4		0.00	0	0	0	0.00	0.00
		53	2290.76	153.26	0	0.00	0	0.00	0.00	-40	-40	-40	-144.82	-144.82

	पुनः संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार पुनर्संरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
विवरण																						
7	मार्च 31, 2016 (अंतिम आंकड़े) तक पुनः संरचित किए गए खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	34	12	19	0	65	46	33	47	0	126	75	55	83	4	217	155	100	149	4	408
		बकाया राशि	3274.89	1613.00	2269.39	0.00	7157.28	273.65	207.22	153.44	0.00	634.31	6618.33	986.95	1701.47	137.78	9444.53	10166.87	2807.17	4124.30	137.78	17236.12
		उन पर प्रावधान	139.01	53.36	91.00	0.00	283.37	1.24	0.83	0.36	0.00	2.43	60.36	8.28	8.44	0.00	77.08	200.61	62.47	99.80	0.00	362.88

* मानक पुनर्संरचित खातों में स्लिपेजों सहित जो कि 2 वर्षों से ज्यादा समय के हों।

** वर्ष के दौरान पुनर्संरचित अग्रिमों में बढ़ोत्तरी/ घटोत्तरी सहित।

कम मूल्य के अतिरिक्त खातों के संबंध में खातों में कुल अंतर, अन्य कॉलम में एवं मूल्य वार जो कि बंद/ वसूल/ वसूली प्रक्रिया के तहत हैं एवं जिनका समाधान नहीं हो सकता में 25 संख्या

Sl No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
7	Restructured Accounts as on March 31 of the 2016 (closing Figures)**	No. of Borrowers	34	12	19	0	65	46	33	47	0	126	75	55	83	4	217	155	100	149	4	408
		Amount Outstanding	3274.89	1613.00	2269.39	0.00	7157.28	273.65	207.22	153.44	0.00	634.31	6618.33	986.95	1701.47	137.78	9444.53	10166.87	2807.17	4124.30	137.78	17236.12
		Provision Thereon	139.01	53.36	91.00	0.00	283.37	1.24	0.83	0.36	0.00	2.43	60.36	8.28	8.44	0.00	77.08	200.61	62.47	99.80	0.00	362.88

*Includes slippages in Standard Restructured accounts which are more than 2 years

** Including increase/decrease in restructured advances during the year.

Difference in total represents the accounts in respect of addition in small value accounts, 25 nos in other column and valuwise which were closed / recovered / under recovery process and could not be reconciled.



12.3 आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/ पुनःसंरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(रु. करोड़ में)

ए) बिक्री के ब्यौरे

(रु. करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
(i) खातों की संख्या	7	17
(ii) एस सी / आर सी को विक्रय किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	344.53	1160.83
(iii) कुल प्रतिफल	396.25	1431.03
(iv) गत वर्षों में अंतरित खातों से प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	2.38	शून्य
(v) निवल बही-मूल्य पर कुल लाभ / (हानि)	54.10	270.20

विवरण	2015-16	2014-15
1 [क] वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
[ख] कुल बकाया	शून्य	शून्य
2 [क] वर्ष के दौरान इनमें से पुनःसंरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
[ख] कुल बकाया	शून्य	शून्य

12.4.2. विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण (रु. करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
1 . विक्रय किए गए खाते	7	17
2 . कुल बकाया	450.07	1559.14
3 . प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	396.25	1431.03

बी) प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश में बही मूल्य के ब्यौरे

(रु. करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
i) बैंक द्वारा अंतर्निहित के रूप में बेचा गया एनपीए द्वारा समर्थित	336.35**	1270.98
ii) अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थानों/ नॉन-बैंकिंग कंपनियों द्वारा अंतर्निहित के रूप में बेचा गया एनपीए द्वारा समर्थित	-	-
कुल	336.35	1270.98

12.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(रु. करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	905.18	1146.83

13. कारोबार अनुपात

(रु. करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
(i) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज गत आय	8.53%	9.16%
(ii) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	0.92%	0.82%
(iii) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ	1.05%	1.27%
(iv) आस्तियों से लाभ कारोबार (जमाएँ व अग्रिम)	-0.97	-0.16
(v) प्रति कर्मचारी (रु. करोड़ में)	12.41	13.24
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोड़ में)	-0.0905	-0.0141

**दिनांक 31.03.2016 तक बकाया रु 121.67 करोड़ के आवेदन धन के साथ, अप्रैल 2016 से आबंटित

12.4 अन्य बैंकों से क्रय / विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

12.4.1 क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण



12.3 Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset reconstruction

(Rs. in Crore)

A. Details of Sales

(Rs. in Crore)

Particulars	2015-16	2014-15
(i) No. of accounts	7	17
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	344.53	1160.83
(iii) Aggregate consideration	396.25	1431.03
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	2.38	Nil
(v) Aggregate gain/(loss) over net book value	54.10	270.20

B. Details of book Value in Investment in Security Receipt

(Rs. in Crore)

Particulars	2015-16	2014-15
i) Backed by NPAs sold by the Bank as underlying	336.35**	1270.98
ii) Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/ non-banking financial companies as underlying	-	-
Total	336.35	1270.98

** Includes application money of Rs. 121.67 crore outstanding as on 31.03.2016 since allotted in April 2016.

12.4 Details of non-performing financial assets purchased/sold from other banks

12.4.1 Details of non-performing financial assets purchased

Particulars	2015-16	2014-15
1 (a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil
2 (a) Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil

12.4.2 Details of non-performing financial assets sold

(Rs. in Crore)

Particulars	2015-16	2014-15
1.No. of accounts sold	7	17
2.Aggregate Outstanding	450.07	1559.14
3.Aggregate consideration received	396.25	1431.03

12.5 Provisions on Standard Assets

(Rs. in Crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Provisions towards Standard Assets	905.18	1146.83

13 BUSINESS RATIOS

Particulars	2015-16	2014-15
(i) Interest Income as a percentage to Average Working Funds	8.53%	9.16%
(ii) Non Interest Income as a percentage to Working Funds	0.92%	0.82%
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.05%	1.27%
(iv) Return on Assets	-0.97	-0.16
(v) Business (Deposits plus advances) per Employee (Rs. in Crore)	12.41	13.24
(vi) Profit per employee (Rs. in Crore)	-0.0905	-0.0141



14. आस्ति देयता प्रबंधन :

31 मार्च 2016* तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान

(रु. करोड़ में)

	जामाएँ	अग्रिम (सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	5354.70	9506.21	1147.52	5.05	522.85	807.53
2 से 7 दिन	4709.53	3438.60	4033.10	339.44	844.01	18.07
8 से 14 दिन	5234.35	4452.87	1717.35	316.54	97.91	14.43
15 से 28 दिन	3165.22	2994.91	1536.80	266.26	303.45	30.40
29 दिन से 3 महीने तक	16926.11	35451.70	4896.55	1197.99	1382.56	1168.48
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	29315.52	11046.19	7636.23	3739.49	1573.40	1191.65
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	61067.02	16777.72	15147.71	8215.71	110.57	434.68
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	30532.50	63783.35	17944.76	9035.83	0.00	813.00
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	6032.00	10164.17	5752.92	3100.00	0.00	356.51
5 वर्ष से अधिक	62177.28	15111.00	19813.35	967.00	0.00	0.00
कुल	224514.23	172726.72	79626.29	27183.31	4834.75	4834.75

दिनांक 31 मार्च 2015 *तक आस्तियों एवं देयताओं की विशेष मदों का परिपक्वता पैटर्न

(रु. करोड़ में)

	जामाएँ	अग्रिम (सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	4696.64	3369.85	1064.95	100.02	705.63	793.56
2 से 7 दिन	4168.87	3287.40	3836.61	137.60	610.65	283.55
8 से 14 दिन	5213.05	5383.75	2693.47	150.00	847.37	14.75
15 से 28 दिन	2886.73	9434.05	1214.86	488.07	78.57	27.20
29 दिन से 3 महीने तक	28454.65	18632.64	8521.40	853.94	2096.33	1717.89
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	42225.80	11948.88	9898.41	2071.16	803.89	489.85
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	64060.40	17589.83	14229.43	1396.32	21.87	503.33
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	28641.43	65476.55	14745.42	8012.98	148.29	758.63
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	6685.96	17776.92	7078.34	3055.32	0.00	723.84
5 वर्ष से अधिक	59015.19	26141.46	16437.65	1967.00	0.00	0.00
कुल	246048.72	179041.33	79720.54	18232.41	5312.60	5312.60

* प्रबंधन द्वारा प्रमाणित एवं संकलित

15. उधार

(रु. करोड़ में)

15.1 स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण

प्रवर्ग	2015-16	2014-15
अ) प्रत्यक्ष ऋण		
i) रिहाइशी बंधक - उधारकर्ता की उस रिहाइशी संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूति उधार जिसमें उधारकर्ता खुद रहता है या रहने वाला है या जिसे किराए पर दिया जायेगा। जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	12755.10 7262.99	9483.55 6604.76



14 ASSET LIABILITY MANAGEMENT Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on March 31, 2016*

(Rs. in Crore)

	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Gross)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	5354.70	9506.21	1147.52	5.05	522.85	807.53
2 to 7 days	4709.53	3438.60	4033.10	339.44	844.01	18.07
8 to 14 days	5234.35	4452.87	1717.35	316.54	97.91	14.43
15 to 28 days	3165.22	2994.91	1536.80	266.26	303.45	30.40
29 days to 3 Month	16926.11	35451.70	4896.55	1197.99	1382.56	1168.48
Over 3 Month & up to 6 Month	29315.52	11046.19	7636.23	3739.49	1573.40	1191.65
Over 6 Month & up to 1 year	61067.02	16777.72	15147.71	8215.71	110.57	434.68
Over 1 year & up to 3 years	30532.50	63783.35	17944.76	9035.83	0.00	813.00
Over 3 years & up to 5 years	6032.00	10164.17	5752.92	3100.00	0.00	356.51
Over 5 years	62177.28	15111.00	19813.35	967.00	0.00	0.00
Total	224514.23	172726.72	79626.29	27183.31	4834.75	4834.75

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on March 31, 2015*

(Rs. in Crore)

	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Gross)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	4696.64	3369.85	1064.95	100.02	705.63	793.56
2 to 7 days	4168.87	3287.40	3836.61	137.60	610.65	283.55
8 to 14 days	5213.05	5383.75	2693.47	150.00	847.37	14.75
15 to 28 days	2886.73	9434.05	1214.86	488.07	78.57	27.20
29 days to 3 Month	28454.65	18632.64	8521.40	853.94	2096.33	1717.89
Over 3 Month & up to 6 Month	42225.80	11948.88	9898.41	2071.16	803.89	489.85
Over 6 Month & up to 1 year	64060.40	17589.83	14229.43	1396.32	21.87	503.33
Over 1 year & up to 3 years	28641.43	65476.55	14745.42	8012.98	148.29	758.63
Over 3 years & up to 5 years	6685.96	17776.92	7078.34	3055.32	0.00	723.84
Over 5 years	59015.19	26141.46	16437.65	1967.00	0.00	0.00
Total	246048.72	179041.33	79720.54	18232.41	5312.60	5312.60

*As compiled and certified by the management.

15 Exposures

15.1 Exposure to Real Estate Sector

(Rs. in Crore)

Category	2015-16	2014-15
(a) Direct Exposure		
i) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	12755.10	9483.55
Out of which, Individual housing loans eligible to be classified under Priority Sector	7262.99	6604.76



श्रेणी		
ii) वाणिज्यिक स्थावर-संपदा - वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, छोटी-मोटी ज़मीन, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार निवासीय भवन, बहुविध किराए पर दिया हुआ वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस ज़मीन, होटल, भूमि अभिग्रहण, विस्तारण व निर्माण आदि) उधार में गैर-निधि आधारित सीमाएँ (एनएफबी) सम्मिलित हैं।	7518.18	8612.92
iii) स्थावर संपदा अन्य :: • होटल, अस्पताल और लिक्विडेंट ऋण जो सीआरई के तहत नहीं हैं	2651.72	2727.90
iv) बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश और अन्य प्रत्याभूत उधार ☐ रिहाइशी ☐ वाणिज्यिक स्थावर संपदा ☐ अन्य	शून्य शून्य 20.00	शून्य शून्य 20.00
आ) अप्रत्यक्ष ऋण : राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित उधार	4371.00	3361.00
स्थावर संपदा प्रवर्ग को कुल ऋण (अ + आ)	27316.00	24205.37

15.2 पूँजी बाज़ार को ऋण जोखिम

(रु. करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
I) उन इक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बाँडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में किया गया प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी निधि का निवेश विशिष्ट कार्पोरेट ऋण में नहीं किया गया है;	914.24	832.36
ii) शेयरों (आइपीओ / ईएसओपी सहित), परिवर्तनशील बाँडों और परिवर्तनशील डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम	0.62	5.86
iii) किसी अन्य प्रयोजन हेतु दिए गए वे अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को मूल प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है	12.39	2.16
iv) जहाँ शेयरों / परिवर्तनशील बाँडों / परिवर्तनशील डिबेंचरों / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों से इतर प्रधान प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती, वहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रत्याभूत कर किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिए प्रदत्त अग्रिम;	1751.14	758.06
V) स्टॉक ब्रोकर को दिए गए सुरक्षित व असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियाँ;	115.88	116.26
vi) संसाधनों को जुटाने की अपेक्षा से नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के प्रति या निर्बंध आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण;	शून्य	शून्य
vii) प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह / निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण;	शून्य	शून्य
viii) शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गयी हामीदारी प्रतिबद्धताएँ;	शून्य	शून्य
ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना;	0.67	0.67
X) उद्यम पूँजीगत निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों ही) के प्रति सभी ऋण	195.39	203.02
पूँजी बाज़ार को कुल उधार	2990.33	1918.39



Category	2015-16	2014-15
ii) Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure includes non-fund based (NFB) limits;	7518.18	8612.92
iii) Real estate others: Hotels, Hospitals and Liquirent not under CRE	2651.72	2727.90
iv) Investments in Mortgage Backed Securities and other securitised exposures		
· Residential	Nil	Nil
· Commercial Real estate	Nil	Nil
· Others	20.00	20.00
(b) Indirect Exposure: Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	4371.00	3361.00
Total Exposure to Real Estate Sector (a+b)	27316.00	24205.37

15.2 Exposure to Capital Market:

(Rs. in Crore)

Particulars	2015-16	2014-15
(i) direct investment made in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity – oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	914.24	832.36
(ii) advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds;	0.62	5.86
(iii) advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	12.39	2.16
(iv) advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds ie. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	1751.14	758.06
(v) secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	115.88	116.26
(vi) loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	Nil	Nil
(vii) bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	Nil	Nil
(viii) underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil	Nil
(ix) financing to stockbrokers for margin trading;	0.67	0.67
(x) all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	195.39	203.02
Total Exposure to Capital market	2990.33	1918.39



15.3 जोखिम वर्ग वार देश ऋण

(रु. करोड़ में)

जोखिम वर्ग*	31.3.2016 तक (निवल) अग्रिम	31.3.2016 तक धारित प्रावधान	31.3.2015 तक (निवल) अग्रिम	31.3.2015 तक धारित प्रावधान
गैर महत्वपूर्ण	15963.86	11.25	18021.20	12.49
कम	5605.43	शून्य	6735.10	शून्य
सामान्य	174.18	शून्य	185.40	शून्य
उच्च	775.98	शून्य	768.51	शून्य
उच्चतर	0.33	शून्य	2.63	शून्य
प्रतिबंधित	0.27	शून्य	0.44	शून्य
उधार-इतर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	22520.05	11.25	25713.28	12.49

*निर्यात क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ईसीजीसी) द्वारा सात श्रेणियों में वर्गीकरण पर आधारित

15.4 एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के विवरण जहाँ बैंक ने सीमा में वृद्धि की है:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के लिए हमारे बैंक की ऋण नीति दस्तावेज के शर्तों के अनुसार एकल उधारकर्ता के लिए उधार की अनुमत सीमा रु 2,998.31 करोड़ (पूँजी निधि का 15%) तथा समूह उधारकर्ता के लिए रु.7995.49 करोड़ (पूँजी निधि का 40%) है। विदेशी शाखाओं के मामले में एकल उधारकर्ता उधार सीमा यूएसडी 40 मियो और समूह उधारकर्ता सीमा यूएसडी 60 मियो है एवं न्यास एवं सोसाइटियों के लिए यह रु. 100 करोड़ है।

(2015-16)

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	ऋण जोखिम सीमा	मंजूर की गई सीमा	वह अवधि जिस दौरान सीमा का अधिगमन हुआ	बोर्ड की मंजूरी के विवरण	31.03.2016 तक के लिए बकाये की स्थिति
1	टिवन स्टार होल्डिंग्स लि. मॉरिशस-हांगकांग शाखा	265.02 [यूएसडी 40.00 मियो] सिंगल उधारकर्ता सीमा	397.53 [यूएसडी 60.00 मियो]#	1.4.2015-31.3.2016	5.12.2014	397.53 [यूएसडी 60.00 मियो]
2	आर्मडा डी 1 पीटीई लि. - सिंगापुर शाखा	250.00 [यूएसडी 40.00 मियो] सिंगल उधारकर्ता सीमा	406.25 [यूएसडी 65.00 मियो]	1.4.2015-21.8.2015 ##	1.9.2012	शून्य
3	वरदा ट्वेल्फ पीटीई लि. - हांगकांग शाखा	265.02 [यूएसडी 40.00 मियो] सिंगल उधारकर्ता सीमा	440.63 [यूएसडी 70.50 मियो]	1.4.2015-31.3.2016	5.12.2014	407.44 [यूएसडी 65.19 मियो]
4	एमवीपी ग्रुप आइएनटी एनएल आइएनसी	250.00 [यूएसडी 40.00 मियो]	375.00 [यूएसडी 60.00 मियो]@	1.4.2015-31.3.2016	20.9.2013	343.75 [यूएसडी 55.00 मियो]
5	गोल्ड मैट्रिक्स रिसोर्सेस पीटीई लि. - सिंगापुर	250.00 [यूएसडी 40.00 मियो]	321.34 [यूएसडी 48.50 मियो]	ज्यादा नहीं	25.10.2013	153.03 [यूएसडी 24.584 मियो] **
6	एअर इण्डिया लिमिटेड	500	955.12	01.04.2015-31.03.2016	05.02.15	1223.82
7	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2998.31	3147.68	01.04.2015-31.03.2016	25.10.13 & 18.04.16	1980.10
8	आइएफएफसीओ	100	1700	01.04.2015-31.03.2016	30.05.2011	313.27
9	वेलम्ल एजुकेशन ट्रस्ट	100	207.69	01.04.2015-31.03.2016	04.09.2015	206.82
10	बुलदाना अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	100	150	01.04.2015-31.03.2016	04.12.2013	118.01
11	एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एवं टेक्नोलॉजी	100	162	01.04.2015-31.03.2016	12.12.2015	125.39



15.3 Risk Category-wise Country Exposure:

(Rs. in Crore)

Risk Category*	Exposure (net) as at 31.3.2016	Provision held as at 31.3.2016	Exposure (net) as at 31.3.2015	Provision held as at 31.3.2015
Insignificant	15963.86	11.25	18021.20	12.49
Low	5605.43	Nil	6735.10	Nil
Moderate	174.18	Nil	185.40	Nil
High	775.98	Nil	768.51	Nil
Very High	0.33	Nil	2.63	Nil
Restricted	0.27	Nil	0.44	Nil
Off-credit	Nil	Nil	Nil	Nil
Total	22520.05	11.25	25713.28	12.49

* Based on seven category classification followed by Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd., (ECGC)

15.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

As per RBI guidelines and terms of Loan Policy Document of our Bank, the permissible level of Single Borrower Exposure limit is Rs.2998.31 crore (15% of Capital Funds) and Rs.7995.49 crore for Group Borrower Limit (40% of Capital Funds). SBL and GBL in case of overseas branches is USD 40 Mio and USD 60 mio respectively and for Trust & Societies it is Rs. 100 crore.

2015-16

(Rs. in Crore)

SL No	Name of the borrower	Exposure Ceiling	Limit sanctioned	Period during which limit exceeded	Board ratification details	Position as on 31.3.2016 outstanding
1	Twin Star Holdings Ltd, Mauritius-Hongkong branch	265.02 [USD 40.00 mio] Single Borrower Limit	397.53 [USD 60.00 mio]#	01.04.2015-31.03.2016	05.12.2014	397.53 [USD 60.00 mio]
2	Armada D1 Pte Ltd Singapore branch	250.00 [USD 40.00 mio] Single Borrower Limit	406.25 [USD 65.00 mio]	01.04.2015-21.08.2015##	01.09.2012	Nil
3	Varada Twelve Pte Ltd-Hongkong branch	265.02 [USD 40.00 mio] Single Borrower Limit	440.63 [USD 70.50 mio]	01.04.2015-31.03.2016	05.12.2014	407.44 [USD 65.19 mio]
4	MVP Group Intl Inc	250.00 [USD 40.00 mio]	375.00 [USD 60.00 mio]@	01.04.2015-31.03.2016	20.09.2013	343.75 [USD 55.00 mio]
5	Gold Matrix Resources Pte Ltd-Singapore	250.00 [USD 40.00 mio]	321.34 [USD 48.50 mio]	Not exceeded	25.10.2013	153.03[USD 24.584 mio]**
6	Air India Limited	500.00	955.12	01.04.2015-31.03.2016	05.02.2015	1223.82
7	Mahanagar Telephone Nigam Ltd	2998.31	3147.68	01.04.2015-31.03.2016	25.10.2013 & 18.04.2016	1980.10
8	IFFCO	100.00	1700.00	01.04.2015-31.03.2016	30.05.2011	313.27
9	Velammal Educational Trust	100.00	207.69	01.04.2015-31.03.2016	04.09.2015	206.82
10	Buldana Urban Co-op Credit Society Ltd.	100.00	150.00	01.04.2015-31.03.2016	04.12.2013	118.01
11	SRM Institute of Science & Technology	100.00	162.00	01.04.2015-31.03.2016	12.12.2015	125.39



दिनांक 17.03.2016 को आयोजित हुई बैठक में एमसीबी द्वारा कुल मंजूरी सीमा 100 मियो से अप्राप्त अंश 40 मियो का निरस्तीकरण
 ## यद्यपि दिनांक 31.03.2016 तक खातों को बंद कर दिया है, दिनांक 20.08.2015 तक की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान शेष 40 मियो यूएसडी बढ़ता है।
 दिनांक 20.08.2015 तक मियो 46.80 (आइएनआर 310.07 करोड़) बकाया था।
 ** स्वीकरण के पश्चात एलसी के तहत बिलों का प्रस्तुतिकरण - बैंकों पर एक्सपोजर
 @ दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 31.12.2015 तक सीमा को एमसीबी द्वारा यूएसडी 55 मियो कम किया गया जो कि दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी है। बोर्ड द्वारा एमसीबी/ अनुसमर्थन द्वारा वास्तविक स्वीकरण की तिथि पश्चात उक्त खातों के संबंध में सीमाओं में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

2014-15

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	ऋण जोखिम सीमा	मंजूर की गई सीमा	वह अवधि जिस दौरान सीमा का अधिगमन हुआ	बोर्ड की मंजूरी के विवरण	31.03.2015 तक के लिए बकाये की स्थिति
1	टिवन स्टार होल्डिंग्स लि., मॉरिशस - हाँगकाँग शाखा	250.00 [यूएसडी 40.00 मियो] [सिंगल उधारकर्ता सीमा]	625.00 [यूएसडी 100.00 मियो]	18.3.2015 - 31.3.2015	14.11.2014	375.00 [यूएसडी 60.00 मियो]
2	आर्मडा सी 7 पीटीई लि. - सिंगापुर शाखा	375.00 [यूएसडी 60.00 मियो] [समूह उधारकर्ता सीमा]	250.00 [यूएसडी 40.00 मियो तक 5.8.2014] 125.00 [यूएसडी 20.00 मियो] स्वीकृत 24.11.2014, अभी तक मुक्त होना है	1.4.2014 - 5.8.2014 शून्य	20.09.2013 5.12.2014	शून्य
3	आर्मडा डी 1 पीटीई लि. - सिंगापुर शाखा	250.00 [यूएसडी 40.00 मियो] [सिंगल उधारकर्ता सीमा]	406.25 [यूएसडी 65.00 मियो]	1.4.2014 - 31.3.2015	1.9.2012	320.43 [यूएसडी 51.269 मियो]
4	वरदा ट्वेल्व पीटीई लि. - हाँगकाँग शाखा	250.00 [यूएसडी 40.00 मियो] [सिंगल उधारकर्ता सीमा]	440.63 [यूएसडी 70.50 मियो]	1.4.2014 - 31.3.2015	5.12.2014	407.44 [यूएसडी 65.19 मियो]
5	वेस्टर्न अलायंस इंटरनेशनल लि. @ खाता हाँगकाँग शाखा	375.00 [यूएसडी 60.00 मियो] [समूह उधारकर्ता सीमा]	250.00 [यूएसडी 40.00 मियो]	ज्यादा नहीं	27.6.2014	163.76 [यूएसडी 26.202 मियो]
6	किंग एम्पायर ग्रुप लिमिटेड @ खाता हाँगकाँग शाखा	375.00 [यूएसडी 60.00 मियो] [समूह उधारकर्ता सीमा]		ज्यादा नहीं	27.6.2014	15.40 [यूएसडी 2.464 मियो]
7	फाइव एलीमेंट्स रियल एस्टेट विकास एलएलसी - @ हाँगकाँग शाखा	375.00 [यूएसडी 60.00 मियो] [समूह उधारकर्ता सीमा]	106.25 [यूएसडी 17.00 मियो]	अप्राप्त	27.6.2014	शून्य
8	वेदान्ता रिसोर्सेस पीएलसी	250.00 [यूएसडी 40.00 मियो] [सिंगल उधारकर्ता सीमा]	312.50 [यूएसडी 50.00 मियो]	1.4.2014 से 22.8.2014	8.12.2012	खाता बंद
9	एमवीपी ग्रुप आइएनटीएनएल आइएनसी	250.00 [यूएसडी 40.00 मियो]	375.00 [यूएसडी 60.00 मियो]	1.4.2014 से 31.3.2015	20.9.2013	343.75 [यूएसडी 55.00 मियो]
10	गोल्ड मैट्रिक्स रिसोर्सेस पीटीई लि. - सिंगापुर	250.00 [यूएसडी 40.00 मियो]	303.13 [यूएसडी 48.50 मियो]	ज्यादा नहीं	25.10.2013	153.03 [यूएसडी 24.584 मियो]
11	एचडीएफसी	2998.31	3000	मार्च 2014 से फरवरी 2015	14.12.2013	2900



Unavailed portion of USD 40 mio cancelled by MCB in its meeting dated 17.3.2016 out of total sanctioned limit of USD 100 mio

Even though the accounts stands closed as on 31.3.2016, the balance exceeded SBL of USD 40 mio during the reporting period upto 20.8.2015. Outstanding was USD 46.80 mio [INR 310.07 crs] as on 20.8.2015.

** Represents bills under LC after acceptance – exposure on Bank

@ Limit reduced to USD 55 mio from 1.4.15 to 31.12.15 and USD 50 mio wef 1.1.16 to 31.3.16 BY MCB

There has been no increase in limits in respect of the above accounts after the date of original sanction by MCB/Ratification by Board.

2014-15

(Rs. in Crore)

SL No	Name of the borrower	Exposure Ceiling	Limit sanctioned	Period during which limit exceeded	Board ratification details	Position as on 31.3.2015 outstanding
1	Twin Star Holdings Ltd., Mauritius – HongKong Branch	250.00 [USD 40.00 mio] [Single Borrower Limit]	625.00 [USD 100.00 mio]	18.03.2015 – 31.03.2015	14.11.2014	375.00 [USD 60.00 mio]
2	Armada C 7 Pte Ltd. - Singapore Branch	375.00 [USD 60.00 mio] [Group Borrower Limit]	250.00 [USD 40.00 mio upto 5.8.2014] 125.00 [USD 20.00 mio] Sanctioned 24.11.2014, yet to be released	01.04.2014 – 05.08.2014 Nil	20.09.2013 05.12.2014	Nil
3	Armada D 1 Pte Ltd. - Singapore Branch	250.00 [USD 40.00 mio] [Single Borrower Limit]	406.25 [USD 65.00 mio]	01.04.2014 – 31.03.2015	01.09.2012	320.43 [USD 51.269 mio]
4	Varada Twelve Pte Ltd. – Hong Kong Branch	250.00 [USD 40.00 mio] [Single Borrower Limit]	440.63 [USD 70.50 mio]	01.04.2014 – 31.03.2015	05.12.2014	407.44 [USD 65.19 mio]
5	Western Alliance International Ltd. @ A/c Hong Kong Branch	375.00 [USD 60.00 mio] [Group Borrower Limit]	250.00 [USD 40.00 mio]	Not Exceeded	27.06.2014	163.76 [USD 26.202 mio]
6	King Empire Group Limited @ A/c Hong Kong Branch	375.00 [USD 60.00 mio] [Group Borrower Limit]		Not Exceeded	27.06.2014	15.40 [USD 2.464 mio]
7	Five Elements Real Estate Development LLC - @ Hongkong Branch	375.00 [USD 60.00 mio] [Group Borrower Limit]	106.25 [USD 17.00 mio]	Not Availed	27.06.2014	Nil
8	Vedanta Resources Plc	250.00 [USD 40.00 mio] [Single Borrower Limit]	312.50 [USD 50.00 mio]	01.04.2014 – 22.08.2014	08.12.2012	A/c Closed
9	MVP Group Intl Inc.	250.00 [USD 40.00 mio]	375.00 [USD 60.00 mio]	01.04.2014 – 31.03.2015	20.09.2013	343.75 [USD 55.00 mio]
10	Gold Matrix Resources Pte Ltd. - Singapore	250.00 [USD 40.00 mio]	303.13 [USD 48.50 mio]	Not exceeded	25.10.2013	153.03 [USD 24.584 mio]
11	HDFC	2998.31	3000 .00	March 2014 to February 2015	14.12.2013	2900



15.5 अप्रतिभूत अग्रिम

(रु. करोड़ में)

	2015-16	2014-15
अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल रकम जैसे अधिकार, लाइसेंस प्राधिकार पर किए गए प्रभार आदि	209.36	108.26
ऐसी अमूर्त संपाशिवकों का आवकलित मूल्य	209.36	108.26

16. भा.रि.बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण:

(रु. करोड़ में)

	2015-16	2014-15
भा.रि.बैंक द्वारा लगाए गए दंड:	शून्य	शून्य

लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

17.1 लेखांकन मानक 9 - राजस्व मान्यता

महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसी - अनुसूची 17 में मद सं.2 में वर्णितानुसार राजस्व को मान्यता दी गई हैं।

17.2 लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ

- i) बैंक ने 01 अप्रैल 2007 से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "कर्मचारियों के लाभ" संबंधी लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) को अपनाया है।
 ii) लेखांकन मानक-15 (परिशोधित) के अनुसार अपेक्षित लाभ व हानि खाते और तुलन पत्र में पहचाने गए नियोजन-उत्तर लाभों और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की स्थिति का सारांश निम्नवत है;

(क) परिभाषित लाभ योजनाएँ

बाध्यताओं के वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

व्यौरे	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	6007.72	5426.49	1074.10	1125.40	413.49	389.92
ब्याज लागत	443.69	342.23	76.40	91.16	28.84	31.08
वर्तमान सेवा लागत	123.81	94.83	52.95	55.06	30.88	26.23
प्रदत्त लाभ	(667.94)	(423.11)	(194.32)	(166.95)	(91.25)	(69.53)
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान / (लाभ)	907.77	567.28	130.80	(30.57)	53.44	35.78
वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	6815.05	6007.72	1139.92	1074.10	435.40	413.49

(ख) योजना आस्ति के प्राप्त मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

व्यौरे	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	6029.58	5401.08	1341.93	1260.73	--	--
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	548.97	481.88	97.67	85.02	--	--
नियोक्ता का अंशदान	811.21	566.00	--	140.00	91.25	101.00
प्रदत्त लाभ	(667.94)	(423.11)	(194.32)	(166.95)	91.25	69.53
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान / (लाभ)	85.42	3.73	10.14	23.13	--	--
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	6807.24	6029.58	1255.42	1341.93	--	--
गैर निधीय संक्रमणकालीन देयता	--	--	--	--	--	--



15.5 Unsecured Advances

(Rs. in Crore)

	2015-16	2014-15
Total amount for which intangible securities such as charge over the rights, licenses authority, etc., has been taken	209.36	108.26
Estimated value of such intangible collateral	209.36	108.26

16 Disclosure of Penalties imposed by RBI

(Rs. in Crore)

	2015-16	2014-15
Penalties imposed by RBI	Nil	Nil

DISCLOSURES INTERMS OF ACCOUNTING STANDARDS

17.1 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Revenue has been recognized as described in item No. 2 of Significant Accounting Policies – Schedule 17.

17.2 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

- The Bank has adopted Accounting Standard 15 (Revised) “Employee Benefits” issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April 2007.
- The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with the Accounting Standard–15 (Revised) are as under:-

(a) Defined Benefit Schemes:

Changes in the present value of the obligations

(Rs. in Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Present Value of obligation as at the beginning of the year	6007.72	5426.49	1074.10	1125.40	413.49	389.92
Interest Cost	443.69	342.23	76.40	91.16	28.84	31.08
Current Service Cost	123.81	94.83	52.95	55.06	30.88	26.23
Benefits Paid	(667.94)	(423.11)	(194.32)	(166.95)	(91.25)	(69.53)
Actuarial loss/(gain) on Obligations	907.77	567.28	130.80	(30.57)	53.44	35.78
Present Value of Obligation at year end	6815.05	6007.72	1139.92	1074.10	435.40	413.49

(b) Change in Fair Value of Plan Asset

(Rs. in Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	6029.58	5401.08	1341.93	1260.73	--	--
Expected return on Plan Assets	548.97	481.88	97.67	85.02	--	--
Employer's contribution	811.21	566.00	--	140.00	91.25	101.00
Benefit Paid	(667.94)	(423.11)	(194.32)	(166.95)	91.25	69.53
Actuarial loss/(gain) on Obligations	85.42	3.73	10.14	23.13	--	--
Fair Value of Plan Asset at the end of the year	6807.24	6029.58	1255.42	1341.93	--	--
Unfunded Transitional Liability	--	--	--	--	--	--



(ग) तुलन पत्र में पहचानी गयी रकम

(रु. करोड़ में)

ब्यौरे	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का अनुमानित वर्तमान मूल्य	6815.05	6007.72	1139.92	1074.09	435.40	413.49
वर्ष के अंत तक योजना आस्ति का उचित मूल्य	6807.24	6029.58	1255.42	1341.93	--	--
तुलन पत्र में पहचानी गई अनिधिक निवल देयता	7.81	--	--	--	435.40	413.49
तुलन पत्र में पहचानी गई निधिक निवल देयता	--	21.86	74.82*	267.84	--	--

*लेखांकन मानक संख्या 15 के पैरा 59(बी) सीमा में प्रभाव डालने के पश्चात तुलन पत्र में 115.40 से 40.68 करोड़ की कमी द्वारा रु 74.82 करोड़ की निवल आस्ति के निधिपोषण पहचान की गई है।

घ)लाभ व हानि में पहचाने गए व्यय

(रु. करोड़ में)

ब्यौरे	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
वर्तमान सेवा लागत	123.81	94.83	52.95	55.06	30.88	26.23
ब्याज लागत	443.69	342.23	76.40	91.17	28.84	31.08
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	(548.97)	(481.88)	(97.67)	(85.02)	--	--
वर्ष में पहचाना गया निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	822.35	563.55	(120.66)	(53.70)	53.44	35.78
लाभ व हानि खाते में प्रभारित करने योग्य कुल व्यय	840.87	518.73	152.34	(7.51)	113.16	101.00
॥ पेंशन विकल्पियों / पीएफ में नियोक्ता के अंशदान से प्राप्त रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ङ) पेंशन व गैच्युटी न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशतता :

(रु. करोड़ में)

ब्यौरे	पेंशन (न्यास) (%)		गैच्युटी (न्यास) (%)	
	2016	2015	2016	2015
क) ऋण लिखतें				
केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ	5.56	5.70	3.64	5.46
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	52.70	48.30	52.61	50.63
पीएसयू / पीएफआइ/कापोरेट बांडों में निवेश	37.14	41.08	39.62	38.39
अन्य निवेश	4.60	4.92	4.13	5.52
ख) ईक्विटी लिखतें	--	--	--	--



(c) Amount recognized in Balance Sheet

(Rs. in Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Estimated Present value of obligations as at the end of the year	6815.05	6007.72	1139.92	1074.09	435.40	413.49
Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	6807.24	6029.58	1255.42	1341.93	--	--
Un-funded Net Liability recognized in Balance sheet	7.81	--	--	--	435.40	413.49
Funded Net Assets to be recognized in Balance Sheet	--	21.86	74.82*	267.84	--	--

*Funded Net asset recognized in Balance sheet is Rs 74.82 crores after giving effect to limit in Para 59(b) of AS 15 by reducing the carrying amount of Rs. 115.50 crores by Rs. 40.68 crores.

(d) Expenses Recognized in Profit & Loss

(Rs. in Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Current Service Cost	123.81	94.83	52.95	55.06	30.88	26.23
Interest Cost	443.69	342.23	76.40	91.17	28.84	31.08
Expected return on Plan Asset	(548.97)	(481.88)	(97.67)	(85.02)	--	--
Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	822.35	563.55	(120.66)	(53.70)	53.44	35.78
Total expenses chargeable in Profit & Loss Account	840.87	518.73	152.34	(7.51)	113.16	101.00
Amount received from II Pension Optees / Employer's Contribution of PF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

(e) Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust:

(Rs. in Crore)

Particulars	Pension Trust (%)		Gratuity Trust (%)	
	2016	2015	2016	2015
a) Debt Instruments				
Central Government Securities	5.56	5.70	3.64	5.46
State Government Securities	52.70	48.30	52.61	50.63
Investment in PSU/PFI/ Corporate Bonds	37.14	41.08	39.62	38.39
Other Investments	4.60	4.92	4.13	5.52
b) Equity Instruments	--	--	--	--



(च) तुलन-पत्र की तारीख तक मूल वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)

(रु. करोड़ में)

ब्यौरे	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
बट्टा दर	7.82%	8.75%	7.82%	8.75%	7.84%	8.75%
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ दर	9.00%	9.00%	8.00%	8.00%	--	--
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
अपनायी गयी प्रक्रिया	अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट	

अनुभवगत समंजन

(रु. करोड़ में)

ब्यौरे	पेंशन (निधिक)					गैच्युटी (निधिक)					अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)				
	2016	2015	2014	2013	2012	2016	2015	2014	2013	2012	2016	2015	2014	2013	2012
योजना आस्तियों पर अनुभवगत समंजन (हानि) / लाभ	85.42	3.73	433.71	100.20	259.23	10.14	23.13	47.25	32.40	14.85	--	--	--	--	--
योजना देयताओं पर अनुभवगत समंजन (हानि) / लाभ	(907.77)	(567.28)	(553.88)	(409.07)	(400.96)	(130.80)	30.57	(28.36)	(142.68)	(85.27)	53.44	35.78	(73.40)	(25.76)	(16.05)

बीमांकक मूल्यांकन के तहत भावी वेतन वृद्धि के अनुमानों में, योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ, मुद्रास्फीति, वरीयता, पदोन्नति और अन्य संबंधित कारकों यथा कर्मचारी बाज़ार में माँग व आपूर्ति को हिसाब में लिया गया है।

विदेशी शाखाओं के संबंध में, कर्मचारी लाभ योजना के लिए यदि कोई प्रकटीकरण अपेक्षित है तो सूचना के अभाव में यह नहीं है।

(छ) परिकलनों के लिए किए गए वित्तीय अनुमान निम्नवत है

बट्टा दर : बट्टा दर को मूल्यांकन की तारीख (तुलन - पत्र दिनांकित 31.03.2016) सरकारी बाँडों पर बाजार लाभ के संदर्भ में तय किया गया है।

प्रत्याशित लाभ दर: आस्तियों पर कुल मिलाकर प्रत्याशित लाभ दर उस तिथि पर प्रचलित बाजार मूल्य पर तय की जाती है, जिस अवधि में लागू तिथि पर दायित्वों का निपटारा किया जाना है। सुधरे हुए स्टॉक बाजार परिदृश्य के कारण आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन है।

(ज) अगले वित्तीय वर्ष में अपेक्षित अदायगी वाले गैच्युटी के लिए बैंक का सर्वोत्तम आकलन रु200 करोड़ (पिछले वर्ष रु 170.00 करोड़) है।

17.4 लेखांकन मानक 17 - खण्डवार रिपोर्टिंग

खण्ड रिपोर्टिंग के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 2007 में जारी संशोधित दिशानिर्देशों को अपनाया है, जिसके अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले खण्डों को ट्रेज़री, कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग व अन्य बैंकिंग परिचालनों में वर्गीकृत किया है।



(f) Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Discount Rate	7.82%	8.75%	7.82%	8.75%	7.84%	8.75%
Expected rate of return on Plan Assets	9.00%	9.00%	8.00%	8.00%	--	--
Expected Rate of Salary increase	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
Method used	Projected unit credit		Projected unit credit		Projected unit credit	

Experience Adjustments

(Rs. in Crore)

Particulars	PENSION (Funded)					GRATUITY (Funded)					LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)				
	2016	2015	2014	2013	2012	2016	2015	2014	2013	2012	2016	2015	2014	2013	2012
Experience e adjustment on Plan assets (Loss)/Gain	85.42	3.73	433.71	100.20	259.23	10.14	23.13	47.25	32.40	14.85	--	--	--	--	--
Experience adjustment on Plan Liabilities (Loss)/Gain	(907.77)	(567.28)	(553.88)	(409.07)	(400.96)	(130.80)	30.57	(28.36)	(142.68)	(85.27)	53.44	35.78	(73.40)	(25.76)	(16.05)

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account actual return on plan assets, inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

In respect of overseas branches, disclosures if any, required for Employee Benefit Schemes are not made in the absence of information.

(g) The financial assumptions considered for the calculations are as under:-

Discount Rate: The discount rate has been chosen by reference to market yield on Government bonds as on the date of valuation (Balance sheet dated 31.03.2016)

Expected Rate of Return: The Overall expected rate of return on assets is determined based on the

market prices prevailing on that date applicable to the period over which the obligation is to be settled. There has been significant change in expected rate of return on assets due to the improved stock market scenario.

(h) Bank's best estimate expected to be paid in next Financial Year for Gratuity is Rs.200.00 Crores. (Previous year Rs.170.00 Crores)

17.4 Accounting Standard 17 – Segment Reporting

The Bank has adopted Reserve Bank of India's revised guidelines issued in April 2007 on Segment Reporting in terms of which the reportable segments have been divided into Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Operations.



भाग ए : कारोबार खण्ड

(रु. करोड़ में)

कारोबार खण्ड	राजकोष		कापरेट / थोक बैंकिंग		रीटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
विवरण									2015	2016
राजस्व	7279.00	6260.73	11314.31	11753.80	7172.21	7737.70	278.79	266.37	26044.31	26018.60
परिणाम	610.14	434.57	540.51	976.45	1498.87	1633.42	234.91	237.92	2884.43	3282.36
गैर - आबंटित आय									1.24	58.33
गैर - आबंटित आय									0.21	18.35
परिचालनगत लाभ/हानि									2885.46	3322.34
आय कर									(830.78)	565.75
प्रावधान व आकस्मिकताएँ									6613.56	3210.92
असाधारण लाभ / हानि									0	0
निवल लाभ									(2897.33)	(454.33)
अन्य सूचना										
खण्डवार आस्तियाँ	79057.29	83321.19	128915.28	120817.45	63785.78	80437.13	368.49	132.82	272126.84	284708.60
अनाबंटित आस्तियाँ									2309.93	928.38
कुल आस्तियाँ									274436.77	285636.98
खण्डवार देयताएँ	71187.85	78130.48	124736.74	114579.22	61994.21	77224.33	828.23	39.51	258747.03	269973.50
अनाबंटित देयताएँ									23.92	22.40
कुल देयताएँ									258770.95	269995.94

भाग ख - भौगोलिक खण्ड

(रु. करोड़ में)

	देशी		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
राजस्व	25139.88	25044.58	905.67	1032.35	26045.55	26076.93
आस्तियाँ	253421.94	265309.31	21025.94	20327.67	274447.88	285636.98

17.5 लेखांकन मानक 18 - संबंधित पार्टि प्रकटीकरण (जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित एवं संकलित किया गया)

(रु. करोड़ में)

	सहयोगी** / संबद्ध उद्यम		मुख्य प्रबंध कार्मिक		मुख्य प्रबंध कार्मिक से संबंधित		कुल	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
मदें/ संबंधित पार्टि	दिनांक 31.03.2016 तक तुलनात्मक दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के लिए अधिकतम शेष	दिनांक 31.03.2015 तक शेष दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए अधिकतम शेष	दिनांक 31.03.2016 तक शेष दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के लिए अधिकतम शेष	दिनांक 31.03.2015 तक शेष दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए अधिकतम शेष	दिनांक 31.03.2016 तक शेष दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के लिए अधिकतम शेष	दिनांक 31.03.2015 तक शेष दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए अधिकतम शेष	दिनांक 31.03.2016 तक तुलनात्मक दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के लिए अधिकतम शेष	दिनांक 31.03.2015 तक तुलनात्मक दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए अधिकतम शेष
उधार	858.21	1334.28	1334.28	1334.28	-	-	858.21	1334.28
जमाएं	75.82	535.23	535.23	585.75	0.12	0.71	75.94	536.32



Part A: Business Segments

(Rs. in Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate / Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		TOTAL	
Particulars	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
Revenue	7279.00	6260.73	11314.31	11753.80	7172.21	7737.70	278.79	266.37	26044.31	26018.60
Result	610.14	434.57	540.51	976.45	1498.87	1633.42	234.91	237.92	2884.43	3282.36
Unallocated Income									1.24	58.33
Unallocated Expenses									0.21	18.35
Operating Profit/Loss									2885.46	3322.34
Income Taxes									(830.78)	565.75
Provisions & Contingencies									6613.56	3210.92
Extraordinary profit / loss									0	0
Net Profit									(2897.33)	(454.33)
OTHER INFORMATION										
Segment Assets	79057.29	83321.19	128915.28	120817.45	63785.78	80437.13	368.49	132.82	272126.84	284708.60
Unallocated Assets									2309.93	928.38
Total Assets									274436.77	285636.98
Segment Liabilities	71187.85	78130.48	124736.74	114579.22	61994.21	77224.33	828.23	39.51	258747.03	269973.50
Unallocated Liabilities									23.92	22.40
Total									258770.95	269995.94

Part B – Geographic segments

(Rs. in Crore)

	Domestic		International		Total	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
Revenue	25139.88	25044.58	905.67	1032.35	26045.55	26076.93
Assets	253421.94	265309.31	21025.94	20327.67	274447.88	285636.98

17.5 Accounting Standard 18 - Related Party Disclosures (as compiled & certified by Management)

(Rs. in Crore)

Items / Related Party	Associates **/Joint Ventures		Key Management Personnel		Relatives of Key Management Personnel		Total	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
	Balance as on 31.03.2016 Maximum Balance during the period 1.4.2015 – 31.03.2016	Balance as on 31.03.2015 Maximum Balance during the period 1.4.2014 – 31.03.2015	Balance as on 31.03.2016 Maximum Balance during the period 1.4.2015 – 31.03.2016	Balance as on 31.03.2015 Maximum Balance during the period 1.4.2014 – 31.03.2015	Balance as on 31.03.2016 Maximum Balance during the period 1.4.2015 – 31.03.2016	Balance as on 31.03.2015 Maximum Balance during the period 1.4.2014 – 31.03.2015	Balance as on 31.03.2016 Maximum Balance during the period 1.4.2015 – 31.03.2016	Balance as on 31.03.2015 Maximum Balance during the period 1.4.2014 – 31.03.2015
Borrowings	858.21 1334.28	1334.28 1334.28	- -	- -	- -	0.54 0.54	858.21 1334.28	1334.28 1334.28
Deposits	75.82 535.23	535.23 585.75	0.12 0.71	0.71 0.71	- 0.38	0.38 0.38	75.94 536.32	536.32 586.84



वर्ष के दौरान लेन-देन	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
निवेश	-	1	-	-	-	-	-	1
निर्धारित आस्तियों की खरीद	-	-	0.04	0.04	-	-	0.04	0.04
प्रदत्त ब्याज	0.67	26.25	-	-	-	0.02	0.67	26.27
प्राप्त ब्याज	38.84	58.49	-	0.02	-	0.02	38.84	58.53

** ओडिशा ग्राम्य बैंक एवं पाण्डियन ग्राम बैंक

इंडिया इंटरनेशनल बैंक मलेशिया बरहाद के निदेशक

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री. थेनकुरिंसी नंदकुमार रामकुमार	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक निदेशक
2.	श्री. राजवेलु कोटीस्वरन	गैर स्वतंत्र -कार्यपालक निदेशक (दिनांक 24/04/2015 से)
3.	श्री. सी.वी.आर.राजेन्द्रन	गैर स्वतंत्र -कार्यपालक निदेशक (दिनांक 18/06/2015 तक)
4.	श्री. दातुक भूपतराय ए/आइ श्री. माकुशलाल प्रेमजी	गैर स्वतंत्र -कार्यपालक निदेशक
5.	श्री. गोपाल कृष्ण ए/आइ श्री. सी पी गोपालन	गैर स्वतंत्र -कार्यपालक निदेशक
6.	श्री संतानम वांगल जगन्नाथन	गैर स्वतंत्र -कार्यपालक निदेशक (दिनांक 02/06/2015 से)

वर्ष 2015-16 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए वेतन एवं निष्पादन प्रोत्साहन के व्यौरे

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक				
क्र.सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक राशि (रु.) (2015-16)	पारिश्रमिक राशि (रु.) (2014-15)
1	श्री. आर कोटीस्वरन	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	21,26,710	4,91,505**
2	श्री. अतुल अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	18,81,212	19,21,413**
3	श्री. पवन कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक	18,17,457	1,00,100**
4	श्री. वाई.सी. जैन	मुख्य वित्तीय अधिकारी (दिनांक 22/05/2015 से)	20,94,552	--
5	श्री एम नरेन्द्र	पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	--	12,72,000**
6	श्री. ए.के.बंसल	पूर्व कार्यपालक निदेशक	--	66,667**
7	श्री. ए.डी.एम.चावली	पूर्व कार्यपालक निदेशक	--	14,65,904**

*पारिश्रमिक में वेतन व भत्ते, वेतन बकाया, निष्पादन लागत प्रोत्साहन राशि, छुट्टी भुनाई बकाया और ग्रैच्युटी बकाया शामिल हैं।

** वर्ष का अंश

17.6 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

(रु. करोड़ में)

विवरण लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय	2015-16	2014-15
इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद उपलब्ध लाभ (रु. करोड़ों में)	2897.33	(454.33)
भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	145,89,62,128	123,53,48,315
मूल तथा कम किए हुए प्रति शेयर आय	(19.86)	(3.68)
प्रति शेयर सामान्य मूल्य	Rs. 10.00	Rs. 10.00



Transactions during the year	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
Investment	-	1	-	-	-	-	-	1
Purchase of fixed assets	-	-	0.04	0.04	-	-	0.04	0.04
Interest paid	0.67	26.25	-	-	-	0.02	0.67	26.27
Interest received	38.84	58.49	-	0.02	-	0.02	38.84	58.53

**Odisha Gramya Bank and Pandyan Grama Bank

Directors of the India International Bank Malaysia Berhad

Sl. No.	Name	Designation
1.	Shri. Thenkurissi Nandakumar Ramakumar	Managing Director and Chief Executive Director
2.	Shri. Rajavelu Koteeswaran	Non Independent Non-Executive Director (From 24/04/2015)
3.	Shri C. VR. Rajendran	Non Independent Non-Executive Director (Till 18.06.2015)
4.	Shri. Datuk Bhupatrai a/l Shri. Makuskhilal Premji	Independent Non-Executive Director
5.	Shri. Gopala Krishnan a/l Shri. C P Gopalan	Independent Non-Executive Director
6.	Shri Santhanam Vangal Jagannathan	Independent Non-Executive Director (From 02/06/2015)

Details of Salary and Performance Incentive paid to Whole Time Directors during the year 2015-16

Key Management Personnel				
Sl. No.	Name	Designation	Remuneration* Amount (Rs.) (2015-16)	Remuneration* Amount (Rs.) (2014-15)
1.	Shri R. Koteeswaran	Managing Director & Chief Executive Officer	21,26,710	4,91,505**
2.	Shri Atul Agarwal	Executive Director	18,81,212	19,21,413**
3.	Shri Pawan Kumar Bajaj	Executive Director	18,17,457	1,00,100**
4.	Shri Y. C. Jain	Chief Financial Officer (From 22/05/2015)	20,94,552	--
5.	Shri M. Narendra	Ex-Chairman & Managing Director	--	12,72,000**
6.	Shri A.K. Bansal	Ex-Executive Director	--	66,667**
7.	Shri A.D.M. Chavali	Ex-Executive Director	--	14,65,904**

*Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.

**Part of the year

17.6 Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Particulars	2015-16	2014-15
Net Profit after Tax available for Equity Shareholders (Rs. in Crore)	(2897.33)	(454.33)
Weighted Average Number of Equity Shares	145,89,62,128	123,53,48,315
Basic & Diluted Earnings Per Share	(19.86)	(3.68)
Nominal value per Equity Share	Rs. 10.00	Rs. 10.00



17.7 लेखांकन मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) एवं लेखांकन मानक 23 - समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश हेतु लेखांकन

चूँकि कोई अनुषंगी संस्था नहीं है, किसी समेकित वित्तीय विवरण की प्रस्तुति आवश्यक नहीं समझी गई है।

17.8 लेखांकन मानक 22 : आय पर करों के लिए लेखांकन

(रु. करोड़ में)

विवरण	31-03-2016		31-03-2015	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
निवेशों पर मूल्यहास	-	563.45	-	542.88
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	38.79	-	14.99	-
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	150.68	-	143.75	-
धोखाधड़ियों के लिए प्रावधान	14.14	-	12.97	-
पुनः संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	180.33	-	420.06	-
आगे ले जाई गई हानियाँ	0.11	-	-	-
विशेष आरक्षितियाँ		256.65	-	252.07
अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधान	1961.35	-	540.75	-
विदेशी मुद्रा लेन-देन आरक्षितियाँ	36.55	-	-	-
अन्य	33.61	-	7.03	-
कुल	2415.56	820.10	1139.55	794.95
निवल डीटीएल/ डीटीए	1595.46	-	344.60	-

17.9 लेखांकन मानक 26 - अमूर्त आस्तियाँ

कोर बैंकिंग व्यवस्था हेतु अधिगृहीत किये गए सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्ति माना जाएगा एवं इसे 3 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया है।

17.10 लेखांकन मानक 27 - संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग

मलेशिया में हमारे बैंक ने (35% हिस्से के साथ) बैंक ऑफ बडाँदा (40%) और आंध्रा बैंक (25%) के साथ एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किये हैं। बैंक निगारा, मलेशिया के केंद्रीय बैंक ने 16.04.2010 को संयुक्त उद्यम के लिए लाइसेंस जारी किया। इस संयुक्त उद्यम को 13.08.2010 के दिन इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद (आईआईबीएम) नाम से मलेशिया में स्थापित किया गया जिसकी प्राधिकृत पूँजी है एमवाइआर 500 मियो। संबद्ध उद्यम की प्रदत्त एमवाइआर 330 मियो (पिछले वर्ष 330 मियो) है। इस समनुदेशित पूँजी में हमारे बैंक का हिस्सा 35% - 115.500 मियो एमवाइआर है।

31.03.2016 तक हमारे बैंक ने प्रति शेयर 10 एमवाइआर सहित 11550000 शेयरों के लिए रु.199.58 करोड़ (पिछले वर्ष 194.91 करोड़) प्रदान किया है, जिसका कुल मूल्य 115.500 मियो एमवाइआर बनता है। इस संयुक्त उद्यम ने 11.07.2012 को परिचालन शुरू किए।

17.11 लेखांकन मानक 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक द्वारा धारित अचल आस्तियों को “कार्पोरेट आस्तियाँ” माना गया है और ये आईसीएआइ द्वारा जारी एस 28 के जरिए परिभाषित अनुसार

“नकदी सृजन इकाइयाँ” नहीं हैं। प्रबंधन के मतानुसार बैंक की किसी भी अचल आस्ति को क्षति नहीं हुई है।

17.12 लेखांकन मानक 29 - आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान

इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी दिशानिर्देशों को उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया है।

18. अतिरिक्त प्रकटीकरण

18.1. जमाओं, अग्रिमों, उधारों व अनर्जक आस्तियों का केन्द्रीकरण

18.1.1. जमाओं का केन्द्रीकरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ	36078.48	48467.12
बैंक की कुल जमाओं की तुलना में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	16.07%	19.70%

18.1.2 अग्रिमों का केन्द्रीकरण (उधार एक्सपोजर व्युत्पन्न सहित)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त कुल अग्रिम	33655.59	34301.16
बैंक के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त अग्रिमों का प्रतिशत	14.83%	14.45%



17.7 Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements and Accounting Standard 23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements

As there is no subsidiary, no consolidated financial statement is considered necessary.

17.8 Accounting Standard 22: Accounting for Taxes on Income

(Rs. in Crore)

Particulars	31-03-2016		31-03-2015	
	DTA	DTL	DTA	DTL
Depreciation on Investments		563.45		542.88
Depreciation on Fixed Assets	38.79		14.99	
Provision for Employee Benefits	150.68		143.75	
Provision for Frauds	14.14		12.97	
Provision for Restructured Advances	180.33		420.06	
Carry forward losses	0.11			
Special Reserve		256.65		252.07
Provision for NPA	1961.35		540.75	
Foreign Currency Translation Reserve	36.55			
Others	33.61		7.03	
Total	2415.56	820.10	1139.55	794.95
Net DTL /DTA	1595.46		344.60	

17.9 Accounting Standard 26 – Intangible Assets

The software acquired for core banking system is treated as intangible asset and amortised over a period of 3 years.

17.10 Accounting Standard 27 – Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

Our Bank (with 35% share) has floated a Joint Venture at Malaysia along with Bank of Baroda (40%) and Andhra Bank (25%). Bank Negara, the Central Bank of Malaysia, issued the license to the Joint Venture on 16.04.2010. The Joint Venture was incorporated at Malaysia on 13.08.2010 by name INDIA INTERNATIONAL BANK (MALAYSIA) BHD (IIBM). IIBM has an Authorised Capital of MYR 500 Mio. The Joint Venture's Paid up Capital is MYR 330 Mio. (previous year MYR 330 Mio.) Our Bank's share in the Assigned up Capital is 35% - MYR115.500 Mio.

As on 31.3.2016, Bank has paid Rs.199.58 crore (Previous year Rs. 194.91 crores) towards 11550000 shares of MYR10 each aggregating to MYR115.500 Mio. The Joint Venture has commenced operations on 11.7.2012.

17.11 Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

Fixed Assets owned by the Bank are treated as 'Corporate Assets' and are not 'Cash Generating Units' as defined by AS28 issued by ICAI. In the opinion of the Management, there is no impairment of any of the Fixed Assets of the Bank.

17.12 Accounting Standard 29 – Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The guidelines issued by the Institute of Chartered Accountant of India in this respect have been incorporated at the appropriate places.

18 Additional Disclosures

18.1 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

18.1.1 Concentration of Deposits

(Rs. in Crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Total Deposits of twenty largest depositors	36078.48	48467.12
Percentage of Deposits of twenty largest deposits to Total Deposits of the Bank	16.07%	19.70%

18.1.2 Concentration of Advances (Credit Exposure including derivatives)

(Rs. in Crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Total Advances to twenty largest borrowers	33655.59	34301.16
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	14.83%	14.45%



18.1.3. एक्सपोजर का केन्द्रीकरण (उधार और निवेश एक्सपोजर)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	35876.36	43694.17
बैंक द्वारा उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर का प्रतिशत	15.06%	17.88%

18.1.4 अनर्जक आस्तियों का केन्द्रीकरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
उच्च चार अनर्जक खातों से सम्बन्धित कुल एक्सपोजर	3287.71	1442.52

18.1.5 प्रवर्ग-वार अग्रिम / अनर्जक आस्तियाँ

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2015-16			2014-15		
		कुल बकाया अग्रिम	कुल अनर्जक आस्तियाँ	उस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों एवं कुल अग्रिम प्रतिशतता	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	उस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों एवं कुल अग्रिम प्रतिशतता
अ.	प्राथमिक क्षेत्र	70852.59	9147.82	12.91	64071.72	5801.06	9.05
1.	कृषि व सम्बन्धित गति-विधियाँ	30236.95	2519.81	8.33	26284.30	2012.33	7.66
2.	प्राथमिक क्षेत्र उधार के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	13363.41	2832.80	21.20	13865.57	1883.04	13.58
3.	सेवाएं	15673.48	2509.63	16.01	11652.97	1263.03	10.84
4.	वैयक्तिक ऋण	11578.75	1285.58	11.10	12268.88	642.76	5.24
	उपयोग (अ)	70852.59	9147.82	12.91	64071.72	5801.06	9.05
ब.	गैर प्राथमिक क्षेत्र	101874.12	20900.81	20.52	98765.80	7352.32	7.44
1.	कृषि व सम्बन्धित गति-विधियाँ	-	-	-	-	-	-
2.	उद्योग	71582.95	17998.31	25.14	61770.72	6501.07	10.52
3.	सेवाएं	22695.12	1587.25	6.99	29040.36	517.04	1.78
4.	वैयक्तिक ऋण	7596.05	1315.25	17.31	7954.72	334.21	4.20
	उपयोग (ब)	101874.12	20900.81	20.52	98765.80	7352.32	7.44
	कुल योग (अ+ब)	172726.71	30048.63	17.40	162837.52	13153.38	8.02

18.2 अनर्जक आस्तियों का संचलन

(रु. करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
01 अप्रैल तक सकल अनर्जक आस्तियाँ (प्रारंभिक शेष)	14922.45	9020.48
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	20998.38	12015.96
उप-योग (अ)	35920.83	21036.44
घटाएँ :		
i. उन्नयन	1814.32	1425.35
ii. वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों में से की गई वसूलियाँ को छोड़कर और एआरसीआइएल को बिक्री सहित)	1930.24	2601.70



18.1.3 Concentration of Exposures (Credit and Investment exposure)

(Rs. in Crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	35876.36	43694.17
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	15.06%	17.88%

18.1.4 Concentration of NPAs

(Rs. in Crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Total Exposure to top four NPA accounts	3287.71	1442.52

18.1.5 Sector-wise Advances / NPAs

(Rs. in Crore)

Sl.No.	SECTOR	2015-16			2014-15		
		Outstanding	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to total advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to total advances in that sector
A.	Priority Sector	70852.59	9147.82	12.91	64071.72	5801.06	9.05
1.	Agriculture and allied activities	30236.95	2519.81	8.33	26284.30	2012.33	7.66
2.	Advances to Industries sector eligible as priority sector lending	13363.41	2832.80	21.20	13865.57	1883.04	13.58
3.	Services	15673.48	2509.63	16.01	11652.97	1263.03	10.84
4.	Personal Loans	11578.75	1285.58	11.10	12268.88	642.76	5.24
	Sub Total (A)	70852.59	9147.82	12.91	64071.72	5801.06	9.05
B	Non Priority Sector	101874.12	20900.81	20.52	98765.80	7352.32	7.44
1.	Agriculture and allied activities	-	-	-	-	-	-
2.	Industry	71582.95	17998.31	25.14	61770.72	6501.07	10.52
3.	Services	22695.12	1587.25	6.99	29040.36	517.04	1.78
4.	Personal loans	7596.05	1315.25	17.31	7954.72	334.21	4.20
	Sub Total(B)	101874.12	20900.81	20.52	98765.80	7352.32	7.44
	TOTAL (A+B)	172726.71	30048.63	17.40	162837.52	13153.38	8.02

18.2 MOVEMENT OF NPAs

(Rs. in Crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Gross NPAs as on 1 st April (Opening Balance)	14922.45	9020.48
Additions (Fresh NPAs) during the year	20998.38	12015.96
Sub-total (A)	35920.83	21036.44
Less:-		
(i) Up-gradations	1814.32	1425.35
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts and including sale to ARCIL)	1930.24	2601.70



iii) तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए	2012.91	2003.12
iv. ऊपर iii) में उल्लिखित को छोड़कर बट्टे खाते में डाली गई रकम	114.73	83.82
उप-योग (आ)	5872.20	6113.99
31 मार्च के लिए सकल अनर्जक आस्तियाँ (समापन शेष) (अ-आ)	30048.63	14922.45

18.3 तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों का संचलन

(रु. करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष	4956.22	3537.63
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते	2012.94	2003.12
उप-जोड़ (अ)	6969.16	5540.75
घटाएँ: पहले तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों से वर्ष के दौरान की गई वसूली (आ)	496.22	584.53
31 मार्च 2016 को इति शेष (अ) - (आ)	6472.94	4956.22

18.4 विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व (रु. करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
कुल आस्तियाँ	21025.94	20327.67
कुल अनर्जक आस्तियाँ	3451.49	1769.02
कुल राजस्व	905.67	1032.36

18.5 तुलन पत्र इतर प्रायोजित एसपीवी

(जिनका लेखांकन-मानदण्डों के अनुसार समेकन किया जाना अपेक्षित है)

(रु. करोड़ में)

प्रायोजित एसपीवी का नाम			
(2015-16)		(2014-15)	
देशीय	विदेशी	देशीय	विदेशी
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

18.6 वर्ष के दौरान आय-कर के लिए किए गए प्रावधानों की मात्रा

(रु. करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
आय कर के लिए प्रावधान	418.53	1180.24
आस्थिगत कर के लिए प्रावधान	-1249.31	-614.48
कुल प्रावधान	-830.78	565.76

18.7 प्रावधान और आकस्मिकताएँ - अलग-अलग विवरण

लाभ व हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दर्शाए गए 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' का अलग-अलग विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान/ प्रतिलेखन	26.71	-560.88
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान	7348.27	3529.31

मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	-249.48	-46.51
पुनर्संचित खातों के लिए प्रावधान	-605.30	227.16
आय कर के लिए प्रावधान (आस्थिगत कर व संपत्ति कर सहित)	-830.78	565.76
अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएँ	93.36	30.34
कुल	5782.78	3776.67

18.8 अस्थिर प्रावधान

(रु. करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2015-16	2014-15
(क)	अस्थिर प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
(ख)	लेखा-वर्ष में किए गए अस्थिर प्रावधानों की मात्रा	शून्य	शून्य
(ग)	लेखा-वर्ष के दौरान निकाली गई रकम (प्रतिचक्रीय बफर को अंतरित)	शून्य	शून्य
(घ)	अस्थिर प्रावधान खाते में इतिशेष	शून्य	शून्य

18.9 शिकायतों का प्रकटीकरण

18.9.1 ग्राहकों की शिकायतें, एटीएम के अलावा

क्रम संख्या	विवरण	2015-16	2014-15
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित रही शिकायतों की संख्या	617	163
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	11748	6474



(iii) Technical Write-offs	2012.91	2003.12
(iv) Write offs other than those under (iii) above	114.73	83.82
Sub-total (B)	5872.20	6113.99
Gross NPAs as on 31 st March (Closing Balance) (A-B)	30048.63	14922.45

18.3 Movement of Technical Write off

(Rs. in Crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Opening Balance of Technical / Prudential Write off as on 1 st April 2015	4956.22	3537.63
Add: Technical / Prudential Write offs during the year	2012.94	2003.12
Sub-total (A)	6969.16	5540.75
Less: Recoveries made from previously Technical / Prudential written off accounts during the year (B)	496.22	584.53
Closing Balance as on 31 st March 2016 (A-B)	6472.94	4956.22

18.4 OVERSEAS ASSETS, NPAs AND REVENUE

(Rs. in Crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Total Assets	21025.94	20327.67
Total NPAs	3451.49	1769.02
Total Revenue	905.67	1032.36

Provision towards Standard Assets	-249.48	-46.51
Provision for Restructured accounts	-605.30	227.16
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax & Wealth Tax)	-830.78	565.76
Other Provision and Contingencies	93.36	30.34
Total	5782.78	3776.67

18.5 Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored			
2015-2016		2014-2015	
Domestic	Overseas	Domestic	Overseas
NIL	NIL	NIL	NIL

18.6 Amount of provisions made for Income Tax during the year

(Rs. in Crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Provision for Income Tax	418.53	1180.24
Provision for Deferred Tax	-1249.31	-614.48
Net Provision	-830.78	565.76

18.7 Provisions and Contingencies – Break-up

Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(Rs. in Crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Provisions for depreciation on Investment / Written back	26.71	-560.88
Provision towards NPA	7348.27	3529.31

18.8 Floating Provisions

(Rs. in Crore)

Sl. No.	Particulars	2015-16	2014-15
(a)	Opening balance in the floating provisions account	Nil	Nil
(b)	The quantum of floating provisions made in the accounting year	Nil	Nil
(c)	Amount of draw down made during the accounting year (Transferred to Counter Cyclical Buffer)	Nil	Nil
(d)	Closing balance in the floating provisions account	Nil	Nil

18.9 Disclosure of complaints

18.9.1 Customer Complaints other than ATM

Sl. No.	Particulars	2015-16	2014-15
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	617	163
(b)	No. of complaints received during the year	11748	6474



(ग)	वर्ष के दौरान निपटवाई गई शिकायतों की संख्या	9933	6020
(घ)	वर्ष की समाप्ति पर लंबित रही शिकायतों की संख्या	2432	617

18.9.2 एटीएम ग्राहकों की शिकायतें

क्रम संख्या	विवरण	2015-16	2014-15
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित रही शिकायतों की संख्या	9	3
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	3488	1895
(ग)	वर्ष के दौरान निपटवाई गई शिकायतों की संख्या	3363	1889
(घ)	वर्ष की समाप्ति पर लंबित रही शिकायतों की संख्या	134	9

18.9.3 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णय

क्रम संख्या	विवरण	2015-16	2014-15
(क)	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	-	-
(ख)	वर्ष के दौरान पारित किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	-	-
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित की गई अधिनिर्णयों की संख्या	-	-
(घ)	ग्राहक द्वारा अस्वीकृति के कारण कालातीत हुए अधिनिर्णयों की संख्या	-	-
(ड)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	-	-

18.9.4 चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

विवरण	2015-16	2014-15
वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	शून्य	शून्य
31.03.2014 को बकाया रहे चुकौती आश्वासन पत्र	2	2
निर्धारित वित्तीय प्रभाव	शून्य	शून्य
संचयी रूप में निर्धारित वित्तीय दायित्व	शून्य	शून्य

वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक ने एक चुकौती आश्वासन सहमति पत्र जारी किया कि बैंकों शाखा के संबंध में 12% का न्यूनतम सीआरएआर का अनुरक्षण किया जाएगा तथा कि अर्जनों रखे गए आनों को पूंजी निधियों के रूप में परिवर्तित किया जाएगा तथा कि अर्जनों सीआरएआर को 12% के न्यूनतम स्तर पर अनुरक्षित करने के लिए और पूंजी लाई जाएगी बशर्ते भा.रि.बैंक से अनुमोदन प्राप्त हो।

शाखा के संपूर्ण वस्त्र उद्योग को दिए गए सभी उधारों के बुरी तरह अनर्जक आस्ति बनने के कारण, हमें टीएचबी 393.395 मिओ (पिछले वर्ष 408.341 मियो) की अतिरिक्त प्रावधान की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि वह वस्त्र उद्योग के मानक अग्रिमों का अप्रतिभूत हिस्सा है। यदि ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न हो, अप्रतिभूत रकम को सुरक्षित करने के लिए वर्तमान आरक्षितियाँ पर्याप्त होने के कारण अतिरिक्त पूंजी का प्रेषण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने बैंक नेगारा मलेशिया के पक्ष में चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया था। बैंक संयुक्त उद्यम के अन्य भागीदारों के सहयोग सहित इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बर्हाद को निधि प्रदान करने के लिए, व्यापार और अन्य मामलों में जब कभी अपेक्षित हो, समर्थन प्रदान करेगा और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कार्यों में, व्यापारिक परिचालनों और प्रबंधन संबंधी मलेशिया के कानून, विनियमों और पॉलिसियों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है।

बैंक नेगारा मलेशिया को जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र का वित्तीय प्रभाव यह है कि प्रदत्त पूंजी एमवाईआर 330 मियो के 35 प्रतिशत यानी, एमवाईआर 115.500 मियो का प्रेषण करना होगा। हमारे बैंक ने एमवाईआर 115.500 मियो की पूंजी के लिए 199,57,52,186/- रुपयों का प्रेषण किया है।

18.10 बैंकएश्यूरन्स कारोबार

(रु. करोड़ में)

क्रम संख्या	आय का स्वरूप*	2015-16	2014-15
1.	जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	3.32	5.25
2.	गैर जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	14.98	13.60
3.	म्युचुअल फंड उत्पादों को बेचने के लिए	0.09	0.22
4.	अन्य (स्पष्ट करें)	2.58	--
	कुल	20.97	19.07

*बैंक द्वारा लिये गये बैंकएश्यूरन्स कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक।

18.11 प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण

शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

18.12 उधार डिफॉल्ट स्वेप (सीडीएस)

शून्य (पिछले वर्ष शून्य)



(c)	No. of complaints redressed during the year	9933	6020
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	2432	617

18.9.2 ATM – Customer Complaints

Sl.No.	Particulars	2015-16	2014-15
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	9	3
(b)	No. of complaints received during the year	3488	1895
(c)	No. of complaints redressed during the year	3363	1889
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	134	9

18.9.3 Awards passed by the Banking Ombudsman

Sl. No.	Particulars	2015-16	2014-15
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	-	-
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	-	-
(c)	No. of Awards implemented during the year	-	-
(d)	No. of Awards lapsed due to non acceptance by customer	-	-
(e)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	-	-

18.9.4 Letters of Comfort (LoC)

Particulars	2015-16	2014-15
Letters of Comfort issued during the year	Nil	Nil
Letters of Comfort outstanding as on 31 st March	2	2
Assessed financial impact	Nil	Nil
Cumulative Assessed Financial Obligation	Nil	Nil

During the year 2009-10, the Bank has issued a Letter of Comfort (LOC) undertaking to maintain a minimum CRAR of 12% in respect of Bangkok branch and to arrange to convert retained earnings to capital funds and/ or infuse further capital in order to restore the CRAR to a minimum of 12% subject to approval from RBI.

In the worst case scenario of the entire textile exposure of the branch becoming NPA, we may have to make additional provision to the extent of THB 393.395 mio (previous year THB 408.341 mio) being unsecured portion of standard textile advances. If this contingency arises, there would be no additional capital to be remitted as existing reserves are adequate to cover the unsecured amount.

During the year 2010-11, the Bank has issued a letter of comfort favoring Bank Negara Malaysia. The Bank in association with other JV partners will provide support to India International Bank (Malaysia) Bhd in funding, business and other matters as and when required and ensure that it complies with the requirements of the Malaysian Laws, Regulations and Policies in the conduct of its business operations and management.

The financial impact for the letter of undertaking issued to Bank Negara Malaysia is remittance of our share of 35% of the paid up capital of MYR 330 mio ie. MYR 115.500 mio. Our Bank has remitted INR 199,57,52,186/- towards the capital of MYR 115.500 mio.

18.10 Bancassurance Business

(Rs. in Crore)

Sl. No.	Nature of income*	2015-16	2014-15
(a)	For selling Life Insurance Policies	3.32	5.25
(b)	For selling Non Life Insurance Policies	14.98	13.60
(c)	For Selling Mutual Fund products	0.09	0.22
(d)	Others (specify)	2.58	--
	Total	20.97	19.07

*Fees/Remuneration received in respect of the Bancassurance Business undertaken by the Bank.

18.11 Disclosures relating to Securitisation

NIL (previous year – NIL)

18.12 Credit Default Swaps (CDS)

NIL (previous year – NIL)



18.13 आरक्षितियों से निचला आहरण -

शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

(रुपए करोड़ में)

18.14 इंटर ग्रुप एक्सपोजर

विवरण	2015-16	2014-15
इंटर ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य	शून्य
शीर्ष 20 इंटर ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य	शून्य
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के इंटर ग्रुप एक्सपोजर का %	शून्य	शून्य
इंटर ग्रुप एक्सपोजर पर सीमा विच्छेद के विवरण	शून्य	शून्य
और उन पर की गई नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो	शून्य	शून्य

19. जमाकर्ता शैक्षिक एवं जागरूकता निधि को अंतरण (डीईएएफ)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
डीईएएफ को अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष	368.44	शून्य
जोड़े : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	162.75	371.28
घटाएं : दावे की ओर डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति राशि	0.32	2.84
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अंतिम शेष	530.87	368.44

20. आरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण (यू एफ सी ई)

भा.रि.बै. के परिपत्र भा.रि.बै./2013-14/620 एवं भा.रि.बै./2013-14/448 के अनुसार, शाखाओं से उधारकर्ता के यू एफ सी ई से संबंधित आंकड़े ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं और जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा आरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण वाली इकाइयों के ऋण के लिए पूंजी व अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान की गणना का समेकन किया जाता है।

वर्ष 2015-16 के लिए अतिरिक्त प्रावधान अपेक्षा रु. 25.35 करोड़ (पिछले वर्ष रु.9.96 करोड़) है और अग्रगामी आर डब्ल्यू ए रु.1194.44 करोड़ (पिछले वर्ष रु.606.87 करोड़) है जिसे ऋण जोखिम पूंजी मूल्यांकन भाग के रूप में शामिल किया गया है।

21. चलनिधि सुरक्षा अनुपात पर प्रकटीकरण

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	2015-16		2014-15	
		कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)
	उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति				
1	कुल उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति (एच क्यू एल ए)		16058.23		21830.72
	नकद प्रवाह			लागू नहीं	
2	लघु कारोबार ग्राहकों से रिटेल जमाएं व जमाएं, जिसमें	48101.69	3713.42	45625.86	3528.36
i.	स्थिर जमाएं	21935.01	1096.75	20684.56	1034.23
ii.	कम स्थिर जमाएं	26166.68	2616.67	24941.30	2494.13
iii.	अप्रतिभूत ऋण	-	-	-	-
3	अप्रतिभूत थोक वित्तीयन जिसमें	29982.82	9718.98	24218.36	8168.97
i.	परिचालनात्मक जमाएं (सभी काउंटर पार्टियां)	9539.46	547.66	140.05	34.87
ii.	गैर - परिचालनात्मक जमाएं (सभी काउंटर पार्टियां)	20443.36	9171.32	24078.31	8134.10
iii.	अप्रतिभूत ऋण	-	-	-	-
4	अप्रतिभूत थोक वित्तीयन		-		लागू नहीं
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं जिसमें से	11681.42	1569.92	12044.88	3581.77
i.	व्युत्पन्न एक्सपोजर एवं अन्य संपार्श्वी अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्वाह	300.33	300.33	282.08	282.08
ii.	ऋण उत्पादों पर निधीकरण की हानि से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-
iii.	ऋण एवं तरलता सुविधा	11381.09	1269.59	11762.80	3299.69
6	अन्य संविदागत निधीकरण बाध्यताएं	-	-	1.31	1.31
7	अन्य संभाव्यता वित्तीयन बाध्यताएं	46154.78	1888.69	36613.83	1830.69
8	कुल नकद बहिर्वाह		16891.01		17111.10



18.13 Draw Down from Reserves

NIL (previous year – NIL)

18.14 Intra-Group Exposures

(Rs. in Crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Total amount of intra-group exposures	Nil	Nil
Total amount of top 20 intra-group exposures	Nil	Nil
% of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/ customers	Nil	Nil
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	Nil	Nil

19 Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(Rs. in Crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Opening Balance of Amounts transferred to DEAF	368.44	Nil
Add: Amounts transferred to DEAF during the year	162.75	371.28
Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	0.32	2.84
Closing Balance of Amounts transferred to DEAF	530.87	368.44

20 Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE)

As per RBI Circular ref No. RBI/2013-14/620 & RBI/2013-14/448, data relating to UFCE of borrowers from individual branches is obtained through online and consolidated working of the required additional provision and capital for Exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure is done at Risk Management Department.

For the year 2015-16, the provision requirement is to the tune of Rs.25.35 crore (previous year Rs.9.96 crore) and the incremental RWA requirement is to the tune of Rs.1194.44 crore (previous year Rs.606.87 crore) which is included as part of the Credit Risk Capital assessment.

21 Disclosure on Liquidity Coverage Ratio

(Rs. in Crore)

	Particulars	2015-16		2014-15	
		Total Unweighted Value* [average]	Total Weighted Value [average]	Total Unweighted Value* [average]	Total Weighted Value [average]
	High Quality Liquid Assets				
1	Total High Quality Liquid Assets [HQLA]		16058.23		21830.72
	Cash Outflows			NA	
2	Retail Deposits and deposits from small business customers, of which :	48101.69	3713.42	45625.86	3528.36
i.	Stable Deposits	21935.01	1096.75	20684.56	1034.23
ii.	Less Stable Deposits	26166.68	2616.67	24941.30	2494.13
iii.	Unsecured Debt	-	-	-	-
3	Unsecured wholesale funding, of which:	29982.82	9718.98	24218.36	8168.97
i.	Operational deposits [all counterparties]	9539.46	547.66	140.05	34.87
ii.	Non-Operational deposits [all counterparties]	20443.36	9171.32	24078.31	8134.10
iii.	Unsecured Debt	-	-	-	-
4	Secured wholesale funding		-		NA
5	Additional requirements, of which	11681.42	1569.92	12044.88	3581.77
i.	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	300.33	300.33	282.08	282.08
ii.	Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	-	-
iii.	Credit and Liquidity facilities	11381.09	1269.59	11762.80	3299.69
6	Other contractual funding obligations	-	-	1.31	1.31
7	Other contingent funding obligations	46154.78	1888.69	36613.83	1830.69
8	Total Cash Outflows		16891.01		17111.10



	विवरण	2015-16		2014-15	
		कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)
	नकद अंतर्वाह				
9	प्रतिभूत उधार [उदा. रिवर्स रेपो]	5421.21		7071.80	
10	पूर्णता निष्पादित एक्सपोज़र से अंतर्वाह	377.38	377.38	9618.84	2.34
11	अन्य नकद अंतर्वाह	17595.55	11027.92	12135.01	6466.04
12	कुल नकद अंतर्वाह	23394.14	11405.30	28825.65	6468.38
21	कुल एच क्यू एल ए		16058.23		21830.72
22	कुल निवल नकद प्रवाह		5485.71		10642.71
23	तरलता कवरेज अनुपात [%]		292.73		205.12
नोट : आंकड़े सिर्फ खाली एवं हल्के ग्रे बॉक्स में ही लिखे जाएं ।					

*अनिर्धारित मूल्य (औसत) को प्रबंधन के द्वारा प्रदान किया गया है एवं लेखा परीक्षकों के द्वारा प्रमाणित किया गया है।

एल.सी.आर के बारे में गुणात्मक प्रकटीकरण

बेसल III पूंजी विनियमन चरणबद्ध तरीके से 1 अप्रैल 2013 से लागू हुए हैं एवं दिनांक 31 मार्च 2019 तक पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। आगे भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी बेसल III चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) को लागू किया है जिसे कि भारत में बैंकों द्वारा दिनांक जनवरी 2015 से लागू किया जाएगा एवं इसका सम्पूर्ण रुप से कार्यान्वयन 1 जनवरी 2019 तक प्रभावी होगा। एलसीआर इस सुनिश्चितीकरण द्वारा कि बैंकों के पास पिछले 30 दिनों के हेतु तीव्र तनाव परिदृश्य को वहन करने के लिए बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में संभावित तरलता अवरोध हैं को बैंक के लघु अवधि के लचीलापन को बढ़ावा देते हैं। बैंकों हेतु ट्रांजिशन समय प्रदान करने के लिए वर्ष 2015 के लिए जो कि दिनांक 01 जनवरी 2015 से प्रभावी होगी हेतु न्यूनतम अपेक्षित 60% होगी एवं 1 जनवरी 2019 तक इसे न्यूनतम अपेक्षित 100% तक समान चरणों में बढ़ाया जाएगा।

दिनांक 31.03.2016 तक एलसीआर 292.73% जो कि वर्तमान कैलेंडर वर्ष के लिए भा.रि.बैं. के अनुपर्णी स्तर 70% से ज्यादा हैं। बैंक के पास दिनांक 31.03.2016 उच्च गुणवत्ता का आस्तियों रु 16058.23 करोड़ का एक मजबूत आधार है। बैंक के पास एसएलआर की न्यूनतम अपेक्षाओं से ज्यादा रु 13866.24 करोड़ के मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियां हैं। बैंक के पास आकस्मिक नगदी बहिर्गमन हेतु पर्याप्त चलनिधि है।

22. ऋण पुनर्संरचना रणनीति (एसडीआर):

बैंक ने वर्ष के दौरान रु 2034.09 करोड़ के बकाया निधि आधारित 8 मानक खातों के साथ एसडीआर योजना को लागू करने को अनुमोदित किया है, इसमें से 2 मामलों में बकाया ऋण रु 42.51 करोड़ को एसडीआर योजना के अनुसार इक्विटी शेयरों में बदला जा चुका है।

23. तुलनात्मक आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा गया, पुनः समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया।



	Particulars	2015-16		2014-15	
		Total Unweighted Value* [average]	Total Weighted Value [average]	Total Unweighted Value* [average]	Total Weighted Value [average]
	Cash Inflows				
9	Secured lending [eg. Reverse repos]	5421.21		7071.80	
10	Inflows from fully performing exposures	377.38	377.38	9618.84	2.34
11	Other cash inflows	17595.55	11027.92	12135.01	6466.04
12	Total Cash Inflows	23394.14	11405.30	28825.65	6468.38
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
21	TOTAL HQLA		16058.23		21830.72
22	Total Net Cash Outflows		5485.71		10642.71
23	Liquidity Coverage Ratio [%]		292.73		205.12

*Unweighted values (Average) are provided by the management and relied upon by the Auditors.

Qualitative Disclosure about LCR

Basel III capital regulation has been implemented from April 1, 2013 in phases and it will be fully implemented as on March 31, 2019. Further RBI also introduced Basel III Liquidity Coverage Ratio (LCR) to be implemented by banks in India from January 1, 2015 with full implementation being effective from January 1, 2019. The LCR promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. With a view to provide transition time for banks, the requirement would be minimum of 60% for the calendar year 2015 i.e with effect from January 1, 2015 and rise in equal steps to reach the minimum required level of 100% on January 1, 2019

LCR for the bank as on 31.03.2016 stood at 292.73% which is well above the RBI stipulated level of 70% for the current

calendar year. Bank is having a strong built up of High Quality Liquid Assets at Rs.16058.23 Crore as on 31.03.2016. Bank is having government securities to the worth of Rs.13866.24 Crore in excess to the minimum SLR requirements. Bank is having enough liquidity to meet sudden cash outflows.

22 Strategic Debt Restructuring (SDR)

Bank has approved invocation of SDR scheme in 8 standard accounts with a fund based outstanding of Rs. 2034.09 crore during the year. Out of this, in 2 cases, loans amounting to Rs. 42.51 crore have been converted into Equity Shares in accordance with SDR Scheme

23 Comparative Figures

Previous year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.



इण्डियन ओवरसी बैंक

31-03-2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(रु. '000 में)

	31.03.2016	31.03.2015
परिचालनगत गतिविधियों से नकद प्रवाह		
निवल लाभ / (हानि)	-28 97 32 75	-4 54 32 51
निम्नवत के लिए समायोजन		
एचटीएम निवेशों के लिए ऋण परिशोधन	1 03 86 66	88 36 83
निवेशों के पूनर्मूल्यांकन से हुई हानि	1 53 60	2 53 48 45
नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास	1 96 48 08	1 49 00 08
आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि	-1 24 72	- 1 14 85
आरक्षितियों से अंतरण	16 45 12 95	32 54 42
करों के लिए प्रावधान	4 18 53 35	8 36 34 16
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	67 42 96 42	37 56 47 48
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	-2 49 47 53	- 46 51 23
निवेशों पर मूल्य ह्रास	31 74 38	-5 29 39 06
अन्य मदों के लिए प्रावधान	-11 60 98 29	-2 40 24 67
टियर II पूँजी पर प्रदत्त व्यय	5 69 01 90	6 03 15 81
निक्षेपों में वृद्धि / (ह्रास)	-215 34 48 19	180 72 63 49
उधारियों में वृद्धि / (ह्रास)	98 00 89 69	-70 73 36 51
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (ह्रास)	27 69 13 84	-1 61 35 02
निवेशों में वृद्धि / (ह्रास)	19 83 65 03	-108 79 63 55
अग्रिमों में वृद्धि / (ह्रास)	41 52 38 84	3 69 09 79
अन्य आस्तियों में वृद्धि / (ह्रास)	-37 87 18 46	11 87 78 58
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल)	-3 36 18 88	- 22 01 33
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (क)	-15 51 54 08	59 40 90 36
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह		
नियत आस्तियों की बिक्री / निपटान	9 97 72 59	8 03 11
नियत आस्तियों की खरीद	-12 51 28 13	-1 65 94 46
सहयोगियों में निवेश	-	- 6 37 43
निवेश संबंधी गतिविधियों से निवल नकद (ख)	-2 53 55 54	-1 64 28 78
वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह		
इक्विटी शेयर निर्गम से धनागम	5 71 91 74	-
टियर I एवं II बाँडों का मोचन एवं वृद्धि	-2 00 00 00	10 00 00 00
टियर II बाँडों से विनिर्माण	-6 50 00 00	-2 00 00 00
टियर II पूँजी पर प्रदत्त व्यय	-5 69 13 18	-6 14 58 24
प्रदत्त लाभांश	-	- 72 26 48
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकद (ग)	-8 47 21 44	1 13 15 28
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी (क+ख+ग)		
वर्ष के प्रारंभ में नकद व नकद समतुल्य	-26 52 31 06	58 89 76 86
भा.रि.बैं के साथ नकद व शेष	126 37 77 47	117 35 09 75
बैंकों के साथ शेष और माँग-द्रव्य	122 60 77 16	72 73 68 03
वर्ष के अंत में नकद व नकद समतुल्य		
नकद व भा.रि.बैं के साथ शेष	140 33 49 24	126 37 77 47
बैंकों के साथ शेष और माँग-द्रव्य	82 12 74 33	122 60 77 16
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/ कमी	-26 52 31 06	58 89 76 86

ये विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं।

वाई.सी. जैन

महा प्रबंधक एवं सीएफओ

कृते वर्धमान एंड कं

सनदी लेखाकार,

एफआरएन 004522एस

(सीए. वी. भास्करन)

साझेदार

एम नं. 012202

कृते हरिभक्ति एंड कं. एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन 103523डब्ल्यू

(सीए. जी. एन. रामस्वामी)

साझेदार

एम.नं. 202363

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 27.05.2016

कृते एसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन 009571 एन/ एन 500006

(सीए. एस. सुन्दर रान)

साझेदार

एम नं. 211414

आर कोटीस्वरन

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए वी देवेन एंड कं

सनदी लेखाकार

एफआरएन 000726एस

(सीए. आर. मुरलीधरन)

साझेदार

एम नं. 023283

कृते तलाटी एंड तलाटी

सनदी लेखाकार

एफआरएन 110758डब्ल्यू

(सीए. उमेश एच. तलाटी)

साझेदार

एम. नं. 034834



INDIAN OVERSEAS BANK
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016

Rs. in '000s

	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2015
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit / (Loss)	-28 97 32 75	-4 54 32 51
Adjustments for :		
Amortisation of HTM Investments	1 03 86 66	88 36 83
Loss on Revaluation of Investments	1 53 60	2 53 48 45
Depreciation on Fixed Assets	1 96 48 08	1 49 00 08
Profit / Loss on Sale of Assets	-1 24 72	- 1 14 85
Transfer from Reserves	16 45 12 95	32 54 42
Provision for taxes	4 18 53 35	8 36 34 16
Provision for NPAs	67 42 96 42	37 56 47 48
Provision for Standard Assets	-2 49 47 53	- 46 51 23
Depreciation on Investments	31 74 38	-5 29 39 06
Provision for Other Items	-11 60 98 29	-2 40 24 67
Interest Paid on Tier II Capital	5 69 01 90	6 03 15 81
Increase / (Decrease) in Deposits	-215 34 48 19	180 72 63 49
Increase / (Decrease) in Borrowings	98 00 89 69	-70 73 36 51
Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	27 69 13 84	-1 61 35 02
(Increase) / Decrease in Investments	19 83 65 03	-108 79 63 55
(Increase) / Decrease in Advances	41 52 38 84	3 69 09 79
(Increase) / Decrease in Other Assets	-37 87 18 46	11 87 78 58
Direct Taxes (Net)	-3 36 18 88	- 22 01 33
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	-15 51 54 08	59 40 90 36
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Sale / disposal of Fixed Assets	9 97 72 59	8 03 11
Purchase of Fixed Assets	-12 51 28 13	-1 65 94 46
Investment in Associates	-	- 6 37 43
NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	-2 53 55 54	-1 64 28 78
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Proceeds of Equity Share Issue	5 71 91 74	-
Redemption / Proceeds of Tier I & Tier II Bonds	-2 00 00 00	10 00 00 00
Redemption of Tier II Bonds	-6 50 00 00	-2 00 00 00
Interest Paid on Tier II Capital	-5 69 13 18	-6 14 58 24
Dividend Paid	-	- 72 26 48
NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	-8 47 21 44	1 13 15 28
NET INCREASE / DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A) + (B) + (C)	-26 52 31 06	58 89 76 86
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
Cash & Balances with RBI	126 37 77 47	117 35 09 75
Balances with Banks & Money at Call	122 60 77 16	72 73 68 03
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
Cash & Balances with RBI	140 33 49 24	126 37 77 47
Balances with Banks & Money at Call	82 12 74 33	122 60 77 16
NET INCREASE / DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	-26 52 31 06	58 89 76 86

This Statement has been prepared in accordance with Indirect Method.

Y.C. JAIN

General Manager & CFO

R. KOTEESWARAN

Managing Director & CEO

Vide our Report of Even Date

For **VARDHAMAN & Co**

Chartered Accountants

FRN 004522S

(CA. V. BASKARAN)

Partner

M.No. 012202

For **ASA & ASSOCIATES LLP**

Chartered Accountants

FRN 009571N / N500006

(CA. S. SUNDAR RAJAN)

Partner

M.No.211414

For **A V DEVEN & Co**

Chartered Accountants

FRN 000726S

(CA. R. MURALIDHARAN)

Partner

M.No.023283

For **TALATI & TALATI**

Chartered Accountants

FRN 110758W

(CA. UMESH H. TALATI)

Partner

M.No.034834

For **HARIBHAKTI & Co LLP**

Chartered Accountants

FRN 103523W

(CA. G. N. RAMASWAMI)

Partner

M.No. 202363

Place : Chennai

Date : 27.05.2016



अतिरिक्त प्रकटीकरण:

भारतीय रिजर्व बैंक, नए पूँजी पर्याप्तता प्रेमवर्क बेसल III पर समय - समय पर दिशानिर्देश जारी करता है। दिशानिर्देशों के संबंध में पिलर III अपेक्षाओं के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम लेना बैंकिंग कारोबार का अभिन्न अंग है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में बैंक कई प्रकार का जोखिम लेते हैं। बैंक द्वारा किए गए प्रत्येक लेन देन से बैंक का रिस्क प्रोफाइल बदलता है। सामान्य कारोबार में बैंक के लिए कई जोखिम हैं जैसे उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम भरे कार्यकलापों से रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पूरी जानकारी, स्पष्ट उद्देश्य और समझ के साथ जोखिम उठाया गया है ताकि इसका आकलन और शमन किया जा सके। ऐसी जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए बैंक ने कई जोखिम प्रबंधन उपाय एवं प्रणालियां तैयार की हैं और इन्हें काम में लाया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाए रखा है जिसमें नीतियां, साधन, तकनीक, प्रबोधन प्रक्रियाएं और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) शामिल हैं।

बैंक नियमित आधार पर जोखिम और प्रतिलाभ के बीच उपयुक्त ट्रेड ऑफ प्राप्त करने के जरिए शेरधारकों के मूल्यों को अधिकतम करने और बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। बैंक के जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों में जोखिम की उचित पहचान, उसे मापना, प्रबोधन / नियंत्रण और इसका शमन करना शामिल है ताकि बैंक की समग्र जोखिम फिलॉसफी को प्रतिपादित किया जा सके। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन नीति जोखिम की स्पष्ट समझ और जोखिम की मांग के स्तर पर आधारित है। बैंक का जोखिम एपिटायट जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के उपायों के जरिए प्रदर्शित होता है।

बैंक ने उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन रूपरेखा बैंक में स्थापित कर ली है। निदेशक मंडल की एक उप-समिति, जोखिम प्रबंधन समिति (आरएससीबी) गठित की गई है जो बैंक में ऋण जोखिम, व्यापार जोखिम, परिचालन जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। बैंक ने उधार जोखिम प्रबंधन के लिए ऋण नीति समिति (सीपीसी), बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु अल्को उप समिति, परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), फ्रॉड जोखिम के प्रबंधन हेतु परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन (सतर्कता) समिति तथा सूचना सुरक्षा के प्रबंधन हेतु सूचना सुरक्षा समिति का भी गठन किया है।

बैंक में उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन प्रणाली और व्यवहार के कार्यान्वयन के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में एक पूर्णरूपेण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है जो कारोबार विभागों से अलग है। महा प्रबंधक इस विभाग के प्रभारी हैं जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी मुख्य जोखिम अधिकारी हैं और सभी आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों के लिए संयोजक हैं। विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन में मिड ऑफिस तथा उधार समर्थन सेवाएं

विभाग और सामान्यतः अन्य प्रकार्यात्मक विभाग/ शाखा भी जोखिम प्रबंधन कार्य करते हैं तथा नीति जोखिम सीमा रूपरेखा और आन्तरिक अनुमोदनों के पालन / अनुपालन का प्रबोधन करते हैं। जोखिम प्रबंधकों को क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात किया गया है। विभिन्न एम आइ एस को प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ समन्वयन करने के अलावा वे क्षेत्र स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति में सहभागिता करते हैं।

जोखिम का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए मूल एप्रोच इसके प्रारंभिक बिंदु के जोखिम नियंत्रण करने पर निर्भर करती है। बैंक ने 31.3.2008 से प्रभावी पूँजी पर्याप्तता रूपरेखा (बेसल II) का कार्यान्वयन किया था और ये समय - समय पर भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में प्रेमवर्क के अनुपालन में है। बेसल III दिशानिर्देशों की शुरुआत 01.04.2013 से की गई है और बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार पूँजी का अनुरक्षण कर रहे हैं। बेसल II प्रेमवर्क तीन पारस्परिक सहायक पिलर पर आधारित हैं। संशोधित प्रेमवर्क का पहला पिलर क्रेडिट, मार्केट और परिचालनात्मक जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजी आवश्यकता से संबंधित है। दूसरा पिलर पर्यवेक्षी पुनरीक्षा प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास पर्याप्त पूँजी है ताकि वह अपने कारोबार में सभी प्रकार के जोखिमों का बैंक के जोखिम प्रोफाइल और नियंत्रण वातावरण के साथ शमन कर सकता है। भा.रि.बैं. की अपेक्षा के अनुरूप बैंक ने आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है ताकि वह दूसरे पिलर की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। इस नीति का लक्ष्य उन सभी महत्वपूर्ण जोखिमों का मूल्यांकन प्रथम पिलर जोखिमों के तहत विनियामक निर्धारकों से ऊपर करना है जिसका सामना बैंक करता है और पर्याप्त पूँजी ढाँचा सुनिश्चित करना ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति निरंतर होती रहे।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 02.12.2013 को जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक तनाव जांच / प्रेमवर्क तैयार किया है जिससे अपवादस्वरूप किन्तु संभाव्य घटनाओं के प्रति संगठन की संभाव्य संवेदनशील स्थिति का पता लगाया जा सके। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेषतः बैंक के भौतिक जोखिम एक्सपोजर के संबंध में, आर्थिक मंदी के समय में किसी पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिम की पहचान करने और तदनुसार इसका सामना करने के लिए उचित उपाय करने में सहायक होता है। नीतिगत उपायों के अनुसार बैंक आवधिक रूप से बैंक के तुलन-पत्र पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और आल्को / आरएमसीबी / बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना एवं विनाश से उबरने की योजना बनी है। जीरो डाटा लॉस के लिए 3 वे डी आर, सभी 3 डाटा केन्द्रों पर और केन्द्रीय कार्यालय पर, मल्टीपल एम पी एल एस - वी पी एन हाइ बैंडविड्थ कनेक्शन, वैकल्पिक सेवा प्रदाता से ड्वेल कनेक्टिविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया की स्थापना की गयी है। फायरवॉल और इन्ट्रूजन डिटेक्शन प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है। सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए सूचना प्रणाली सुरक्षा विभाग (आइ एस सेक्यूरिटी) की स्थापना की गयी है ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सके। जबकि आइ एस लेखापरीक्षा अनुभाग बैंक के विभागों और शाखाओं की आवधिक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा की देख-रेख करता है। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रणाली



ADDITIONAL DISCLOSURES

Reserve Bank of India issues guidelines on Basel III Capital Adequacy Framework from time to time. In terms of the guidelines, the following disclosures are made as per the specified Formats under Pillar III requirement:

RISK MANAGEMENT

Risk taking is an integral part of the banking business. Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services based on its risk appetite. Each transaction that the Bank undertakes changes the risk profile of the Bank. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. The objective of risk management is not to prohibit or prevent risk taking activity, but to ensure that the risks are consciously taken with full knowledge, clear purpose and understanding so that it can be measured and mitigated. With a view to managing such risks efficiently and strengthening its risk management systems, the bank has put in place various risk management measures and practices which includes policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder values through achieving appropriate tradeoff between risks and returns. The Bank's risk management objectives broadly cover proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Bank's risk appetite is demonstrated broadly through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Policy Committee (CPC) for the managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO) and ALCO Sub-committee for managing market risk, Operational Risk Management Committee for managing operational risk, Operational Risk management (Vigilance) Committee for managing fraud risk and Information Security Committee for managing Information security.

A full fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. A Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision on risk management in the bank and is the convenor for all the internal risk management committees. The Mid-Office in Risk Management and Credit Support Services Dept., in

particular, and other functional departments / branches in general also carry out the risk management functions and monitor the adherence/compliance to policies, risk limit framework and internal approvals. Risk Managers have been placed at Regional Offices. Apart from coordinating with Risk Management Department, Central Office for submission of various MIS, they participate in Regional Level Credit Approval Committee.

The basic approach to manage risk more effectively lies with controlling the risk at the point of its origination. The bank had implemented the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.3.2008 and is in compliance with the framework, in line with the guidelines issued by the RBI from time to time. Basel III guidelines have been introduced from 01.04.2013, and bank is maintaining capital as per the guidelines. The Basel-II Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the bank has adequate capital to address all the risks in their business commensurate with bank's risk profile and control environment. As per RBI's requirement, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. This policy aims at assessing all material risks to which the bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar risks, and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The bank has formulated a "Stress Testing framework" to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events in line with the guidelines issued by RBI on 2nd December 2013. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly take suitable proactive steps to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests on bank's balance sheet periodically and specific portfolios and places the reports to ALCO/RMCB/Board.

Board approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan is in place. The 3 way data centers have been implemented to facilitate Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centres and Central, Dual connectivity from different alternate service/alternate providers and alternate media for branches have been established. Firewall and Intrusion detection systems have been implemented. Information System Security Department has been established to monitor and analyse the information security incidents to take corrective steps while IS Audit section takes care of the periodical Information Systems Audit of the Bank's department and branches.. The bank has fine tuned the information security systems in accordance with RBI guidelines. Regular DR drills are being conducted every



को बेहतर बनाया है। प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से डी आर ड्रिल आयोजित किया जाता है। नेटवर्क सेक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों द्वारा खतरा विश्लेषण और पेनेट्रेशन टेस्टिंग आयोजित की जाती है।

बेसल II फ्रेमवर्क के तहत परिकल्पित उन्नत पहलों को माइग्रेट करने के लिए बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली व प्रक्रिया को उन्नत बनाने की प्रक्रिया में संलग्न है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून 2013 से प्रभावी लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस दिशानिर्देश में विभिन्न स्तरों पर घरेलू व विदेशी परिचालनों समेत समेकित बैंक परिचालनों की तैयारी व प्रस्तुति शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने प्रणाली व प्रक्रिया तैयार की है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2013 को समाप्त तिमाही से बैंक द्वारा बेसल III पूंजी अनुपात के साथ 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किए जाने के लिए भारत में बेसल III पूंजी विनियामकों के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार इनका अनुपालन कर रहा है।

बेसल II फ्रेमवर्क के तीसरे पिलर का अभिप्राय बाजार अनुशासन से है। बाजार अनुशासन का उद्देश्य, स्तम्भ 1 के तहत उल्लिखित न्यूनतम पूंजी

आवश्यकता और स्तम्भ II के तहत उल्लिखित पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में तालिका डीएफ 1 से 11 (संलग्न) में प्रकटीकरण (मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों) का एक सेट प्रकाशित किया गया है जिससे बाजार के सहभागी अनुप्रयोग की गुंजाइश, पूंजी जाखिम एक्सपोजर जाखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, बैंक की जाखिम प्रोफाइल और पूंजीकरण के स्तर आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना का आकलन कर सकें; (1) अनुप्रयोग की गुंजाइश डीएफ-1, (2) पूंजी पर्याप्तता (डीएफ-2), (3) उधार जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-3), (4) उधार जाखिम: पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण बशर्ते मानकीकृत दृष्टिकोण (डीएफ-4), (5) उधार जोखिम शमन: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-5), (6) प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-6), (7) ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम (डीएफ-7), (8) परिचालन जोखिम (डीएफ-8), (9) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) (डीएफ-9), (10) काउंटर पार्टी उधार जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-10) और (11) पूंजी का संघटन (डीएफ-11)। यह बाजार के सहभागियों को विभिन्न मानदण्डों में बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा।

1. प्रयोज्यता की संभावना और पूंजी पर्याप्तता तालिका डीएफ-1: प्रयोज्यता की संभावना

बैंकिंग समूह का नाम जहां यह रूपरेखा लागू होती है (i) गुणात्मक प्रकटीकरण

निगमन के देश/ इकाई का नाम	क्या इकाई समेकन के लेखाकरण संभावना के अंतर्गत आती है (हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	क्या इकाई समेकन की विनियामक संभावना के अंतर्गत आती है (हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	समेकन की विधि में अंतर के लिए कारणों की व्याख्या	समेकन की संभावना के सिर्फ किसी एक के तहत समेकन किए जाने के कारण की व्याख्या
		बैंक किसी समूह के अंतर्गत नहीं आता है		लागू नहीं		

(क) समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची: लागू नहीं

(ख) लेखाकरण और विनियामक समेकन की दोनों संभावनाओं के तहत समेकन के लिए अविचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

निगमन के देश/ इकाई का नाम	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक ईकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	इकाई के पूंजी लिखतों में बैंक के निवेश के प्रति विनियामक व्यवहार	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)
		बैंक किसी समूह के अंतर्गत नहीं आता है	लागू नहीं		



quarter. To ensure Network security, periodical Vulnerability assessment and Penetration testing exercise are conducted by external experts.

The Bank is also in the process of upgrading its risk management systems and procedure for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel II framework.

Reserve Bank of India has issued final guidelines on Liquidity Risk Management effective from March 2013. The guideline covers preparation and submission of consolidated bank operations including domestic operations and overseas operations separately at various frequencies. The bank has put in place system and procedure in this regard in compliance with the RBI guidelines.

Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ending June 30, 2013. The bank is complying with the same.

The third pillar of Basel-II framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) are published in DF 1 to 11 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (a) scope of application (DF-1), (b) Capital Adequacy (DF-2), (c) Credit Risk: General Disclosures for all banks (DF-3), (d) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardised Approach (DF-4), (e) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-5), (f) Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach (DF-6), (g) Market Risk in Trading Book (DF-7), (h) Operational Risk (DF-8), (i) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-9), (j) General Disclosure for Exposures Related to Counter Party Credit Risk (DF-10) and (k) Composition of Capital (DF (11)). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters.

1.Scope of Application and Capital Adequacy

TABLE DF –1: Scope of application

Name of the Banking Group to which the framework applies
Qualitative Disclosures

Name of the Entity / Country of Incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
		Bank does not belong to any group		Not Applicable		

a. List of group entities considered for consolidation: Not applicable

b. List of Group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the Entity / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of the Bank's investments in the capital instruments of the entity	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
		Bank does not belong to any group	Not Applicable		



(i) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ग) समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

निगमन के देश/ इकाई का नाम (ऊपर 1 (क) में सूचितानुसार)	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)
लागू नहीं			

(घ) सभी अनुषंगियों, जो समेकन की विनियामक संभावना में शामिल नहीं हैं, में पूंजी कमी की कुल राशि, जिसे घटाया गया :

निगमन का देश/ अनुषंगियों का नाम	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	पूंजी कमियाँ
लागू नहीं				

(ङ) बीमा इकाई में बैंक के कुल हित की कुल राशि (उदाहरण - चालू बही मूल्य) जो जाखिम भारित हैं:

निगमन का देश/ बीमा इकाइयों का नाम	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	वोटिंग अधिकार का अनुपात / कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	जोखिम भारित प्रक्रिया बनाम पूर्ण कटौती विधि के इस्तेमाल का विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
लागू नहीं				

(च) बैंकिंग समूह के बीच निधियों या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा: लागू नहीं

तालिका डीएफ-2 पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) द्वारा जारी किए गए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल I) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अप्रैल 1992 में भारत के बैंकों ने पूंजी पर्याप्तता उपाय कार्यान्वित किए। ये उपाय बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत करने और साथ ही पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के मामले में अन्तरराष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यवहारों का अनुपालन करने के लिए किए गए हैं। आरंभ में यह बेसल फ्रेमवर्क उधार जोखिम के लिए पूंजी की समस्या दूर करने के लिए थी जिसे बाद में बाजार जोखिम के लिए पूंजी को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने संगत दिशानिर्देशों का अनुपालन किया।

बाद में बीसीबीएस ने 26 जून 2004 को पूंजी मानकों और पूंजी मापन के अन्तरराष्ट्रीय सम्परिवर्तन, एक परिशोधित फ्रेमवर्क (बेसल II दस्तावेज के रूप में जाना जाता है) जारी किया। व्यापारिक गतिविधियों और दुगुने चूक प्रभावों के उपचार को शामिल करने के लिए नवंबर 2005 में संशोधित फ्रेमवर्क का अद्यतन किया है और इस फ्रेमवर्क के व्यापक रूपांतर को जून 2006 में जारी किया गया। इन दिशानिर्देशों के आधार पर और अन्तरराष्ट्रीय मानकों के साथ निरन्तरता तथा सामंजस्य बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय

रिजर्व बैंक ने 27 अप्रैल 2007 को दिशानिर्देशों जारी किए और बाद में नई पूंजी पर्याप्तता (बेसल II) फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर संशोधन किए गए।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक 31-03-2008 से परिशोधित (बेसल II) फ्रेमवर्क में आ चुका है और बेसल II फ्रेमवर्क की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

बेसल II फ्रेमवर्क उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए कई विकल्प प्रदान करता है। इस फ्रेमवर्क में बैंकों और पर्यवेक्षकों को अपने परिचालनों और वित्तीय बाजार के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण चुनने की अनुमति है। भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक पूंजी का परिकलन करने के लिए उधार जाखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए), बाजार जाखिम के लिए मानकीकृत माप पद्धति (एसएमएम) और परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) अपनाया है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने उधार, बाजार और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी बनाए रखा है।

बैंक ने निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के केंद्रीय कार्यालय में संबंधित आँकड़ों के आधार पर बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी की गणना की है। मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत क्रेडिट जोखिम के लिए पूंजी की गणना में बैंक अपने केन्द्रीय कार्यालय की पोर्टफोलियो से इतर प्रत्येक शाखा से प्राप्त उधारकर्तावार आँकड़ों पर निर्भर



ii. Quantitative Disclosures:

Name of the Entity / Country of Incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Not Applicable			

D. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory

Name of the Subsidiaries / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
Not Applicable				

E. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted:

Name of the insurance entities / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity/ proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method vs. using the full deduction method
Not Applicable				

F. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the Banking Group: Not applicable

Table DF – 2: Capital Adequacy

Qualitative disclosures:

Banks in India implemented capital adequacy measures in April 1992 based on the capital adequacy framework (Basel-I) issued by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time. Such a measure was taken in order to strengthen the capital base of banks and at the same time to make it compliant with the international best practices in the matter of maintaining capital adequacy. Initially the Basel framework addressed the capital for credit risk, which was subsequently amended to include capital for market risk. In line with the guidelines issued by the RBI the bank was compliant with the relevant guidelines.

Subsequently, the BCBS released the "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework" on June 26, 2004. The Revised Framework was updated in November 2005 to include trading activities and the treatment of double default effects and a comprehensive version of the framework was issued in June 2006. Based on these guidelines and to have consistency and to be in harmony with international standards, the RBI has issued guidelines on 27th April 2007

and subsequent amendments on implementation of the New Capital Adequacy (Basel-II) Framework from time to time.

In line with the RBI guidelines, the Bank had migrated to the revised (Basel-II) framework from 31.3.2008 and continues to be compliant with the requirements of Basel-II framework.

Basel-II Framework provides a range of options for determining the capital requirements for credit risk, market risk and operational risk. The Framework allows banks and supervisors to select approaches that are most appropriate for their operations and financial markets. In accordance with the RBI's requirements, the Bank has adopted Standardised Approach (SA) for credit risk, Standardised Measurement Method (SMM) for market risks and Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risk to compute capital. The Bank is maintaining capital for Credit, Market and Operational Risk in line with the RBI guidelines in this regard.

The Bank has computed capital for market risk and operational risk as per the prescribed guidelines at the bank's Central Office, based on the relevant data. In computation of capital for Credit risk under Standardized Approach, the bank has relied upon the borrower-wise data captured from each individual branch besides portfolios held at Central Office of the bank. In all loan types, the credit risk capital computation is done on borrower basis or



है। सभी प्रकार के ऋणों में क्रेडिट जोखिम पूँजी की संगणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में सूचित वर्गीकरण के अनुसार उधारकर्तावार या सुविधा प्रकार आधार पर किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, बैंक ने आंतरिक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो शाखाओं के अग्रिम पोर्टफोलियो के उधार जोखिम के लिए पूँजी के हिसाब को सुलभ करता है और सीबीएस के ज़रिए शाखा स्तर, क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय स्तर पर आवश्यक रिपोर्ट उत्पन्न करता है। पूँजी संगणना के विभिन्न पहलुओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में समन्वयकों के साथ हुई बातचीत के आधार पर फ़ील्ड स्टाफ को आवधिक रूप से आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि पूँजी संगणना में यथार्थता व पर्याप्तता को सुनिश्चित किया जा सके।

सामान्यतः बैंक अपने सम्मुख आने वाले उधार जोखिमों को कम करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। बैंक ने पूँजी राहत प्राप्त करने के लिए उधार जोखिम के लिए पूँजी के परिकलन में उधार जोखिम कमी का प्रयोग किया है। संपाश्विक प्रबंधन व उधार जोखिम कम करने के लिए एक समुचित नीति तैयार की गई है जिसे बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्राप्त है। उधार जोखिम कमी, जोखिम भारित आस्तियों, पात्र पूँजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात के प्रति पूँजी (सीआरएआर) का हिसाब लगाने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देश का अनुसरण किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक कुल जोखिम भारित आस्ति अर्थात जोखिम भारित आस्ति की पूँजी के 9% के न्यूनतम अनुपात को बनाए रखना नियत करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रेमवर्क 5.5% के न्यूनतम सीईटी के साथ 7% न्यूनतम टियर I सीआरएआर के अनुरक्षण की बात करता है। कुल पूँजी (टियर 1 पूँजी + टियर 2 पूँजी) को नियमित आधार पर जोखिम भारित आस्तियों का कम से कम 9% अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार 9% की न्यूनतम सीआरएआर के भीतर टायर 2 पूँजी को अधिकतम 2% तक स्वीकार किया जा सकता है। आरडब्ल्यूए की 5.5% सामान्य इक्विटी टायर I पूँजी के अतिरिक्त, बैंकों को 31.03.2016 से 31.03.2019 तक परिवर्तनीय प्रबन्ध के साथ सामान्य इक्विटी टायर I पूँजी के रूप में आरडब्ल्यूए का 2.5% पूँजी संरक्षण बफर बनाए रखना होता है।

बैंक की समग्र जोखिम प्रोफाइल के समान परिशोधित फेमवर्क के पिलर 2 आवश्यकताओं के उपाय के रूप में बैंक के संबंधित जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने आन्तरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया पर नीति और प्रेमवर्क तैयार किया है। नीति तैयार करते समय बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा ओवरसीज़ परिचालन समेत बैंक की जोखिम प्रवृत्ति, जहाँ कहीं लागू/ प्रासंगिक हो, में निर्धारित अपेक्षाओं को ध्यान में रखा है।

भावी क्रियाकलापों को समर्थित करने के लिए पूँजी की पर्याप्तता के बारे में बैंक ने कारोबार की भावी संवृद्धि के लिए पूँजी की आवश्यकता का आवधिक रूप से आकलन किया है। बैंक द्वारा अनुरक्षित अधिशेष सीआरएआर भावी क्रियाकलापों को समर्थित करने के लिए बफर की तरह काम करेगा। इसके अलावा, टियर I और टियर II पूँजी घटकों में बैंक के पास उपलब्ध हेडरूम, भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पूँजी समर्थन प्रदान करेगा। इस प्रकार बैंक के पूँजी जोखिम का यथेष्ट ध्यान रखा गया है। भारत सरकार, जो बैंक में बड़ा शेयरधारण रखता है, पूँजी पर्याप्तता को बढ़ाने के लिए नई पूँजी को बढ़ावा दे रही है। भविष्य में, बैंक आय को बनाए रखकर तथा बेसल III अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में बाज़ार की शर्तों पर आधारित बाज़ार से नई पूँजी के आधान के ज़रिए उपयुक्त कदम उठाएगा।

बेसल III प्रेमवर्क के अंश के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने लीवरेज अनुपात अवधारणा शुरू की है। लीवरेज अनुपात टियर I पूँजी (कॉमन इक्विटी + अतिरिक्त टियर I) तथा कुल जोखिम (बेसल III के तहत परिभाषितानुसार) का अनुपात है। लीवरेज अनुपात का अनुरक्षण तिमाही आधार पर किया जाना है। प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर संगणना का आधार "पूँजी की परिभाषा (पूँजी उपाय) तथा कुल जोखिम (जोखिम उपाय) पर आधारित है।" भारत में परिचालित बैंकों के लिए तिमाही आधार पर लीवरेज अनुपात तथा 01 अप्रैल 2015 से प्रदत्त टेम्पलेट्स के अनुसार तिमाही आधार पर इसके संघटकों का **प्रकटीकरण** किया जाना अपेक्षित है। पहला प्रकटीकरण 30 जून 2015 को समाप्त तिमाही के लिए किया जाना है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) तथा निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर) जैसी दो न्यूनतम मानकों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किया है। संभाव्य चलस्थितियों से संबंधी बाधाएँ उत्पन्न होने पर 30 दिनों तक गंभीर मौद्रिक तनाव की स्थिति से जूझने के लिए बैंक के पास पर्याप्त उच्च गुणवत्तापूर्ण चल आस्तियों को सुनिश्चित करते हुए एलसीआर बैंको को अल्पकालिक सुदृढ़ता प्रदान करता है। एनएसएफआर नियमित आधार पर वित्तपोषण के और अधिक स्थाई स्रोतों के साथ बैंकों को उनके कार्यकलापों के वित्तपोषण हेतु अनुरोध करके दीर्घकालिक सुदृढ़ता प्रदान करता है। एलसीआर व एनएसएफआर अपेक्षाएँ क्रमशः 1 जनवरी 2015 तथा 1 जनवरी 2018 से बैंकों पर बाध्य होंगी। बैंकों को संक्रमण अवधि प्रदान करने के मद्देनज़र कैलेंडर वर्ष 2015 के लिए अपेक्षा न्यूनतम 60% होगी अर्थात यह 1 जनवरी 2015 से प्रभावी होगी और नीचे दी गई समय सीमा के अनुसार 1 जनवरी 2019 को 100% के न्यूनतम अपेक्षित स्तर को प्राप्त करने के लिए समान चरणों में बढ़ोतरी अपेक्षित है:

	1 जनवरी 2015	1 जनवरी 2016	1 जनवरी 2017	1 जनवरी 2018	1 जनवरी 2019
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%

वर्तमान कैलेंडर वर्ष के लिए 31.03.2016 को बैंक का एलसीआर 292.73% पर रहा जो भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित 70% के स्तर से भली भाँति ऊपर है। 31.03.2016 तक रु. 16058.23 करोड़ के साथ बैंक के पास उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियों का मजबूत आधार है। बैंक के पास सरकारी प्रतिभूतियाँ रु.13866.24 मूल्य की हैं जो न्यूनतम एसएलआर अपेक्षा से अधिक है। बैंक के पास आकस्मिक नकदी बाह्य प्रवाह को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता है।



facility type basis as per the segmentation advised in the RBI guidelines. For this purpose, the Bank has developed in-house software, which enables computation of capital for credit risk of the advances portfolio of the branches and generation of the requisite reports at the Branch level, Regional Office level and Central Office level through CBS System. Necessary training is imparted to the field staff periodically on various aspects of capital computation and close interactions held with the coordinators at Regional Offices, to ensure accuracy and adequacy of data in capital computation.

Banks generally use a number of techniques to mitigate the credit risk to which they are exposed. The Bank has also used the Credit Risk Mitigation in computation of capital for credit risk in order to get capital relief. A well articulated policy on Collateral Management and Credit Risk Mitigation duly approved by the bank's Board is put in place. The Bank has followed the RBI guidelines in force to arrive at the credit risk mitigation, risk weighted assets, eligible capital and Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR).

RBI has prescribed that banks are required to maintain a minimum total capital (MTC) of 9% of total risk weighted assets (RWAs) i.e. capital to risk weighted assets (CRAR). The framework issued by RBI prescribes maintenance of a minimum Tier-1 CRAR of 7% with a minimum CET 1 of 5.5%. Total Capital (Tier 1 Capital plus Tier 2 Capital) must be at least 9% of RWAs on an ongoing basis. Thus, within the minimum CRAR of 9%, Tier 2 capital can be admitted maximum up to 2%. In addition to the minimum Common Equity Tier 1 capital of 5.5% of RWAs, banks are also required to maintain a capital conservation buffer (CCB) of 2.5% of RWAs in the form of Common Equity Tier 1 capital with a transitional arrangement from 31.03.2016 to 31.03.2019.

The Bank has put in place a policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and the framework in consideration of the relevant risk factors of the bank as a measure towards adequacy of capital available to meet the residual risk as part of Pillar 2 requirements of the revised framework commensurate with the bank's overall risk profile. In framing the policy the bank has taken into consideration the requirements prescribed by the RBI in their guidelines and bank's risk appetite.

As regards the adequacy of capital to support the future activities, the bank draws assessment of capital requirements periodically taking into account future growth of business. The surplus CRAR maintained by the bank acts as a buffer to support the future activities. Moreover, the headroom available to the bank in the Tier-1 and Tier-2 capital components provides additional capital support to meet the future needs. Thereby, the capital risk of the bank is adequately addressed. Government of India, which is the major share holder in the bank, has been subscribing fresh capital to augment capital adequacy. In future, the bank shall take suitable steps to augment the capital by retention of earnings and through infusion of fresh capital from the market depending upon the market conditions in order to meet the Basel III requirements.

As part of Basel III framework RBI has introduced Leverage Ratio concept. The leverage ratio is the ratio of Tier-1 capital (Common Equity + Additional Tier I) and total exposure (as defined under Basel III). The leverage ratio has to be maintained on a quarterly basis. The basis for calculation at the end of each quarter is "based on the definition of capital (the capital measure) and total exposure (the exposure measure). Banks operating in India are required to make disclosure of the leverage ratio on quarterly basis and its components from April 1, 2015 on a quarterly basis as per the templates given. First disclosure required to be made for the quarter ending June 30, 2015.

RBI has issued guidelines on two minimum standards Viz. Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) for funding liquidity. The LCR promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The NSFR promotes resilience over longer term time horizons by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. The LCR and NSFR requirement would be binding on banks from January 1, 2015 and January 1, 2018 respectively. With a view to provide transition time for banks, the requirement would be minimum of 60% for the calendar year 2015 i.e with effect from January 1, 2015 and rise in equal steps to reach the minimum required level of 100% on January 1, 2019 as per the time line given below:

	January 1, 2015	January 1, 2016	January 1, 2017	January 1, 2018	January 1, 2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

LCR for the bank as on 31.03.2016 stood at 292.73% which is well above the RBI stipulated level of 70% for the current calendar year. Bank is having a strong built up of High Quality Liquid Assets at Rs.16058.23 Crore as on 31.03.2016. Bank is having government securities to the worth of Rs.13866.24 Crore in excess to the minimum SLR requirements. Bank is having enough liquidity to meet sudden cash outflows.



मात्रात्मक प्रकटीकरण	
क) उधार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता	
☐ मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार पोर्टफोलियो	14702.04
☐ प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य
ख) बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
-ब्याज दर जोखिम	779.21
-विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण मिलाकर)	5.51
-इक्विटी जोखिम	573.64
ग) परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता	
• मूल संकेतक दृष्टिकोण	1107.51
घ) कुल व टियर I पूंजी अनुपात	
• कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर)	9.66%
• कुल सीआरएआर (विवेकपूर्ण फ्लोर के लागू होने पर)	9.66%
• कुल टियर I पूंजी अनुपात (टियर I सीआरएआर)	7.75%
• सामान्य इक्विटी टियर-I पूंजी अनुपात	7.10%

तालिका डीएफ-3

उधार जोखिम : सभी बैंकों के लिये सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

उधार जोखिम उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में हास से जुड़ी हानियों की संभावना है। बैंक के पोर्टफोलियो में उधार जोखिम अधिकांशतः बैंक के उधार क्रियाकलापों तथा बैंक के निवेश संबंधी कार्यकलापों से उत्पन्न होता है यदि उधारकर्ता/प्रतिपक्षी ऋणदाता/ निवेशक के प्रति अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाता है। यह उधारकर्ता या प्रतिपक्षियों की उधार गुणवत्ता / साख में संभाव्य परिवर्तनों से उत्पन्न होता है। उधार जोखिम में काउंटर पार्टी जोखिम और देश जोखिम भी शामिल हैं।

उधार रेटिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया

बैंक उधारकर्ता और पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम के निरन्तर मापन व प्रबोधन के ज़रिए अपने उधार जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंक में मजबूत आंतरिक उधार रेटिंग फ्रेमवर्क और सुस्थापित मानकीकृत उधार मूल्यांकन/ अनुमोदन प्रक्रिया है। उधार रेटिंग एक उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो बैंक को प्रस्ताव के गुणों और अवगुणों के मूल्यांकन में सहायक है। यह निर्णय लेने में सहायक साधन है जो किसी उधार प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर विचार करने में बैंक की सहायता करती है।

रेटिंग मॉडल फैक्टर गुणात्मक और मात्रात्मक, प्रबंधन जोखिम, व्यापार जोखिम, उद्योग जोखिम, वित्तीय जोखिम, परियोजना जोखिम (जहाँ कहीं लागू हो) और सुविधा जोखिम से संबंधित आंतरिक रेटिंग कारक हैं। उद्योग जोखिम आंकड़े बाजार की परिस्थितियों के आधार पर निरन्तर अद्यतन किए जाते हैं।

एक धारणा के रूप में उधार रेटिंग बैंक के अन्दर अच्छी तरह अन्तर्निहित हो

गया। मजबूत उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार के उपाय के रूप में बैंक ने ऋण रेटिंग प्रक्रिया की तीन टियर प्रणाली कार्यान्वित की है जिसमें निर्धारित स्तरों पर उधार रेटिंग के वैधीकरण के लिए जो उच्चतर दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए आवश्यक उधारकर्ताओं के लिए बिना किसी पक्षपात के रेटिंग करने की दृष्टि से उधार विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। बैंक के प्रधान कार्यालय के अधिकार के अन्दर आनेवाले प्रस्तावों के लिए रेटिंग का वैधीकरण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है। उधार रेटिंग का लाभ यह है कि इससे जोखिम के आधार पर विभिन्न प्रस्तावों का प्रवर्गीकरण किया जाता है और अर्थपूर्ण तुलना की जा सकती है।

बैंक ऋणों तथा अग्रिमों की मंजूरी के लिए एक सुस्पष्ट परिभाषित बहु स्तरीय विवेकाधिकार संरचना का अनुसरण करता है। शाखा प्रबंधकों को विशिष्ट मंजूरी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी) के अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर केन्द्रीय कार्यालय की शक्तियों के अधीन / अंतर्गत ऋण प्रस्तावों की मंजूरी पर विचार करने के लिए बैंक ने तीन समितियों यथा ए) प्र.नि. व मु.का. अधि. की अध्यक्षता वाली ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी) बी) कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति (एचएलसीसी-ईडी) तथा सी) प्रदत्त शक्तियों के साथ वरिष्ठतम महाप्रबंधकों की अध्यक्षता वाली प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति (एचएलसीसी-जीएम) का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त ऋण प्रस्तावों की मंजूरी हेतु प्रदत्त शक्तियों के साथ अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में अंचल स्तरीय ऋण समितियों (जेडएलसीसी) तथा क्षेत्रीय प्रमुख की अध्यक्षता में क्षेत्र स्तरीय ऋण समितियों (आरएलसीसी) का गठन किया गया है। परिणामतः शाखा प्रमुखों से इतर कोई भी कार्यपालक वैयक्तिक स्तर पर ऋण प्रस्तावों की मंजूरी हेतु विवेकाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है।



Quantitative disclosures	
a) Capital requirements for credit risk - Portfolios subject to standardised approach - Securitisation exposures	14702.04 Nil
b) Capital requirements for market risk: Standardised duration approach - Interest rate risk - Foreign Exchange risk (including gold) - Equity risk	779.21 5.51 573.64
c) Capital requirements for operational risk Basic indicator approach	1107.51
d) Total and Tier 1 capital ratio: - For the top consolidated group; and - Total Capital Ratio (CRAR) - Total CRAR (Subject to application of Prudential Floor) - Total Tier I Capital Ratio (Tier I CRAR) - Common Equity Tier-I Capital Ratio	9.66% 9.66% 7.75% 7.10%

Table DF-3

CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES FOR ALL BANKS

Qualitative disclosures:

Credit Risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties. In a Bank's portfolio, Credit Risk arises mostly from lending and investment activities of the Bank if a borrower / counter party is unable to meet its financial obligations to the lender/investor. It emanates from changes in the credit quality/worthiness of the borrowers or counter parties. Credit risk also includes counter party risk and country risk.

Credit rating and Appraisal Process:

The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has a robust internal credit rating framework and well-established standardized credit appraisal / approval process. Credit rating is a facilitating process that enables the bank to assess the inherent merits and demerits of a proposal. It is a decision enabling tool that helps the bank to take a view on acceptability or otherwise of any credit proposal.

The rating models factor quantitative and qualitative attributes relating to Risk components such as Industry Risk, Business Risk, Management Risk, Financial Risk, Project risk (where applicable) and Facility Risk etc. The data on industry risk is regularly updated based on market conditions.

Credit rating as a concept has been well internalized within the bank. As a measure of robust credit risk management

process, the bank has implemented a tiered system for validation of credit ratings at specified levels which is independent of credit departments, in order to draw unbiased rating for borrowers necessary for moving to advanced approaches. In respect of proposals falling under powers of Bank's Central Office, the validations of ratings are done at Risk Management Dept. The advantage of credit rating is that it enables to rank different proposals based on risk and do meaningful comparisons.

The bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans and advances. Specific Sanctioning Powers have been delegated to Branch Managers. In addition to the Management Committee of the Board (MCB), the bank has constituted three committees such as (a) Credit Approval Committee (CAC) headed by MD & CEO, (b) Head Office Level Credit Approval Committee headed by Executive Director (HLCCED) and (c) Head Office Level Credit Approval Committee headed by senior most General Manager (HLCCGM) with delegated powers to consider sanction of credit proposals falling under Central Office powers at different levels. Further, Zonal Level Credit Committees (ZLCC) headed by the Zonal Head and Regional Level Credit Committees (RLCC) headed by the Regional Head have also been formed at all Zonal Offices and Regional Offices with suitable delegated power for sanction of credit proposals. Consequently, no Executives beyond Branch Heads exercise any discretionary powers for sanction of credit proposals at individual level.



बैंक द्वारा आरंभ किए गए नए उत्पाद अनुमोदन के लिए बोर्ड/ आरएमसीबी के समक्ष रखने के पहले, उनमें निहित जोखिम प्रकार पर आधारित केन्द्रीय कार्यालय स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा जांचे जाते हैं।

उधार जोखिम प्रबंधन नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुसंरचित ऋण नीति और उधार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। इस नीति में संगठन की संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्व और उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जहाँ बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण जोखिम को पहचाना जा सकता है, उसकी मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है और प्रेमवर्क के अंदर प्रबंधन किया जा सकता है जिसे बैंक अपने अधिदेश और जोखिम सहन करने की क्षमता के साथ निरन्तर जोखिम मानता है। उधार जोखिम का प्रबोधन बैंक द्वारा बैंक वाइड आधार पर किया जाता है और बोर्ड/ आरएमसीबी द्वारा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। उधार नीति समिति (सीपीसी) बैंक की जोखिम वहन क्षमता को हिसाब में लेती है और तदनुसार सुरक्षा, तरलता, विवेकपूर्ण मानदण्डों, एक्सपोजर सीमाओं से संबंधित मामलों को संभालती है।

बैंक में उत्कृष्ट उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार स्थापित करने के लिए उपाय किए हैं। ऋण नीति व उधार जोखिम प्रबंधन नीति के अतिरिक्त बैंक ने निधि व निवेश नीति, प्रतिपक्षी जोखिम प्रबंधन नीति और देशीय जोखिम प्रबंधन नीति आदि भी तैयार की है जो बैंक में उधार जोखिम के प्रबोधन का अभिन्न भाग है। इसके अतिरिक्त बैंक ने संपार्श्विक प्रबंधन और उधार जोखिम कम करने की नीति भी कार्यान्वित की है जो बैंक द्वारा सामान्यतः स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों (प्रधान और संपार्श्विक) के विवरण और बैंक के हित की रक्षा के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन के विवरण निर्धारित करती है। वर्तमान में, कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियाँ उन उधार जोखिमों (पूँजी संगणना में), जिनमें बैंक का जोखिम निहित है, के प्रति रोकथाम का काम करती हैं।

अनर्जक खातों का वर्गीकरण :

अनर्जक खातों के वर्गीकरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकसम्मत दिशानिर्देशों का बैंक पालन करता है।

(रु. करोड़ में)

मात्रात्मक प्रकटीकरण		2015-16
क	कुल सकल उधार जोखिम एक्सपोजर,	
	निधि आधारित	254018.62
	गैर निधि आधारित	23736.99
ख	प्रकटीकरण का भौगोलिक वितरण	
	• देशीय	
	निधि आधारित	155428.30
	गैर निधि आधारित	33605.53
	• विदेशी	
	निधि आधारित	17298.40
	गैर निधि आधारित	2592.84



The new products introduced by bank are examined by the head office level risk management committee depending upon the type of risks involved in the new product / process before being placed to RMCB/Board for approval.

Credit Risk Management Policies

The bank has put in place a well-structured loan policy and credit risk management policy duly approved by Board. The policy document defines organizational structure, role and responsibilities and processes whereby the Credit Risk carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance. Credit risk is monitored by the bank on a bank-wide basis and compliance with the risk limits approved by Board / RMCB is ensured. The Credit Policy Committee (CPC) takes into account the risk tolerance level of the Bank and accordingly handles the issues relating to Safety, Liquidity, Prudential Norms and Exposure limits.

The bank has taken earnest steps to put in place best credit risk management practices in the bank. In addition to Loan Policy and Credit Risk Management Policy, the bank has also framed Funds and Investment Policy, Counter Party Risk Management Policy and Country Risk Management Policy etc., which forms integral part of monitoring of credit risk in the bank. Besides, the bank has implemented a policy on collateral management and credit risk mitigation which lays down the details of securities (both prime and collateral) normally accepted by the Bank and administration of such securities to protect the interest of the bank. Presently, some select securities act as mitigation against credit risk (in capital computation), to which the bank is exposed.

Classification of Non Performing Accounts:

The bank follows the prudential guidelines of RBI for classification of NPA accounts.

(Rs. in Crore)

Quantitative Disclosures	2015-16
a) Total gross credit risk exposures:	
Fund based	254018.62
Non fund based	23736.99
b) Geographic distribution of exposures,	
• Domestic	
Fund based	155428.30
Non Fund based	33605.53
• Overseas	
Fund based	17298.40
Non Fund based	2592.84



ग	प्रकटीकरण के औद्योगिक प्रकार का वितरण, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित अलग-अलग	संलग्न
घ	आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन	संलग्न
ड.	एनपीए (सकल) की राशि	30048.63
	• अवमानक	12919.65
	• संदिग्ध (डी1, डी2, डी3)	21619.14
	• हानि	1982.78
च	निवल एनपीए	19212.57
छ	एनपीए अनुपात	
	• और सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	17.40%
	• निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	11.89%
ज	एनपीए का प्रचालन (सकल)	
	• प्रारंभिक शेष	14922.45
	• जोड़	20998.38
	• घटाव	5872.20
	• अन्तिम शेष	30048.63
झ	एनपीए के लिए प्रावधानों का प्रचालन	
	• प्रारंभिक शेष	4457.20
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	7348.26
	• अत्यधिक प्रावधान बट्टे खाते में डालना/ प्रतिलेखन	2062.08
	• अन्तिम शेष	9743.38
ञ	अनर्जक निवेशों की राशि (बही मूल्य)	247.91
ट	अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	158.16
ठ	निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान का उतार-चढ़ाव	
	• प्रारंभिक शेष	422.45
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	158.16
	• अत्यधिक प्रावधान बट्टे खाते में डालना/ प्रतिलेखन	143.87
	• अन्तिम शेष	436.74

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन

(रु. करोड़ में)

दिन 1	2-7 दि	8-14 दि	15-28 दि	29दि -3 म	3-6 म	6म -1 वर्ष	>1 से 3 वर्षों	> 3 से 5 वर्षों	> 5 वर्षों
12495.57	11563.14	5402.90	3985.67	33115.50	18668.38	29887.87	70957.82	22712.94	54519.86



c)	Industry type distribution of exposures, fund based and non-fund based separately.	Annexed
d)	Residual contractual maturity breakdown of assets	Annexed
e)	Amount of NPAs (Gross)	30048.63
	• Substandard	12919.65
	• Doubtful (D1, D2, D3)	21619.14
	• Loss	1982.78
f)	Net NPAs	19212.57
g)	NPA Ratios	
	• Gross NPAs to gross advances	17.40%
	• Net NPAs to net advances	11.89%
h)	Movement of NPAs (Gross)	
	• Opening balance	14922.45
	• Additions	20998.38
	• Reductions	5872.20
	• Closing balance	30048.63
j)	Movement of provisions for NPAs	4457.20
	• Opening balance	7348.26
	• Provisions made during the period	2062.08
	• Write off / Write back of excess provisions	9743.38
	• Closing balance	247.91
k)	Amount of Non-Performing Investments (Book Value)	158.16
l)	Amount of provisions held for non-performing investments	
m)	Movement of provisions for depreciation on investments	
	• Opening Balance	422.45
	• Provisions made during the period	158.16
	• Write-off / Write-back of excess provisions	143.87
	• Closing Balance	436.74

Residual contractual Maturity break down of Assets

(Rs. in Crore)

Day 1	2-7D	8-14D	15-28D	29D-3M	3-6M	6M-1Year	>1 to 3 years	>3 to 5 years	>5 years
12495.57	11563.14	5402.90	3985.67	33115.50	18668.38	29887.87	70957.82	22712.94	54519.86



उद्योगवार एक्सपोजर

(रु.करोड़ों में)

उद्योग का नाम	बकाया
खान व क्वेरियिंग	1854.29
खाद्य प्रसंस्करण	2580.31
उनमें से चीनी	1059.84
उनमें से खाद्य तेल और वनस्पति	1108.90
उनमें से चाय	41.47
तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	565.27
सूती वस्त्र उद्योग	3388.59
जूट वस्त्र उद्योग	68.82
हस्तशिल्प / खादी (गैर प्राथमिक)	198.31
अन्य वस्त्र उद्योग	2043.87
चमड़ा और चमड़ा उद्योग	490.21
लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	248.46
कागज और कागज उत्पाद	1936.02
पेट्रोलियम (गैर -इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर -खनिज) एवं नाभिकीय ईंधन	420.70
रसायन व रसायन उत्पाद (डाइ, पेन्ट्स आदि)	2138.06
उनमें से उर्वरक	204.75
उनमें से औषधि और फार्मास्युटिकल	710.97
उनमें से अन्य	1222.34
रबर प्लास्टिक और रबर उत्पाद	1126.24
ग्लास और ग्लासवेयर	98.49
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	1527.10
लौह एवं स्टील	11983.77
अन्य धातु व धातु उत्पाद	2760.30
सभी इन्जीनियरिंग	4991.48
उसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	368.56
वाहन ,वाहन के भाग, परिवहन साधन	3235.71
बहुमूल्य रत्न व आभूषण	1055.75
निर्माण	856.43
इन्फ्रास्ट्रक्चर	25371.99
उसमें से रोडवेज़	7906.17
उसमें से ऊर्जा	14349.18
उनमें से दूर संचार	1462.37
अन्य उद्योग	568.30
शेष सकल अग्रिमों के प्रति अवशिष्ट अग्रिम	103218.23
उनमें से उड्डयन क्षेत्र को	1480.47
कुल ऋण और अग्रिम	172726.70



INDUSTRY WISE EXPOSURES

Industry Name	Outstanding
Mining and quarrying	1854.29
Food Processing	2580.31
Of which Sugar	1059.84
Of which Edible Oils and Vanaspati	1108.90
Of which Tea	41.47
Beverages and Tobacco	565.27
Cotton Textiles	3388.59
Jute Textiles	68.82
Handicraft/ Khadi (Non Priority)	198.31
Other Textiles	2043.87
Leather and Leather Products	490.21
Wood and Wood Products	248.46
Paper and Paper Products	1936.02
Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	420.70
Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.,)	2138.06
Of which Fertilisers	204.75
Of Which Drugs and Pharmaceuticals	710.97
Of which Others	1222.34
Rubber, Plastic and their products	1126.24
Glass & Glassware	98.49
Cement and Cement Products	1527.10
Iron and Steel	11983.77
Other Metal and Metal Products	2760.30
All Engineering	4991.48
Of which Electronics	368.56
Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	3235.71
Gems and Jewellery	1055.75
Construction	856.43
Infrastructure	25371.99
Of which Roadways	7906.17
Of which Energy	14349.18
Of which Telecommunications	1462.37
Other Industries	568.30
Residuary Other Advances to balance Gross Advances	103218.23
Of which Aviation Sector	1480.47
Total Loans and Advances	172726.70



तालिका डी एफ-4

उधार जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

सामान्य सिद्धान्त

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने से उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन के लिए बेसल III पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के मानकीकृत दृष्टिकोण को अपना लिया है। पूंजी के परिकलन में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार जोखिम भारों को विभिन्न आस्ति प्रवर्गों में आबंटित कर दिया है।

मानकीकृत उपागम के तहत क्रेडिट जोखिम हेतु पूंजी की गणना के लिए व्यक्तिगत / प्रत्येक ऋणों को लिया गया है जहाँ पर एक्सपोज़र पूरी तरह से प्रतिभूतित हैं जैसे आभूषण ऋण, सावधिक जमाएं/ उपलब्ध जीवन बीमा पॉलिसी इत्यादि, चूंकि उच्च लाभप्रदता के कारण उचित मार्जिन लागू करने के बाद न्यूनीकरण उपलब्ध एक्सपोज़र से होता है इसलिए ये लोन उपलब्ध उधार जोखिम शामक (सीआरएम) के विरुद्ध पूर्णतः नेटोड होते हैं।

बाहरी उधार रेटिंग

पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल III) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को देखते हुए बाहरी उधार रेटिंग एजेंसियों (ईसीआरए) द्वारा उधारकर्ताओं की रेटिंग का महत्व बढ़ गया है। बाहरी रेटिंग के आधार पर कॉर्पोरेट / पीसीई / प्राइमरी डीलरों को एक्सपोज़र को जोखिम भार आबंटित किया गया है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को छः देशीय ईसीआरए जैसे उधार विश्लेषण और शोध लि.(सीएआरई), क्रिसिल लि, फिच इंडिया (इंडिया रेटिंग्स के रूप में पुनर्नामित) लि. और इकरा लि., ब्रिकवर्क्स रेटिंग सर्विसेज़ लि. और छोटे एवं मध्यम उद्यम रेटिंग एजेंसी लि. (एसएमईआरए) की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति दी है।

उपरोक्त के मदेनजर बैंक ने पूंजी राहत के उद्देश्य से इन सभी ईसी आर ए द्वारा प्रदत्त रेटिंग को स्वीकार करने का निर्णय किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग बही में तुलनात्मक आस्ति पर पब्लिक ईश्यू की मैपिंग के लिए प्रावधान किया है। तथापि यह विशेष प्रावधान उधार जोखिम पूंजी की गणना में नहीं लिया जाता है।

बैंक पूंजी परिकलन उद्देश्यों के लिए केवल सॉलिसिटेड बाहरी रेटिंग्स का उपयोग करता है। उधारकर्ता अपनी रेटिंग के लिए स्वयं की इच्छा पर उक्त ईसीआरए में से किसी एक या अधिक से संपर्क कर सकता है। 15 महीनों के

दौरान दी गई नई या पुनरीक्षित रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूंजी के अभिकलन के लिए हिसाब में लिया जाता है। जहां कहीं किसी उधारकर्ता को बाहरी उधार रेटिंग एजेंसी से एक या अधिक रेटिंग मिली है, वहां पूंजी के अभिकलन के लिए जोखिम भार के आबंटन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाना है।

आंतरिक क्रेडिट रेटिंग :

किसी उधारकर्ता से जुड़ी हुई उधार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बैंक में सुसंरचित आन्तरिक उधार रेटिंग प्रणाली है और तदनुसार प्रस्तावों की स्वीकार्यता और एक्सपोज़र का स्तर तथा कीमत निर्धारण के संबंध में उधार निर्णय लेने के लिए भी प्रणाली है। बैंक ने नए खाते के मामले में प्रवेश स्तर पर रेटिंग निर्धारित किया जाए। प्रवेश स्तर पर से कम रेटिंग वाले खातों पर निर्धारित प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार उच्च प्राधिकारी के द्वारा ही विचार किया जाएगा।

बहरहाल, पूंजी परिकलन के मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत जोखिम भार के अनुप्रयोग के लिए ऐसी रेटिंग को काम में नहीं लाया जा सकता। तदनुसार बैंक ने उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करते समय, बैंक की अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेंसियों द्वारा आबंटित उधारकर्ता की ऋण एक्सपोज़र रेटिंग को कॉर्पोरेट और पीएसई के तहत 31.3.2016 तक लिया है।

कॉर्पोरेट / पीएसई के विशेष निर्गमों में निवेश के मामले में अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेंसी की किसी निर्गम विशेष के लिए रेटिंग को हिसाब में लिया जाता है और तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई रेटिंग स्केल की समवर्ती वित्तीय स्थिति के बाद जोखिम भार का अनुप्रयोग किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विदेश में दिए गए उधारों के पूंजी परिकलन के उद्देश्य से फिच, मूडीस और एस एण्ड पी अन्तरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों, जो भी उपलब्ध हो, द्वारा आबंटित रेटिंग का प्रयोग किया गया है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूंजी के परिकलन के अनुरूप बाहरी रेटिंग द्वारा भारत में एक्सपोज़र के कवरेज के संबंध में प्रक्रिया को उधारकर्ताओं के बीच प्रचलित किया जाना है ताकि अपने ग्राहकों की बेहतर रेटिंग के लिए उपलब्ध पूंजी राहत लाभ उठाया जा सके। उधारकर्ताओं द्वारा अपने कारोबार विकास के लिए बाहरी रेटिंग को अवसर के रूप में विचार करना चाहिए।



Table DF-4

**CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS
SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH**

Qualitative disclosures:

General Principle:

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted Basel II Capital Adequacy Framework for computation of capital for credit risk. In computation of capital, the bank has assigned risk weight to different asset classes as prescribed by the RBI from time to time.

In computation of capital for Credit risk under Standardised Approach, individual exposures are captured. Where the exposures are fully secured such as Jewel Loans, Loans against Term deposits/approved insurance policies etc, these loans are fully netted against available credit risk mitigants (CRM), as the mitigation higher than the exposure is available after applying the applicable hair cut due to higher margin prescription.

External Credit Ratings:

Ratings of borrowers by External Credit Rating Agencies (ECRA) assume importance in the light of Guidelines for implementation of the Basel II Capital Adequacy Framework. Exposures on Corporates / Public Sector Enterprises/ Primary Dealers are assigned with risk weights based on available external ratings. For this purpose, the Reserve Bank of India has permitted Banks to use the ratings of six domestic ECRA's viz. Credit Analysis and Research Ltd (CARE), CRISIL Ltd, FITCH India (renamed as India Ratings) and ICRA Ltd, Brickworks Rating Services India Ltd and Small and Medium Enterprises Rating Agency Ltd (SMERA)

In consideration of the above, the Bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRA's for capital relief purpose. The RBI has provided for mapping public issue ratings on to comparable assets into banking book. However, this particular provision has not been taken into account in Credit Risk Capital Computation.

The bank uses only solicited external ratings for capital computation purpose. Borrowers at their option can

approach any one or more of the above ECRA's for their rating. External ratings assigned fresh or reviewed during the previous 15 months are reckoned for capital computation by the bank. Wherever a borrower possesses more than one rating from ECRA's the guidelines prescribed by the RBI are followed as regards to assignment of risk weight for computation of capital.

Internal Credit Rating:

The bank has a well structured internal credit rating mechanism to evaluate the credit risk associated with a borrower and accordingly the systems are in place for taking credit decision as regards the acceptability of proposals and level of exposures and pricing. The bank has prescribed entry level rating in case of new accounts. Accounts with ratings below the entry level can be considered only by higher authorities as per the delegated powers prescribed.

Presently, the internal ratings cannot be used for application of risk weight under Standardised Approach of capital computation. The bank takes into consideration the borrower's loan exposure credit ratings assigned by the approved ECRA's while computing the capital for credit risk as on 31.3.2016 under corporate and PSE segments.

In case of investment in particular issues of Corporates / PSEs, the issue specific rating of the approved ECRA's are reckoned and accordingly the risk weights have been applied after a corresponding mapping to rating scale provided in RBI guidelines.

For the purpose of capital computation of overseas exposures, ratings assigned by the international rating agencies namely Fitch, Moody's and Standard & Poor's are used as per RBI guidelines.

As regards the coverage of exposures in India by external ratings as relevant for capital computation under Standardised Approach, the process needs to be popularized among the borrowers so as to take the benefit of capital relief available for better-rated customers. The borrowers need to consider the external rating as an opportunity for their business development, which would take some time.



प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

वर्गीकरण	कम करने के पश्चात एक्सपोजर (इएएम)	बाहरी रेटिंग के अधीन आवरित इएएम	रेटिंग नहीं की गई
अग्रिम / निवेश			
100% जोखिम भार से कम	101664.35	14542.38	87121.97
100% जोखिम भार	93302.07	10569.80	82732.26
100% जोखिम भार से अधिक	22716.30	1881.84	20834.46
घटाएँ	0.00	0.00	0.00
कुल	217682.72	26994.02	190688.69
अन्य आस्तियाँ			
100% जोखिम भार से कम	25474.15	78.65	25395.50
100% जोखिम भार	8386.51	0.00	8386.51
100% जोखिम भार से अधिक	52.32	0.00	52.32
घटाएँ	0.00	0.00	0.00
कुल	33912.98	78.65	33834.33

तालिका डीएफ - 5

उधार जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए दृष्टिकोण

गुणात्मक प्रकटीकरण

उधार जोखिम को कम करने पर नीति

विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन तथा उधार जोखिम को कम करने के तकनीक पर बहुत ही स्पष्ट नीति बैंक द्वारा बनाई गई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। नीति में बैंक द्वारा ऋण देते समय सामान्यतः स्वीकार की गई प्रतिभूतियों के प्रकार तथा इसके साथ जुड़े हुए जोखिम को कम करने के बारे में उल्लेख है ताकि बैंक के हित की सुरक्षा / रक्षा हो तथा ऐसी प्रतिभूतियों का प्रशासन / प्रबोधन भी हो।

बैंक द्वारा स्वीकार की गई प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक दोनों) के प्रमुख प्रकार में स्वर्ण / आभूषण, किसान विकास पत्र, शेयर व डिबेंचर, केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, जीवन बीमा पॉलिसियाँ, म्यूच्युअल फंड यूनिट, अचल संपत्तियाँ, संयंत्र व मशीनरी, माल तथा वाणिज्य वस्तुएँ, माल के हक-विलेख, बहीगत ऋण, वाहन तथा अन्य चल संपत्तियाँ शामिल हैं जिसमें बैंक की अपनी जमाएँ भी हैं। बैंक ने अचल संपत्तियों और संयंत्र तथा मशीनरियों के मूल्यांकन पर सुस्पष्ट नीति बनाई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करना

क) पात्र वित्तीय संपार्श्विक :

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचितानुसार बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जो उधार जोखिमों के प्रति प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक) को संपूर्ण रूप से ऑफसेट करने के लिए अनुमति देता है जिससे प्रतिभूतियों पर आरोपित मूल्य द्वारा जोखिम राशि को प्रभावी ढंग से घटाया जा सकता है। अतः पात्र

वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों का उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में उधार जोखिम को कम करने के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करते समय बैंक ने विशिष्ट प्रतिभूतियों को मान्यता दी है जैसे क) बैंक जमाएँ ख) स्वर्ण / आभूषण ग) जीवन बीमा पॉलिसी घ) किसान विकास पत्र (2 1/2 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद), जो भारतीय रिज़र्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

ख) ऑन बैलेंस शीट नेटिंग :

उधार जोखिम कम करने की तकनीकों तथा संपार्श्विक प्रबंधन के उपयोग पर बैंक की नीति के अनुसार उधारकर्ता के ऋण/ अग्रिमों के प्रति उपलब्ध जमाओं की हद तक ऑन बैलेंस शीट नेटिंग की गणना की गई है (ऋण की अधिकतम हद तक), जहाँ बैंक ने भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित दस्तावेज के प्रमाण के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार शामिल करते हुए विधिक लागू नेटिंग व्यवस्थाएँ कीं। ऐसे मामलों में पूँजी गणना निवल उधार एक्सपोजर के आधार पर किया जाता है।

ग) पात्र गारंटियाँ:

आगे उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम कम करने के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार इस प्रकार हैं - क) केंद्र सरकार की गारंटी (0%) ख) राज्य सरकार (20%) ग) सीजीटीएसआइ (0%) घ) इसीजीसी (20%) ङ) साख-पत्र के अधीन खरीदे / बट्टे खाते में डाले गए बिलों के रूप में बैंक गारंटी (दिशानिर्देशों के अनुसार देशी और विदेशी दोनों)

बैंक ने उधार जोखिम को कम करने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विधिक निश्चितता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

उधार जोखिम को कम करने में संकेंद्रीकरण जोखिम:

बैंक द्वारा मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूँजी की गणना के लिए कई प्रकार के शामक उपाय वाली नीतियाँ व प्रक्रिया उपलब्ध हैं। उधार जोखिम को कम



Quantitative Disclosures

Classification	Exposure after Mitigation (EAM)	EAM covered under External Rating	Unrated
ADVANCES / INVESTMENT			
Below 100% risk weight	101664.35	14542.38	87121.97
100% risk weight	93302.07	10569.80	82732.26
More than 100% risk weight	22716.30	1881.84	20834.46
Deducted	0.00	0.00	0.00
TOTAL	217682.72	26994.02	190688.69
OTHER ASSETS			
Below 100% risk weight	25474.15	78.65	25395.50
100% risk weight	8386.51	0.00	8386.51
More than 100% risk weight	52.32	0.00	52.32
Deducted	0.00	0.00	0.00
TOTAL	33912.98	78.65	33834.33

Table DF – 5

CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative disclosures:

Policy on Credit Risk Mitigation:

In line with the regulatory requirements, the bank has put in place a well-articulated policy on collateral management and credit risk mitigation techniques duly approved by the bank's Board. The Policy lays down the type of securities normally accepted by the bank for lending and administration/ monitoring of such securities in order to safeguard /protect the interest of the bank so as to minimize the risk associated with it.

The main types of securities (both prime and collateral) accepted by the Bank includes Bank's own deposits, Gold/Ornaments, Kisan Vikas Patras, Shares and debentures, Central and State Govt. securities, Life Insurance Policies, Mutual Fund units, Immovable Properties, Plant and Machinery, Goods and Merchandise, Documents of Title to Goods, Book debts, Vehicles and other moveable assets etc. The bank has also framed a well-defined policy on valuation of immovable properties and Plant and Machineries duly approved by Board.

Credit Risk Mitigation under Standardised Approach:

(a) Eligible Financial Collaterals:

As advised by RBI, the Bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardised Approach, which allows fuller offset of securities (prime and collateral) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value

ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals are fully made use of to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital. In doing so, in line with RBI guidelines, the bank has recognized specific securities viz (a) cash/bank deposits (b) gold/ornaments (c) life insurance policies (d) kisan vikas patras (after a lock in period of 2 ½ years).

(b) On Balance Sheet Nettings:

As per Bank's policy on utilization of the credit risk mitigation techniques and collateral management, on-balance sheet netting has been reckoned to the extent of deposits available against loans/advances of the borrower (maximum to the extent of exposure), where bank has legally enforceable netting arrangements involving specific lien with proof of documentation as prescribed by RBI. In such cases, the capital computation is done on the basis of net credit exposure.

(c) Eligible Guarantees:

Other approved form of credit risk mitigation is availability of "Eligible Guarantees". In computation of credit risk capital, types of guarantees recognized as mitigation, in line with RBI guidelines are (a) Central Government (0%) (b) State Government (20%), (c) CGTMSE (0%) (d) ECGC (20%) (e) Banks in the form of Bills Purchased/discounted under Letters of Credit (both domestic and foreign banks as per guidelines).

The bank has ensured compliance of legal certainty as prescribed by the RBI in the matter of credit risk mitigation.

Concentration risk in credit risk mitigation:

Policies and process are in place indicating the type of



करने के लिए पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ (वित्तीय संपार्श्विक) आसानी से उगाही लायक वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं । वर्तमान में बैंक प्रयुक्त क्रेडिट जोखिम शमन में कोई संकेन्द्रण जोखिम नहीं है और वर्तमान में उधार जोखिम कम करने के माध्यमों में प्रत्येक प्रकार के संपार्श्विक की कोई सीमा/ उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं कि गई है ।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(रु करोड़ में)

प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए , एक्सपोजर (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा हेयर कट के पश्चात् कवर किया गया है ।	17819.84
देशी संप्रभुता	0.00
विदेशी संप्रभुता	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ	13.93
बैंक - अनुसूची(आइ.एन.आर.)	0.00
एफ सी वाइ में विदेशी बैंकों के दावे	0.00
कॉर्पोरेट	2758.38
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आर आर पी)	9572.79
आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूत दावे	30.88
वाणिज्यिक भू संपदा द्वारा प्रतिभूत दावे	114.05
उपभोक्ता ऋण	4954.19
पूँजी बाजार एक्सपोजर	0.69
एन बी एफ सी	25.79
वेंचर पूँजी	0.00
अनर्जक आस्तियाँ - अ) आवास ऋण	0.29
अनर्जक आस्तियाँ - ब) अन्य	115.66
अन्य आस्तियाँ - स्टाफ ऋण	47.10
अन्य आस्तियाँ	124.30
पुनर्संचित खाते	28.54
सी.आर.ई. आरएच द्वारा सुरक्षित दावे	33.06
पुनर्संचित आवास ऋण	0.19

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु करोड़ में)

प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए, एक्सपोजर (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो गारंटियों / उधार डेरिवेटिव से कवर हों (जब कभी भा.रि.बैं. द्वारा विशेष रूप से अनुमत किया जाए)	9311.96
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ	3665.92
कॉर्पोरेट	2464.51
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आर आर पी)	2095.25
पुनर्संचित	1021.72
पूँजी बाजार ऋण	0.00
सीआरई	47.24
सीआरई -आरएच	17.32



mitigants the bank use for capital computation under the Standardised approach. All types of securities (financial collaterals) eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, the bank doesn't envisage any

concentration risk in credit risk mitigation used and presently no limit/ceiling has been prescribed for the quantum of each type of collateral under credit risk mitigation.

Quantitative Disclosures

(Rs. in Crore)

For each separately disclosed credit risk portfolio, the exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by Eligible Financial Collateral after application of haircuts	17819.84
Domestic Sovereign	0.00
Foreign Sovereign	0.00
Public Sector Entities	13.93
Banks – Schedule (INR)	0.00
Foreign Bank claims in FCY	0.00
Corporates	2758.38
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	9572.79
Claims secured by Residential Property	30.88
Claims secured by Commercial Real Estate	114.05
Consumer Credit	4954.19
Capital Market Exposure	0.69
NBFC	25.79
Venture Capital	0.00
Non Performing Assets – a) Housing Loan	0.29
Non Performing Assets – b) Others	115.66
Other Assets – Staff Loans	47.10
Other Assets	124.30
Restructured Accounts	28.54
Claims secured by C.R.E-RH	33.06
Restructured Housing Loan	0.19

Quantitative Disclosures

(Rs. in Crore)

For each separately disclosed credit risk portfolio, the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by guarantees / Credit Derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	9311.96
Public Sector Entities	3665.92
Corporates	2464.51
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	2095.25
Restructured	1021.72
Capital Market Exposure	0.00
CRE	47.24
CRE-RH	17.32



तालिका डीएफ 6

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण क) निम्नलिखित चर्चा को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा • प्रतिभूतिकरण कार्य के संबंध में बैंक का उद्देश्य, इन कार्यों से पूर्वताप्राप्त प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर के उधार जोखिमों को बैंक से अन्य इकाइयों को अंतरित कर देता है। • प्रतिभूत आस्ति में निहित अन्य जोखिमों की प्रकृति (उदाहरणार्थ लिक्विडिटी जोखिम) • प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिका (उदाहरणार्थ ओरिजिनेटर, निवेशक, सेवा प्रदाता, ऋण बढ़ोत्तरी प्रदाता, लिक्विडिटी प्रदाता, स्वैप प्रदाता, प्रतिरक्षा प्रदाता) और इनमें से प्रत्येक में बैंक की सहभागिता की सीमा का सूचक • प्रतिभूतिकरण ऋण के ऋण और बाजार जोखिम में परिवर्तनों की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन (उदाहरणार्थ किस प्रकार अन्डरलाइंग आस्ति प्रतिभूतिकरण ऋण को प्रभावित करता है जैसा कि एन सी ए एफ के मास्टर परिपत्र दिनांकित 1 जुलाई 2009 के पैरा 5.16.1 में परिभाषित किया गया है।) • प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के माध्यम से बनाए रखे गए जोखिम के शमन करने के लिए ऋण जोखिम शमन के प्रयोग को शासित करने वाली बैंक की नीति का वर्णन ख) निम्नलिखित को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण कार्यों के लिए बैंक द्वारा अपनायी गई लेखांकन नीतियों का सार • क्या लेन देन को बिक्री या वित्तपोषण के तौर पर माना जाता है • रखी गई या खरीदी गई स्थिति का मूल्यांकन करने लागू प्रविधि और मुख्य परिकल्पनाएं (इनपुट सहित) • पिछली अवधि से प्रविधि और मुख्य परिकल्पनाओं में परिवर्तन और परिवर्तन का प्रभाव • बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए अपेक्षित व्यवस्था के लिए तुलन पत्र पर देयताओं की पहचान करने के लिए नीतियां ग) प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त ई सी ए आइ के नाम, बैंकिंग बही में और प्रतिभूतिकरण ऋण के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी प्रयुक्त हुई हो। बैंकिंग बही में प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण घ) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत जोखिम की कुल राशि ङ) चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा पहचानी गई हानि जिसे एक्सपोजर के प्रकार (अंडरलाइंग प्रतिभूति द्वारा वर्णित उदाहरणार्थ क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग ऋण, ऑटो ऋण आदि) द्वारा काट दिया गया हो च) एक वर्ष के अंदर प्रतिभूतिकरण हेतु आस्ति की रकम छ) (च) में से प्रतिभूतिकरण से पूर्व एक वर्ष में उत्पन्न आस्ति की रकम ज) एक्सपोजर प्रकार द्वारा काटे गए ऑफ बैलेस शीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर और एक्सपोजर प्रकार द्वारा काटे गए खरीद या रखे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल रकम झ) रखे गए खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल मात्रा व संबंधित पूंजी प्रभार , एक्सपोजर के बीच काटे गए और आगे प्रत्येक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम वेट बैंड में काटे गए *टियर I से पूर्णतः काटे गए एक्सपोजर कुल पूंजी (एक्सपोजर प्रकार से) काटे गए उधार बढ़ोत्तरी आइ / ओ	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए कोई प्रतिभूतिकरण नहीं किया गया है। लागू नहीं
--	---

201



प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण : ट्रेडिंग बही

ज) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की समग्र मात्रा जिसके लिए बैंक ने एक्सपोजर रखा था और जो एक्सपोजर प्रकार द्वारा मार्केट रिस्क एप्रोच के अधीन है।

ट) निम्नलिखित की समग्र मात्रा :

- रखा गया या खरीदा गया ऑन बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण जिसे एक्सपोजर प्रकार द्वारा काटा गया हो
- आफ बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण जिसे एक्सपोजर प्रकार द्वारा काटा गया हो

ठ) निम्नलिखित के लिए अलग से खरीदे गए या रखे गए प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की समग्र मात्रा

- रखा गया या खरीदा गया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर जो विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम माप के अधीन हो और
- प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर जो विभिन्न रिस्क वेट बैंड में काटे गए विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन हो

ड) निम्नलिखित की समग्र मात्रा :

- प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए पूंजी अपेक्षा जो विभिन्न रिस्क वेट बैंड में काटे गए प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन हो
- टियर I पूंजी से पूरी तरह से काटे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, कुल पूंजी से काटे गए आइ / ओ उधार बढ़ोत्तरी और अन्य कुल पूंजी (एक्सपोजर प्रकार द्वारा) से काटे गए अन्य एक्सपोजर

31.03.2016 को
समाप्त वर्ष के लिए
कोई प्रतिभूतिकरण नहीं
किया गया है।

तालिका डीएफ - 7

ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह होता है जिससे बैंक को ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, इक्विटी कीमतें तथा पण्य कीमतें जैसे बाजार वेरियबल्स द्वारा उत्पन्न परिवर्तन / गति के कारण ऑन-बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट स्थिति में हानि होने की संभावना है। बाजार जोखिम से बैंक का एक्सपोजर ट्रेडिंग बुक (एएफएस तथा हेचएफटी वर्गों दोनों) में देशी निवेशों (ब्याज संबंधित लिखतों तथा इक्विटियों), विदेशी विनिमय स्थितियों (बहुमूल्य धातुओं में खुली स्थिति को शामिल करते हुए) तथा ट्रेडिंग से संबंधित व्युत्पन्नों से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अर्जन पर हानि के प्रभाव और इक्विटी पूंजी से उत्पन्न बाजार जोखिम को कम करना है।

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) को लागू किया है ताकि बैंक में बाजार जोखिम का प्रभावपूर्ण प्रबंधन किया जा सके। बाजार जोखिम प्रबंधन को संभालने की अन्य नीतियाँ निधि प्रबंधन व निवेश नीति, व्युत्पन्न नीति हैं फोरेक्स परिचालन व तनाव परीक्षण नीति के लिए जोखिम प्रबंधन नीति है। बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए सुस्पष्ट संगठनात्मक रूपरेखा निर्धारित करती है जिससे बैंक द्वारा उठाए गए बाजार जोखिम एएलएम फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंक की जोखिम छूट के अनुरूप पहचाने, मापे, प्रबोधित किए तथा नियंत्रित किए जाते हैं। इस नीति में विभिन्न जोखिम सीमाएँ गठित हैं जिससे बाजार जोखिम का प्रभावी प्रबंधन होता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उचित आस्ति

देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम से प्राप्य लाभ बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं। नीति में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबोधन के लिए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी संभाला गया है।

एएलएम नीति में विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क का उल्लेख है। नीति द्वारा उल्लिखितानुसार तरलता जोखिम का प्रबंधन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार डाटा कवरेज की उत्तम उपलब्धता के आधार पर दैनिक रूप से आस्ति और देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वता / प्रवृत्तिजन्य पद्धति को आधार बनाकर जीएपी विशलेषण के जरिए किया जाता है। अभी तक संरचनागत तरलता विवरण के माध्यम से तरलता जोखिम की रिपोर्ट आरबीआई को घरेलू परिचालन के लिए की जाती थी वहीं इसे प्रत्येक ओवरसीज केंद्रों पर अलग अलग प्रबंधित किया जाता था तथा अतीत में नियंत्रण के उद्देश्य से आलको(एएलसीओ) में रखा जाता था। हालाँकि भा.रि.बैं. के मार्च 2013 से प्रभावी दिशानिर्देशों के अनुसार तरलता जोखिम की संगणना की जाती है तथा भा.रि.बैं. को रुपए तथा विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों व ओवरसीज केंद्रों के लिए प्रस्तुत किया जाता है और बैंक परिचालन हेतु विभिन्न अंतरालों पर इसका समेकन किया जाता है।

बैंक ने अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि योजना के उपाय बनाये हैं। प्रभावी आस्ति देयता प्रबंधन हेतु पहले चार बकेट के लिए भारिबैं द्वारा और विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता समय बकेट्स के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा विवेकपूर्ण (छूट) सीमाएँ निर्धारित की जाती हैं। बैंक की तरलता प्रोफाइल को विभिन्न तरलता अनुपातों के जरिए मूल्यांकित किया जाता है। बैंक ने विभिन्न आकस्मिक उपायों को गठित किया है ताकि तरलता स्थिति में किसी प्रकार के तनाव को संभाला जा सके। बैंक देशी ट्रेजरी द्वारा निधि के व्यवस्थित तथा स्थिर नियोजन के जरिए रियल टाइम आधार पर पर्याप्त तरलता का प्रबंधन सुनिश्चित करता है।



Quantitative Disclosure: Trading Book

- k) Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank had retained sum exposures and which is subject to market risk approach, by exposure type.
- l) Aggregate amount of:
- On-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; and
 - Off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type.
- m) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for:
- Securitisation exposures retained or purchased subject to comprehensive Risk Measure for specific risk; and
 - Securitisation exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands.
- n) Aggregate amount of:
- the capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands.
 - Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).

No
securitisation
for the year
ended
31.03.2016

Table DF – 7

Market Risk in Trading Book:

Qualitative disclosure:

Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank in on & off-balance sheet position caused by changes/movements in market variables such as interest rate, foreign currency exchange rate, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (Both AFS and HFT categories), the Foreign Exchange positions (including open position, if any, in precious metals) and trading related derivatives. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity capital arising from market risk.

Policies for management of market risk:

The bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of market risk in the bank. Other policies which deal with market risk management are Funds Management and Investment Policy, Derivative Policy, Risk Management Policy for forex operations and Stress testing policy. The market risk management policy lays down well defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the bank are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance. The policies set various risk limits for effective management of market risk

and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policies also deal with the reporting framework for effective monitoring of market risk.

The ALM policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, liquidity risk is managed through GAP analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis based on best available information data coverage as prescribed by RBI. The liquidity risk through Structural Liquidity statement was hitherto reported to RBI for domestic operation while the same was managed separately at each overseas center and placed to ALCO for control purpose in the past. However as per RBI guidelines from March 2013 the liquidity risk is computed and submitted to RBI in rupee and foreign currency for domestic operations, overseas centers and consolidated for Bank operations at various frequencies.

The bank has put in place mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed by RBI for the first four buckets and by Bank's Board for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Liquidity profile of the bank is evaluated through various liquidity ratios. The bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank ensures adequate liquidity management by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.



ब्याज दर जोखिम को संवेदनशील आस्तियों और देयताओं को जीएपी विश्लेषण के प्रयोग से संबंधित और निर्धारित विवेकपूर्ण (छूट) सीमाओं के जरिए प्रबोधित किया जाता है। शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम बनाने की दृष्टि से निवल ब्याज मार्जिन और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए ब्याज दर में प्रतिकूल गति (नीति में निर्धारितानुसार) के प्रति बैंक जोखिम पर अर्जन तथा ड्यूरेशन गैप आशोधन को निर्धारित करता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (ऑलको) / बोर्ड, बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को प्रबोधित करता है और एएलएम नीति में स्पष्ट किए अनुसार बाजार स्थिति (वर्तमान तथा प्रत्याशित) के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। ट्रेजरी विभाग में कार्यरत मध्य कार्यालय समूह भी विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को निरंतर आधार पर प्रबोधित करता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप पूंजी के अनुक्षण के लिए बेसल 1। प्रेमवर्क के मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार बाजार जोखिम के लिए बैंक ने पूंजी परिकलित की है। 31.03.2015 तक बैंक के ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएं इस प्रकार हैं:

बाजार जोखिम का प्रकार	जोखिम भारित आस्ति (कल्पित)	पूंजी आवश्यकता
ब्याज दर जोखिम	9740.15	779.21
इक्विटी स्थिति जोखिम	7170.50	573.64
विदेशी विनिमय जोखिम	68.83	5.51
कुल	16979.48	1358.36

तालिका डीएफ - 8

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) परिचालनात्मक जोखिम :

परिचालनात्मक जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों तथा प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के फलस्वरूप होने वाली हानि का जोखिम है। परिचालनात्मक जोखिम में विधिक जोखिम शामिल हैं मगर रणनीति या प्रतिष्ठा से संबंधित जोखिम शामिल नहीं हैं।

परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन पर नीतियाँ

बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति का गठन किया है जो बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियाँ जो परिचालनात्मक जोखिम को संभालती हैं इस प्रकार हैं : (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति (ग) अपने ग्राहक को जानें पर नीतिगत दस्तावेज और धन शोधन निवारक (एएमएल) कार्यविधियों (घ) अविराम कारोबार तथा विपदा पुनःप्राप्ति योजना (बीसी-डीआरपी) (ङ) अनुपालन नीति और च) वित्तीय सेवाओं के बाह्य स्रोत पर नीति।

बैंक द्वारा अपनाई गई परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना तथा विस्तृत प्रक्रियाओं की रूपरेखा बताता है। नीति का मूल उद्देश्य बैंक के दैनंदिन जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में भूमिकाओं के स्पष्ट नियतन के जरिए परिचालनात्मक जोखिम को प्रभावी ढंग से पहचानने, निर्धारित करने, प्रबोधित करने तथा नियंत्रित/ कम करने और भौतिक परिचालनात्मक

हानियों सहित परिचालनात्मक ऋण जोखिमों की समय पर रिपोर्टिंग के द्वारा परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को एकीकृत करना है। बैंक में परिचालनात्मक जोखिमों को व्यापक तथा सुदृढ़ व सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण प्रेमवर्क के द्वारा संभाला जाता है।

बैंक ने अपनी अनुदेश पुस्तक में विभिन्न परिचालनों के लिए सुस्पष्ट पद्धतियाँ व प्रक्रियाएँ बना रखी हैं। बैंक ने कम्प्यूटरीकृत परिचालनों को संभालने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं और निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए ईडीपी लेखा परीक्षा स्थापित है। उचित दस्तावेजों के निष्पादन के लिए दस्तावेजीकरण मैन्युअल हैं। कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों की भूमिका के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश हैं। उधार, फोरेक्स और अन्य कार्यक्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रभावी प्रशिक्षण प्रणाली है। सभी कर्मचारियों के लिए आचार नियम व सेवा विनियम हैं।

निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आन्तरिक और बाह्य लेखा परीक्षा प्रणालियाँ हैं और कमियों को सुधारने के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति रखी है। बैंकों में अनुपालन कार्यों पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय में कारोबार समूह से अलग “अनुपालन विभाग” स्थापित किया है। हर शाखा / विभाग / कार्यालय में अनुपालन के स्तर की निगरानी के लिए अनुपालन अधिकारी पदनामित किए गए हैं। अनुपालन स्तर के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया व प्रणालियाँ तैयार की गई हैं। अनुपालन कार्यों के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली भी तैयार की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार हमारा बैंक आधारभूत सूचक दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसके अनुसार बैंक परिचालन जोखिम के लिए पूंजी धारित करता है। दिशानिर्देशों के अनुसार, परिचालन जोखिम के लिए पूंजी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताई गई सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के बराबर है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

मानदण्ड	पूंजी रकम	आनुमानिक जोखिम वेटेड आस्ति
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार पिछले 3 वर्षों में सकारात्मक वार्षिक सकल आय का 15%	1107.51	13843.93

तालिका डीएफ - 9 बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहाँ बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ब्याज दर में परिवर्तन चालू अर्जन (परिप्रेक्ष्य अर्जन) तथा बैंक के नेटवर्थ (परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य) दोनों को प्रभावित करता है। परिप्रेक्ष्य अर्जन के जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआइआई) या निवल ब्याज मार्जिन पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार मापा जा सकता है। इसी प्रकार, परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य के जोखिम को इक्विटी के आर्थिक मूल्य में होने वाले घटाव से मापा जा सकता है।

बैंकिंग बुक में अल्पावधि (अर्जन परिप्रेक्ष्य) तथा दीर्घावधि आर्थिक मूल्य



Interest rate risk is managed through use of GAP analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed. The bank estimates earnings at risk for domestic operations and modified duration gap for global operations periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in the light of the market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy. The mid-office monitors adherence to the prudential limits on a continuous basis.

Quantitative Disclosures:

In line with the RBI's guidelines, the Bank has computed capital for market risk as per Standardised Duration Approach of Basel-II framework for maintaining capital. The capital requirement for market risk as on 31.3.2015 in trading book of the bank is as under:

Type of Market Risk	Risk Weighted Asset (Notional)	Capital Requirement
Interest rate risk	9740.15	779.21
Equity position risk	7170.50	573.64
Foreign exchange risk	68.83	5.51
TOTAL	16979.48	1358.36

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative disclosures:

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risk.

Policies on Management of Operational risk:

The bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems security policy (b) forex risk management policy (c) Policy document on know your customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (d) Business Continuity and Disaster Recovery Plan (BC-DRP) (e) compliance policy and (f) policy on outsourcing of Financial Services.

The operational risk management policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management processes of the bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling or mitigating operational risk and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risks in the bank are

managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

The Bank has got embodied in its Book of Instructions well-defined systems and procedures for various operations. The bank has issued detailed guidelines for handling computerized operations and a system of EDP audit is in place to ensure adherence to the laid down systems and procedures. The Bank has clear guidelines as to the role functions of various levels of employees. A training system with provision for giving specialized training in credit /forex and other functional areas is in place. Conduct rules and service regulations for all the employees are also in place.

Various internal and external audit systems are in place to ensure that laid down systems and procedures are followed and timely actions are initiated for rectifying the deficiencies.

The Bank has put in place Compliance Policy duly approved by Board. In terms of the RBI guidelines on compliance functions in banks, the bank has established separate "Compliance Department" in C.O. independent of business group. Compliance officers are designated in each branch /department/office to monitor the level of compliance. Methodologies and system have been devised and put in place for assessment of level of compliance. Reporting systems on compliance function have been devised and put in place.

In line with the final guidelines issued by RBI, our bank is adopting the Basic Indicator Approach for computing capital for operational risk. As per the guidelines the banks must hold capital for operational risk equal to 15% of positive average annual gross income over the previous three years as defined by RBI.

Quantitative disclosures

(Rs. in Crore)

Parameter	Capital amount	Notional Risk Weighted Assets
15% of positive average annual gross income over the previous 3 years as defined by RBI	1107.51	13843.93

Table DF – 9: Interest rate risk on the Banking Book:

Qualitative disclosures:

Interest rate risk is the risk where changes in the market interest rates might affect a bank's financial condition. Changes in interest rates may affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact on the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin. Similarly the risk from economic value perspective can be measured as drop in Economic Value of Equity.

The bank identifies the risks associated with the changing interest rates on its on-balance sheet and off-balance sheet exposures in the banking book from a short term (Earnings perspective) and long term Economic Value Perspective.



परिप्रेक्ष्य परिप्रेक्ष्य से ऑन बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट जोखिमों पर परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ जुड़े जोखिमों को बैंक पहचानता है। देशी परिचालनों हेतु आय पर प्रभाव को एक वर्ष की अवधि के दौरान बैंक की एएलएम नीति में निर्धारितानुसार 25 बीपीएस से 200 बीपीएस तक कल्पित दर प्रघात (शॉक) को लागू करके जीएपी विश्लेषण के प्रयोग से मापा जाता है। ऐसे प्रभावों के लिए बैंक के निवल ब्याज आय के प्रतिशत के अनुसार विवेकपूर्ण सीमाएँ निर्धारित की गई हैं और उसका प्रबोधन पर आवधिक रूप में किया जाता है। अर्जन पर प्रभाव के परिकलन के लिए, देशी परिचालनों हेतु पारंपरिक जीएपी विश्लेषण को दर संवेदनशील विवरण से लिया जाता है और विशेष समयावधि के बीच के पाइंट से बची हुई अवधि के आधार पर 200 बीपीएस तक ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित किया जाता है। इसी को ऑलको तथा बोर्ड को आवधिक तौर पर दर संवेदनशील विवरण सहित रिपोर्ट किया जाता है। सीमाएँ पिछले वर्ष के निवल ब्याज आय (एनआईआई) के आधार पर नियत की जाती हैं।

बैंक ने वैश्विक परिचालनों पर इक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) पर प्रभाव (प्रतिशतता के रूप में) के निर्धारण के लिए 200 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात को लागू करके पारंपरिक जीएपी विश्लेषण को अंतराल जीएपी विश्लेषण के साथ मिलाकर अपनाया है। इस प्रयोजन के लिए बैंक की एक वर्ष की अवधि के दौरान एएलएम नीति में तुलन पत्र पर आशोधित अंतराल जीएपी के लिए (+/-) 1.00% की सीमा निर्धारित है और इसकी स्थिति को आवधिक रूप से प्रबोधित किया जाता है।

बैंक मासिक आधार पर इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव और अवधि अन्तराल की गणना करता है। दर संवेदनशीलता विवरण और बकेटवार

संशोधित अवधि के अनुसार आस्ति व देयता को समूहबद्ध किया जाता है और इन समूह आस्ति व देयता के लिए कॉमन मैच्यूरिटी, कूपन व यील्ड मानदण्ड का प्रयोग करके गणना की जाती है। जहाँ भी संभव होता है संशोधित अवधि की गणना एकल मदवार की जाती है। गैर परिपक्व जमाओं के मामले में, ब्याज दर संवेदनशीलता के वास्तविक मूल्यांकन को प्राप्त करने के लिए भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारितानुसार बैंक ने तीन वर्ष की अवधि के लिए व्यावहारिक अध्ययन संचालित किया है।

बैंक प्रत्येक मुद्रा में ब्याज दर जोखिम स्थिति की गणना अवधि अन्तराल विश्लेषण (डी जी ए) और पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (टी जी ए) उस मुद्रा में दर संवेदनशील आस्ति (आर एस ए)/ दर संवेदनशील देयता (आर एस ए) पर करता है जहाँ या तो आस्ति या देयता बैंक की कुल वैश्विक आस्ति या वैश्विक देयता 5 प्रतिशत या अधिक हो। सभी अन्य अवशेष मुद्रा में ब्याज जोखिम स्थिति की गणना अलग से समग्र आधार पर गणना की जाती है।

भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, तिमाही विवरणियाँ तिमाही की समाप्ति से 21 दिनों के अंदर और मासिक विवरणियाँ माह के अंत से 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत की जाती हैं।

गुणात्मक प्रकटीकरण

निवल ब्याज आय (एन आई आई) और इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ई.वी.ई) पर प्रभाव के परिवर्तन को दिनांक 31.03.2016 तक उपर्युक्त चर्चा के अनुसार कल्पित ब्याज दर प्रघातों को लागू करके नीचे दिया जा रहा है :

ब्याज दर में परिवर्तन	इएआर के लिए एएलएम नीति सीमा	जोखिम पर अर्जन (इएआर)	
		31/03/2016	
		1 वर्ष तक	5 वर्ष तक
0.25% परिवर्तन	192.50 (पिछले वर्ष के एन आई आई का 3%)	144.18	114.79
0.50% परिवर्तन	385.00 (पिछले वर्ष के एन आई आई का 6%)	288.36	229.58
0.75% परिवर्तन	577.50 (पिछले वर्ष के एन आई आई का 9%)	432.54	344.37
1.00% परिवर्तन	770.00 (पिछले वर्ष के एन आई आई का 12%)	576.72	459.16
2.00% परिवर्तन	1540.00 (पिछले वर्ष के एन आई आई का 24%)	1153.44	918.32
इक्विटी का आर्थिक मूल्य			31.03.2016
आशोधित अवधि अंतराल (डीजीएपी)			0.1556%
एएलएम नीति के अनुसार सीमा			(+/-)1.00%
इक्विटी की बाजार मूल्य (एमवीइ)			
200 बीपीएस दर प्रघात के लिए इक्विटी में घटाव			-5.5000%



The impact on income (Earnings Perspective) for domestic operations is measured through use of GAP analysis by applying notional rate shock ranging from 25bps to 200bps as prescribed in the bank's ALM Policy over one year horizon. Prudential limits have been prescribed for such impacts as a percentage of Net Interest Income of the bank and in absolute terms and the same is monitored periodically. For the calculation of impacts on earnings, the Traditional Gap Analysis for domestic operation is taken from the Rate Sensitivity Statement and based on the remaining period from the midpoint of a particular bucket the impact for change in interest rate up to 200 bps is arrived at. The same is reported to Board and ALCO periodically along with the Rate Sensitivity Statement. The limits are fixed on the basis of previous year's Net Interest Income (NII) duly approved by Board.

The bank has adopted traditional gap analysis combined with duration gap analysis for assessing the impact (as a percentage) on the Economic Value of Equity (Economic Value Perspective) on global operations by applying a notional interest rate shock of 200 bps over a time horizon of one year. For the purpose a limit of (+/-) 1.00% for modified duration gap is prescribed in the Bank's ALM policy and the position is monitored periodically.

The bank calculates Duration Gap and the impact on Economic Value of Equity on a monthly basis. Assets and liabilities are grouped as per rate sensitivity statement and bucket-wise modified duration is computed for these groups of Assets and Liabilities using common maturity, coupon and yield parameters. Wherever possible, the Modified Duration is calculated on individual item wise. In case of non maturity deposits, the bank has conducted behavioural studies as prescribed by RBI to have a realistic assessment of the interest rate sensitivity.

The bank is computing the interest rate risk position in each currency applying the Duration Gap Analysis (DGA) and Traditional Gap Analysis (TGA) to the Rate Sensitive Assets (RSA)/ Rate Sensitive Liabilities (RSL) items in that currency, where either the assets, or liabilities are 5 per cent or more of the total of either the bank's global assets or global liabilities. . The interest rate risk positions in all other residual currencies are computed separately on an aggregate basis.

The quarterly returns are submitted within 21 days from the end of the quarter and monthly returns within 15 days from the end of the month to RBI as per guidelines.

Quantitative Disclosures

The impact of changes of Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE) calculated as on 31.03.2016 by applying notional interest rate shocks as discussed above are as under

Change in Interest Rate	ALM Policy Limit for EaR	Earnings at Risk (EaR) 31.03.2016	
		Up to 1 year	Up to 5 year
0.25% change	192.50 (3% of NII of previous year)	144.18	114.79
0.50% change	385.00 (6% of NII of previous year)	288.36	229.58
0.75% change	577.50 (9% of NII of previous year)	432.54	344.37
1.00% change	770.00 (12% of NII of previous year)	576.72	459.16
2.00% change	1540.00 (24% of NII of Previous year)	1153.44	918.32
ECONOMIC VALUE OF EQUITY			31.03.2016
Modified Duration Gap (DGAP)			0.1556%
Limit as per ALM Policy			(+/-)1.00%
Market value of Equity (MVE)			
For a 200 BPS Rate Shock the Drop in Equity Value			-5.5000%



सारणी डीएफ -10 : काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित जोखिमों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

काउंटरपार्टी सीमा को निर्धारित करते समय निम्नलिखित प्रमुख वित्तीय तथा गैर वित्तीय मानदंडों पर विचार किया जाता है।

वित्तीय/ गैर वित्तीय मानदंड	विवरण
वित्तीय ए. पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)	10% तथा उससे अधिक सीएआर वाले बैंक को अधिकतम 25% भारांक दिया जाता है तथा 8% से कम वालों को 0% दिया जाता है। 6% से कम सीएआर वाले बैंकों को 25% के छूट घटक दिए जाते हैं जो कि काउंटरपार्टी सीमाओं की संगणना हेतु कुल भारांक से काट लिए जाते हैं।
बी. आस्तियों पर रिटर्न (आरओए)- लाभप्रदता	1.10 या उससे अधिक आरओए वाले बैंकों को अधिकतम 20% भारांक दिया जाता है तथा 0.15% से कम आरओए वालों को 0%।
सी. सकल एनपीए/ निवल एनपीए - आस्ति गुणवत्ता	3.00% से कम सकल एनपीए (विदेशी बैंकों के लिए)/ निवल एनपीए (भारतीय बैंकों के लिए) वाले बैंकों को अधिकतम 20% का भारांक दिया जाता है तथा 9.00% या उससे अधिक सकल एनपीए/ निवल एनपीए वालों को शून्य भारांक दिया जाता है। 15% से अधिक सकल एनपीए/ निवल एनपीए वाले बैंकों को 20% का छूट घटक दिया जाता है जो कि काउंटरपार्टी सीमाओं की संगणना हेतु कुल भारांक से काट लिया जाता है। हालांकि यह सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों (जिनमें अधिकतर शेयरधारिता सरकार की हो) पर लागू नहीं होगी।
डी. बाहरी एजेंसियों की रेटिंग (मूडी इन्वेस्टर्स सर्विस अथवा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स)	स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज अथवा फिच तथा भारत में क्रिसिल, आइसीआरए, केयर या ब्रिकवर्क्स जैसी घरेलू रेटिंग एजेंसियों पर काउंटरपार्टी सीमा प्राप्त करने के लिए विचार किया जाता है। उच्चतम/ उच्च गुणवत्ता/ अपवादात्मक/ उत्कृष्ट ग्रेड की रेटिंग वाले बैंकों को 25% का अधिकतम भारांक दिया जाता है तथा बिना रेटिंग वाले बैंकों को शून्य भारांक दिया जाता है। भारत के अधिकांश बैंक अपने टियर II जारीकरण, विदेशों में उधारी के लिए भारत अथवा विदेशों में रेटिंग एजेंसियों से खुद ही अपनी रेटिंग करवाती हैं। हालांकि, हो सकता है कि कुछ बैंकों की प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसियों से रेटिंग नहीं हो। इस प्रकार के बैंकों को काउंटरपार्टी सीमाओं का मूल्यांकन करते समय केवल 5% का भारांक दिया जाता है। जहाँ भी दोनों रेटिंग उपलब्ध हैं, कम वाले को ही माना जाएगा और तदनुसार भारांक दिया जाता है।
इ. पूर्ण निबंधनों में टियर I पूँजी	काउंटर पार्टी बैंक के कुल मूल्य के संबंध में अनुमानित जोखिम की प्रमाणा कुल मूल्य के 15% से 50% के बीच होगी।
गैर वित्तीय पारस्परिक कारोबार/ संबंधित सरकार सरकार समर्थित बैंक/ भारतीय सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के बैंक समावेशन का देश	उक्त पाँच प्रमुख वित्तीय मानदंडों के साथ ही काउंटर पार्टी बैंक पर निर्णय देते समय कई अन्य प्रमुख मानदंडों का मूल्यांकन किया जाता है। उनमें से प्रमुख हैं क) स्वामित्व संरचना का व्यापकता व स्वरूप ख) प्रबंधन क्षमता ग) अन्य बैंकों से आपसी तुलना घ) अर्थव्यवस्था में बैंक का महत्व तथा ङ.) समावेशन / विनियामक परिवेश का देश। कुछ बैंक ऐसे हैं जहाँ बैंक को वित्तीय मानदंडों के आधार की बजाए उनके संबंध, पारस्परिक व्यवस्था, कारोबार विचारों, भारतीय शाखाओं, ओवरसीज केंद्रों आदि से अनुरोधों के आधार पर सीमाओं पर विचार करना है। जहाँ भी आवश्यक लगे, सरकार समर्थित बैंकों/ भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों/ सक्रिय संवादी बैंकों के लिए 0% से 10% के बीच भारांक पर विचार किया जा सकता है।



Table DF – 10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosure:

The following key financial and non-financial parameters are taken into consideration while fixing counter party limits.

FINANCIAL/NON FINANCIAL PARAMETERES	DETAILS
a)Capital Adequacy Ratio (CAR)	Banks with CAR of 10% and above are assigned maximum weightage of 25% and below 8% is assigned 0%. Banks with CAR of less than 6% are assigned with discount factors of 25% that will be deducted from the total weightage arrived at for computation of counter party limits.
b)Return on Assets (ROA)- Profitability	Banks with ROA of more than or equal to 1.10 are assigned maximum weightage of 20% and the ROA less than 0.15% are assigned as 0%.
c)Gross NPA/Net NPA – Asset Quality	Banks with Gross NPA (for Foreign Banks)/Net NPA (for Indian Banks) of less than 3.00% are assigned Maximum weightage of 20% and the Gross NPA/Net NPA more than or equal to 9.00% are assigned zero Weightage. Banks with Gross NPA/Net NPA more than 15% are assigned with discount factors of 20% that is deducted from the total weightage arrived at for computation of counter party limits. However, this will not be applicable to Banks owned by Govt. (Government holding majority share)
d)External Agencies Ratings (Moody Investors Service or Standard & Poor's)	Ratings of Standard & Poor's, Moody's or Fitch and domestic rating agencies like CRISIL, ICRA, CARE of Brickworks in India are considered for arriving at the counter party limits. Banks rated with the highest/high quality /Exceptional/ Excellent grade are assigned a maximum weightage of 25% and the unrated shall have a zero weightage. Most of the Banks in India get themselves rated by rating agencies in India or abroad for their Tier II issuances, borrowing abroad. However, some banks may not have any rating at all by recognized rating agencies. Such banks will be assigned a weightage of only 5% while assessing counter party limits. Wherever both the ratings are available, lower one will be reckoned and the weightage is assigned accordingly.
e)Tier One Capital in Absolute Terms	Quantum of exposure assumable in relation to the net-worth of a counter party bank ranges from 15% to 50% of net worth.
NON FINANCIAL Reciprocal Business/Relationship/Govt Supported Banks/Indian Public/Private sector banks Country of Incorporation	In addition to the above five key financial parameters there are many other key parameters assessed while forming judgment on the counter party bank. The important among them are a) The spread and nature of the ownership structure b) Management Ability c) Peer comparison d) Importance of the Bank in the Economy and e) country of incorporation / Regulatory environment. There are some banks where bank has to consider limits not based on the financial parameters but simply based on their relationship, reciprocal arrangements, business considerations, requests from Indian branches, overseas centres, etc., Wherever deemed necessary, the weightage ranging from 0% to 10% shall be considered for Govt. supported banks/Indian Private sector banks/Active correspondent Banks.



गुणात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

संख्या	व्यौरे	अनुमानित राशि	एमटीएम	कुल वर्तमान ऋण जोखिम
1	व्युत्पन्न	165.39	7.50	13.94
2	ब्याज दर संविदा/ स्वैप	6901.62	80.57	149.22
3	वायदा खरीद/ बिक्री संविदा	36258.9	260.5	889.07
5	ऋण व्युत्पन्न	शून्य	शून्य	शून्य
6	ऋण चूक स्वैप	शून्य	शून्य	शून्य

सारणी डीएफ -11: पूँजी की संघटना

भाग I : केवल मार्च 31, 2017 से प्रयुक्त किया जाने वाला टेम्पलेट: लागू नहीं

भाग II : केवल मार्च 31, 2017 से पहले प्रयुक्त किया जाने वाला टेम्पलेट

(अर्थात् बेसल III विनियामक समायोजन की संक्रमण अवधि के दौरान)

विनियामक समायोजन के संक्रमण के दौरान प्रयुक्त होने वाला बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017)			बेसल III प्रतिपादन पूर्व के	
	सामान्य इक्विटी टियर I पूँजी: लिखत एवं आरक्षितियाँ		अधीन राशियाँ	
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेयर पूँजी सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	8291.85	8291.85	
2	प्रतिधारित आय	7425.91	7425.91	
3	संचयित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षितियाँ)	1704.47	1704.47	
4	सीईटी1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00	0.00	
	1 जनवरी 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र पूँजी को पोषण	0.00	0.00	
5	अनुबंधितों द्वारा जारी तथा अन्य पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	0.00	0.00	
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य इक्विटी टियर I पूँजी	17422.22	17422.22	
	सामान्य इक्विटी टियर I पूँजी : विनियामक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन			
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)			
9	बंधक सेवा अधिकारों से इतर अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	3387.16	3387.16	
10	आस्थगित कर आस्तियाँ 2	0.00	0.00	
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित			
12	अपेक्षित हानियों पर प्रावधानों की कमी			
13	व्यय पर प्रतिभूतिकरण अभिलाभ			
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ व हानि			
15	परिभाषित- लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ,	0.00	0.00	
16	खुद के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर प्रदत्त पूँजी का पहले ही निवलीकरण नहीं किया गया है)			
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक क्रॉस- धारण	50.89	0.00	



Quantitative Disclosure

No.	Particulars	Notional Amount	MTM	Total current credit exposures
1	Derivatives	165.39	7.50	13.94
2	Interest Rates Contracts/ Swaps	6901.62	80.57	149.22
3	Forward Purchase/Sales Contract	36258.90	260.50	889.07
4	Credit Derivatives	Nil	Nil	Nil
5	Credit Default Swaps	Nil	Nil	Nil

Table DF – 11: Composition of Capital

Part I : Template to be used only from March 31,2017 : Not Applicable

Part II : Template to be used before March 31,2017 (i.e. during the transition period of Basel III regulatory adjustment)

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)			Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	8291.85	8291.85
2	Retained earnings	7425.91	7425.91
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	1704.47	1704.47
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies1)	0.00	0.00
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	0.00	0.00
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	0.00
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	17422.22	17422.22
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	3387.16	3387.16
10	Deferred tax assets2	0.00	0.00
11	Cash-flow hedge reserve		
12	Shortfall of provisions to expected losses		
13	Securitisation gain on sale		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	0.00
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-up capital on reported balance sheet)		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	50.89	0.00



18	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, जहाँ बैंक जारी शेयर पूँजी के 10 % से अधिक नहीं रखता है (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), की पूँजी में निवेश		
19	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, योग्य अल्प स्थितियों का निवल (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) ³	0.00	0.00
20	बंधक सेवा अधिकार 4 (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	0.00
21	5 अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), संबंधित कर देयता का निवल	197.07	197.07
22	15% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि 6	0.00	0.00
23	जिसमें से: वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	0.00
24	जिसमें से: बंधक सेवा अधिकार	0.00	0.00
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	0.00
26	राष्ट्रीय विशेषीकृत विनियामक समायोजन ⁷ (26क+26ख+26ग+26घ)	0.00	0.00
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूँजी में निवेश	0.00	0.00
26बी	जिसमें से: समेकित गैर वित्तीय अनुषंगियों 8 की इक्विटी पूँजी में निवेश	0.00	0.00
26सी	जिसमें से: बहुमत प्राप्त वित्तीय इकाइयों, जिनका समेकन बैंक 9 द्वारा नहीं हुआ है, की इक्विटी पूँजी में कमी	0.00	0.00
26डी	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00	0.00
	बेसल III प्रतिपादन पूर्व के अधीन राशियों के संबंध में सामान्य इक्विटी टियर I पर लागू विनियामक समायोजन		
	जिसमें से: [समायोजन का प्रकार भरें] उदाहरण के लिए : एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अनुपलब्ध हानियों को बाहर करना (भारतीय परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक)		
	जिसमें से: [समायोजन का प्रकार भरें] जिसमें से: [समायोजन का प्रकार भरें]		
27	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर I तथा टियर II के कारण सामान्य इक्विटी टियर I पर लागू विनियामक समायोजन।	0.00	0.00
28	सामान्य इक्विटी टियर I पर कुल विनियामक समायोजन	3635.13	3584.24
29	सामान्य इक्विटी टियर I पूँजी (सीईटी 1)	13787.10	13837.10
	अतिरिक्त टियर I पूँजी: लिखत		
30	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त अतिरिक्त टियर 1 लिखत सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31+32)	1348.00	1780.00
31	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0.00	0.00
32	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयता के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)	1348.00	1780.00



18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold) ³	0.00	0.00
20	Mortgage servicing rights ⁴ (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
21	Deferred tax assets arising from temporary differences ⁵ (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	197.07	197.07
22	Amount exceeding the 15% threshold ⁶	0.00	0.00
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0.00	0.00
24	of which: mortgage servicing rights	0.00	0.00
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	0.00
26	National specific regulatory adjustments ⁷ (26a+26b+26c+26d)	0.00	0.00
26a	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	0.00
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries ⁸	0.00	0.00
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank ⁹	0.00	0.00
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00	0.00
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT] For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	0.00
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	3635.13	3584.24
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	13787.10	13837.99
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (share premium) (31+32)	1348.00	1780.00
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	0.00
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	1348.00	1780.00



33	अतिरिक्त टियर 1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी लिखत	0.00	0.00
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित (समूह एटी1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त टियर 1 लिखत (तथा सीईटी1 लिखत जो क्रम 5 में शामिल नहीं हैं)	0.00	0.00
35	जिसमें से निकाले जाने के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	0.00	0.00
36	विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	1348.00	1780.00
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: विनियामक समायोजन		
37	खुद के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	75.00	75.00
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक गैर-धारिता	20.00	0.00
39	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहाँ बैंक की स्वामित्व इकाई (10% की सीमा से ऊपर की राशि) की जारी साझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक की राशि न हो	0.00	0.00
40	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों का निवल) 10	0.00	0.00
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0.00	0.00
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर I पूँजी में निवेश	0.00	0.00
41बी	बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की अतिरिक्त टियर I पूँजी में कमी जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0.00	0.00
	बेसल III से पूर्व प्रतिपादन की शर्त पर राशियों के संबंध में अतिरिक्त टियर I पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	0.00
	जिनमें से : [समायोजन का प्रकार यानि डीटीए डालें]		
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार डालें यानि वर्तमान समायोजन जिन्हें 50% की दर से टियर I से घटाया गया है]		
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार डालें]		
42	अपर्याप्त टियर II की वजह से कटौतियों को कवर करने के लिए अतिरिक्त टियर I में लागू विनियामक समायोजन		
43	अतिरिक्त टियर I पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	95.00	75.00
44	अतिरिक्त टियर I पूँजी (एटी1)	1253.00	1705.00
44ए	पूँजी पर्याप्तता के लिए पहचान की गई अतिरिक्त टियर I पूँजी	1253.00	1705.00
45	टियर I पूँजी (टी1 = सीईटी1 + स्वीकार्य एटी1) (29 + 44ए)	15040.10	15542.99
	टियर 2 पूँजी: लिखत एवं प्रावधान		
46	प्रत्यक्ष तौर पर जारी पात्र टियर 2 लिखत सहित संबंधित अधिक स्टॉक	1094.00	1094.00
47	टियर 2 से बाहर होने की शर्त पर प्रत्यक्ष तौर पर जारी पूँजी लिखत	1579.38	2632.30
48	अनुषंगी द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह टियर 2 में स्वीकृत राशि) टियर 2 लिखत (और 5 या 34 पंक्ति में नहीं शामिल सीईटी1 और एटी1 लिखत)	0	
49	जिनमें से : बाहर होने की शर्त पर अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	0	0
50	प्रावधान 12	1105.76	1105.76
51	विनियामक समायोजन से पहले टियर 2 पूँजी	3779.14	4832.06



33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	0.00
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00	0.00
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	0.00
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	1348.00	1780.00
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	75.00	75.00
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	20.00	0.00
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions) ¹⁰	0.00	0.00
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0.00	0.00
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	0.00
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	0.00
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	0.00
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	95.00	75.00
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	1253.00	1705.00
44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy¹¹	1253.00	1705.00
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + Admissible AT1) (29 + 44a)	15040.10	15542.99
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	1094.00	1094.00
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	1579.38	2632.30
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	
50	Provisions ¹²	1105.76	1105.76
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	3779.14	4832.06



	टियर 2 पूँजी : विनियामक समायोजन		
52	निजी टियर 2 लिखतों में निवेश	55.00	55.00
53	टियर 2 लिखतों में परस्पर प्रति-धारिता	0.00	0.00
54	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहाँ बैंक का स्वामित्व इकाई (10% की सीमा से ऊपर की राशि) की जारी साझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक की राशि न हो	0	
55	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश 13 (पात्र अल्प स्थितियों का निवल)	0	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	0	
56ए	जिनमें से असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 2 पूँजी में निवेश	0	
56बी	जिनमें से: बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की टियर 2 पूँजी में कमी जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0	
	बेसल III से पूर्व प्रतिपादन की शर्त पर राशियों के संबंध में टियर 2 पर लागू विनियामक समायोजन	0	0
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार भरें यानि वर्तमान समायोजन जिन्हें 50% की दर से टियर 2 से घटाया गया है]	0	0
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार भरें]	0	0
57	टियर 2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	55.00	55.00
58	टियर 2 पूँजी (टी2)	3724.14	4777.06
58ए	पूँजी पर्याप्तता के लिए पहचानी गई टियर 2 पूँजी	3724.14	4777.06
58बी	टियर 2 पूँजी के लिए पहचानी गई बहुतायत अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	0.00	0.00
58सी	पूँजी पर्याप्तता (58क + 58ख) के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूँजी	3724.14	4777.06
59	कुल पूँजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58ग)	18764.24	20320.05
	बेसल III पूर्व प्रतिपादन की शर्त पर जोखिम भारांक वाली आस्तियों के संबंध में राशि	70.89	
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार भरें]	70.89	
	जिनमें से:	0	
60	कुल जोखिम भारांक वाली आस्तियां (60क + 60ख + 60ग)	194174.44	
60ए	जिनमें से: कुल उधार जोखिम भारांक वाली आस्तियां	163351.03	
60बी	जिनमें से: कुल बाज़ार जोखिम भारांक वाली आस्तियां	16979.48	
60सी	जिनमें से : कुल परिचालनात्मक जोखिम भारांक वाली आस्तियां	13843.93	
	पूँजी अनुपात		
61	सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.10%	
62	टियर 1 (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.75%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.66%	
64	संस्थान विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी 1 अपेक्षा के साथ पूँजी संरक्षण और प्रति-चक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	6.125%	
65	जिनमें से: पूँजी संरक्षण बफर अपेक्षा	0	



	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	55.00	55.00
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	0.00
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0	
55	Significant investments ¹³ in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0	0
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]	0	0
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	0	0
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	55.00	55.00
58	Tier 2 capital (T2)	3724.14	4777.06
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy¹⁴	3724.14	4777.06
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	0.00	
58c	Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)	3724.14	4777.06
59	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)	18764.24	20320.05
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	70.89	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	70.89	
	of which: ...	0	
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	194174.44	
60a	of which: total credit risk weighted assets	163351.03	
60b	of which: total market risk weighted assets	16979.48	
60c	of which: total operational risk weighted assets	13843.93	
	Capital ratios		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.10%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.75%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	9.66%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	6.125%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	0	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0	



66	जिनमें से: बैंक विशिष्ट प्रति-चक्रीय बफर अपेक्षा	0	
67	निजी टियर 2 लिखतों में निवेश	0	
68	बफर की पूर्ति के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	0.98%	
	राष्ट्रीय न्यूनता (बेसल III से भिन्न होने पर)		
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	7.00%	
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	9.00%	
	कटौती के लिए सीमा से कम राशि (जोखिम भार के पहले)		
72	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
74	बन्धक सेवा अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
75	अस्थाई अंतर से उत्पन्न अस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
	टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू सीमाएँ		
76	मानकीकृत अभिगम के अधीन ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सी.ए.पी. लागू करने के पूर्व)	1105.76	
77	मानकीकृत अभिगम के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने के लिए सी.ए.पी.	2427.18	
78	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के अधीन ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सी.ए.पी. लागू करने के पूर्व)	लागू नहीं	
79	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के तहत टियर 2 में शामिल करने के लिए प्रावधान की सी.ए.पी.	लागू नहीं	
	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन पूँजी लिखत(मार्च 31, 2017 से 31 मार्च 2022 के बीच ही लागू)		
80	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन सीइटी1 पर वर्तमान सीमा	0	
81	सी.ए.पी. के कारण देय सीइटी1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सी.ए.पी. से अधिक राशि)	0	
82	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन ए टी 1 लिखत पर वर्तमान सी.ए.पी.	348	
83	सी.ए.पी. को देय ए टी 1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सी.ए.पी. से अधिक राशि)	432	
84	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखत पर वर्तमान सी.ए.पी.	1579.38	
85	सी.ए.पी. को देय टी 2 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सी.ए.पी. से अधिक राशि)	1052.92	

टेम्पलेट पर नोट

(रु. करोड़ में)

टेम्पलेट की क्रम संख्या	विवरण	
10	संचयी नुकसान के साथ संबद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ	0
	आस्थगित कर आस्तियाँ (संचयी नुकसान के साथ संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता का निवल	1595.49
	क्रम संख्या 10 में दर्शित अनुसार योग	0.00



67	of which: G-SIB buffer requirement	0	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	0.98%	
National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	1105.76	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	2427.18	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA	
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	0	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	348	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	432	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	1579.38	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	1052.92	

Notes to the Template

(Rs. in Crore)

Row No. of the template	Particular	
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	1595.49
	Total as indicated in row 10	0



19	यदि बीमा अनुषंगी में निवेश की कटौती पूँजी में से पूर्णतः नहीं काटी गयी है और बल्कि कटौती के लिए 10% की सीमा पर विचार किया गया है , बैंक की पूँजी में परिणामी वृद्धि	0
	इसमें से : सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	
	इसमें से : अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में बढ़ोत्तरी	0
	इसमें से : टियर 2 पूँजी में बढ़ोत्तरी	0
26बी	यदि गैर वित्तीय अनुषंगी की इक्विटी पूँजी में निवेश की कटौती नहीं की गयी और उसके बाद गोखिम भार	0
	(I) सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	0
	(ii) जोखिम भारांक आस्तियों में बढ़ोत्तरी	0
44ए	पूँजी पर्याप्तता के लिए अधिक अतिरिक्त टियर 1 पूँजी को नहीं माना गया है। (क्रम 44 में रिपोर्ट किए गए अनुसार अतिरिक्त टियर 1 पूँजी तथा 44 ए में रिपोर्ट किए गए अनुसार अनुमत अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में अंतर)	0
	जिसमें से: क्रम 58 बी के तहत टियर 2 पूँजी के रूप में मानी गई अधिक अतिरिक्त टियर 1 पूँजी।	0
50	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र प्रावधान	1105.76
	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	0
	क्रम 50 का कुल	1105.76
58ए	पूँजी पर्याप्तता के लिए अधिक टियर 2 पूँजी को नहीं माना गया है। (क्रम 58 में रिपोर्ट किए गए अनुसार टियर 2 पूँजी तथा 58 ए में रिपोर्ट किए गए अनुसार टियर 2 में अंतर)	0

सारणी डीएफ - 12: पूँजी समाधान आवश्यकताओं का संघटन

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र
		रिपोर्टिंग तारीख तक	रिपोर्टिंग तारीख तक
ए	पूँजी तथा देयता		
i	प्रदत्त पूँजी	1807.27	1807.27
	आरक्षित तथा अधिशेष	13858.55	13858.55
	अल्पमत ब्याज	0	0
	कुल पूँजी	15665.82	15665.82
ii	जमाएं	224514.24	224514.24
	जिसमें से: बैंकों से जमा	20.25	20.25
	जिसमें से: ग्राहक जमा	224493.99	224493.99
	जिसमें से: अन्य	0	0
iii	उधार	27183.31	27183.31
	जिसमें से: आरबीआइ से	0	0
	जिसमें से: बैंक से	9694.33	9694.33
	जिसमें से: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	10936.68	10936.68
	जिसमें से: अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	0	0
	जिसमें से: पूँजी लिखत	6552.30	6552.30
iv	अन्य देयताएँ तथा प्रावधान	7073.40	7073.40
	कुल	274436.77	274436.77



19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0
	of which: Increase in Tier 2 capital	0
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	0
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	0
	(ii) Increase in risk weighted assets	0
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	0
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	0
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	1105.76
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0
	Total of row 50	1105.76
58a	Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	0

Table DF – 12: Composition of Capital-Reconciliation Requirements

		Balance Sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date	As on reporting date
A	Capital & Liabilities		
i	Paid up Capital	1807.27	1807.27
	Reserves and Surplus	13858.55	13858.55
	Minority Interest	0	0
	Total Capital	15665.82	15665.82
ii	Deposits	224514.24	224514.24
	of which : Deposit from Banks	20.25	20.25
	of which : customer deposits	224493.99	224493.99
	of which : Others	0	0
iii	Borrowings	27183.31	27183.31
	of which : From RBI	0	0
	of which : From bank	9694.33	9694.33
	of which : from other institutional & agencies	10936.68	10936.68
	of which : Others(pl .Specify)	0	0
	of which : Capital instruments	6552.30	6552.30
iv	Other liabilities and provisions	7073.40	7073.40
	Total	274436.77	274436.77



बी	आस्तियाँ		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष	14033.49	14033.49
	बैंक में शेष तथा अल्प मांग पर मांग मुद्रा	8212.74	8212.74
ii	निवेश	79189.56	79189.56
	जिसमें से: सरकारी प्रतिभूतियाँ	66546.67	66546.67
	जिसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3.11	3.11
	जिसमें से: शेयर	1446.54	1446.54
	जिसमें से: डिबेंचर तथा बाण्ड	8523.57	8523.57
	जिसमें से: जिसमें से अनुषंगियों/ संयुक्त उपक्रम/ सहयोगी	199.58	199.58
	जिसमें से: अन्य (व्यावसायिक पत्र, म्यूच्युअल फंड आदि)	2470.09	2470.09
iii	ऋण तथा अग्रिम	160860.67	160860.67
	जिसमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	462.83	462.83
	जिसमें से: ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	160397.84	160397.84
iv	अचल आस्तियाँ	3270.47	3270.47
v	अन्य आस्तियाँ	8869.84	8869.84
	जिसमें से: साख तथा अमूर्त आस्तियाँ	0	0
	जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	0	0
vi	समेकन पर साख	0	0
vii	लाभ व हानि खाते में ऋण शेष	0	0
	कुल	274436.77	274436.77

(रु. करोड़ में)

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का निष्कर्ष (अतिरिक्त कॉलम के साथ) - सारणी डीएफ 11 (भाग I/ भाग II, जो भी लागू हो)		
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी : लिखत तथा आरक्षिति	
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूँजी का घटक
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेयर (तथा गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूँजी सहित संबंधित स्टॉक	8291.85
2	प्रतिधारित आय	7425.91
3	संचयित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य आरक्षितियाँ)	1704.47
4	सीईटी1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्ष द्वारा धारित (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि) सामान्य शेयर पूँजी	0.00
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी	17422.22
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00
8	साख(संबंधित कर देयता का निवल)	0.00



B	Assets		
I	Cash and Balances with Reserve Bank of India	14033.49	14033.49
	Balance with bank and money at call and short notice	8212.74	8212.74
II	Investments	79189.56	79189.56
	of which : Government Securities	66546.67	66546.67
	of which : Other approved securities	3.11	3.11
	of which : shares	1446.54	1446.54
	of which : Debentures & Bonds	8523.57	8523.57
	of which : Subsidiaries/joint Venture/Associates	199.58	199.58
	of which : other (commercial Paper, Mutual Funds etc)	2470.09	2470.09
iii	Loans and advances	160860.67	160860.67
	of which : Loans and advances to banks	462.83	462.83
	of which : Loans and advances to customers	160397.84	160397.84
iv	Fixed assets	3270.47	3270.47
v	Other assets	8869.84	8869.84
	of which : Goodwill and intangible assets	0	0
	of which : Deferred tax assets	0	0
vi	Goodwill on consolidation	0	0
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0	0
	Total	274436.77	274436.77

(Rs. in Crore)

	Extract of Basel III common disclosure template (with added column)- Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable)	
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserve	
		Component of regulatory capital reported by bank.
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	8291.85
2	Retained Earning	7425.91
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	1704.47
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	17422.22
7	Prudential valuation adjustment	0.00
8	Goodwill(net of related tax liability)	0.00



तालिका डीएफ 13: विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्व
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों के प्रकटीकरण टेम्पलेट

		निम्न टियर II शृंखला IX	निम्न टियर II शृंखला XI	निम्न टियर II शृंखला XII	निम्न टियर II शृंखला XIII	निम्न टियर II शृंखला XIV
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565 ए09090	आइएनई565 ए09132	आइएनई565 ए09165	आइएनई565 ए09181	आइएनई565 ए09215
3	लिखत के अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	<i>विनियामक व्यवहार</i>					
4	परिवर्ती बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II	टियर II	टियर II
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत प्रकार	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप में चिह्नित राशि (रु करोड़ में, हाल ही की रिपोर्टिंग तिथि पर)	0.00	0.00	120.00	174.20	800.00
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	09.01.2006	26.07.2006	22.08.2008	24.08.2009	31.12.2010
12	निरंतर या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	09.04.2016	26.07.2016	22.08.2018	24.08.2019	31.12.2020
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं मोचन राशि (रु करोड़ में)	शून्य, शून्य, 250	शून्य, शून्य, 500	शून्य, शून्य, 300	शून्य, शून्य, 290	शून्य, शून्य, 1000
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	<i>कूपन / लाभांश</i>					
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
19	लाभांश रोधक का होना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य



Table DF-13 : Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Lower Tier II SERIES IX	Lower Tier II SERIES XI	Lower Tier II SERIES XII	Lower Tier II SERIES XIII	Lower Tier II SERIES XIV
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565 A09090	INE565 A09132	INE565 A09165	INE565 A09181	INE565 A09215
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment					
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	ineligible	ineligible	ineligible	ineligible	ineligible
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore, as of most recent reporting date)	0.00	0.00	120.00	174.00	800.00
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	09.01.2006	26.07.2006	22.08.2008	24.08.2009	31.12.2010
12	Perpetual or dated	dated	dated	dated	dated	dated
13	Original maturity date	09.04.2016	26.07.2016	22.08.2018	24.08.2019	31.12.2020
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil, nil, 250	nil, nil, 500	nil, nil, 300	nil, nil, 290	nil, nil, 1000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	Coupons / dividends					
17	Fixed or floating divend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory

21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
22	गैर- संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार, जिसमें संपरिवर्तनीय है, उसे विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन हो, अवलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है



21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI



तालिका डीएफ 13: विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्व
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों के लिए प्रकटीकरण टैपलेट

		उच्च टियर II शृंखला I	उच्च टियर II शृंखला II	उच्च टियर II शृंखला III	उच्च टियर II शृंखला IV
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565 ए09140	आइएनई565 ए09173	आइएनई565 ए09199	आइएनई565 ए09223
3	लिखतों के अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	<i>विनियामक व्यवहार</i>				
4	परिवर्ती बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II	टियर II
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II	टियर II
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत प्रकार	उच्च टियर II ऋण लिखत	उच्च टियर II ऋण लिखत	उच्च टियर II ऋण लिखत	उच्च टियर II ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप में चिह्नित राशि (रु करोड़ में, हाल ही की रिपोर्टिंग तिथि पर)	300.00	393.18	306.00	580.20
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	05.09.2006	17.09.2008	01.09.2009	10.01.2011
12	निरंतर या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	05.09.2021	17.09.2023	01.09.2024	10.01.2026
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हां	हां	हां	हां
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं मोचन राशि (रु करोड़ में)	05.09.2016 शून्य, 500	17.09.2018 शून्य, 655.30	01.09.2019 शून्य, 510	10.01.2021 शून्य, 967
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	<i>कूपन / लाभांश</i>				
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
19	लाभांश रोधक का होना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य



Table DF-13 : Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Upper Tier II SERIES I	Upper Tier II SERIES II	Upper Tier II SERIES III	Upper Tier II SERIES IV
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565 A09140	INE565 A09173	INE565 A09199	INE565 A09223
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment				
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Upper Tier II debt instruments	Upper Tier II debt instruments	Upper Tier II debt instruments	Upper Tier II debt instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore, as of most recent reporting date)	300.00	393.18	306.00	580.20
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	05.09.2006	17.09.2008	01.09.2009	10.01.2011
12	Perpetual or dated	dated	dated	dated	dated
13	Original maturity date	05.09.2021	17.09.2023	01.09.2024	10.01.2026
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	05.09.2016 nil 500	17.09.2018 nil 655.30	01.09.2019 nil 510	10.01.2021 nil 967
16	Subsequent call dates, if applicable	No	No	No	No
	Coupons / dividends				
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory



21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उन्नयन 0.50%	उन्नयन 0.50%	उन्नयन 0.50%	उन्नयन 0.50%
22	गैर- संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार, जिसमें संपरिवर्तनीय है उसे विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन हो, अवलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ, तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है



21	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up 0.50%	Step-up 0.50%	Step-up 0.50%	Step-up 0.50%
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI



**तालिका डीएफ 13: विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्व
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों के लिए प्रकटीकरण टेंपलेट**

		सतत बेसल II अनुपालन शृंखला II	सतत बेसल II अनुपालन शृंखला III	सतत बेसल II अनुपालन शृंखला IV	बेमियादी बेसल III अनुपालन शृंखला I
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565 ए09124	आइएनई565 ए09157	आइएनई565 ए09207	आइएनई565 ए09231
3	लिखतों के अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	विनियामक व्यवहार				
4	परिवर्ती बेसल III नियम	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत प्रकार	सतत ऋण लिखत	सतत ऋण लिखत	सतत ऋण लिखत	बेमियादी ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप में चिह्नित राशि (रु करोड़ में, हाल ही की रिपोर्टिंग तिथि पर)	120.00	48.00	180.00	1000.00
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	18.05.2006	30.09.2006	29.09.2009	04.02.2015
12	निरंतर या दिनांकित	सतत	सतत	सतत	बेमियादी
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	सतत	सतत	सतत	बेमियादी
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हां	हां	हां	हां
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं मोचन राशि (रु करोड़ में)	18.05.2016, शून्य, 200	30.09.2016, शून्य, 80	29.09.2019, शून्य, 300	4.02.2020, शून्य, 1000
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कूपन / लाभांश				
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
19	लाभांश रोधक का होना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार



Table DF-13 : Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Perpetual Basel II	Perpetual Basel II	Perpetual Basel II	Perpetual Basel III
		Compliant	Compliant	Compliant	Compliant
		SERIES II	SERIES III	SERIES IV	SERIES I
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565 A09124	INE565 A09157	INE565 A09207	INE565 A09231
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment				
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier I	Additional Tier I	Additional Tier I	Additional Tier I
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier I	Additional Tier I	Additional Tier I	Additional Tier I
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore, as of most recent reporting date)	120.00	48.00	180.00	1000.00
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	18.05.2006	30.09.2006	29.09.2009	04.02.2015
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	18.05.2016, nil, 200	30.09.2016 nil 80	29.09.2019 nil 300	04.02.2020 nil 1000
16	Subsequent call dates, if applicable	No	No	No	No
	Coupons / dividends				
17	Fixed or floating divend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Fully discretionary



21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उन्नयन 0.50%	उन्नयन 0.50%	उन्नयन 0.50%	उपलब्ध नहीं
22	गैर- संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार में संपरिवर्तनीय है उसे विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	उपलब्ध
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी अनुपात 5.5
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	आंशिक या पूर्णतः
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	दोनों
34	यदि अस्थायी अवलेखन हो, अवलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बैंक पूरी तरह से अपने विवेकाधिकार से, भा.रि.बैं. से पूर्व मंजूरी लेकर अपने बॉन्ड को भविष्य में उसकी वास्तविक कीमत पर बटुटा लेखा कर सकता है, जब वह यह प्रदर्शित करता है कि उसकी पूंजी स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं से काफी ऊपर है
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	लागू नहीं



21	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up 0.50%	Step-up 0.50%	Step-up 0.50%	Not Available
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No	No	Available
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A	Common Equity Tier1 capital ratio 5.5
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A	partially or fully
33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A	Both
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A	Bank solely at its discretion, may write up the bonds to its original value in future, when it demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements and with the prior approval of RBI
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Superior to equity share holders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity share holders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity share holders and subordinate to claims of all other creditors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes	No
37	If yes, specify non-compliant features	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI	Not applicable



तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्तें
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों के लिए प्रकटीकरण टैपलेट

		निम्न टियर II	निम्न टियर II	निम्न टियर II	निम्न टियर II	निम्न टियर II
		शृंखला IX	शृंखला XI	शृंखला XII	शृंखला XIII	शृंखला XIV
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565 ए09090	आइएनई565 ए09132	आइएनई565 ए09165	आइएनई565 ए09181	आइएनई565 ए09215
2	लिखत प्रकार	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत
3	लिखतों का समतुल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
4	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं मोचन राशि (रु करोड़ में)	शून्य , शून्य , 250	शून्य , शून्य , 500	शून्य , शून्य , 300	शून्य , शून्य , 290	शून्य , शून्य , 1000
6	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
8	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
12	गैर- संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है



Table DF-14 : Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II
		SERIES IX	SERIES XI	SERIES XII	SERIES XIII	SERIES XIV
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565 A09090	INE565 A09132	INE565 A09165	INE565 A09181	INE565 A09215
2	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
4	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
5	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil, nil, 250	nil, nil, 500	nil, nil, 300	nil, nil, 290	nil, nil, 1000
6	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
7	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
8	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
9	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available	Not Available	Not Available	Not available
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No	No
16	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI



तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्तें
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट

		उच्च टियर II शृंखला I	उच्च टियर II शृंखला II	उच्च टियर II शृंखला III	उच्च टियर II शृंखला IV
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565 ए09140	आइएनई565 ए09173	आइएनई565 ए09199	आइएनई565 ए09223
2	लिखत प्रकार	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II पूंजी लिखत
3	लिखतों का समतुल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
4	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं मोचन राशि (रु करोड़ में)	05.09.2016 शून्य , 500	17.09.2018 शून्य , 655.30	01.09.2019 शून्य , 510	10.01.2021 शून्य , 967
6	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
7	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
8	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उन्नयन	उन्नयन	उन्नयन	उन्नयन
12	गैर- संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है



Table DF-14 : Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Upper Tier II	Upper Tier II	Upper Tier II	Upper Tier II
		SERIES I	SERIES II	SERIES III	SERIES IV
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565 A09140	INE565 A09173	INE565 A09199	INE565 A09223
2	Instrument type	Upper Tier II capital Instruments	Upper Tier II capital instruments	Upper Tier II capital instruments	Upper Tier II capital instruments
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
4	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
5	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	05.09.2016 nil 500	17.09.2018 nil 655.30	01.09.2019 nil 510	10.01.2021 nil 967
6	Subsequent call dates, if applicable	No	No	No	No
7	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
8	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
9	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up	Step-up	Step-up	Step-up
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No
16	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI



तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्तें
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट

		सतत बेसल II अनुपालन शृंखला II	सतत बेसल II अनुपालन शृंखला III	सतत बेसल II अनुपालन शृंखला IV	सतत बेसल III अनुपालन शृंखला I
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565 ए09124	आइएनई565 ए09157	आइएनई565 ए09207	आइएनई565 ए09231
2	लिखत प्रकार	सतत ऋण लिखत	सतत ऋण लिखत	सतत ऋण लिखत	सतत ऋण लिखत
3	लिखतों का समतुल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
4.	सतत या दिनांकित	सतत	सतत	सतत	सतत
5.	वास्तविक परिपक्वता तिथि	सतत	सतत	सतत	सतत
6	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु मिलियन में)	08.05.2016 शून्य, 200	30.09.2016 शून्य, 80	29.09.2019 शून्य, 300	04.02.2020 शून्य, 1000
8	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उन्नयन	उन्नयन	उन्नयन	उपलब्ध नहीं
12	गैर- संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	इक्विटी शेयरधारकों के उच्चतर एवं सभी अन्य लेनदारों के दावों के निम्नतर	इक्विटी शेयरधारकों के उच्चतर एवं सभी अन्य लेनदारों के दावों के निम्नतर	इक्विटी शेयरधारकों के उच्चतर एवं सभी अन्य लेनदारों के दावों के निम्नतर	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मांग विकल्प अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मांग विकल्प अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मांग विकल्प अनुमति दी जानी है	लागू नहीं



Table DF-14 : Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Perpetual Basel II Compliant	Perpetual Basel II Compliant	Perpetual Basel II Compliant	Perpetual Basel III Compliant SERIES I
		SERIES II	SERIES III	SERIES IV	SERIES I
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565 A09124	INE565 A09157	INE565 A09207	INE565 A09231
2	Instrument type	Perpetual Debt instruments	Perpetual Debt instruments	Perpetual Debt instruments	Perpetual Debt instruments
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
4.	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
5.	Original maturity date	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
6	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes
7	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	18.5.2016, nil, 200	30.9.2016, nil, 80	29.9.2019, nil, 300	4.2.2020, nil, 1000
8	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
9	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Full Discretionary
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up	Step-up	Step-up	Not available
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes	No
16	If yes, specify non-compliant features	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI	Not applicable



स्वायत्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. सार्थक लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांशयुक्त 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक "बैंक" के तुलन पत्र व लाभ व हानि लेखा तथा संबंधित वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण सहित संलग्न वित्तीय विवरणों की हमने लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं तथा शाखा के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 8 विदेशी शाखाओं सहित 1754 शाखाओं की विवरणियाँ भी शामिल की गई हैं। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया है। इस तुलन-पत्र और लाभ व हानि के विवरण में उन 1665 शाखाओं एवं 39 क्षेत्रीय कार्यालयों की विवरणियाँ भी शामिल की गई हैं जिनकी लेखा परीक्षा नहीं हुई है। अ-लेखा परीक्षित इन शाखाओं का आग्रिम के क्षेत्र में अंशदान 8.13%, जबकि माओं में 22.79%, ब्याज आय में 5.70% और ब्याज संबंधी खर्चों में 19.55% का अंशदान है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. बैंकिंग विनियामक अधिनियम 1949, समय - समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारत में सामान्यतौर पर स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण शामिल हैं जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक हैं जो वस्तुनिष्ठ दोष से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या गलती के कारण हों।

लेखा परीक्षकों की जजम्मेदारी

3. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी किए गए लेखाकरण पर मानकों के अनुरूप अपनी लेखा परीक्षा की। इन मानकों से अपेक्षा की जाती है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं के अनुरूप लेखा परीक्षा करें। वित्तीय विवरण दोषरहित रहने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करें।
4. लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों में प्रकटीकरणों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने संबंधी प्रयोग की गई प्रक्रियाएँ शामिल रहती हैं। चयनित की गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षकों के निर्णयों पर निर्भर हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के वस्तुनिष्ठ गलत विवरण के मूल्यांकन का जोखिम शामिल रहता है, चाहे वे धोखाधड़ी या गलती के कारण हों। लेखा परीक्षक इन जोखिम मूल्यांकन का आकलन करने में इकाई की आंतरिक नियंत्रण की प्रभाव कारिता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि उस समय की परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति एवं बैंक की तैयारी से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त की लेखाकरण नीतियों के समयुक्त मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा दिए गए लेखाकरण अनुमानों के तर्कसंगतों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन करना शामिल है।
5. हमें विश्वास है कि अपनी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान हेतु हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं।

राय

6. हमारी राय में बैंक की बहियों द्वारा दर्शाए गए अनुसार व हमारी उचित जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार
 - (i) तुलन पत्र को उसमें दी गई पूरी टिप्पणियों में पूर्ण और उचित तुलनपत्र के सभी आवश्यक ब्योरे निहित हैं, भारत में स्वीकृत सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2016 को बैंक की वर्तमान स्थिति का उचित रूप से सही और उचित आकलन किया गया है;
 - (ii) लाभ हानि के साथ टिप्पणियों में लेखा द्वारा वर्ष के लिए कवर की गई भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के साथ पुष्टि करते हुए लाभ के सही शेष दर्शाते हैं; और
 - (iii) नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति दर्शाता है।

मामलों पर बल

7. क) हम नोट सं. 2.5 (अनुसूची 18) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान रुपए 170 करोड़ की राशि की (पिछले वर्ष रुपए 150 करोड़) गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान की पूर्ति हेतु 31 दिसंबर 2014 तक धारित तरलता प्रावधान एवं प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर के उपयोग से सम्बन्धित था।



INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of Indian Overseas Bank

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Indian Overseas Bank ("the Bank") as at 31st March 2016, which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2016, and Profit and Loss Account and the Cash Flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 1754 branches including 8 overseas branches audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are the returns from 1665 branches and 39 Regional Offices which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 8.13% of advances, 22.79% of deposits, 5.70% of interest income and 19.55% of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulations Act 1949, Reserve Bank of India guidelines from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - (i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March, 2016 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
 - (ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
 - (iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the Cash Flows for the year ended on that date.

7. Emphasis of Matter

- a) We draw attention to Note No. 2.5 (Schedule 18) regarding utilization of floating provision and counter cyclical provisioning buffer held as on 31st December, 2014 for meeting specific provision for non performing assets during the year ended 31st March, 2016 amounting to Rs.170 crores (Previous year Rs. 150 crore).



ख) हम वर्ष के दौरान नई ऑपरेटिंग प्रणाली में माइग्रेशन एवं उपयुक्त मुद्दों के सम्बन्ध में नोट सं. 7.2 (अनुसूची 18) पर ध्यान आकर्षित करते हैं।
उक्त के संबंध में हमारी राय नहीं ली गई है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाते को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 29 के अनुसरण में तैयार किया गया है।
9. अनुच्छेद 1 से 5 से अधिक में इंगित की गई लेखा परीक्षा की सीमाओं के तहत बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 द्वारा अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अनुसार भी हो, हम रिपोर्ट करते हैं कि
 - क) हमने सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो कि हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उत्कृष्ट हैं, हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषप्रद पाया गया है।
 - ख) बैंक के लेन-देन जो कि हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अंदर किए गए हैं।
 - ग) बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियां लेखा के उद्देश्य हेतु उपयुक्त पाई गई हैं।
10. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :
 - क) इस रिपोर्ट में वर्णित सम्बन्धित तुलनपत्र एवं लाभ व हानि लेखे, लेखा बहियों एवं रिटर्न के अनुक्रम में हैं।
 - ख) बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं के लेखों पर रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते हुए हमने उस पर समुचित कार्रवाई की है।
 - ग) हमारे मतानुसार, तुलनपत्र, लाभ व हानि लेखे व नकदी प्रवाह विवरणी लागू लेखांकन मानकों के अनुपालन में है।

कृते वर्धमान एंड कं
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 004522एस

कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 009571 एन/ एन500006

कृते ए वी देवेन एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000726एस

(सीए. वी. भास्करन)
साझेदार
एम नं. 012202

(सीए. एस. सुन्दर राजन)
साझेदार
एम नं. 211414

(सीए. आर. मुरलीधरन)
साझेदार
एम नं. 023283

कृते हरिभक्ति एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 103523डब्ल्यू

कृते तलाटी एंड तलाटी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 110758डब्ल्यू

(सीए. जी. एन. रामस्वामी)
साझेदार
एम.नं. 202363

(सीए. उमेश एच. तलाटी)
साझेदार
एम. नं. 034834

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 27.05.2016



- b) We draw attention to Note No. 7.2 (Schedule 18) with regards to migration to new Operating System during the year and the relevant issues.

Our opinion is not qualified in respect of the above.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.
9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
- (a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - © The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
10. We further report that:
- a) the Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;
 - b) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
 - c) in our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

For **VARDHAMAN & Co**
Chartered Accountants
FRN 004522S

For **ASA & ASSOCIATES LLP**
Chartered Accountants
FRN 009571N / N500006

For **A V DEVEN & Co**
Chartered Accountants
FRN 000726S

(CA. V. BASKARAN)
Partner
M.No. 012202

(CA. S. SUNDAR RAJAN)
Partner
M.No.211414

(CA. R. MURALIDHARAN)
Partner
M.No.023283

For **HARIBHAKTI & Co LLP**
Chartered Accountants
FRN 103523W

For **TALATI & TALATI**
Chartered Accountants
FRN 110758W

(CA. G. N. RAMASWAMI)
Partner
M.No. 202363

(CA. UMESH H. TALATI)
Partner
M.No.034834

Place : Chennai

Date : 27.05.2016



इण्डियन ओवरसीज बैंक
केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालू, चेन्नै 600002
प्रॉक्सी फॉर्म
(शेयरधारक द्वारा भरने व हस्ताक्षरित करने के लिए)

पंजीकृत पृष्ठ
(यदि बेकागजीकृत नहीं है).....
डीपीआईडी व क्लाइंट आई डी
(यदि बेकागजीकृत है).....

मैं/ हम निवासी जिला राज्य..... इण्डियन ओवरसीज बैंक चेन्नै के शेयरधारक/ धारकों के नाते एतद्द्वारा श्री / श्रीमती निवासी जिला राज्य..... को , अथवा इनके न होने पर श्री /श्रीमती निवासी जिला राज्य..... को इण्डियन ओवरसीज बैंक के शेयरधारकों की सोमवार, दिनांक 18 जुलाई, 2016 को सुबह 10.00 बजे रानी सीतै हॉल, 603, अण्णा सालू, चेन्नै - 600 006 में होने वाली असाधारण बैठक और उसके किसी स्थगन के बाद मुझे / हमारे लिए मेरी/ हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं ।

आज वर्ष 2016 के माह के दिन हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

रु. 1/- का रेवेन्यू स्टैम्प चिपकाएं
--

प्रथम नामांकित / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक
 - क. एक शेयरधारक के मामले में उनके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
 - ख. संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित पहले शेयरधारक या उनके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
 - ग. संघ निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा या एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो।
2. किसी प्राक्सी का लिखत किसी ऐसे शेयर धारक द्वारा यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता हो यदि उस पर उसका निशान लगा दिया जाए जो वह निशान किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आश्वासनों के पंजीयक या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इण्डियन ओवरसीज बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित हो।

प्रॉक्सी के साथ-साथ

3. क. मुख्तारनामा या अन्य कोई अधिकार (यदि हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षरित किया गया है या
- ख. मुख्तारनामा या अन्य कोई प्राधिकार की प्रति जो नोटरी पब्लिक या दण्डाधिकारी द्वारा सुयोग्य प्रति के रूप में सत्यापित हो, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, इण्डियन ओवरसीज बैंक केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालू, चेन्नै - 600 002 में असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, 13 जुलाई 2016 को शाम 5.00 बजे को बैंक के कार्यसमय की समाप्ति से पूर्व जमा करा दिया जाना है।
4. प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक विधि स्टाम्प नहीं लगाया गया हो।
 - क. बैंक में जमा किया गया प्राक्सी का लिखत अंतिम अप्रतिसंहरणीय होगा।
 - ख. दो व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर किए गए प्राक्सी के लिखत के मामले में एक ही फार्म निष्पादित किया जाना है।
 - ग. जिस शेयर धारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित किया है वह संबंधित आसाधारण सामान्य बैठक में स्वयं मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।
 - घ. इण्डियन ओवरसीज बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।



Indian Overseas Bank

Central Office: 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

FORM 'B'

FORM OF PROXY

See Sub-Regulation (iii) of regulation 70)
(TO BE FILLED IN AND SIGNED BY THE SHAREHOLDER)

Regd. Folio
No.
(If not Dematerialised) D P Id No.
Cl. Id No.

I/ We, ...resident(s)
of in the district
of in the State of
being a shareholder/shareholders of Indian Overseas Bank, hereby appoint Shri/Smt
resident of in the district of in the State of
..... OR failing him/her Shri/Smt resident of
.....in the district of in the State of as my/our
proxy to vote for me/us and on my/ our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank to
be held on Monday, 18th July, 2016 at 10.00 a.m. at Rani Seethai Hall, 603 Anna Salai, Chennai 600006 and at any
adjournment thereof. Please affix

Signed this.....day of.....2016

(Signature of the Proxy)

Name

Address

.....

.....

Rs. 1/- Revenue Stamp

Signature of the first named/sole holder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder. If for any reason he/she is unable to sign, then his / her mark shall be affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Indian Overseas Bank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the *Central Office of Indian Overseas Bank* with the General Manager (Investor Relations), Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai 600 002, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of 5.00 p.m. on **Wednesday, 13th July, 2016**.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Indian Overseas Bank.



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
डिपॉजिटरी सेवाएँ शाखा
कैथीड्रल शाखा (मेज़ानिन फ्लोर)
762, अण्णा सालै, चेन्नै- 600002
दूरभाष- 28513617/3618 फैक्स :28513619 ईमेल:
deposit@chemsco.iobnet.co.in

संपर्क व्यक्ति - श्री वी. श्रानिवासन/ श्री आर.एस. मणि

भौतिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अपील

- क्या आप अपने भौतिक शेयरों को हानि या चोरी से बचाना चाहते हैं?
- क्या आप शेयरों के अंतरण में लगने वाले स्टाम्प शुल्क तथा देरी से बचना चाहते हैं?
- क्या आप अपने शेयरों को बेचना तथा आय जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं?
- क्या आप अपने बैंक खाते में सीधे ही लाभांश राशि के जमा को प्राप्त करना चाहते हैं?
- क्या आप अपने सभी धारितों को एक बार में पता / बैंक खाता नामिति के परिवर्तन को संप्रेषित करना चाहते हैं?
- क्या आप सार्वजनिक /राइट्स निर्गम के माध्यम से शेयरों में आगे निवेश के इच्छुक हैं?

इन सभी सवालों का एक मात्र जवाब हमारे साथ डीमैट खाता खोलते हुए भौतिक शेयरों को डीमैट में परिवर्तित करना है।

आइ ओ बी के साथ डीमैट खाता खोलें (www.iob.in में सूचीबद्ध चुनिंदा शाखाओं में) तथा निम्नलिखित अन्य लाभ उठाएं

- अपना शेयर शेष ऑनलाइन देखें
- शेयरों पर ऋण को आसानी से बढ़ाएं
- उसी डीमैट खाते में म्यूचुअल फंड / बॉण्ड / गोल्ड ई टी एफ रखें
- प्रत्येक नाम के लिए एस एम एस अलर्ट प्राप्त करें
- पोर्टफोलियों की कीमत में अनुकूल परिवर्तन पर प्रतिदिन एस एम
- एस अलर्ट प्राप्त करें
- नामिति को शेयरों का तत्काल अंतरण
- धारित मूल्य पर आधारित रियायती ए एम प्रभार
- अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भी डीमैट खाता खोलकर और शेयरों का अंतरण करते हुए उनमें शेयरों के रूप में अपनी संपत्ति वितरित करें।

Indian Overseas Bank DEPOSITORY SERVICES BRANCH

Cathedral Branch (Mezzanine Floor),
762, Anna Salai, Chennai 600 002
Phone 28513617/3618 Fax – 28513619
[email – deposit@chemsco.iobnet.co.in](mailto:deposit@chemsco.iobnet.co.in)

Contact persons – Mr.V. Srinivasan/Mr.P.K. Murali

APPEAL TO SHAREHOLDERS HOLDING PHYSICAL SHARES

- Do you want to prevent loss or theft or damage to your physical shares?
- Do you want to avoid incurring stamp duty and delay in transfer of shares?
- Do you want to sell your shares and realize the proceeds quickly?
- Do you intend to receive credit of dividend amount into your Bank account directly?
- Do you want to communicate change of address/ Bank account/nominee to all your holdings at one go?
- Do you wish to make further investments in shares through Public/Rights Issues?

THE ONLY ANSWER TO ALL THESE QUESTIONS IS TO CONVERT YOUR PHYSICAL SHARES INTO DEMAT BY OPENING A DEMAT ACCOUNT WITH US.

Open demat account with IOB (at select branches listed in www.iob.in) and enjoy the following other benefits.

- View your share balances online
- Raise loan on the shares easily
- Keep Mutual Fund/Bond/Gold ETF in the same demat account
- Get SMS alert for each debit
- Receive daily SMS alert on favourable change in the value of portfolio
- Instant transfer of shares to nominee
- Concessional AMC charges depending on holding value
- Distribute your wealth in the form of shares among your family members by opening demat account in their names and transferring the shares

Bank Smart with IOB

A host of Services
Now in the Palm
of your hands

IOB Internet
Banking

IOB
Mobile
Banking

Funds
Transfer
enabled
within
& across
the Banks

IOB
mPassbook

IRCTC
Online
Booking

IMPS
Instant
Money
Transfer

Payment
Gateway

For further details
contact our nearest
IOB Branch

**Toll Free No.
1800 425 4445**



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

(A Govt. of India undertaking)

Good people to grow with

Touching Hearts
Spreading Smiles



www.iob.in

IOB SUBHA GRUHA HOME LOAN

No Prepayment Charges!
Interest Rates slashed!
Hurry!!!
Limited period offer

IOB SUBHA GRUHA HOME LOAN

EMI: Only
₹ 856/- per*
lakh
for 30 years

For loans up to ₹75 lakh

* Interest rate: 9.70%

IOB PUSHPAKA VEHICLE LOAN

EMI: Only
₹ 1671/- per*
lakh
for 7 years

Financing up to 90% of cost of vehicle

* Interest rate: 10.20%

For further details, please contact your nearest IOB branch or call Toll-free No. 1800 425 4445



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

(A Govt. of India undertaking)

Good people to grow with

Touching Hearts
Spreading Smiles

Concept

*Terms & Conditions Apply